राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

खंड 2] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 42 वां दिवस [संख्या 12

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, उद्योग, विधि व स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री विजयसिंह प्रश्न सं० 317 ।

ग्राम बोरावड़ में पुलिस में दर्ज मामले

317. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 4 मई, 67 को बोरावड़ ग्राम, जिला नागौर में श्री भंवरलाल नामक व्यक्ति के मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) बोरावड़ में शान्ति एवं व्यवस्था कायम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं है ?

(3) बोरावड में पिछले तीन सालों में कितने केस पुलिस में दर्ज हुए और उनकी अभी क्या स्थिति है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) श्री भंवरलाल अग्रवाल को 4/5-5-67 की दरम्यानी रात में चोरों ने कत्ल कर दिया तथा उसके घर में से नकद रुपये व सोने चांदी के जेवरात चुराकर ले गये । इस पर अभियोग संख्या 17, धारा 460, 380 ताजेरात हिन्द तारीख 5-5-67 को कायम किया गया और तफतीश सर्कल अफसर द्वारा शुरू की गई । अब तक भी उसमें अच्छी प्रगति सन्तोषप्रद न होने से यह केस सी० आई० डी० को वास्ते तफतीश ट्रांसफर कर दिया गया है ।

(2) ग्राम बोरावड़ में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिनांक 5-5-67 को एक विशेष पुलिस पार्टी लगाई गई थी । बाद में पूर्ण शान्ति हो जाने के कारण दिनांक 15-12-67 को पार्टी को वहां से हटा लिया गया ।

(3) ग्राम बोरावड में सन् 1965 से 1967 तक 43 मुकदमात दर्ज हुए हैं जिनमें से 22 के चालान, 6 अदम पता, 3 अदम सबूत, 9 अदम वकूवा तथा 3 जेर तफतीश हैं ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि बोरावड में शान्ति कायम रखने के लिये मकराना में डी० वाई० एस० पी० का हैडक्वार्टर किया गया है ।

श्री खेतसिंह : मकराना में पहले ही डीवाई० एस० पी० का हेडक्वार्टर है उससे बोरावड़ में शान्ति कायम रखने के लिये किया गया हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह : बोरावड में हेड-क्वार्टर कब से है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है । इससे ताल्लुक नहीं रखता है । आप अलग से पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री विजयसिंह : यह इसी से सम्बन्ध रखता है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अलग से है ।

श्री विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्ध रखता है । डीवाई० एस० पी० का हेडक्वार्टर रखने के सम्बन्ध में ही है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से है ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराना में डीवाई० एस० पी० एक ही व्यक्ति लगातार 5 साल से है और उनकी वजह से कामयाबी नहीं हो रही है ।

श्री खेतसिंह : यह भी अलग से प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह : पहले वहां पुलिस को लगाया गया और बाद में सी० आई० डी० को लगाया । पहले कार्यवाही नहीं हुई, क्यों नहीं कार्यवाही हुई–इसको बता सकते हैं ।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि वहां जो डीवाई० एस० पी० लगा हुआ है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है ।

श्री विजयसिंह । उनको तीन साल से ट्रान्सफर किया जा रहा है । यह बार बार सुन रहे हैं हम अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब उनको बदला जा रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : उनकी वजह से ज्यादा चोरियां हुई हैं । एक महीने में उनको तब्दील करेंगे । क्या आप इससे सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष : तब्दील किया जा रहा है । नेक्स्ट । श्री नाथूराम करोल । प्रश्न संख्या 318 (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । पुलिस कुछ नहीं करती है । इस मामले को जल्दी से करवायें जिससे लोगों को राहत मिले । वहां गुन्डों को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि आई० पी० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर्स के ट्रान्सफर्स के लिये कोई समय नियुक्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, डीवाई० एस० पी० की तब्दीली न होना नादिरशाही है और मंत्रीगण जो

(श्री विजयसिंह रावत)
यहां पर बैठे हैं, वे कुछ नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता । प्रश्न कर्ता ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराना के डीवाई० एस० पी० का वहां पट्टा लिखा हुआ है कि वही वहां बैठा रहे ?

श्री अध्यक्ष : बदला जा रहा है । बदला जा रहा है ।

प्रश्न संख्या 318

श्री नाथूराम करोल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : प्रश्न सं० 319 ।

प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से कल्पसूत्र ग्रन्थ की चोरी *

319. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।—

(1) प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से कल्पसूत्र ग्रन्थ की चोरी हुई थी वह मिली या नहीं ? इस सम्बन्ध म क्या खोज हुई ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि अमूल्य प्राचीन ग्रन्थों के स्थान पर उसी नाम का घटिया ग्रन्थ रखे जाने की वारदातें इस प्रकार की संस्थाओं में हो जाती हैं तथा उन्हें रोकने के लिये ग्रन्थों के प्रत्येक पन्ने पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं ?

(3) इस प्रकार की व्यवस्था प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में की गई थी या नहीं ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ? और अब आगे के लिये क्या ऐसा निर्णय लिया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) पहले नहीं थी । अब कर दी गई है ।

(4) पुराने ग्रन्थ जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में हैं, उन ग्रन्थों के प्रत्येक पन्ने पर विभाग की मोहर व हस्ताक्षर किये जारहे हैं तथा नये पुराने ग्रन्थों के मूल्य का चुकारा करने से पूर्व ही प्रत्येक पृष्ठ पर विभाग की मोहर तथा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत । यह आपने जो पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि पुलिस द्वारा खोज की जा रही । दो साल से वहां पर इस प्रकार के केसेज हो रहे हैं । क्या मंत्री महोदय, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें देरी अवश्य हुई है । इसके बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हुई है ? जल्दी से जल्दी जांच के बारे म आदेश दिये गय हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि 4-5 साल से हमारे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत) अमूल्य ग्रन्थों को और बहुमूल्य मुर्तियों की चोरियां होती जा रही हैं और एक भी चोरी पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सही है। जांच शीघ्र करवाई जा रही है। पुलिस विभाग को हम बराबर लिख रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में चोरी किये गये मामले कितने सरकार के सामने आये और जो ग्रंथ मिस हो रहे हैं, उनके बारे में रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने ग्रन्थ प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से चोरी चले गये हैं और कितने ग्रंथों के बारे में पुलिस में रिपोर्ट हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि वहां पर अभी कितने ग्रन्थ हैं, और यह संस्था कब से कार्य कर रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : 35 हजार ग्रन्थ करीब संग्रह हुए हैं और यह संस्था सन् 1950 में स्थापित की गई थी। इसमें ग्रंथों की चोरियां हो रही हैं, यह सच है। हम लोग पुलिस विभाग को लिख रहे हैं कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी की जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी तक आपके विभाग के नोटिस में है कि कितने ग्रन्थ चोरी हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। यह बड़े खेद की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह ग्रंथ चुराने वाला कोई लिटरेरी मेन होगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर! माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह भी बताने की कृपा करें कि 'कल्पसूत्र ग्रन्थ' कैसे चोरी गया ? इस सम्बन्ध में उनकी जानकारी होगी। वह कहां रखा हुआ था, कैसे गायब हुआ, इस सम्बंध में कह सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी, 1966 में हुई-'कल्पसूत्र ग्रंथ' के चोरी चले जाने की। उसके बाद लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन छानबीन के पश्चात् भी अभी तक कोई पता नहीं लग पाया कि क्या स्थिति है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह बतायें कि वह ग्रन्थ कहां रखा था, आपके पास उसको रखने की क्या व्यवस्था थी, सुरक्षित रूप में रखा था या नहीं, किस जगह से गायब हुआ ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह तिजोरी में रखा था या कहां रखा था ? हजारों रुपये के बहुमूल्य ग्रन्थ ऐसे ही चोरी चले जाते हैं और उनका पता तक भी नहीं लगता । मैं कहती हूं, अध्यक्ष महोदय, इन ग्रन्थों को चुराने में एक गैंग काम करता है और वह विदेशों से मिला हुआ है जिनको वह हजारों रुपये लेकर बेचता रहता है । सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

श्री शिवचरण माथुर : यह सही हो सकता है । लेकिन सुरक्षित रखने के बाद भी चोरी हो जाता है । पुलिस द्वारा इसकी छानबीन शीघ्र की जा रही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 'प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान' के किस अधिकारी द्वारा यह बात सरकार के नोटिस में पहले पहल लायी गयी कि यह ग्रन्थ गायब है ?

श्री शिवचरण माथुर : सबसे पहले 22 नवम्बर, 1966 को इसी विभाग के इन्चार्ज ने मौखिक सूचना दी थी । उसके बाद लगातार जांच चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

प्रश्न संख्या 320

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती शिवकुमारी :

श्री जुझारसिंह : 321

एक सदस्य : श्रीमती शिवकुमारी आप हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनका आभास है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो माननीय सदस्य पर जबरदस्त आरोप है ।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तित्व का आभास है ।

श्री रामकिशन : यह केस तो मेडिकल ज्युरिस्ट को भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े होकर बोलें तो मैं कुछ कह सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : रामकिशन जी खुद ही एक्सपर्ट हैं ऐसे मामलों में ।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : यह तो जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी जाने ।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न संख्या 321

खानपुर क्षेत्र के एस० एच० ओज का तबादला

321. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : (श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) द्वारा पूछा गया) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खानपुर उप-चुनाव के एक या दो महीने पूर्व से इस क्षेत्र के किन किन एस० एच० ओज को तब्दील किया गया व किन तबादले शुदा व्यक्तियों का तबादला रद्द किया गया ? कृपया इस क्षेत्र के पुलिस थानों की कुल तादाद के साथ साथ उन स्थानों का नाम बताने की कृपा करें जिन पर थानेदारों को बदला गया है ?

(श्रीमती शिवकुमारी)

(2) क्या यह सही है कि तबादले पर लगाये गये व्यक्तियों के प्रति पार्टी विशेष का पक्ष करने का जनता में शक था और है और इस प्रकार की शिकायत सरकार के समक्ष पेश की गई है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) थानदारों के अलावा इसी अवधि में कितने और पुलिस मुलाजिमों का तबादला किया गया है ? मय नाम व स्थान के बताने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : खानपुर क्षेत्र में दो भारसाधक पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया जो सर्व श्री नाथूसिंह, खानपुर और रामगोपाल असनावर है । मदनलाल सोमानी, थाना सारोला का स्थानान्तरण बांसवाडा ता० 27-5-67 को किया गया था, जो उप-महानिरीक्षक, आरक्षी, उदयपुर-कोटा खण्ड के द्वारा दिनांक 20-7-67 को रद्द किया गया । इस क्षेत्र में तीन आरक्षी केन्द्र हैं : खानपुर, असनावर, सारोला ।

(2) जी हां । उन शिकायतों की जांच की गई । जांच कराने से कोई सच्चाई नहीं पाई गई ।

(3) 2 मुख्य आरक्षी और 26 आरक्षीगणों का स्थानान्तरण किये गये जिनके नामों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : 36 कान्स्टेबलों का ट्रान्सफर किया गया उन कान्स्टेबलों में कितने और पुलिस के अधिकारी हैं जो काम करते रहे ?

श्री खेतसिंह : तीन थाने हैं हरेक में पुलिस की क्या स्ट्रेन्थ है यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : तीन थाने हैं और इन तीनों के थानेदारों का तबादला कर दिया लेकिन एक को इलेक्शन के समय जाने नहीं दिया गया ?

श्री खेतसिंह : आप जरा माइक से मुंह दूर रखकर बोलिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्री मदनलाल सोमानी, थानेदार का ट्रान्सफर चुनाव के पहले बांसवाड़ा हो गया था ?

श्री खेतसिंह : मैंने प्रश्न के खण्ड 3 का उत्तर देते हुए कहा था कि इनका स्थानान्तरण 27-5-67 को हो गया था और 20-7-67 को डी० आई० जी०, कोटा रेन्ज ने वापिस इनका ट्रान्सफर रद्द कर दिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मई, 67 का तबादला जुलाई, 67 में केन्सिल हुआ तो मई से जुलाई तक इनका ट्रान्सफर हो जाने के बाद भी थाना, सालवा में एस० एच० ओ० के पद पर ये कार्य करते रहे ?

श्री खेतसिंह : यह सम्भव है अगर उनको रिलीव करने के लिए कोई नहीं आया होगा तो ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
में माह मई से जुलाई तक इनका ट्रान्सफर बांसवाड़ा हो जाने के बावजूद सारोला में ये बहैसियत एस० एच० ओ० के काम करते रहे ?

श्री खेतसिंह : उसी थाने में रहे जब उनको रिलीव करने वाला नहीं आया तो वे उस जगह से कैसे जा सकते थे। चुनाव खानपुर का कब हुआ यह मुझे पता नहीं।

श्री भुभारसिंह : यह चुनाव 2 जुलाई को हुआ जबकि इन थानेदार का तबादला हो गया था फिर भी जान बूझकर चुनाव के दिनों में पार्टी के काम के लिये उनको वहीं पर बिठाये रखा गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मई, 67 से जुलाई, 67 तक ट्रान्सफर हो जाने के बाद भी वे उस पद पर काम करते रहे ?

श्री खेतसिंह : जब तक दूसरा सब-इन्सपेक्टर चार्ज न ले वह वहीं पर काम करते रहे। मैं समझता हूं एक थानेदार के वहां रहने से आपके चुनाव में किस प्रकार इफेक्ट पड़ सकता है।

श्री भुभारसिंह : तीन थानों में से दो के तो तबादले कर दिये गये एक महीने के अन्दर अन्दर और इनका, मदनलाल का ट्रान्सफर आर्डर था उनको ट्रान्सफर पर जाने नहीं दिया आपने 36 आदमियों को जो वहां की पचास प्रतिशत स्ट्रेन्थ है उनका तबादला कर दिया तो मेरा यह पूछने का तात्पर्य है कि चुनाव के एक महीने पहले इस तरह के तबादले करना क्या उचित लगता है ?

श्री खेतसिंह : 26 ट्रान्सफर हुये हैं तीन थानों से तो हर एक थाने से उनके अन्तर्गत कितने ही गांव आते हैं दो दो तीन का तबादला हुआ।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि क्या यह उचित लगता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : ये तबादले इरादतन तो नहीं हैं ?

श्री खेतसिंह : राजनैतिक तो नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इतने बड़े पैमाने पर तबादले किये हैं क्या वे इरादतन हैं क्या?

श्री खेतसिंह : प्रशासनिक दृष्टि से किये गये हैं।

श्री भैरोंसिह : इन तीनों सब इन्सपेक्टर्स द्वारा 1967 के आम चुनाव में राजनैतिक दृष्टि से कार्य करने की शिकायत हुई और यह वहां के एस० पी० ने लिखा था कि इन तीनों का स्थानान्तरण कर दिया जाय ?

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है। एक के लिये श्री मदनलाल के लिये शिकायत हुई।

श्री भैरोंसिह : जिस एक की शिकायत होना आप मानते हैं जब कि उसका स्थानान्तरण हो चुका था तो फिर उस आदमी को वहां क्यों रखा गया ?

श्री खेतसिंह : शिकायत पर तबादला नहीं हुआ था। शिकायत आने पर तो जांच होती है। जब साबित हो जाय तो एक्शन लिया जाता है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इसकी झालावाड़ के कलेक्टर ने जांच क

Page No. 8

(श्री भैरोंसिंह)

थी और चीफ इलेक्शन आफिसर को शिकायत की थी इस आदमी के प्रति प्रारम्भिक जांच से यह आरोप सही प्रमाणित होते हैं वे कागजात अभी तक इलेक्शन विभाग में पड़े हुए हैं मैंने स्वयं ने देखे हैं ?

श्री खेतसिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी मदनलाल, सब-इन्स्पेक्टर को थाने के अन्दर जनता ने इसकी जूतों से पिटाई की थी और जब इस मामले की जांच हुई तो यह सही पाया गया कि इसने जनता के साथ ज्यादती की थी ?

श्री खेतसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये में बता दूंगा।

श्री जुझारसिंह : क्या जांच के दौरान यह साबित हो गया कि इन्होंने चुनाव में पार्टी विशेष के लिये कार्य किया यह चुनाव विभाग में लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री फूलचन्द बाफना।

ब्यावर-बर सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों की कटाई

322 **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से बर तक की 15 मील की सड़क पहले से अधिक चौड़ा किया जाना चालू है ?

(2) यदि हां, तो क्या पहले की सड़क के दोनों ओर के असंख्य वृक्ष काटे गये है ? यदि हां, तो काटे गये वृक्षों की संख्या क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि काटे गये वृक्ष बहुत मूल्यवान थे तथा इमारती फर्नीचर के उपयोग के थे ?

(4) क्या यह सही है कि इन काटे गये वृक्षों की सारी मुल्यवान लकड़ी सम्बन्धित असिस्टेन्ट इन्जीनियर और ओवर सीयर ने मिलकर नीमाज कस्बे में आरा मशीन पर चिरवा कर उनके तख्ते निकलवा कर तख्ते और शेष बिना चिरे हुए तनों को जोधपुर ले जाकर बेचा है ?

(5) क्या यह सही है कि इन कीमती वक्षों के तख्तों और तनों को बेचा गया परन्तु उनका मूल्य सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया ?

(6) उपर्युक्त कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप कर इसकी करवाने का विचार रखती है ?

(7) सरकार को हजारों रुपयों की अनवरत हो रही इस हानि को रोकने की शीघ्रातिशीघ्र क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) (1) जी हां।

(2) अब तक 405 वृक्ष काटे गये हैं।

(3) जी नहीं, कुछ ऐसे वृक्ष थे जिनके तने मोटे व लम्बे थे।

(4) वर्क चार्ज एकोमोडेशन शेड के लिये लकड़ी आरा मशीन पर चिरवाई गई है जिसको शेड के उपयोग में लिया गया है। कुछ का उपयोग सरकारी काम में लिया गया है और शेष सहायक अभियन्ता के स्टोर में सुरक्षित है।

Page No. 9

(श्री माधोसिंह)

(5) कोई वृक्ष नहीं बेचा गया है। अत:एव रकम जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) इस सम्बन्ध में जांच कर ली गई है। आवश्यक नहीं है।

(7) हानि नहीं हुई है अतः कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

श्रीविजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि इस लकड़ी को जहां बेचा है उस ठेकेदार के यहां अभी भी यह लकड़ी मौजूद है जोधपुर में।

श्री माधोसिंह : जी, यह सही नहीं है।

श्री भेरौंसिंह : पेड़ कटवाने का अधिकार किस अधिकारी का है?

श्री माधोसिंह : सड़क का निर्माण होता है तो उसमें बीच में पेड़ आते हैं तो उनको कटवाने का अधिकार सहायक अभियन्ता को है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पी० डब्ल्यू० डी० में आपको क्या अधिकार दिया हुआ है?

श्री विजयसिंह रावत : वह प कितने मोटे मोटे तने के थे?

श्री माधोसिंह : तना मोटा था।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय मन्त्रीजी के आकार का था।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य के आकार का था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपके और उनके आकार में कोई फर्क नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मन्त्री महोदय कह गये कि सड़क के बीच में पेड़ आते हैं बीच में पेड़ काटने का सवाल नहीं है यह जो सड़क है उसके दोनों तरफ लगे वृक्षों को काटने सवाल है।

श्री माधोसिंह : पेड़ बीच सड़क में जब आते हैं तो काटे जावेंगे।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : तो जो कोई पेड़ बीच में नहीं है उसको भी बीच में ही समझेंगे?

श्री माधोसिंह : जो उस सड़क की चौड़ाई में होगी उसमें जब बीच में कोई वृक्ष आयेगा तो वह बीच में ही तो गिना जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सड़क के एक तरफ के वृक्षों को संरक्षण दकर दूसरी तरफ के ही काटे जाना उचित होता, दोनों तरफ के वृक्ष क्यों काटे गये। यह टेक्निकल प्रश्न भी नहीं है। सामान्य बुद्धि का सवाल है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : नहीं, वैसा नहीं है, जो अलाइन्मेन्ट में आये उनको इसी वजह से काटा गया है वहां सड़क को चौड़ा करना था इस वजह से जो अलाइनमेन्ट में आये उनको ही काटा गया। सबको नहीं यह नहीं कि सड़क के बीच में ही दरख्त थे

तहसील कुशलगढ़ में कन्या सैकण्डरी स्कूल की मांग

323. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): [**श्री रामकिशन** (वैर) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में मिडिल कन्या पाठशाला को सैकण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की मांग नगरपालिका एवं नागरिकों द्वारा की जाने पर चालू सत्र में वह कार्य करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और यदि उक्त परिवर्तन नहीं किया गया है तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ के बजाय गढ़ी में उक्त परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, जिला बांसवाड़ा के दो स्कूल कुशलगढ़ और गढ़ी को सैकण्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे किन्तु बजट में पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण राजस्थान के ऐसे बहुत से स्कूल परिवर्तित नहीं किये जा सके जिनमें से एक कुशलगढ़ है । इन दोनों में से केवल एक ही हो सका ।

(2) गढ़ी चूंकि अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें तो एक सत्र से परिवर्तन कर दिया गया और कुशलगढ़ के वास्ते अगले सत्र के प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा और यदि पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो गया तो इसे भी परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

श्री रामकिशन : क्या यह जानकारी है कि यह कुशलगढ़ एक ट्राइबल एरिया है और गढ़ी भी जहां से जोशीजी निर्वाचित होकर आये हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी सूचना के लिये कह देता हूं कि मैं गढ़ी से निर्वाचित होकर नहीं आया हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जन्म लेकर आये होंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : कुशलगढ़ में भी स्कूल खोले जाने की उपयुक्तता को हम महसूस करते हैं । प्रावधान के होते ही खोल दिया जावेगा ।

श्री रामकिशन : आपका कहना है कि पिछड़ा इलाका है इसलिये खोला गया तो कुशलगढ़ भी सेन्ट पर्सेन्ट पिछड़ा इलाका है तो फिर आपने गढ़ी को किस आधार पर प्राथमिकता दी बनिस्बत कुशलगढ़ के ?

श्री शिवचरण माथुर : पिछड़ा क्षेत्र है वह ।

जोधपुर गांधी अस्पताल का वार्षिक बजट

324. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर गांधी अस्पताल का वार्षिक बजट कितने रुपयों का स्वीकृत है और वास्तविक आवश्यक खर्चा कितना है ?

(2) क्या यह सही है कि भर्ती किये जाने वाले मरीजों की निर्धारित संख्या

Page No. 11

(श्री शंकरलाल)

से अधिक मरीज भर्ती होते हैं ? इस वर्ष के आंकड़े बताने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल के स्टाफ को वर्दियां और मरीजों के पलंग के लिये चद्दरें और कई आवश्यक दवाइयां इसलिये उपलब्ध नहीं कराई जातीं क्योंकि बजट में प्रावधान कम है ?

(4) क्या सरकार अस्पताल की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) महात्मा गांधी अस्पताल का 1967-68 का स्वीकृत बजट 20,29,900 (बीस लाख उन्नतीस हजार नौसौ) रुपयों का है जो वास्तविक आवश्यक खर्चे के मुताबिक ही है ।

(2) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कुल शैयाए 633 हैं परन्तु कभी कभी विवशतावश अधिक रोगियों को भर्ती करनाप ड़ताहै । इस वर्ष 19,683 रोगियों को भर्ती किया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) चूंकि सालाना बजट आवश्यकतानुसार स्वीकृत है इसलिए इसमें बढोतरी का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि अभी राज्य मंत्री ने भी दौरे के वक्त मौके पर देखा था कि गांधी अस्पताल में गद्दे इसलिए नहीं बिछाये जाते कि बजट की कमी है । गद्दे हैं नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि 633 की बेड स्ट्रेन्थ है उससे ज्यादा मरीज भर्ती हो जाते हैं तो लाजिमी तौर पर बेड्स की भी कमी रहती है और दूसरी चीजों की भी कमी रहती है ।

श्री शंकरलाल : गिनती नहीं बढ़ती तब भी चद्दरें नहीं हैं कभी कभी गद्दे नहीं हैं । मैं तो महीने भर वहां रहा हूं । मैंने घूमकर देखा है ।वर्दियां नहीं हैं कम्पाउन्डरों की और दूसरे लोगों की और जब कहते हैं कि इनको वर्दियां क्यों नहीं हैं तो कहते हैं। हमारे पास बजट की कमी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अर्ज कर दूं कि बजट के अनुसार पूरी औषधियो, वर्दियों आदि का प्रावधान है और उस प्रावधान के मुताबिक ही खर्चा किया जाता है । अब आप कहते हैं कि उसमें भी सामान में कमी है तो मैं समझता हूं कि यह मेरी जानकारी में नहीं है । इसके लिये अगर आप अलग से प्रश्न पूछ लेते तो मैं जानकारी प्राप्त कर लेता ।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): जब 32 में यह खुला था तब कितने बेड्स थे?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री ओमदत्त भाटी : अलग से कैसे है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्रीगंगानगर की ड्रेनेज स्कीम

325. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्

(श्री केदारनाथ)
श्री गंगानगर ने ड्रेनेज स्कीम तैयार की है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है ?

(2) इस स्कीम पर कितना खर्च लगेगा और खर्च की व्यवस्था क्या है ?

(3) इस पर काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी नहीं, नगर परिषद् ने तैयार नहीं की वरन् जन स्वास्थ्य विभाग ने गंगानगर की ड्रेनेज स्कीम तैयार की है। जी नहीं, योजना भारत सरकार को तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है। उन्ही की स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) इस योजना पर 85·32 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। खर्च की व्यवस्था राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) स्वीकृति प्राप्त होने व धन की उपलब्धि पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

गर्ग स्टील कम्पनी, भरतपुर को टीन का कोटा

326. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गर्ग स्टील एण्ड कम्पनी (औद्योगिक क्षेत्र), भरतपुर को जून सन् 66 में सफेद तथा नालीदार टीन का कितना कोटा राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्राप्त हुआ ?

(2) क्या विभाग की तरफ से इस बात की जांच करली गई है कि यह टीन भरतपुर पहुंच गई है ? अगर हां, तो किस तारीख को इस माल की चुंगी भरतपुर नगरपालिका द्वारा प्राप्त की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि मैनेजर (औद्योगिक क्षेत्र) भरतपुर ने जिला उद्योग अधिकारी को इस बात की रिपोर्ट की है कि यह टीन (औद्योगिक क्षेत्र) भरतपुर में नहीं पहुंची है ?

(4) विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) 2,930 किलो सफेद चद्दर दी गई थी तथा 3 टन सी० आर० बी० पी० शीट नालीदार चद्दरें नहीं दी गई।

(2) माल भरतपुर पहुंच कर उसका सदुपयोग हुआ या नहीं इसकी जांच की जा रही है। चूंकि भरतपुर का औद्योगिक क्षेत्र म्युनिसिपल हद के बाहर है इसलिये ले जाये गये माल पर चुंगी अदा करने का प्रश्न नहीं उठाता।

(3) जी हां।

(4) पार्टी को माल की उपयोगिता दिखाने के लिए 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है। मैनेजर तथा जिला उद्योग अधिकारी की रिपोर्ट पर पार्टी को अलॉट, किये गये शेड का अलॉटमेन्ट निरस्त कर दिया गया है तथा बकायात की वसूली पी० डी० आर० एक्ट के तहत करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रामकिशन : इसमें इतनी देर कैसे लग रही है जब कि उद्योग अधिकारी

(श्री रामकिशन)
लिखा है कि टीन आया ही नहीं। मैनेजर का ही प्रमाण-पत्र काफी है। फिर क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

दूसरी टीन के लिये आपने कहा है नहीं दी गई, पर वह भी दूसरी तरह की उनको दी गई है।

श्री हरिदेव जोशी : मैनेजर की रिपोर्ट के आते ही तुरन्त एक्शन लिया गया है। जांच कराई गई है और वह भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने माल लेकर बहुत मुमकिन है उसका उपयोग न किया हो। पर अन्दाज के आधार पर कुछ कहना या एक्शन लेना सम्भव नहीं था। पार्टी अवेलेबल भी नहीं थी। आगरा गई थी।

श्री रामकिशन : वह तो आगरा ही रहती है और ब्लैक करती है। जब उनकी ओर से सन्तोषप्रद उत्तर नहीं आया तो आपने क्या किया?

श्री हरिदेव जोशी : हमने पी० डी० आर० के तहत वसूली की और फरदर ब्लैक लिस्ट करने के लिये वह भी कर दिया है। यह सारा एक्शन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के आधार पर है। फाइनल रिपोर्ट जांच की आवेगी तब और देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से आप भी यह मान गये हैं कि कन्ट्रोल्ड कमोडिटी का उसने उपयोग नहीं किया तो फिर कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत उसका चालान करके प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया गया?

श्री हरिदेव जोशी : फाइनल रिपोर्ट के मिलने पर एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत जो कुछ भी होगा वह सब कुछ किया जा सकेगा। यह तो हमने प्रिलिमिनरी जांच के आधार पर एक्शन लिया है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, इस पर ही यह एक्शन तो हो ही सकता था।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, फरक इतना है कि जब तक डिपार्टमेन्ट के पास सबूत मजबूत न हो जावें और उसका केस पक्का न बन जावे तब तक कोई इस तरह का एक्शन भी ले लें इसमें कोई तुक नहीं है। आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि जो एक्शन इस स्टेज पर उपयुक्त हो सकता था वह हमने सब किया। सूचना मिलते ही सबसे पहले तो हमने उसका ग्रेड कैन्सिल किया जो उसको सबसे बड़ी सजा हो सकती है। फिर पी० डी० आर० में वसूली का आदेश दिया। 15 दिन का नोटिस दिया। तो एक्शन नहीं लिया गया यह कहना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन तो यह है कि इसमें आपने डिटेरेन्ट एक्शन लिया, पर सबसे ज्यादा डिटेरेन्ट एक्शन हो सकता है कि कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज एक्ट के मातहत प्रोसीक्यूशन करने का वह आपने क्यों नहीं किया?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहना नहीं चाहता पर आपको यह जानना चाहिए कि आज आइरन और स्टील डिकन्ट्रोल हो चुका है।

श्री भैरोंसिह : पर इसके लिये आपको यह पता होना चाहिये कि जिस समय यह मामला हुआ उस समय इसेन्शल कन्ट्रोल कमोडिटीज एक्ट लागू था और उस समय यह आर्टिकल कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज में आता था।

श्री हरिदेव जोशी : पर इसमें जब तक हम सेटिसफाइड पूरी तरह से न हो जावें और हमें पक्के सबूत न मिल जावें कि जिससे हन्ड्रेड परसेन्ट केस ठीक हो सकेगा तब तक चालान और प्रोसीक्यूशन करने सरीखे कदम उठावें यह उपयुक्त मालूम नहीं होता बाकी जितने कदम उठाने आवश्यक थे वे हमने उठाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब आपको यह मालूम हो गया कि कन्ट्रोल्ड कमोडिटी का दुरुपयोग हुआ है तो आपने उसका शेंड कैन्सिल कर दिया और ब्लेक लिस्ट किया ?

श्री हरिदेव जोशी : ब्लेक लिस्ट नहीं किया। करने का नोटिस दिया है।

श्री भैरोंसिंह : पर जब गवर्नमेन्ट इस नतीजे पर पहुंच गई कि उसने उपयोग नहीं किया तो तुरन्त चालान करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, उसमें दिक्कत यही एक है कि माल आक्ट्राय नाका म्युनिसिपल लिमिट में नहीं आता है इसलिए जो रेकार्ड के ऊपर एवीडेन्स अवेलेबल होनी चाहिए वह नहीं हुई ह और ज्यों ही आयेगी तुरन्त एक्शन ले लिया जायेगा।

श्री रामकिशन : जो शेंड का मैनेजर है उसने रिपोर्ट की कि टीनें यहां नहीं आई हैं इससे ज्यादा प्रमाणिकता और क्या आप चाहते हैं ? इसके बावजूद भी दूसरा कोटा उसको दिया गया और आपको क्या जानकारी चाहिए ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ में डिग्री कॉलज का भवन

327. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ सु०): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ में डिग्री कालेज गत साल से खुल चुका है ? यदि हां, तो कॉलेज भवन का काम अभी तक क्यों नहीं किया गया ? कॉलेज भवन बनाने में क्या रुकावट आ रही है और कार्य अब भविष्य में कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि गत साल से कॉलेज हायर सेकण्डरी स्कूल म चलाया जा रहा है जिससे हायर सेकेन्डरी के छात्रों की पढ़ाई में हरजाना हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि कॉलेज बिल्डिंग के अभाव में कॉलेज बड़ी तंगी से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह आपके ध्यान में कब से है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, भवन के नक्शे व अनुमानिक व्यय म परिवर्तन, स्थानीय मजदूरों व बिल्डिंग मेटीरियल आदि के नहीं मिलने के कारण भवन निर्माण कार्य में कुछ विलम्ब हुआ। निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है और सम्भवतः जुलाई, 68 तक ग्राउन्ड फ्लोर पर कुछ कमरे बनकर तैयार हो जायेंगे।

(2) हायर सेकेण्डरी के छात्रों की पढाई का हरजाना हो रहा है यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु कठिनाई महाविद्यालय एवं स्कूल दोनों को ही थोड़ी बहुत अवश्य हो रही है।

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) जी हां, राज्य सरकार के ध्यान में यह जब से महाविद्यालय स्थापित हुआ है तब से ही है और महाविद्यालय को अन्य भवन में चलाये जाने हेतु प्रयास जारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामनारायण चौधरी !

मलसीसर एवं अलसीसर कस्बों का विद्युतिकरण

328. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मलसीसर और अलसीसर (झुंझुनू) कस्बों का विद्युतिकरण 1965-66 के वित्तीय वर्ष में हो चुका था ? यदि हां, तो इन कस्बों के निवासियों को बिजली के अब तक कितने कनेक्शन्स दे दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अलसीसर से बडवों की ढाणी भी बिजली की लाइन इसी वित्तीय वर्ष में गई थी ? अलसीसर से बडवों की ढाणी कितनी दूरी पर है तथा इस लाइन पर कितना व्यय हुआ ?

(3) बडवों की ढाणी की जनसंख्या कितनी है ? वहां पर कितने सिंचाई के कुए हैं ? तथा पक्के मकानों की संख्या क्या है ? ग्रामवासियों के कितने आवेदन-पत्र बिजली लेने के विचाराधीन हैं ?

(4) इस उपरोक्त ग्राम बडवों की ढाणी तक बिजली ले जाने का क्या आधार था ? क्या ग्रामवासियों ने कोई आवेदन-पत्र राज्य सरकार तथा बिजली बोर्ड को दिया था ?

(5) राज्य सरकार ने अलसीसर से बडवों की ढाणी (झुन्झुनूं) तक जाने वाली लाइन से कितनी आमदनी का अनुमान किया था ? और अब तक कितनी हो चुकी है ? वर्ष 1967-68 में कितनी होने की उम्मीद है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां, मलसीसर में एक कनेक्शन वाटर वर्क्स के लिए दिया गया है।

(2) जी हां, अलसीसर से बडवों की ढाणी ढाई मील है लेकिन लाइन डेढ़ मील की है। इस लाइन पर सब स्टेशन को मिला कर लगभग 30,000 रु० खर्च हुए हैं।

(3) बडवों की ढाणी ग्राम की जन-संख्या 125 है। इस ग्राम में तीन सिंचाई के कुए हैं – पक्का मकान केवल एक ही है। तीन प्रार्थना-पत्र कृषि हेतु बिजली के लिए आये हैं जिनकी सिक्योरिटी भी जमा हो गई है।

(4) बडवों की ढाणी के विद्युतिकरण की स्कीम वर्ष 1965-66 के क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनी थी उसी के अन्तर्गत इसका विद्युतिकरण हुआ।

(5) अभी तक बडवों की ढाणी से कुछ भी आमदानी नहीं हुई है क्योंकि अभी तक कनेक्शन चालू नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष, नेक्स्ट, श्री अमीलाल यादव।

कुतीना एवं गिगलाना ग्रामों की नल योजना

329. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुतीना एवं ग्राम गिगलाना, तहसील बहरोड़, जिला

(श्री अमीलाल यादव)
अलवर की जनता ने नल योजना हेतु धनराशि ... ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम ... एवं ग्राम गिगलाना में कुओं की गहराई 150-200 फीट है और वहां पानी पीने की कठिनाई के कारण पंचायत समिति नीमराना ने अपने प्रस्ताव द्वारा इन ग्रामों को प्राथमिकता नल योजना के लिए देकर जनता से धनराशि राज्य खजाने में जमा करा दी है ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्राम कुतीना एवं गिगलाना में नल योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कराने को है ? यदि नहीं तो कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) ग्राम गिगलाला से 5,000) की धनराशि दिनांक 13-12-65 को जन सहयोग के रूप में प्राप्त हो चुकी है। ग्राम कुतीना के लिए कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई है।

(2) जी हां, किन्तु धनराशि जन सहयोग के रूप में केवल ग्राम गिगलाना पंचायत से ही प्राप्त हुई है। तथा नीमराना पंचायत समिति ने ग्राम गीगलाना की नल योजना के लिए ही प्रस्ताव भेजा है, कुतीना के लिए नहीं।

(3) जी नहीं, क्योंकि गीगलाना ग्राम की जल योजना बनाई जा रही है। योजना बनाई जाने पर एवं आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्राम कुतीना जो आप कह रहे हैं कि जन सहयोग वाली रकम वहां से जमा नहीं हुई है...

श्री भवरलाल (हिन्डौन) : यह तो जाने से पहले ही करा लेना चाहिये था।

श्री अमीलाल यादव : वहां से भी रकम गई है और आप इसकी जानकारी दें। आप चाहें तो मैं उसका चालान भी पेश कर सकता हूं जिसके द्वारा रकम जमा कराई गई है। इसकी योजना खटाई में पड़ गई है।

श्री भवरलाल : वहां पर पहुंचने से भी काम नही होते हैं तो धिक्कार है।

श्री अमीलाल यादव : इसके साथ ही साथ कहा गया है कि·······(अश्रव्य)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य एक वाक्य में पूछ लें।

श्री अमीलाल यादव : आपकी योजना और काम कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है उसकी पुनः जानकारी कर ली जायेगी और कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जायेगा इसका प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री देवीलाल बुरासिया।

केकड़ी में आयल टंकों में पानी मिलाये जान का मामला

330. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी (अजमेर) पावर हाउस में सन् 1965-66

(श्री देवीलाल बुरासिया)
में भायल के टेंकों में पानी मिला दिया गया था ?

(2) क्या उपरोक्त मामले में किसी कर्मचारी को निलम्बित किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पानी मिलाने वाला कर्मचारी अभी तक केकड़ी पावर हाउस में ही काम कर रहा है ?

(4) पानी मिलाकर उस कर्मचारी ने कितना भायल गायब किया और उसकी कीमत कितनी है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) जी हां ।

(2) जी हां, श्री सोमसिंह फोरमन को निलम्बित कर दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) लगभग 418 लीटर तेल गायब हो जाने का अनुमान है । इसकी कीमत 315 रुपये होगी ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या इस तेल के बारे में इस फोरमेन को सस्पेन्ड करने के बाद में इसका चालान पेश कर दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : सस्पेन्ड करना इसलिये हुआ है कि उसके सुपरविजन के अन्दर याने उसकी उपस्थिति के अन्दर इतना माल कम हुआ या पानी मिलाया गया । चालान करने का मतलब यह है कि उसने खुद ने इसको किया हो यह अभी नहीं मालूम हुआ है ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि सरकार ने इस बात की जांच की है कि यह पानी कब मिलाया गया और इसको मिलाने में किस किस का हाथ था ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता हूं कि यह कम्पलीट होने के बाद ही उस पर कहा जाना ठीक होगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि इसमें सुपरवाइजरी नेगलिजेन्स के संबंध में कार्यवाही करके इन पर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स की गई है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोरधन सोनी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मेड़ता रोड की जल वितरण योजना

331. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता रोड की जल वितरण योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब हुई?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता रोड एक जंक्शन है व मेड़ता क्षेत्र में दूसरे नम्बर का कस्बा है जहां करीब 10 हजार की आबादी है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां सिर्फ एक तालाब है जिसमें अच्छी बारिश होने पर सिर्फ 3 माह पानी टिकता है और बाकी वर्ष के 9 माह वहां की जनता को इंजिनों से पानी लाना पड़ता है ?

(श्री गोरधन सोनी)

(4) क्या यह सही है कि इंजन से पानी भरके लाने वाले 5-4 आदमी रेल से कटकर मर चुके हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उपेक्षावृत्ति से वहां के लोगों को पेयजल के लिये भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

(6) यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक उस योजना को पूरा कर देगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी):

(1) जी हां, 8-11-66 को ।

(2) जी हां, दूसरे नम्बर का कस्बा भी है लेकिन सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 4395 है ।

(3) जी नहीं, एक छोटे तालाब के अलावा वहां पर तीन कुए गांव के तथा अन्य रेल्वे के हैं । पानी के लिए जनता कुओं का उपयोग भी करती है ।

(4) विदित नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) योजना की मन्जूरी 8-11-66 को सरकार द्वारा की गई थी व तकनीकी स्वीकृति 20-1-67 को दी गई थी । योजना के अन्तर्गत मकान एक प्रकार से शुरू कर दिये गये हैं अब तक 46 हजार रुपये इस पर खर्च किये जा चुके हैं और 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है । कार्य शीघ्र ही पूरा हो इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत दस हजार लोगों को पानी देने का प्रावधान है । मैं तो वहीं का रहने वाला हूं । मुझको जानकारी है कि मेड़ता रोड की औरतें एंजिन पर पानी लेने के लिए जाती हैं और वहां पर कुल एक ही कुआ है जो भी पर्सनल है और मन्दिर के अन्दर आया हुआ है जिसका पानी शहर के लोग नहीं पी सकते हैं इसलिए वहां के लोगों को बहुत तकलीफ है और वहां पर 3-4 औरतें तो कट कर मर गई हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि एक ही कुआ है और लोगों को बहुत तकलीफें हैं और 3-4 औरतें भी मर गई हैं कटकर ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि वहां पर पानी की कमी है और जब बहुत कमी होती है तो रेल्वे वाले अपनी कॉलोनी को पानी देने के लिए टैंकर्स से पानी लाते हैं । इसलिए इसी कमी को ध्यान में रखकर प्रावीजन किया गया है और काम शुरु कर दिया गया है और मैंने निवेदन किया कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा । इससे अधिक मैं नहीं समझता कि मैं और कुछ कह सकता था ।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम नहीं कराया गया है और 46 हजार रुपया किस मामले में खर्च हुआ इसे बताने की कृपा करें ? पाइप लाइन नहीं है, टंकियां नहीं हैं फिर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर क्वार्टर्स का काम और पाइप लाइन की खरीद वगैरह की जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

तहसील छीपाबड़ोद तक पक्की सड़क

332. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कोटा जिले की छीपाबड़ोद तहसील को छबड़ा उप जिले से सीधी पक्की सड़क द्वारा छीपाबड़ोद से गोमदपुरा, दौलतपुरा, बमोरी घाटा ग्रामों से होती हुई छबड़ा नगर से जोड़ना चाहती है? अगर नहीं, तो क्यों ? और हां, तो कब तक तथा इस बीच की दूरी क्या है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : जी नहीं, यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है—इस मार्ग की दूरी छीपाबड़ोद से छबड़ा तक 10 मील है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि इस मार्ग पर जितने भी गांव पड़ते हैं वह घनी आबादी के गांव हैं और इस इलाके का काफी कारोबार चलता है और काफी ट्रैफिक है ?

श्री माधोसिंह : इसकी माननीय सदस्य अलग से जानकारी करें कि कौन से बड़े बड़े गांव पड़ते हैं ?

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या यह सही है कि छबड़ा में एस० डी० ओ० हेडक्वार्टर है और इस समय एक भी सड़क नहीं है।

श्री माधोसिंह : जी हां, वहां सड़क है।

श्री रामकिशन (वैर) : स्टेशन से कहां तक है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छबड़ा से छीपाबड़ोद 20 मील है और मेरा प्रश्न है कि उससे छबड़ा तहसील की छीपाबड़ोद की सड़क है जो कि 8 मील है क्या सरकार इस प्रकार की योजना बनाने के लिये तैयार नहीं है कि जो सीधे रास्ते हों उसका बना दिया जाये।

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : सबसे पहले हमारा यह फर्ज है कि मौजूदा सड़कें सही हालत में कायम रहें और जिनकी शिकायत आप करते रहे हैं उनकी पहले मरम्मत कराने की तरफ तवज्जह दी जा रही है। उसके बाद में दूसरी योजना में शामिल की जायेंगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि इस रास्ते पर एक मील सड़क पक्की बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री महोदय, क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : कौनसा रास्ता, ये दो रास्ते के लिए बोल रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छीपाबड़ोद से गोमदपुरा, दौलतपुरा, बमोरी घाटा होती हुई छबड़ा नगर से जोड़ने वाली सड़क पर एक मील सड़क पक्की बनी हुई है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं, सड़क नहीं बनी हुई है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं वहां का रहने वाला हूं और अच्छी तरह से जानता हूं। इनके कौनसा चश्मा लगा हुआ है कि इनकी नजर में आ गई।

श्री माधोसिंह : छीपाबड़ोद से छबड़ा तक सीधी सड़क नहीं बनी हुई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या कच्ची सड़क बनी हुई है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक मील पक्की सड़क बनी हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष क्या करे ? वह कह रहे हैं कि नहीं बनी हुई है और आप कह रहे हैं कि बनी हुई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : नवाब साहब से पूछ लें।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि····

श्री अध्यक्ष : ठहरिये माननीय सदस्य, उत्तर आ रहा है।

श्री माधोसिंह : बारां से छबड़ा तक सड़क बनी हुई है जिसमें काम अधूरा है। छीपाबड़ोद से छबड़ा तक कोई सड़क नहीं बनी हुई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है कि इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र को यातायात की दृष्टि से सड़क से जोड़ा जायगा ? छबड़ा उप-जिले का केन्द्र है और छीपाबड़ोद से छबड़े का यह जो मार्ग बताया गया है उसमें यह आता है।

श्री माधोसिंह : जैसे जैसे धन प्राप्त होता जा रहा है वैसे वैसे योजनाओं में किया जा रहा है। इम्पोर्टेन्ट काम जो हाथ में लिये हुए हैं वे पूरे किये जा रहे हैं। जो काम अधूरे हैं वे पूरे किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

सिंचाई के लिए बिजली

333. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत सुमेरगंज मण्डी के कई काश्तकारों ने सिंचाई के लिए कुओं पर पावर कनेक्शन देने की मांग की है ? यदि हां, तो कितनों ने ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसानों से विभाग ने पावर कनेक्शन देने हेतु कुछ रकम भी ली है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों से रकम लेने के बाद भी उनको सिंचाई के कुओं पर पावर सप्लाई नहीं की जा रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) जी हां, तीन कृषकों ने।

(2) केवल एक कृषक ने 135·75 रु० जमा कराये हैं।

(3) जी हां, यह सही है कि बिजली का कनेक्शन कुओं पर भावी उपभोक्ता को नियमानुसार आवश्यक धनराशि ज

Page No. 21

(श्री हरिदेव जोशी)

कराने पर दिया जाता है। चूंकि 135·75 रु० की धनराशि एस्टीमेट से कम दी थी और जनरल कन्डीशन फार सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लागू नियमों के अनुसार नहीं थी इसलिए कनेक्शन नहीं दिया गया।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो यह बताया है प्रश्न एक के उत्तर में कि तीन कृषकों में से एक व्यक्ति ने पैसा जमा कराया हूं ?

श्री हरिदेव जोशी : स्पष्ट नहीं है, थोड़ा साफ बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : कितने कुओं के लिए पैसा जमा कराया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति ने।

श्री महेन्द्रसिंह : यह जो सूचना मंत्री महोदय के पास आई है वह गलत है। 50 व्यक्तियों ने पैसा जमा कराया है और एक लाख से अधिक रकम उन लोगों ने जमा कराई है और यदि आप चाहें तो उनकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं वह पेश कर सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त आभारी हूंगा क्योंकि मेरे पास विभाग द्वारा दी गई सूचना है और इस सूचना से ऐसा लगता है कि जो एस्टीमेट बनाया गया है वह अन्डर एस्टीमेट है और उसमें पार्टीज और इन्जीनियर ने मिलकर कुछ न कुछ गोलमाल किया है इसलिए मैं उन पर एक्शन लेना चाहता हूं। आप मुझे इसकी सूचना देंगे तो उसमें मुझे मदद मिलेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि नियमानुसार बने हुए एस्टीमेट्स के अनुसार पावर कनेक्शन के लिए जिन लोगों के द्वारा पैसा जमा करा दिया जाता है तो जिन लोगों की कुओं में बिजली देने के बारे में दरख्वास्तें हैं उनको बिजली दे दी जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी : लाइन की फिजीबिलिटी को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से दी जायगी बशर्ते कि सारा पैसा नियमों के अनुसार जमा हो जाता है। मगर, माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वे जो मुझे सूचना दे रहे थे वह जल्दी से जल्दी दे दें।

श्री महेन्द्रसिंह : मैं दे रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : महरबानी करके सारी चीज जिन्होंने एक लाख रुपया जमा कराया हैं उन लोगों की इत्तला मुझे दे दें ताकि कार्यवाही कर सकूं।

श्री महेन्द्रसिंह : 300 से ऊपर व्यक्ति थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 334

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 335

श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No. 22

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 336

श्री शीशराम !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी !

अस्पताल आदि के निरीक्षण

337. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदार-पुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या एक पोस्टों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर), डिस्पेन्सरीज, अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों के निरीक्षण के लिए कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या मेडिकल कालेज अस्पताल, डी० एम० एच० एस० के अन्तर्गत नहीं है ? यदि हां, तो उनका निरीक्षण कौन करता है?

(3) चिकित्सा मंत्री गत दो वर्षों में जोधपुर कितनी बार गये, और वहां अस्पतालों का निरीक्षण किया या नहीं ? यदि निरीक्षण किया तो उसकी रिपोर्ट बतायें ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) जी हां, निरीक्षण संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रिन्सीपल और पी० एम० ओ० द्वारा निरीक्षण करने के लिए स्थाई निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है।

(3) स्वास्थ्य मंत्री ने गत दो वर्षों में जोधपुर का 18-9-66, 15-8-67 व 28-10-67 को दौरा किया। उपरोक्त दौरों के अवसर पर महात्मा गांधी अस्पताल, श्री उम्मेद जनाना अस्पताल व मेडिकल कालेज, जोधपुर का निरीक्षण किया गया। चिकित्सा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं प्रिन्सीपल से स्थानीय समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श करके उनका निराकरण किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री ओमदत्त भाटी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1966 में जब आपने दौरा किया और काटेज वार्ड में पधारे तो दूसरे आपरेशन थियेटर का निरीक्षण किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से साल में ?

श्री ओमदत्त भाटी ; जब आपने तीन दफा दौरा किया बताया है तो जब आपने 1966 में दौरा किया तो काटेज वार्ड में जाकर अपने दोस्त से मिलकर पधार गये ?

श्री रामकिशन (वैर) : दोस्त से मिलने में कोई बुराई नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : न तो मैं काटेज वार्ड में गया और न दोस्त से मिलने गया। किसी से मैं मिलने गया आपकी यह सूचना गलत है।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या आपने ओपरेशन थियेटर का निरीक्षण किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री ओमदत्त भाटी : कितने आपरेशन थियेटर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कैसे··

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासहाय !

अलवर में बिजली की बकाया रकम

338. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर बिजली विभाग की रकम लोगों की ओर बकाया है ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार की ओर से इस बकाया की वसूली की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्री बजरंग आइल मिल की ओर करीबन 50 हजार की रकम बकाया है ? यदि हां, तो कब से ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, दिनांक 31-12-67 तक यह रकम 3,81,813.31 रुपये थी। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, जिन उपभोक्ताओं की ओर विभाग को रकम बाकी है उनका विद्युत् संचालन बंद कर दिया गया है और उनके केस जिलाधीश अलवर को धनराशि की वसूली के लिए भेज दिये हैं।

(3) श्री बजरंगलाल खोखावत (श्रीनिवास आइल मिल) की ओर विद्युत् विभाग के माह नवम्बर 1966 से 41,942.54 रु० बकाया है। न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी है।

श्री गंगासहाय : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि यह रकम इनकी तरफ कब से बकाया पड़ी हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं निवेदन कर चुका हूं अपने उत्तर में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री महेन्द्रसिंह।

हैल्पर द्वितीय के पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति

339. **श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (गांधी नगर) [श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया] क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि पिछले 20 वर्षों से 54 व्यक्ति हैल्पर द्वितीय के पद पर बीकानेर जल विभाग में कार्य करते आ रहे थे और वे अपनी वेतन श्रृंखला के मैक्जिमम तक पहुंच गये थे और उनकी कोई पदोन्नति नहीं हुई ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त 54 व्यक्तियों में से सन् 56 में 23 के पदों को अपग्रेड करके उनकी वेतन-श्रृंखला रिवाइज कर उनको हैल्पर प्रथम बना दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सच है कि सन् 56 में जब 23 व्यक्तियों को हैल्पर द्वितीय से प्रथम बनाकर अपग्रेड किया गया था उस समय यह भी विभागीय आदेश

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)
जारी किये गये थे कि बाकी बचे हैल्पर द्वितीय व्यक्तियों को भी अपग्रेड करके उनकी वेतन-श्रृंखला रिवाइज शीघ्र ही कर दी जावेगी ?

(4) क्या यह सच है कि वे हैल्पर द्वितीय जिनके लिये सन् 56 में अपग्रेड किये जाकर हैल्पर प्रथम बना दिये जाने के आदेश थे, अभी तक हैल्पर द्वितीय के पद पर उसी वेतन पर ही कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उन हैल्पर द्वितीय के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपग्रड करके उनकी वेतन-श्रृंखला रिवाइज करके उनका एरियर दिलवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) । (1) बीकानेर में 30-4-1965 तक 55 हैल्पर द्वितीय कार्य कर रहे थे जिनकी सेवा अवधि 14 वर्ष से 6 वर्ष थी इनमें से केवल 2 व्यक्ति ही अपनी वेतन-श्रृंखला के अधिकतम सीमा तक पंहुचे थे और उपरोक्त तारीख तक किसी को पदोन्नति नहीं हुई थी।

(2) इन 55 व्यक्तियों में से 26 पदों को 1-5-55 से अपग्रेड करके 26 व्यक्तियों को हैल्पर प्रथम बना दिया गया था ।

(3) जी नहीं । ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे ।

(4) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री कृष्णकुमार गोयल !

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में फर्मों की चोरी

340 **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के कई प्रकाशनों के बाइन्ड होने से पूर्व ही सारे के सारे फर्मे गायब हो जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस वर्ष में किस किस प्रकाशन के फर्मे गायब हुए ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) "डाढाला एकल गिडवराहरी बात" के फर्मे कब तथा किसकी असावधानी से गायब हुए तथा उस पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकाशन का नाम भी प्रतिष्ठान के वार्षिक विवरणों में से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब से तथा किसके आदेश से ?

(5) इस प्रकाशन के सम्पादन एवं मुद्रण में कितना व्यय हुआ तथा उसका व्यय भार किसने किसके आदेश से वहन किया ?

(6) भविष्य में इस प्रकार की चोरियां नहीं होने देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) प्रतिष्ठान के प्रकाशनों में से केवल एक प्रकाशन "डाढाला एकल गिडवराहरी बात" के तीन फर्मे जिनका मूल्य 177 रु० है, गायब हुए हैं ।

(2) "डाढाला एकल गिडवराहरी बात" के तीन फर्मे प्रतिष्ठान के जयपुर कार्यालय से 1953 के बाद किसी समय गायब हुए ।

(3) उक्त फर्मे विभाग के कनिष्ठ लेखक श्री हरनारायण ने प्रेस से 1953 में प्राप्त किये । उक्त कार्यकर्ता 1954 में ही

(श्री शिव चरण माथुर)
इस प्रतिष्ठान को छोड़ चुके हैं। फर्मे अप्राप्त होने कि रिपोर्ट अभी तारीख 11-12-67 को हुई है जिस पर जांच कार्यवाही चालू है।

(4) "डाढाला एक गिड्वराहरी बात" एक बहुत छोटी रचना है जिसका स्वतन्त्र रूप में प्रकाशन उचित नहीं होता। इसलिए पूर्व निर्देशक जी ने प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाले वार्षिक प्रशासन विवरण में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों की सूची में से नाम हटा दिया था।

(5) इसके प्रकाशन एवं मुद्रण में 177 रु० व्यय हुए। इसके सम्पादक का उल्लेख नहीं मिलता है, और न सम्पादन के लिए कोई रकम ही चुकाई गई है। यह रकम प्रतिष्ठान के पूर्व निर्देशक के आदेश द्वारा विभागीय बजट से 1953 ई० में चुकाई गई।

(6) प्रकाशनों के फर्मों को पूरी तरह सम्भाल कर रजिस्टर में जमा कर लिया गया है। सभी फर्में स्टोर-कीपर के चार्ज में हैं। इसलिए अब फ़र्मों के चोरी होने की सम्भावना नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन फर्मों की चोरी कौनसे साल में होना बताया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि 1953 में गायब हुए थे। लेकिन रिपोर्ट 11-12-67 को हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् 53 में गायब हुए तो इतने दिन रिपोर्ट किसने नहीं की, इसके लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार ने किस पर जिम्मेदारी कायम की ?

श्री शिवचरण माथुर : जब जानकारी हुई तो जांच इन्सटिट्यूट की गई। जांच के बाद जो भी इसके लिये दोषी पाये जायेंगे उनको दोषी ठहरा कर सजा दी जायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सर्व प्रथम कौनसे अधिकारी ने कौनसे वर्ष में सूचना दी ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने अर्ज किया कि 11-12-67 को सूचना सर्व प्रथम मिली। सूचना देने वाला कौन व्यक्ति था। इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। इसकी जांच जारी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार ने निश्चित रूप से निश्चय कर लिया है कि इस प्रतिष्ठान में इन फर्मों के अलावा दूसरे फर्मे या ग्रन्थ गायब नहीं हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। यदि आप चाहें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रतिष्ठान में फर्मे गायब हैं, ग्रंथ गायब हैं, प्रकाशन गायब हैं, पुस्तकें गायब हैं, बहुत सारा गोलमाल है। बहुत से अमूल्य ग्रन्थ गायब हैं। इसकी छानबीन होनी चाहिये और जो व्यक्ति दोषी हैं और जिनकी लापरवाही से हुआ उसकी पूरी जानकारी करके उनको सजा मिलनी चाहिये

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी हुई वह मैंने आपको दे दी। और भी फर्मों और ग्रन्थों के बारे में जानकारी करने के आदेश दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि यह "डाढाला एकल गिडवराहरी बात" क्या होता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दोनों में किस प्रकार का द्वंद चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अन्वेषण करायेंगे ।

नेक्स्ट ।

किशनगढ़ सलेमाबाद सड़क की मरम्मत

341. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से करकेडी रोड सलेमाबाद के आगे मरम्मत तलब है ?

(2) उक्त सड़क की मरम्मत कितने समय से नहीं कराई गई है ?

(3) उक्त सड़क की मरम्मत कब तक हो जावेगी ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) :(1) जी हां ।

(2) कुछ काम वर्ष 66–67 में कराया गया है ।

(3) आशा है सन् 1968-69 में उपलब्ध धनराशि अनुसार कुछ मीलों में काम कराया जा सकेगा ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि इस सड़क की ऐसी स्थिति है कि जगह जगह पर डेढ़ दो इंच के गड्ढे पड़े हुए हैं और उन पर गाड़ी नहीं चल सकती ?

श्री माधोसिंह : यह बात सही नहीं है । सड़क थोड़ी खराब है ।

श्री विजयसिंह : थोड़ी खराब से क्या मतलब है ? एक फीट या 6 इंच ?

श्री अध्यक्ष : कोई मतलब नहीं है ।

श्री सुमेरसिंह : ये जो खड्ढे हैं वे कब तक ठीक करा दिये जायेंगे क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं ?

श्री माधोसिंह : मैंने अर्ज किया कि 68-69 में धनराशि उपलब्ध होगी तब ठीक करा दिये जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : किशनगढ़ सलेमाबाद की सड़क की दूरी कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सुमेरसिंह : क्या यह सही है कि किशनगढ़-सलेमाबाद सड़क पर 5,380 खड्ढे हैं ?

प्रश्न संख्या 342

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 343

श्री फतहसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 344

श्री हरलालसिंह खर्रा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 345

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न (19-1-68)

प्रश्न संख्या 16

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित— कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम अचरोल की जल वितरण योजना

318. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवारामगढ़) क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम अचरोल, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के लिये जल वितरण योजना के लिये मंजूरी हो गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम से कुछ पैसा भी विभाग के नाम जमा हो गया है ?

(ग) इस योजना को सफल बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(क) जी नहीं। योजना बनाई जा चुकी है।

(ख) जी हां, 7,500) रु० जमा हो चुके हैं।

(ग) योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि के बाद ही कार्य हाथ में लिया जावेगा।

गोगुन्दा तहसील में बिजली

320. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जिला उदयपुर की तहसील गोगुन्दा में बिजली ले जाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक बिजली पहुंचेगी ?

(2) क्या यह सच है कि पंचायत समिति,गोगुन्दा ने किसानों को बिजली देने हेतु मांग की है ?

(3) क्या यह सच है कि उदयपुर से गोगुन्दा करीब 14 मील ही दूर है जब कि अधिक दूरी के गांवों को बिजली दी गई है ?

Page No. 28

उत्तर

(1) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(2) मांग करीब करीब सभी स्थानों से आ रही है।

(3) जी हां। ऐसे कुछ स्थान हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

334. **श्री संतोशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में उच्च-न्यायालय के 1/3 न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के बाहर से करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय से राज्य सरकार की सहमति मांगी थी? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से इस सम्बंध में क्या राय भेजी है?

उत्तर

राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से इस प्रक्रिया का समर्थन किया व नई पद्धति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव भेजे थे।

परबतसर तथा डेगाना में कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली

335. **श्री परसराम गंगाराम**(परबतसर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परबतसर व डेगाना के कृषकों को कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र कहां प्रस्तुत करने चाहिये?

(2) कितनी अर्जियों पर व कितना कितना व्यय करके बिजली प्राप्त की जा सकती है?

(3) परबतसर तहसील में बिजली के लिये सर्वे कहां कहां की गई है और क्या उन गांवों का विशेष ध्यान रखा गया है जहां के कुओं में काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है? अगर हां, तो वे गांव कौन कौन से हैं?

उत्तर

(1) परबतसर के ग्राम के कृषकों को पत्र सहायक अभियन्ता किशनगढ के कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिये। डेगाना ग्राम का अभी तक विद्युतिकरण नहीं हुआ है। अतः कुओं के लिए अर्जी देने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) कुंए पर कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ 5) रु० पेश करने पड़ते हैं जो कि कार्य करने पर खर्चा में शामिल कर लिये जाते हैं और निम्नलिखित सर्विस लाइन चार्जेज लिये जाते हैं:—

1- 10 हार्स पावर के कुए के लिए 200) रु०
2- 10 हा० पा० से अधिक और 25 हा०पा० तक 300) रु०
3- 25 हा०पा० से अधिक 500) रु०

इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपोजिट रु० 15) प्रति हार्स पावर के हिसाब से

(विद्युत् मंत्री)
देने पड़ते हैं। यह भी देखा जाता है कि स्कीम लाभप्रद है।

(3) अभी सर्वे नहीं किया गया है।

सरदार पटेल मेडिकल कालेज बीकानेर के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

336. **श्री शीशराम** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदार पटेल मेडिकल कालेज बीकानेर के निर्माण के लिए बीकानेर में नागदेवी के मंदिर के पास शिवबाडी के रेगरों (अनुसूचित जाति के सदस्यों) को जो भूमि रिहायश के लिये दी गई थी उसमें से उस भूमि को कालेज के लिये अवाप्त किया गया था ? यदि हां, तो उनमें से किन किन को कितना कितना मुआवजा अब तक दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति मुआवजे के विकल्प के तौर पर भूमि लेने को तैयार हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन्हें उतनी तादाद में भूमि रिहायश के लिये देने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

(चिकित्सा विभाग को स्थानान्तरित किया गया)

कस्बा बिसाऊ की जल प्रदाय योजना

342. **श्री रघुवीरसिंह** (खेतड़ी):—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बिसाऊ में जल प्रदाय योजना की नींव जिलाधीश झुंझुनू ने चुनाव से पहले लगाई थी ?

(2) यदि हां, तो इस विषय में सरकार से क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) यह योजना कब तक चालू हो जावेगी ?

(4) कौन कौन से कुओं से पानी निकालने की स्कीम है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना बनाई जा चुकी है जिसकी अनुमानित लागत 5.52 लाख रुपये है।

(3) इस योजना की प्रशासनिक आर्थिक एवम् तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् धन की उपलब्धि पर कार्य आरम्भ हो सकेगा।

(4) इस योजना के लिए जल स्रोत के लिए तीन कुए (1) गोसाई का कुआं (2) मुसलिम का कुआ नम्बर 1 (3) तीसरा टीला वाला कुआ चुने गये हैं।

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 1951

343. **श्री फतहसिंह** (ब्यावर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 20,

(श्री फतेहसिंह):

सन् 1965) को राज्यपाल द्वारा 6 नवम्बर, 1965 की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(2) क्या उपरोक्त संशोधित अधिनियम लागू किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे शीघ्र लागू करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अभी मामला सरकार के विचाराधीन है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय होने से पश्चात् इस पर उच्च न्यायालय से परामर्श करके कार्यवाही की जावेगी।

श्री माधोपुर नगर पालिका की सीमा

344. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गत 7 वर्षों में श्री माधोपुर नगरपालिका की सीमा बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो ये नया एरिया किस तारीख से नगरपालिका क्षेत्र माना गया ?

(2) क्या इस बढ़ाये गये एरिया में सरकारी भूमि (सिवायचक) भी आई है ? यदि हां, तो किस किस नम्बर की कितनी कितनी भूमि ?

(3) क्या इस भूमि पर नगरपालिका को आबादी के पूरे अधिकार हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टोंक जिले में चोरी आदि के मामले

345. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1966 से मार्च, 1967 तक जिला टोंक में कुल कितनी चोरियां हुई और किस किस थाने में कितनी कितनी ? कृपया सूची सदन की मेज पर थानेवार रखें।

(2) इन नकबजनियों में कितना माल किस किस थाने में बरामद किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सन् 1967 के बाद अधिक नकबजनी होने लगी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसको रोकने के लिये जिला अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1966 से मार्च, 1967 तक जिला टोंक में कुल 462 चोरी की घटनाओं के अभियोग दर्ज हुये। इनमें नकबजनी की 214, तथा साधारण चोरी की 248 घटनायें शामिल हैं। इनमें से अनुसंधान पर 86 घटनायें झूठी पाई गई। थानेवार दर्ज हुई चोरी की घटनाओं की सूचि संलग्न है।

(2) उक्त समय में हुई नकबजनी की घटनाओं में से 58 अभियोगों में कुल 19,529.49 पै० की धनराशि का माल बरामद किया गया। थानेवार हुये अपराधों की संख्या के अनुसार, चोरी गये माल तथा बरामद किये माल की सूचि संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) जी नहीं। जिला टोंक में सन् 1967 के बाद नकबजनी की घटनायें अधिक नहीं हुई हैं। अतः अधिक होने के कारण देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

(19-1-68)

अध्यापकों की अनिर्णीत अपीलें

16. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलग अलग जिले के कुछ अध्यापकों की अपीलें शिक्षा संचालक, बीकानेर के पास कई वर्षों से अनिर्णीत स्थिति में पड़ी हुई हैं? यदि हां, तो कृपया ऐसी अपीलों की संख्या बताने का कष्ट करें। ऐसी अपीलों की सूची मय तारीख जब कि अपीलें प्राप्त हुई और अब तक निर्णय न होने के कारण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक अलवर ने अपने पत्र संख्या IS/EP/ Comp./50/19/64, दिनांक 14-8-64 द्वारा श्री मनोहरलाल सिंघल, पी० टी० आई०, रा० उ० मा० वि० परतापुर की अपील शिक्षा संचालक को भेजी थी जिसका निर्णय अभी तक नहीं किया गया है? इसमें निर्णय करने में इतनी देरी का क्या कारण है?

(3) क्या इन अपीलों को एक निश्चित अवधि में तय करने के लिये सरकार ताकीद करेगी?

उत्तर

1. जी हां। जो अपीलें कुछ समय से अनिर्णीत हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

अपीलों की सूची

क्रमांक	अध्यापक का नाम	अपील प्राप्त होने की तिथि	देरी का कारण
1.	सुश्री मनमोहिनी पुरी, वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय उच्चतर मा० वि०, जयपुर	1-10-66	राज्य सरकार एवं प्रथमिक व माध्यमिक निदेशालय के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है।
2.	सैकिन्ड लेफ्टिनेन्ट, श्री बी० के० सक्सेना, तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक, सामान्य विज्ञान	जनवरी, 67	
3.	श्री मेघश्याम, स० अ०, उच्चतर मा० विद्यालय, हनुमानगढ़	21-3-67	प्राथमिक व माध्यमिक निदेशालय एवं उप-शिक्षा निदेशक जोधपुर के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। इस पर निर्णय नहीं लिये जाने का कारण यह है कि यह अपील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के द्वारा कई बार उप-निदेशक शिक्षा विभाग, जयपुर को उनकी टिप्पणी हेतु भिजवाई गई परन्तु वांछित टिप्पणी प्राप्त नहीं हो सकी।

(3) अपीलों को निश्चित अवधि में तय करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को ताकीद की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में कोयल का वितरण

92. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कोयले का कोटा (Hard and soft) किन किन कारखानों को कितना कितना प्रति वर्ष दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जो कोयले का कोटा इन कारखानों को दिया जाता है वह उनकी आवश्यकता को पूरा कर देता है?

(3) क्या किसी सहकारी समिति को भी कोयले का कोटा दिया जाता है? यदि दिया जाता है, तो किस सहकारी समिति को और कितना?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सोफ्ट कोक से दिनांक 1-7-64 हार्ड कोक (बी हाईवे) पर से दिनांक 15-1-66 व हार्ड कोक (सी० पी०) पर दिनांक 1-6-66 से नियन्त्रण हटा लिये जाने के कारण उक्त कोयले का कोई कोटा आवंटन नहीं किया जाता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

लैदर ट्रेनिंग सेन्टर

93. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कहां कहां लैदर (चर्म) ट्रेनिंग सेन्टर खोले गये हैं और उनमें कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन केन्द्रों से अब तक कितने छात्र ट्रेनिंग लेकर निकले और उनको कहां कहां नौकरियां दी गई? यदि नहीं दी गई तो इस ट्रेनिंग का क्या प्रयोजन है?

(3) कितने लोगों को ट्रेनिंग के बाद मशीन, औजार आदि दिये गये जिससे वे प्राइवेट काम कर सकें?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इन केन्द्रों में अब तक 281 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में उन्हीं को लिया जाता है जिनका पैतृक धन्धा चर्म उद्योग है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य नौकरी दिलाना नहीं बल्कि आधुनिक औजार और आधुनिक ढंग से वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देकर उनको अपने पैतृक धन्धे के लिये एक कुशल कारीगर बनाने का है। लैदर इन्स्टीट्यूट, जयपुर से प्रशिक्षण पाये हुए तीन प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान के चर्म प्रशिक्षण केन्द्रों में ही

(श्री उद्योग मंत्री)

नौकरी दी जा चुकी है। बाकी अधिकतर अपने पैतृक धन्धे में लग गये हैं।

(3) मशीन व औजार देने का इन ट्रेनिंग केन्द्रों में कोई प्रावधान नहीं है मगर जयपुर के लैदर इन्सटीट्यूट के प्रशिक्षण प्राप्त 10 छात्रों को प्रत्येक को 500 रु० आधुनिक औजार आदि खरीदने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा इस विभाग की सिफारिश पर अनुदान के रूप में दिये गये और 6 छात्रों को खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रत्येक को एक एक टूल बॉक्स मय औजारों के दिलवाये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

संजय प्रेस झालरापाटन को दिये गये ऋण की वसूली

94. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (पीपल खूंट) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालरापाटन स्थित संजय प्रेस के मालिक को राज्य सरकार द्वारा कोई ऋण दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त ऋण कितना था तथा कब दिया गया था ?

(3) उक्त ऋण की जामिनी के तौर पर क्या कोई भूमि या भवन जमानत में लिखा गया था ?

(4) क्या उक्त ऋणी अपनी किश्तें समय समय पर चुकाता आ रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 9,000) रु० का ऋण 1958 में दिया गया था।

(3) जी हां।

(4) 7 किश्तों में से 6 किश्त चुका दी गई है एक किश्त चुकाने के लिये संचालक, उद्योग द्वारा नियमानुसार एक साल देर से किश्त जमा कराने की स्वीकृति दी गई थी।

खनिज लाइसेन्सों हेतु दरख्वास्तें

95. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना खनिज विभाग के पास पिछले तीन वर्ष में नई खानों को प्राप्त करने के लिए कुल कितनी अर्जियां आई और उनमें से कितनों को मंजूरी मिली, कितनों की अर्जियां विचाराधीन हैं और कितनी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं व खारिज करने के क्या कारण हैं ?

(2) कुम्हारी खानों की मकराना में जो रॉयल्टी 50 पैसा प्रति मन ली जाती थी वह किस कानून के तहत सन् 1964 से 1) रु० प्रति मन तक बढ़ा दी गई है ?

(3) मकराना में पिछले दो साल में कितने व्यक्तियों को खनिज ऋण दिया गया है? और कुल कितने रुपये दिये गये हैं ?

(श्री विजयसिंह)

(4) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि मकराना के पत्थर की तरक्की करने के लिए मकराना में खानों तक के लिए ज्यादा से ज्यादा एप्रोच रोड्स होनी चाहिएं ?

(5) मकराना की खानों पर जाने वाली सड़कों की मरम्मत कब तक होगी ?

उत्तर

(1) कुल प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए 336, स्वीकृत किये गये 64, अस्वीकृत किये गये 220, इस-समय विचाराधीन 52, अस्वीकृत करने के निम्न कारण थे:—

(क) आवेदित क्षेत्र कृषि क्षेत्र में होने के कारण से।

(ख) आवेदित क्षेत्र हेंगिग वाल में होने के कारण से।

(ग) पूर्व में स्वीकृत की हुई खदानों के लिये होने के कारण से।

(2) राज्य सरकार की 13-6-1960 को विज्ञप्ति के अनुसार संगमरमर पर जो अधिशुल्क दरें संशोधित की गई उनमें कुमारी मारबल पर कोई दर नहीं रखी गई बल्कि संगमरमर को दो हिस्सों में बांट दिया गया (1) मकराना संगमरमर, (2) अन्य घटिया संगमरमर और उनके अन्तर्गत भिन्न भिन्न अधिशुल्क दरें निर्धारित की गई—इस संशोधन के अनुसार कुमारी मारबल जिस श्रेणी में आता है उसी के अनुसार अधिशुल्क वसूल किया जाता है।

(3) कुल चार व्यक्तियों को 4,500 रुपये।

(4) जी हां।

(5) जन कार्य विभाग द्वारा समय समय पर आवश्यक मरम्मत होती जा रही है।

गंगापुर तहसील में बिजली

96. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगापुर तहसील में किस किस गांव को अब तक बिजली दी जा चुकी है ?

(2) इस वर्ष किन किन गांवों को बिजली कृषि कार्य के लिये दी जा सकेगी ?

(3) क्या यह सच है कि वजीरपुर, अहमदपुर, तलावड़ा, रामगढ़, मुराड़ा गांवों के कृषक अविलम्ब कुओं के लिये विद्युत् चाहते हैं? यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) इस तहसील के गंगापुर, छाबा, उमरी, बोंली, लालपुरा और सालीमपुरा गांवों/कस्बों को बिजली दी जा चुकी है।

(2) इस वर्ष में अर्थाभाव के कारण कोई नया गांव नहीं लिया जा रहा है।

(3) मांग तो करीब करीब सभी स्थानों से आ रही है। किन्तु अर्थाभाव के कारण यह कहना कि यह मांग कब तक पूरी की जा सकेगी सम्भव नहीं है।

तहसील दूदू व फुलेरा में पक्की सड़कों का निर्माण

97. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दूदू व फुलेरा में दूदू से घमाना व मौखपुरा से फुलेरा व फुलेरा से जोबनेर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़कें बनाई गई हैं? अगर हां, तो क्या इन पर पुलियां बन चुकी हैं?

(2) क्या यह सही है कि बीचून से फुलेरा सड़क पर पुलिया बनाने का ठेका दिया गया था? अगर हां, तो आज तक पुलिया नहीं बनने का क्या कारण है और क्या पुलिया इस वर्ष तैयार हो जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के बनाने में किसानों की जो हजारों बीघा जमीन सड़क निर्माण हेतु ले ली गई थी उसका आज तक भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

(4) मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं? अब कितने समय में मुआवजा मिल जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां—फुलेरा-बीचून मार्ग के पुल व पुलियों को छोड़ कर शेष मार्गों पर पुल एवं पुलियों का कार्य पूरा हो गया है।

(2) जी हां—ठेकेदारों की देरी के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आशा है यह कार्य दिसम्बर, 1968 तक पूरा हो जावेगा।

(3) मौखमपुरा से बीचून तथा फुलेरा से बीचून रोड का कुछ मुआवजा भुगतान के लिये चैक, राजस्व विभाग को भिजवा दिया है शेष के लिये कार्यवाही की जा रही है। फुलेरा-रैनवा-जोबनेर रोड की कार्यवाही हो रही है।

(4) अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है आशा है वर्ष 68-69 में मुआवजा भुगतान करा दिया जावेगा।

प्रतापगढ़-घाटोल सड़क निर्माण पर व्यय

98. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ से घाटोल, बांसवाड़ा सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक बराबर योजना में है? यदि हां, तो इस सड़क के लिये प्रत्येक योजना में कितनी कितनी राशि दी गई और उसमें से प्रत्यक योजना में कितनी कितनी राशि खर्च की गई?

(2) क्या यह सत्य है कि यह सड़क दोनों तरफ से बन रही है? यदि हां, तो दोनो तरफ से आज तक कितनी कितनी मील बन चुकी है? और यह सड़क कुल कितनी मील लम्बी है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ रोड के 20 मील प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किये गये थे और शेष मील तृतीय योजना में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मंजूर किये गये थे। एलोटमेन्ट और व्यय का ब्यौरा तालिका में संलग्न है।

(2) बांसवाड़ा जिले में 24 मील सड़क बन चुकी है और मील 25 से 35 तक काम प्रगति पर है चित्तौड़गढ़ जिले में 4 मील में मिट्टी का कार्य हुआ है। सड़क की लम्बाई 52 मील है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या

99. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में जिलेवार प्राइमरी, मिडिल, हाई, हायर सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या क्या है ?

(2) जिलेवार कितने कितने कॉलेज हैं और किस-किस विषय के कौन कोन से स्थान पर हैं ?

(3) इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) रख गई दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

अलवर में वाणिज्य विषय की पढ़ाई

100. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर में किसी भी राजकीय विद्यालय में वाणिज्य विषय की 11 वीं कक्षा में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर नगर के प्रताप हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने उस स्कूल में 'वाणिज्य' में 11 वीं कक्षा खोलने की गत वर्ष मांग की थी और राज्य सरकार द्वारा उन्हें अगले वर्ष से यह कक्षा चालू करने का आश्वासन दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस स्कूल में 10वीं कक्षा तक वाणिज्य विषय पढ़ाने की व्यवस्था मौजूद है ?

(4) क्या सरकार आगामी सत्र से प्रताप हाई स्कूल में 'वाणिज्य' विषय में 11 वीं कक्षा चालू करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीती के आधार पर इस पर भी विचार किया जायेगा।

हायर सैकण्डरी स्कूल बूंदी में पंखे एवं पीने के पानी की व्यवस्था

101 **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हायर सैकेण्डरी स्कूल बूंदी की कक्षाओं में पंखे हैं या नहीं ? इस इमारत में कुल कितने पंखे हैं और कहाँ कहाँ पर हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के निर्माण के बाद में इसमें एक भी पंखा नहीं लगाया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि कक्षाओं के कमरों की खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं और उनमें से कबूतर अन्दर आकर कमरे गन्दे करते हैं ? क्या सरकार खिड़कियों के कांच लगवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि छात्रों को पानी पिलाने की कोई व्यवस्था स्थाई नहीं है और इसके कारण छात्र गर्मियों में बहुत परेशान होते हैं ?

(5) पीने का पानी छात्रों के लिये सीमेन्ट की कोठियों में रखा जाता है या मटकियों में ?

उत्तर

(1) हायर सैकेण्डरी कक्षाओं में पंखे नहीं हैं । इस इमारत में कुल 9 पंखे हैं इनमें एक टेबिल फेन और शेष 8 सिलिंग फेन है । ये पंखे इस प्रकार लगे हुये हैं :-

स्थान	पंखों की संख्या
अध्यापक कक्ष	2
भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला	2
प्रधानाध्यापक	1
कार्यालय	1
रसायन विभाग की प्रयोग शाला	1
पुस्तकालय	1

एक टेबिल फेन आवश्यकतानुसार काम में लाया जाता है जहां भी आवश्यकता होती है ।

(2) राजस्थान के निर्माण के बाद में कालेज के समय में ही जब हायर-सैकण्डरी और कालेज एक इमारत में ही चलते थे, । राज्य सरकार द्वारा 2 प्रयोगशाला बनाई गई जिनमें 2 पखें लगाये गये और इसके पश्चात् 2 पंखे छात्रकोष से तथा 1 पंखा निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया ।

(3) जी हां । इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, निर्माण विभाग, बूंदी को समय समय पर कहा जाता रहा है और वे समय समय पर थोडी थोडी मरम्मत करते भी हैं किन्तु फिर भी कांच टूट जाते हैं और इस समय भी टूटे हुए हैं । पुनः इस सम्बन्ध में उक्त विभाग को कहा जा चुका है और उन्होंने मार्च, 68 तक इस कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है ।

(4) छात्रों को पानी पिलाने की व्यवस्था । है एक एक चपरासी की ड्यूटी प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी में कुएं

Page No. 38

(शिक्षा मंत्री)

पर लगादी जाती है जो कुएं से पानी खींच कर व छान कर मटकियों व बाल्टी तथा कोठी में भर देता है और पानी पिलाता है। गर्मियों में पानी की आवश्यकता बहुत होती है क्योंकि इस विद्यालय में छात्र संख्या 1,200 है और एक आदमी द्वारा जितना पानी खींचा जाकर पिलाया जा सकता है, पिलाता है इस वर्ष जिलाधीश महोदय द्वारा एक हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके एस्टीमेट सहायक अभियन्ता, भवन एवं पथ निर्माण विभाग बूंदी से चाहा गया है और उसके आने पर ही स्थायी व्यवस्था हो सकेगी।

(5) पीने का पानी छात्रों के लिये कुछ मटकियां में कुछ बाल्टियां में व पीतल की कोठी में रखा जाता है।

सांचोर व सरणाऊ में कन्या माध्यमिक पाठशाला :

102. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम सांचोर में अभी तक माध्यमिक कन्या पाठशाला नहीं खोली गई है ? अगर हां तो क्यों ? अब सांचोर में कन्या पाठशाला कब तक खोल दी जावेगी।

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम सरणाऊ में अब तक माध्यमिक पाठशाला नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों अब सरणाऊ ग्राम में माध्यमिक पाठशाला कब तक खोल दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पिछले दो सालों में पंचायत समिति, सांचोर में कोई मिडिल स्कूल सरकार द्वारा नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या इस साल प्राथमिकता देकर उपरोक्त दोनों स्कूलें खोलने का सरकार शीघ्र निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सत्र 65-66 में शालाओं को क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं था। सन् 66-67 में जब शाला क्रमोन्नत के प्रस्ताव मांगे गये थे तो इन ग्रामों की शालाओं की क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये इस कारण इन पर विचार नहीं किया गया।

(3) सन् 66-67 में पंचायत समिति सांचोर की प्राथमिक शाला डाबल को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया था। इस वर्ष आर्थिक स्थिति तथा सरकार द्वारा निर्धारित नीति को दृष्टिगत रखते हुए अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इन ग्रामों की शाला को क्रमोन्नत का भी विचार किया जायेगा।

सूरसागर टैंक (बीकानेर) में गंदा पानी भर जाने से यातायात का बन्द होजाना

103 **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सूरसागर टैंक बीकानेर में आबादी के बीच में स्थित है और उसमें शहर का गन्दा पानी डाला जाता है जिससे कि वह साल भर गन्दे पानी से भरा रहता है ?

(राजवी श्री रूपसिंह)

(2) क्या यह सही है कि इस पानी से मलेरिया व दीगर बीमारियां फैलती हैं व रात दिन बदबू रहती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्षा के दिनों में मामूली वर्षा से पानी गलियों में फैल जाता है और सड़कों तक पहुंच जाता है और यातायात बन्द हो जाता है और यह पानी महीनों तक भरा रहता है ?

(4) क्या राज्य सरकार कोई बड़ी योजना बना कर इस गन्दे पानी को ड्रेनेज सिस्टम से वहां से निकालेगी और भविष्य में वहां गन्दा पानी न हो ऐसी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो जो कब तक और इस पर कितने रुपये खर्च करेगी ?

उत्तर

(1) सूरसागर टैंक शहर पन क्षेत्र के बाहर पुराने किले के पास है। उसमें गन्दा पानी गिरता है । टैंक हर समय भरा नहीं रहता है कुछ गंदा पानी टैंक में रहता है ।

(2) जी नहीं । कुछ महीनों को छोड़ कर अमूमन गन्दे पानी से बदबू रहती है । परिषद् द्वारा इस बदबू एवं बीमारियों की रोकथाम के लिये हर साल फिनाय मलेरियल आईल आदि दवायें इसमें डाली जाती हैं ।

(3) जी नहीं । इसके आस पास बरसाती नाले बने हुये हैं इसलिये सड़कों पर पानी नहीं फैलता । आस पास की गलियों का लेवल ऊंचा नीचा है इसलिये बरसात के दिनों में गलियों में कहीं कहीं पानी रुक जाता है । यातायात कहीं पर भी बन्द नहीं होता ।

(4) जी हां । योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा फरवरी 1968 में निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है । कुल 19·11 लाख रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है ।

छापर नगरपालिका के हरिजनों की बकाया तनख्वाह

104. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छापर नगरपालिका के हरिजनों की तनख्वाह किस किसकी कितनी कितनी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) छापर नगरपालिका के कर्मचारियों व सेक्रेट्री की तनख्वाह किस किस माह की कितनी कितनी किस किस की बाकी है ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

जयपुर के सरकारी कर्मचारियों को प्लाटों का एलाटमेंट

105. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में अब तक कितने सरकारी कर्मचारियों को प्लाट एलोट किये गये हैं ?

(2) प्लाट एलोट करने सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No. 40

(श्री श्रवणलाल)

(3) एलॉट किये जाने वाले प्लाट की साइज क्या होती है ? और वे किस दर पर एलॉट किये जाते हैं ?

(4) प्लाट एलॉट करने का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) न्यास द्वारा सरकारी कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के हिसाब से भूखन्ड आवंटित किये गये हैं। अभी हाल ही में 118 भूखन्ड आवन्टित किये गये हैं। इस से पूर्व राज्य कर्मचारियों के वेतन पद इत्यादि देखकर आवंटन किये गये। कुल अब तक कितने किये गये हैं यह जानकारी इतनी शीघ्र उपलब्ध करना संभव नहीं है तैयार की जा रही है।

(2) प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 3।52 टीपी। 66, दिनांक 7-4-67 के अन्तर्गत निम्न श्रेणी कर्मचारियों को उनके सामने अंकित माप के भूखन्डों का वितरण किये जाने है। बशर्ते यदि किस माप के भूखन्ड योजना में उपलब्ध हों अथवा उस योजना में उपलब्ध भूखन्डों के नाप के अनुसार कम व अधिक भूआवंटन किया जाता है :

1. निम्न आय वाले व्यक्ति जिनकी आय 100 रुपये प्रति माह है।	120 वर्ग गज का प्लाट 2. रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से।
2. निम्न आय वाले व्यक्ति जिनकी आय 100 रुपये से 250 रु० माहवार के बीच है।	300 वर्ग गज के प्लाट 3 रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से।
3. निम्न आय वाले व्यक्ति जिनकी आय 251 से 400 रु० माहवार के बीच है।	400 वर्ग गज का प्लाट 4 रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से।
4. मध्य आय वाले व्यक्ति जिनकी आय 401 से 1,000 रु० माहवार के बीच है।	500 वर्ग गज का प्लाट 6 रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से।

(4) भूखंड आवंटन करने का आधार प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र देने की दिनांक को प्राथमिकता देते हुए भूआवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी

नगरपालिका, लाडनूं की आय व व्यय

106. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) नगरपालिका, लाडनूं, जिला नागौर के प्रशासक ने निर्वाचित बोर्ड से नगरपालिका का कार्यभार कब सम्भाला तथा कार्यभार सम्भालते समय नगरपालिका कोष में किस किस मद में कितने कितने रुपये थे और वह रुपये किस किस कार्य में कब कब खर्च किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रशासक के कार्यभार संभालने से लेकर आज तक किस किस मद में कितने कितने रुपये आये और कितने कितने खर्च किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 41

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उत्तर

(1) दिनांक 24-1-67 को दोपहर बाद कार्यभार संभाला गया था। कार्यभार संभाला उस तिथि को 34,637·32 पैसे पालिका कोष में थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नगर थाना में डकैती व मारपीट का केस

107. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि नगर थाना, हल्का देवली में 22-11-66 को कार्तिक के महीने में एक डकैती व मारपीट की रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसका कोर्ट में चालान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि कर दिया गया है तो कब ? और देर का क्या कारण रहा ?

उत्तर

यह सत्य नहीं है। थाना नगर, तहसील देवली में 22-11-66 को कार्तिक के महीने में कोई डकैती व मारपीट की रिपोर्ट नहीं की गई। इस किस्म का कोई अपराध उक्त थाना पर पंजिबद्ध नहीं हुआ है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर का भवन

108. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत के लिये विभाग द्वारा पिछले तीन सालों में कोई धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं दी थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस इमारत की पिछली 3-4 सालों से कोई मरम्मत नहीं की गई है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों हुआ है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त इमारत अब गिरने की हालत में है ? अगर हां, तो इसकी विशेष मरम्मत के लिये विभाग द्वारा शीघ्र क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि यह केन्द्र पुरानी इमारत में ही चल रहा है ? अगर हां, तो इसकी नई इमारत सरकार द्वारा कब तक बनादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1964-65 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर, भवन की मरम्मत के लिए 150)रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्योंकि यह भवन उपयुक्त है।

Page No. 42

सुमेरपुर के थानेदार की शिकायत की जांच

109. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में सुमेरपुर के थानेदार सुरजप्रकाश द्वारा 1,000) रु० (एक हजार रुपये) की रिश्वत लेने की शिकायत पेश हुई थी ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन विभाग ने जांच की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच जारी है।

(2) जांच अभी जारी है। पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

सुरोठी रेल्वे स्टेशन के पास पाई गई लाश की जांच

110. **श्री मुकुट बिहारीलाल** (बयाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर उप-जिले के सूरोठी रेल्वे स्टेशन के निकट मई, 1967 में एक लाश कई दिन तक पड़ी रही ? यदि हां, तो कब से कब तक तथा लाश किसकी थी ? उसकी डाक्टरी जांच की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जावे।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त लाश को कई दिन जानवर खराब करते रहे और पुलिस ने कोई जांच नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 2-6-67 को रेल्वे स्टेशन सूरोठी के पास ग्राम से 2 मील की दूरी पोल नं० 1315/6 व 1315/7 के बीच कई दिनों तक एक इन्सानी हड्डियों का ढांचा पड़ा रहा था। लाश शनाख्त नहीं हो सकी। इन हड्डियों के ढांचे का डाक्टरी मुआयना कराया गया, जिससे इन्सान की हड्डियों का ढांचा होना ही पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि करीब 20-25 दिन तक संभवतः रेल्वे पटरी के पास एक लाश पड़ी रही, और जिसको जानवरों ने खराब की। (इसका कारण आस पास के पंचों एवं सरपंचों द्वारा स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना समय पर न देना था)। स्थानीय पुलिस को इत्तला नहीं मिली।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

कस्बा अन्ता के भूतपूर्व डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

111. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील मांगरोल (जिला कोटा) के कस्बा अन्ता के नागरिकों की भूतपूर्व स्थानीय डाक्टर श्री मसीन के विरुद्ध कोई लिखित शिकायतें आई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि उन लिखित शिकायतों में यह लिखा हुआ था कि डाक्टर सरकारी अस्पताल में ही रोगियों

(श्री देवीदत्त गाडिया)
को देखने व इन्जेक्शन लगाने के नाम पर फीस लेता है ?

(3) क्या यह सही है कि उन शिकायतों में यह भी लिखा हुआ था कि डाक्टर की धर्मपत्नी अस्पताल में रोगियों के इन्जेक्शन लगा कर फीस लेती है ।

(4) क्या सरकार ने उन शिकायतों के आधार पर कोई जांच करवाई थी ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी के द्वारा कब कब जांच करवाई गई और उन जांच रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के द्वारा, इस निदेशालय के आदेश संख्या 414 दिनांक 21-5-66, 1402 दिनांक 28-7-66 1845 दिनांक 28-9-66 रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त श्री देवीदत्त गाडिया सदस्य राजस्थान विधान सभा के बारां निर्वाचन क्षेत्र के अन्ता कस्बे में अस्पताल में डा० मसीन के अशिष्ट व्यवहार एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चार शिकायती पत्र दिनांक 2-6-68 को प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को प्राप्त हुई तथा इनका ही एक शिकायत पत्र सं० 717 दिनांक 17-1-67 इस निदेशालय द्वारा प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को भी भेजी गई । इनके बारे में प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा ने निवेदन किया है कि यातायात बन्द है और यातायात खुल जाने पर जांच कर ली जायेगी प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जब दिनांक 21-9-67 को बारां निरीक्षण करने गये थे । जब गाड़िया जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अभी तक इस डाक्टर के विरुद्ध जितनी भी शिकायतें मिली हैं, जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं । अतः इस शिकायत पर आपके सम्मुख जांच कर ली जायगी । जिसके लिए तिथि का समय निश्चित कर लिया जायेगा । परन्तु अभी तक गाडिया जी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः उक्त जांच नहीं की गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

11.48 म० पू०

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापना । सोरी ।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदस्य विधान सभा ने तकनीकी महाविद्यालय के छात्रों को विद्या अध्ययन समाप्त करन के पश्चात् रोजगार देने की गारन्टी न दिए जाने एवं अन्य कुछ विषयों को लेकर छात्रों द्वारा संचालित आन्दोलन के सिलसिले में राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

में कुछ छात्रों को गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में कल भी सदन में कुछ विचार प्रकट किया गया था। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए सुविधानुसार एक वक्तव्य देने को कृपा करें।

श्री रावतराम सदस्य विधान सभा ने तहसील रतनगढ़, जिला चूरू में तहसील कार्यालय द्वारा गांवों में किसानों को हजारों की तादाद में नोटिस जारी करके उनके पुराने कब्जों, बाड़ा, रिहायशी मकान, कुंड आदि से बेदखल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त श्री नन्दलाल व श्री कृष्णकुमार गोयल ने भी कोटा जिले में गेहूं की फसल में गेरा (रस्ट) की बीमारी लग जाने से फसल नष्ट होती जा रही है जिसकी रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने संबन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि इन पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इन मामलों को बजट पर बहस एवं संबंधित विभागों की मांगों पर वाद-विवाद के समय कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाया जा सकता है। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

याचिकाओं का उपस्थापन श्री लाभचन्द वैद।

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव रखा था वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। पूरे कोटा जिले में जहां तक गेहूं की फसल का सवाल है गेरा की बीमारी लग जाने के कारण दिन दिन फसल नष्ट होती जा रही है क्योंकि यह बीमारी महामारी की तरह है। इसके कारण सारे कोटा जिले में गेहूं की फसल मिलने वाली नहीं है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि सी 591 गेहूं है, जो फार्मी गेहूं है, जिसके लिए बीज वितरण किया है उसके ऊपर भी यह गेरा लग रहा है। इस लिए मैं समझता हूं कि यदि राजस्थान सरकार ने तुरन्त रोकथाम नहीं की तो बहुत नुकसान होगा........।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज! कृषि मंत्री जी कृपया संकेत दें रोकथाम के बारे में। याचिकाओं का उपस्थापन श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रतनगढ़ (चूरू) में सड़क का लेवलिंग ठीक करने के संबंध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थान करता हूं।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं फिदूसर देवलिया (जोधपुर) पत्थर उद्योग में पीने के पानी की समस्या के संबंध में 11 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

तहसील निवाई के ग्राम डूंगासर में श्रीमती गेन्दी के साथ हुए बलात्कार सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व गृह मन्त्री का संक्षिप्त वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जय नारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निवाई तहसील के ग्राम डूंगासर में दिनांक 28-12-67 को दोपहर में अपने खेत को जाती हुई श्रीमती गेन्दी पत्नी रामकुमार गूजर डूंगासर के साथ किये गये बलात्कार के संबंध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28-12-67 को श्रीमती गेन्दी अपने खेत पर जा रही थी दोपहरी के टाइम उस समय उसके करीब ही खेतवाले श्री सागरमल पुत्र भूरालाल ब्राह्मण ने जबरन उस महिला के साथ बलात्कार किया ....

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुकद्दमे का चालान अदालत में कर दिया है....

श्री अध्यक्ष : यदि यह जानकारी मुझे प्राप्त हो जाती तो मैं दूसरा ही आर्डर देता माननीय सदस्य समझेंगे चालान हो गया है। केस सबजुडिस है।

श्री जयनारायण सालोदिया : चालान कब हुआ ? मैंने जो प्रश्न दिया वह पुराना है। सरकार अब तक टालती रही और अब उसको दबाना चाहती है, मामला यहां उठाने देना नहीं चाहती। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के केसेज होते रहे तो उसका असर बहुत होगा इस तरह से नृशंस रूप से निर्भीक रूप से कार्य हो उसकी हद होनी चाहिये।

(12 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे कानून के बारे में कुछ नहीं बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप मुझे समझ लीजिये। यह साधारण सा नियम है इस सदन का कि जब कोई केस विचाराधीन है किसी न्यायालय में तो इस सदन में उसके लिये कोई मन्तव्य देना उसके मेरिट्स ऑफ दी केस पर यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं इसको बन्द करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरिट पर नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो किस पर ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आदमी के लिये कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आदमी भी तो न्यायालय के सम्मुख है। सारा उस पर तो विवाद है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मुकद्दमा चालान कब हुआ, इसकी तारीख तो बतानी चाहिये।

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, गृह) : आज साढ़े दस बजे पेश हो गया। अदालत में पेश हो गया आज साढ़े दस बजे।

श्री जयनारायण सालोदिया : जहां तक मेरी जानकारी है यह केस चालान नहीं हुआ है और न होगा ही ।

श्री अध्यक्ष : चालान हो गया इसकी तो तहकीक है ना आपको ?

श्री खेतसिंह : बिल्कुल तहकीक है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वे तो फरमा रहे हैं कि हो जायेगा ।

श्री खेतसिंह : आज हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुआ है तो दायित्व उन पर पड़ता है । मैं इसको एण्ड करता हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को कई दिन पहले इसका नोटिस दिया था, फिर चालान आज ही क्यों किया गया ? इतने दिन क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी जानकारी के लिये अर्ज करदूं, इस मुकदमें के अन्दर एक दफा सब-इन्सपेक्टर ने तफतीश की, उसके बाद पार्टी की तरफ से शिकायत आई कि तफतीश ठीक नहीं हुई है, इसलिये बाद में डी० एस० पी० को तफतीश के लिये कहा गया, वह नहीं कर सका और फिर सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने खुद इस केस की तफतीश की और उसके बाद में मुकद्दमा चालान किया गया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय आपका निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन आपने यह मामला यहां बहस के लिये अलाऊ किया, बाद में अगर यह मुकदमा चालान होता है और आप यह व्यवस्था देते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कम से कम मंत्री महोदय को आसन की तरफ से यह तो संकेत होना चाहिये कि इस तरह देर से कार्यवाही करने का सरकार का कोई खास कारण क्या था ? सरकार ने इस मुकदमे को आज ताबड़तोड़ में साढ़े दस बजे चालान किया है यह व्यवस्था क्या संतोषजनक है आपके ख्याल में ।

श्री अध्यक्ष : जहां तक चालान करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कर दिया गया है तो अच्छा किया है इस सदन की प्रतिष्ठता के अनुकूल । लेकिन अब तक चालान नहीं हुआ यह प्रश्न मंत्री महोदय के विचाराधीन होना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया चालान नहीं करने के माकूल वजूहात थे । जिम्मेदार ऑफिसर से तफतीश कराई गई है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : तफतीश को तो बहुत दिन हो गये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, आपने निर्णय दिया था कि आज या कल........

श्री अध्यक्ष : आज तो हो गया ।

श्री देवीदत्त गाडिया : कल आपने ऐसा कहा था ।

श्री अध्यक्ष : वह आ तो गया है, अब कल है या परसों है यह मैं नहीं कह सकता उस समय ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो तीन दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! मैं उसकी जानकारी करूंगा ।

श्री श्रवणलाल : पहले भी जब सेशन चला था उसमें भी मंदिरों से मूर्तियों की चोरी के बारे में····

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था उसके लिये दे दी है कि स्थगन प्रस्ताव में नहीं आता ।

श्री श्रवणलाल : वह तो बड़ी गम्भीरता का विषय है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, गम्भीरता है या नहीं है उसके लिये व्यवस्था दे दी है । अधिक से अधिक, अगर कोई जानकारी का प्रश्न हो तो पूछ लें ।

श्री श्रवणलाल : मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि 42 कर्मचारियों को नोटिस दे दिया है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है कि वह नहीं आता है । यह पर्याप्त होना चाहिये ।

श्री श्रवणलाल : एक और भी था जिसमें आपने व्यवस्था दी थी कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे । सवाई माधोपुर और भरतपुर डिस्ट्रिक्टस में लोगों को डाकुओं द्वारा उड़ाए जाने के सम्बन्ध में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में आपने व्यवस्था दी थी कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन आज तक कोई वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, वह आ रहा है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप मेरी बात भी समझने की चेष्टा करें एक दो के लिये आपने पूछ लिया, लेकिन आप मुझे एनसाइक्लोपेडिया समझ लें और हर बात का प्रश्न यहां पर करने लगें यह उचित नहीं है । यह प्रश्न सदन के सामने पूछना भी उचित नहीं है ।

अब मैं माननीय केदारनाथ को बोलने के लिये कहता हूं ।

श्री श्रवणलाल : कौनसी तारीख पर आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं नहीं बता सकता ।

श्री केदारनाथ :

विधायी कार्य

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक 1968 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार विमर्श ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष, कल आपने जिस तरह माननीय सदस्यों को देश की मौजूदा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर सदन में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, मैं समझता हूं सदन की इससे शोभा बढ़ी है और अध्यक्ष पद को भी शोभा दी है । देश के आर्थिक, सामाजिक

(श्री केदारनाथ)

और राजनैतिक मसले और इम्पोरटेंट इशुज सदन में डिस्कस होने चाहिये।

आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बल्कि हर देश जिस दौर से गुजर रहा है, कहीं कल्चरल रिवोल्युशन हुआ है, कहीं हिन्दी कल्चरल हुआ है, अलग अलग नामों से तब्दीलियें आ रही हैं। सेकन्ड वर्ल्ड वार के बाद हमारा देश आगे बढ़ा है और पोलिटीकल लाइफ ऐसे बढ़ी है कि विचारों में तबदीली आई है, प्रोडक्शन पेटर्न में तबदीली आई है। फोर्थ इलेक्शन्स के बाद, हम अगर पोलिटीकल पार्टीज के मेनीफेस्टोज को देखें लीडर्स की स्टटमेंटस को हम पढ़े, तो मालूम पड़ेगा कि इलेक्शन के पहले जो बातें कही जाती थीं, इलेक्शन्स के बाद उनमें से कोई भी बात स्टेंड स्टिल नहीं हुई। और इसका कारण है कम्पलशन्स आफ सीचुएशन ऐसे हालात पैदा हो गये कि पूरे देश के अन्दर इन हालातों के अनुसार तबदीलें होना मजबूरी हो गई। फोर्थ इलेक्शन्स के बाद जहां पोलिटीकल पार्टीज के अन्दर चेन्ज की भावना पैदा हुई वहां यह बात भी सामने आई कि राज्यपालों ने संविधान के अनुसार काम किया या नहीं। और संविधान के अन्तर्गत सेंटर और राज्यों के बीच क्या रिलेशन्स होने चाहिये इस तरह के भी कई प्राबलेम्स सामने आये। कई लोगों ने इलेक्शन्स के बाद अपने दल बदले। इसमें कोई शक नहीं कि देश के विचारकों ने और पोलिटीकल पार्टीज ने भी इसका विरोध किया।

मगर वहां हम में कुछ इल्यूजन्स, कुछ डाउटस् पैदा होते हैं केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस की रीति नीति पर, जो कांग्रेस पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही और जिसका बुनियादी नारा यह था कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से देश में एक ट्रान्सफार्मेशन करना है, देश के सारे मसलों को, देश के सारे विवादों को, देश के हर इश्यू को हमें प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिमय तरीके से हल करना है, उसी कांग्रेस के बारे में आज यह कहा जाय कि राज्यपाल के पद का इस्तेमाल, कान्सस्टीट्युशन के प्रावीजन्स का इस्तेमाल और केन्द्र और स्टेट जिनका एक फेडरल रिलेशन है, वहा केन्द्र के द्वारा डिक्टेटोरियल पावर्स का इस्तेमाल—इनमें एक एरोगेन्ट एटीट्यूड है, यह पावर के इस्तेमाल करने के अन्दर सेन्टर पर रिफलेक्शन होता है तो मैं सोचता हूं कि फोर्थ इलेक्शन के बाद देश में जो ऐसी चीजें पैदा हुई, देश के अन्दर लोग कहते हैं कि दल बदलने की बात पैदा हुई है, तो अगर आज हिन्दुस्तान की पालिटीकल लाइफ देखी जाय, एक हिस्टोरीकल प्रासेस से देखा जाय, कि देश के अन्दर कितने सम्प्रदाय हमने पैदा कर दिये हैं, देश के अन्दर कितने धर्म पैदा किये हैं, और देश के अन्दर जो मास कान्शसनेस है जो ला लेवल पोलिटीकल और सोशियल लाइफ का है, जो देश के अन्दर इकोनामिक क्राइसिस है—उस देश के अन्दर अगर दल बदलने की बात आये तो मैं समझता हूं कि यह एक नेचुरल प्रासेस है, इसको हमें बर्दास्त करना चाहिए। किसी न किसी स्टेज पर यह चीज आती है। अच्छी बात है कि यह फोर्थ इलेक्शन के बाद में आई। अब इसके लिए किसी पार्टी को दोष दें, किसी व्यक्ति को दोष दें, तो मैं सोचता हूं कि जो देश में पोलिटीकल कन्फ्लिक्ट है, जो पोलिटीकल कान्शसनेस है, जो राजनैतिक बेकवर्डनेस है, जो इकोनामिक पोजीशन है और जो मास इल्लीट्रेसी है, उसके अन्दर मैं सोचता हूं कि पालिटीकल

Page No. 49

(श्री केदारनाथ)

पार्टीज का क्या फर्ज है। मैं राजस्थान की बात आपसे कहता हूं मैं यह बात हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर तमाम पालीटिकल पार्टीज ने, अपोजीशन पार्टीज ने एक मौका खोया है। जिस वक्त के अन्दर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था, असेम्बली सस्पेन्ड की गई थी, उस वक्त राजस्थान में एक मूमेन्टम था, उस वक्त राजस्थान में एक ऐसा गुस्सा और जोश था, मैंने राजाओं के वक्त में उनके खिलाफ लड़ाई देखी है उस वक्त लोगों में गुस्सा था, उस वक्त लोगों में एक काम्प्लेक्स पैदा हो गया था जिसके कारण से इतनी ह्यूज मीटिंग होती थीं, एक नोटिस पर हड़तालें हो जाया करती थी राजाओं के खिलाफ। आज बीस साल के बाद में मैंने वही राजस्थान में टेम्पो देखा। अगर पालिटिकल कान्शसनेस लोगों में होती, अगर पालिटिकल रीजनिंग होती और पालिटिकल मेच्योरनेस होती, तो अध्यक्षजी सारे के सारे एम० एल० एज० उस वक्त गिरफ्तार होते और उस मूमेन्टम का फायदा उठाते। उससे देश की स्थिति और राजस्थान की स्थिति बदलती। अगर पचास, सौ आदमी भी 99 विधायकों के बाद में राजस्थान में गिरफ्तार होते तो राजस्थान में एक मजबूती पैदा होती, राजस्थान में एक केडर पैदा होता और राजस्थान के अन्दर एक अवेअरनेस पदा होती। लेकिन उस समय जो पालिटिकल मिस्टेक हुई, उस समय जो पालिटिकल भूल हुई—वह मुझे हमेशा याद आयेगी और राजस्थान की पालिटिकल हिस्ट्री में एक स्लर के रूप में यह कायम रहेगा कि राजस्थान की पालिटिकल पार्टीज ने इस ममेन्टम का फायदा नहीं उठाया। अगर उस वक्त फायदा उठाते तो एक दूसरी स्थिति आती राजस्थान की हिस्ट्री में। अब भी वोट की स्थिति से हम देखें तो जो 88 थे वह आज 108 हैं और जो 92 थे वह आज 75 हैं। इस हालत में भी आज ऐसी पालिटिकल सिचूएशन नहीं है कि कोई आदमी यह कहे, कांग्रेस के हाई कमाण्ड यह कहे, राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहें कि राजस्थान में पालिटिकल स्टेबिलिटी हमने दी है। यह बात बिलकुल गलत है। पालिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब यह हुआ नहीं करता कि एक पार्टी में एम० एल० एज० की गिनती बढ़ जाय और उसके बाद में हकूमत को बनाये रखें। पालिटिकल स्टेबिलिटी से इसका ताल्लुक नहीं है। जब तक आप राजस्थान में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ पैदा नहीं करें, कोई नई परम्परायें पैदा नहीं करें तब तक पालिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कह सकते हैं। पालिटिकल स्टेबिलिटी तब पैदा होती है जब डेमोक्रेसी के लिए आप मास फीलिंग पैदा करें, राजस्थान में एक नया ठाट और एक नया मॉरल पैदा करें जिससे मालूम पड़े कि राजस्थान में जो पालिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें रूलिंग पार्टी ने राजस्थान को नई चीज दी है। आज आप पब्लिक लाइफ को देख लीजिये, उसमें आज इलेक्टेड आदमी की कोई कीमत नहीं है, किसी स्थान पर इलेक्टेड आदमी की कोई कद्र नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस ढंग से जो निष्ठा और जो विश्वास डेमोक्रेसी में लोगों का पैदा करना चाहिये पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के जरिये जिसके जरिये हम सोचते हैं कि एक पोपूलर बाडी को राजस्थान में रिफलेक्ट करेंगे, जिसके जरिये हम सोचते ह कि

(श्री केदार नाथ)

वायोलेन्स से चेंजेज हासिल न करके एक पार्लियामेन्ट्री तरीके से राजस्थान में रिवाल्यूशनरी काम कर देंगे, एक नई चीज और नई तब्दीली लायेंगे सारे सिस्टम में। वहां इस सारी बातों को डिस्टर्ब कर देना और लोगों में डेमोक्रेसी में नफरत पैदा करना रूलिंग पार्टी का काम नहीं है। इसलिए आप सोचते हों कि राजस्थान में पालिटिकल स्टेबिलिटी आई है या उसके लिए आपको क्रेडिट देन वाली बात है तो वह गलत है। मैं राजस्थान की बात कहता हूं, इसी तरह से सारे देश को पालिटिकल पार्टीज के लिए कहता हूं कि देश के अन्दर किस तरह से गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं और उसके बाद में किस तरह से उनको टोपल डाउन कर दिया गया। मैं सोचता हूं, अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने हैदराबाद में जो रिजोल्यूशन पास किया, अगर बीस साल और सत्रह साल में पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के इन्डीविजुअल लाइफ की तरह ऐज ऑफ रेस्पान्सिबिलिटी कहा जाता है तो जो सत्रह साल का बच्चा है उसके लिए हम कहते हैं कि एडोलसेन्स ऐज के बाद में ऐज ऑफ रेस्पान्सिबिलिटी में एन्टर किया है। लेकिन नेशनल लाइफ में जो क्राइटेरिया होता है ऐज ऑफ रेस्पान्सिबिलिटी का उसमें इकानामिक कन्डीशन की दृष्टि और पालिटिकल कान्शसनेस की दृष्टी से क्राइटेरिया माना जाता है और इस क्राइटेरिया को लेकर चाहे देश के अन्दर आज कांग्रेस स्टेण्ड कर सकती हो, लेकिन राजस्थान में स्टेण्ड नहीं कर पाती है। आज जो हालत हम देख रहे हैं इन हालातों में कैसे गैर कांग्रेस हुकूमतों को खत्म करने के लिए कोशिश की गई। अगर रूलिंग पार्टी, कांग्रेस बंगाल में, बिहार में, यू० पी० में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेन्ट कायम हुई थी, अगर मास एजीटेशन के जरिये से, अगर हिंसा के जरिये से वहां की सरकारों को टोपल डाउन करती है तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस अपनी फंडामेन्टल भूमि अदा नहीं कर रही है, बुनियादी फर्ज अदा नहीं कर रही है। जो शख्स और जो तमाम पालिटिकल पार्टीज प्रजातंत्र में विश्वास रखती हैं, वह मास कान्शसनेस में विश्वास रखती हैं लाजिमी तौर पर और उस बुनियाद पर और उस धरातल पर वह स्टेण्ड करती हैं अगर वहां सरकार बदल जाती है तो उससे देश में निराशा नहीं आती है, उससे आज यह इल्यूजन पैदा नहीं होता है कि आयन्दा देश में पार्लियामेन्ट्री सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेन्ट ने पिछले सत्रह-अठारह सालों में प्लान्ड लाइफ में एक नई बिजनस क्लास पैदा कर दी है जो आज हावी है समाज पर, राजनीति पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और सारी पब्लिक लाइफ पर और जब उसे यह मालूम पड़ जायगा कि वह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम स्टेटस को कायम नहीं रखेगा इसके अन्दर बुनियादी तब्दीली लायेंगे, इसके अन्दर एक रिवाल्यूशनरी चेंज होगी, इस सिस्टम के द्वारा एक इकानामिक ट्रान्सफार्मेशन होगा तो लाजिमी है कि वह रीएक्ट करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे और डिस्टर्ब करने के लिए जायेंगे। अगर यह ताकत भी देश में पैदा होती है तो भी निराशा की बात नहीं होती।

इसके साथ साथ फोर्थ इलेक्शन के बाद हमने देखा कि जो इल्यूजन्स पैदा हुए

(श्री केदार नाथ)

पार्लियामेन्ट्री डिमोक्रेसी के वहां हमने देखा कि लोगों में अवेअरनेस भी पैदा हुई है, नई जागृति पैदा हुई है, देश में एक बेसिक ट्रेण्ड पैदा हुआ है, वहां हमने देश में उन लोगों को भी देखा है और उनकी हिम्मत भी देखी है जो डिमोक्रेसी के नाम से हिस्टोरीकल चेंज लाने की बात करते हैं। यह दोनों चीजें साथ साथ चलती आ रही हैं। आज प्रश्न यह है कि पार्टीज ज्यादा हों तो आवश्यक है कि उनकी फोर्सेज का रीएलाइनमेन्ट हो, वह किस तरह से हो, पोलेराइजेशन किस तरह से हो। लेकिन आज सारी पब्लिक में जो पोलिटिकल कान्शसनेस है, जो उनका ट्रेन्ड है उससे आज सारे हमारे इल्यूजन्स मिट जाते हैं, हमारे सारे डाउट्स मिट जाते हैं और ऐसा लगता है कि देश का भविष्य उज्वल है। अब कौन हुकूमत आज रहे, कौन राज्य करे—उसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि वह हमेशा राज्य करेंगे। मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्री के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। वह आज की स्टेज में कह दें कि मैं हमेशा के लिए रहूंगा, हमेशा के लिए हमारी हुकूमत कायम रहेगी, हमारे दल का राज्य रहेगा—तो यह गलत बात है। पोलिटिकल सेन्स में और पालिटिकल नार्म्स में इसकी परिभाषा नहीं है। इसलिए यह कोई तारीफ की बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में एक चीज हुआ करती है कि जब हमने तय कर लिया है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करनी है, जो आमदनियां हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट और कम से कम लिमिट तय करनी है तो फिर पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्रीज, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और केबिनेट मिनिस्टर और एम० एल० एज० इनमें आप रैंक का कन्सीडरेशन क्यों पैदा करते हैं? जब आप इतना इनमें डिफरेन्स पैदा करते हैं तो क्या आप देश में यह चाहते हैं कि आपस में मिनिस्टर की पोस्ट में लोगों का टेम्पटेशन रहे। आपको चाहिये यह कि टेम्पटेशन फार पावर नहीं रहे, हंगर आफ पावर लोगों में न बढ़े। लेकिन आप तो तनख्वाह के नाम पर, भत्तों के नाम पर, अलाउन्स के नाम पर टेम्पटेशन पैदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोगों में करप्ट होने की भावना पैदा हो, लोगों में पावर हथियाने की चीज पैदा हो, लस्ट पैदा हो। मैं सोचता हूं कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री की डेफीनेशन साफ है। जो पार्लियामेन्ट अफेअर्स का काम करें, उसको पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री कहते हैं। जब हाउस सेशन में हो तो वह उसके अन्दर काम करे, नये नये फेक्ट्स-फिगर्स वह पैदा करें, हाउस में डिस्कशन को एक नया मोड़ दे, स्टेन्डर्ड आफ डिबेट को बढ़ायें, अगर मिनिस्टर अच्छा जवाब नहीं देता है तो उसको वह इम्प्रूव करे, यह सब पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री का काम हुआ करता है। मगर इन पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री को यह काम न सौंप कर यह कह दिया जाय कि वह अपने अपने इलाके में टूर करें। एक कांग्रेस के केन्डीडेट के नाते उसके लिए आप कोई अलाउन्स बांध दें तो हमें कोई गुरेज नहीं है। वह काम करें, उसके लिए जीप रखे, कार रखे या हवाई जहाज रखे, वह गांवों में जायें, वहां पर काम करें, सेवा करें, मीटिंग होल्ड करें—तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर स्टेट के खजाने से पैसा देते हैं और एक

(श्री केदार नाथ)

पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री के नाम से देते हैं तो उसमें क्या होता है। अध्यक्षजी, आप ताज्जुब कीजिये, एक माह में वह बीस-पच्चीस दिन अपने इलाके में रहते हैं, वहां पर कोई काम नहीं करते हैं, कोई उनके पास फाइल नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, किसी मिसल पर वह फैसला नहीं कर सके, किसी केस के बारे में अपनी राय नहीं दे सकते, फिर भी वह हर एक केस में इन्टरफियरेन्स कर रहे हैं। उनके साथ में आफिसर्स जाते हैं, जीपें उनके साथ होती हैं, दो तीन जीपें उनके साथ चलेंगी, थानेदार और मुलाजिम उनके साथ होते हैं। इससे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टैम्पो आफ राजस्थान बिगड़ता है। इसके अलावा आप देखिये कि और स्टेट्स में भी पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्रीज बढ़ाये हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह वहां पर जो है, उनकी तनख्वाह और यहां की तनख्वाह में फर्क है। मैं फिगर्स आपके सामने पेश करता हूं। पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री मद्रास में है उसकी तनख्वाह 600 रु० है। केरल, मैसूर में पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री हैं और आन्ध्र प्रदेश में है उनकी तनख्वाह 500 रुपये, मध्य प्रदेश में हैं उनकी तनख्वाह 500 रुपये। इनमें तो हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री। आप सोचिये कि बहुत कम स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री बनाये हैं और उनके वेतन में और यहां के वेतन में बहुत ज्यादा फर्क है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट की इकोनामी है, जिस पर दस करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है, यह सबसे बेकवर्ड स्टेट इकोनामी के लिहाज से है, इसके अलावा बाउन्ड्री स्टेट है, इसमें इतना बड़ा डेजर्ट है, इसमें इतने बड़े बड़े डवलपमेन्ट के काम होने को हैं और इसकी सबसे कम पर-कैपिटा इन्कम है और पर्चेजिंग पावर सबसे कम है, और इस पर सबसे ज्यादा कर्ज है, और सबसे ज्यादा बर्डन है। तो जब हमारा स्टेट इकोनामिक पोजीशन में ठीक नहीं है तो मैं नहीं सोचता कि रूलिंग पार्टी अपना फर्ज अदा कर रही है।

इसके साथ साथ पार्लियामेन्टी सेक्रेट्री को कोई टूरिंग ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, फर्ज तो यह था कि एम० एल० एज० अपने अपने इलाकों में जायें तो जीप लेकर जायें और अपने इलाके के दौरे पर एक माह में दो तीन दिन के लिए जायें और दो तीन दिन अपने अपने इलाकों में घूमें और अपने अपने इलाकों की जानकारी हांसिल करें। अपनी कान्स्टीटयू-एन्सी में ही नहीं बल्कि राजस्थान में चाहे जहां जाना चाहें वहां जायें और उसके लिए स्टेट खर्च करें ताकि वह स्पाट पर जाकर वहां जानकारी हांसिल करे, वहां से आंकड़े इकट्ठे करें और इस हाउस में अपना कन्ट्री-ब्यूशन दे सकें। मैं नहीं चाहता कि एम० एल० एज० की तनख्वाह बढ़ाई जाय। मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां आप पार्लिमेन्ट्री सेक्रेटी को टूरिंग अलाउन्स देते हैं वहां एम० एल०एज० को अपनी कान्स्टीटयूएन्सी में जाने के लिए और राजस्थान में घूमने के लिए जीप की लाजिमी सुविधा मिलनी चाहिये ताकी एम० एल० एज० अपनी भूमिका को अदा कर सकें।

इसी के साथ में स्टेट मिनिस्टर की बात कहता हूं। अध्यक्ष जी, म नहीं कहना चाहता हूं की जिस स्टेट में 14 तो केबिनेट मिनिस्टर हों, जिस स्टेट में 12 डिप्टी मिनिस्टर हों, 5 स्टेट मिनिस्टर हों, तो उनके काम में ओवर लेपिंग हो ना चाहिए

(श्री केदार नाथ)

दो फैसले मुझे मालूम है, दो अलॉटमेंट के केस है गंगा नगर के। उसमें श्री मनफूलसिंह केस सुनने वाले हैं। इन्टरव्यू पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री लेते हैं और फैसला सुनाते हैं और डिस्पोज आफ करते हैं मिनिस्टर। तो एक एक काम तीन तीन टायर्स के बीच में है। जब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट में यह है कि यदि लोगों को रिलीफ और राहत मिले और उनके साथ इन्साफ हो तो लाजिमी है कि ओवर-लेपिंग पैदा न करें। न तो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से यह काम अच्छा है, न पैसे की दृष्टि से अच्छा है, न डेमोक्रेटिक प्रेक्टिसेज और नार्म्स पैदा करने की दृष्टि से अच्छा है. यह इस दृष्टि से अच्छा है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कैसे कायम रहे और राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत कैसे कायम रहे। अगर यह बात सही है तो, अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपकी मार्फत कहा कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री हमारे इलाके में घूमने जाते हैं तो आम दरख्वास्त पर फैसला दे देते है। मैं भी मौके पर गया हूं और मैंने देखा कि उन्होंने तावान का केस पढ़ा और लिख दिया कि यह तावान जायज नहीं है और इस स्टेट मिनिस्टर रिपोर्ट दें। ताज्जुब कीजिये, स्टेट मिनिस्टर को पार्लियामेन्टी सेक्रेट्री आदेश दे की वह फैसला दे। क्या यह तरीका अच्छा है? अगर इस तरीके से यह लोग एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दें तो मैं मानता हूं कि आप पावर्स ले लीजिये कि अपील की पावर्स मिनिस्टर्स को हों या अपील की पावर्स पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री ले लें तो मैं इस पर गुरेज करने वाला नहीं हूं। मैं इलेक्टेड आदमी को, चाहे वह आदमी कांग्रेस का हो या किसी दल का हो-उसको मैं सरकारी नौकर से अच्छा और जिम्मेदार आदमी समझता हूं। यदि शुरू में कोई इनकाम्पीटेन्ट मिनिस्टर है तब भी काम करने लगने पर काम्पीटेन्ट हो सकता है। इसलिए आप पावर्स लें, रिव्यू करने के बारें में पावर्स फिर चाहे एलाटमेंट का केस हो या इर्रीगेशन का केस हो या कोलोनाइजेशन का केस हो। आप प्रजेन्ट हाउस में पावर लें। मगर मर्जी से काम करना, मर्जी से दखल देना और पार्टीजन आइडिया के मुताबिक सारे काम करना शोभा की बात नहीं है। मैं सोचता हूं, सारी हालत को देखते हुए, आज जो राजस्थान की हालत है, राजस्थान में जो एडमिनिस्ट्रेशन का शासन है, ईमानदारी की बात यह है कि उसके बारे में कोई आदमी भी कह देगा कि राजस्थान में कांग्रेस की हकूमत है लेकिन मंत्री हुकूमत नहीं करते हैं, यहां सरकारी नौकर हकूमत करते हैं। आज सरकारी नौकर इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, इतने मजबूत हैं राजस्थान में कि सारे कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी पार्टीज एक टेम्पो और मुमेन्टम पैदा करें, मास एजीटेशन के जरिये, लोगों में मीटिंग करके और तमाम लोगों में एलाइनमेंट पैदा करके तब भी सरकारी नौकरों में गिरावट नहीं हो सकती। तो जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक कितने ही भाषण दें, कितनी ही बात कह दें, बाहर कान्फ्रेन्स और मीटिंग करें-कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कांग्रेस पार्टी के दिमाग में यह बात नहीं आती कि सारी कांग्रेस की इज्जत हो, सारे कांग्रेसी वर्कर्स की इज्जत हो, सारे विधायकों की इज्जत हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बात को अच्छा समझता हूं। अगर इस तरीके से काम करना शुरू हो जायगा तो धीरे धीरे रिजल्ट यह होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक आज इनक्टिव है उसका पोलिटिकवाइजेशन हो जायगा।

(श्री केदारनाथ)

यदि आज वह कांग्रेसी नेताओं से प्रभावित है तो कल उनके खिलाफ भी उनमें भावना पैदा हो सकती है मैं इसको इसलिए अच्छा समझता हूं कि राज्य सरकारी नौकरों से नहीं होना चाहिए, राज्य कांग्रेस पार्टी से होना चाहिये। राज्य रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। अगर पार्टी से राज्य होता है तो उसका रिजल्ट लाजिमी अच्छा होता है और वहां प्रजातंत्र पैदा होता है और प्रजातंत्र पैदा होने के साथ वहां यदि एक्सेसेज पैदा होगी तो भी यदि आप सही मायने में सोशल चेंज चाहते हैं, मायने में डेमोक्रेसी चाहते हैं, और सही मायने में इस देश में जनवाद चाहते हैं, सही और हुकूमत जनवादी तरीके से चलाना चाहते हैं और इसके बारे में शंका करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप प्रजातंत्र के नजदीक कभी नहीं आ सकेंगे। कल मेरे माननीय साथी ने यह कहा कि नान कांग्रेस गवर्नमेन्ट का यह हाल है। मैं उनमें ब्लाइन्ड फेथ करने वाला नहीं हूं लेकिन मैं आपको पंजाब की मिसाल दूं। पंजाब के अन्दर 20 सालों में हिन्दू-सिक्ख की लड़ाई होती रही। बहुत गलत तरीके से लोगों में एक ट्रेन्ड, एक काम्प्लेक्शन पैद हो गया था लेकिन थोड़े दिनों में नान कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने वहां हिन्दू-सिक्ख में एकता कायम कर दी। ताज्जुब कीजिये उनकी ऐसी नीति-रीति है कि किस तरह लेफ्ट कम्युनिस्ट, राइट कम्युनिस्ट, जनसंघ आदि शक्तियां एकता के साथ बैठ कर पंजाब को एक नया काम्प्लेक्शन देते हैं, पंजाब को एक नया एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, वहां के लोगों में एक नया विश्वास पैदा कर देते हैं। बाउन्ड्री स्टेट वह है मैं वहां के लैण्ड रिफार्म्स की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन बांट की बात आती है तो बात बात में वहां की नान कांग्रेस गवर्नमेंट ने शेअर क्राप की फिलासफी को बना दिया, यह शेअर क्राप है, यह बांटा देना है। उनकी यह फिलासफी है कि सबको जिन्दा रहने का हक है। इसके बारे में उन्होंने बिल पास किया, और कानून पास किया। इसी प्रकार बंगाल के बारे में कुछ कहा। मैं मान सकता हूं कि वहां पर कुछ एक्सेसेज हो सकती है। मैं मानता हूं कि जब चेंज आती है तो इन दी वेक आफ मूवमेंट, इन दी वेक आफ चेंजेज एक्सेसेज लाजिमी होती हैं। इन एक्सेसेज ने मास एजीटेशन का रूप ले लिया हो, इन एक्सेसेज ने घेराव का रूप ले लिया हो, मगर मैं मानता हूं कि पंजाब और बंगाल में वहां की नौकरशाही को गिअर-अप कर दिया और वहां की पुलिस भी अब मजदूरों के हित में काम करती है, शेअर क्राप के हक में वहां की नौकरशाही काम करती है, वरना वह चुपचाप बैठी रहती है। वहां की हुकूमत में जो लोग थे उन लोगों ने अपनी क्षमता से, अपने विजन से यह तय कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी पोलिटिकल पार्टी ले डाऊन करती है न कि नौकरशाही ले डाउन करती है। अब यहां की पोलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी की क्षमता किस लेवल की है, उनका क्या बैकग्राउन्ड है, उनके क्या विजन हैं, मैं उन मंत्रियों की बात नहीं कहना चाहता जो कि तीन चार व्यक्ति हैं जो राजाओं के जमाने में भी, स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते थे, मैं उनके विजन और उनके कन्सेप्शन को मान सकता हूं लेकिन जो लोग नये हैं और जिनको सरकार में शामिल कर लिया है,

(श्री केदारनाथ)

उनकी क्या समझ में, वह क्या कांग्रेस के मेनीफेस्टो को कायम कर देंगे जब कि उन्होंने वह पढ़ा ही नहीं है, कांग्रेस की फिलासफी को पढ़ा ही नहीं है, जो जिन्दगी में कभी कांग्रेस वर्कर नहीं रहे हैं. जिन्होंने राजाओं के वक्त में पिटाई नहीं खाई है, जिन्होंने उस वक्त में धक्के नहीं खाये हैं। यह मामूली बातें थीं उस समय यह सारी चीजें होना, यह सब बातें उनकी जिंदगी में कभी नहीं रहीं तो उनके दिल में इन्सपायरेशन पैदा नहीं हो सकता, उनके अन्दर गुस्सा पैदा नहीं हो सकता। वह कभी भी सोशल चेंज लाने में कामयाब नहीं हो सकते।....

ऐसी हालत में इस तरह का राजस्थान के मंत्रि-मण्डल का कम्पोजिशन करना, स्टेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज लेना, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी स्टेट मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं हूं, उनमें से कई मेरे से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा केपेबल हो सकते हैं पर जो आज सारा का सारा राजस्थान के मंत्रि-मण्डल का कम्पोजिशन काम कर रहा है, राजस्थान का मंत्रि-मण्डल, राज्य मन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं और जो सही दिशा राजस्थान को इनके द्वारा दी जानी चाहिये वह सही दिशा, सही मार्गदर्शन राजस्थान को आज वे नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में आज वह सही मार्गदर्शन खत्म हो गया है। जो राजस्थान का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि राजस्थान में इनएक्शन खत्म हो, राजस्थान में प्रोपर एडमिनिस्ट्रेशन हो तो सारे इकट्ठे हो कर जिस तरह हमने तय किया था कि महारावल साहब के नेतृत्व में खड़े होकर, सब के द्वारा सम्मत एक मिनिमम प्रोग्राम लेकर, नया मूवमेंट पैदा करें, उसी तरह का कोई मिनिमम प्रोग्राम लेकर राजस्थान के अन्दर एक नया मूवमेंट पैदा करें। इस तरह का आज जो इनएक्शन है, उसे खत्म करें, आज जो इस तरह की नीति है उसको खत्म करके हम अपना फर्ज अदा करके लोगों को बता दें कि हम जिंदा रह सकते हैं, हम आम अवाम की भलाई के काम कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि अब आगे का समय जैसी कि कल व्यवस्था दी थी, 15 मिनिट से ज्यादा नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव की भूमिका में मैं निम्न बातें मंत्री मण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

इस विधेयक के द्वारा हम 3 बातें हाउस से तय करवाना चाह रहे हैं। एक बात तो यह है कि मंत्रि-मंडल का कोई भी सदस्य मंत्रि-मण्डल से अलग होने के बाद भी दो महीने तक कुछ सहूलियतें प्राप्त करता रहे। दूसरी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बात यह है कि हमारी राजस्थान स्टेट ने कुछ नई पोस्टस क्रियेट की हैं जो पहले 20 साल के शासन काल में नहीं थीं, राज्य मंत्री और शासन सचिव, उनको वेतन, भत्ता, कार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं और दूसरी सहूलियतें देने के बारे में । तीसरी बात है मंत्रियों का इलाज विदेशों में होने की सुविधा दी जाय । ये तीन बातें इस विधेयक के द्वारा सदन से हम पास करवाना चाहते हैं । माननीय अध्यक्षजी, कोई भी साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी के सामने भी यदि इन तीन बातों को रखें और उससे उसका निर्णय लेने की कोशिश करें तो वह साधारण से साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी इन तीनों बातों में सामन्तीबू और राज का दम्भ, घमण्ड समझेगा और यह समझेगा कि ये तीनों बातें न तो समाजवाद के दृष्टिकोण से ठीक हैं और न हमारे प्रान्त की आर्थिक दृष्टि से ही ठीक हैं और न हमारे प्रान्त में न्याय सस्ता और सुलभ हो । इस दृस्टि से ही ठीक है ये बातें एक ही दृष्टि से हर आदमी के दिमाग में बैठ सकती हैं । और वह यह है कि "येन केन प्रकारेण" कांग्रेस का शासन राजस्थान में बना रहे, "येन केन प्रकारेण' सुखाडियाजी का मंत्रि-मण्डल राजस्थान में बना रहे, "येन केन प्रकारेण" जो लोग शासन चलाते हैं उनकी बढती हुई अभिलाषा और आकांक्षाओं की पब्लिक के टेक्स के पैसे से पूर्ति करते रहें । इन बातों का आभास आज हमें इस विधेयक के द्वारा होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि ये जो क्लाज लगाये हैं, इससे यह भी प्रतीत होता है कि एक तरफ तो कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, या कांग्रेस के वर्कर्स गांवों में जा जा कर पब्लिक मीटिंग्स में इस तरह की दोहाई देते है, इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि हमने राजाओं महाराजाओं, जागीरदारों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को खत्म किया, हम यहां किसानों, और मजदूरों का राज्य लाना चाहते हैं, समाजवादी राज्य लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मंत्रियों का इलाज विदेशों में हो, मंत्रियों के पास विदेशी गाडियां हों, मंत्रियों के पास कूलर हों, टेलीफोन हों, इस प्रकार की व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि जो लोग कहते हैं कि हमने राजाओं और जागीरदारों को खत्म किया है, वे ही लोग धीरे धीरे, धीरे नहीं बल्कि अति शीघ्रता से, आपा तोड़ तरीके से नये नये राजा महाराजा और जागीरदार खड़े कर रहे हैं जो ये नये राजा महाराजा और जागीरदार उन पुराने राजाओं और जागीरदारों से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अयोग्य और ऐसे हैं कि जिनको पब्लिक की कतई परवाह नहीं है ।

(12. 35. म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

पहले के राजा महाराजा यह तो महसूस करते थे कि यह हमारी रियासत है, इसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वे अपनी प्रजा को रिलीफ देने की कोशिश करते थे पर ये नये राजा महाराजा कांग्रेस के मठाधीश जनता के पैसे का जिस तरह अपने ऐशो आराम के लिये खर्च करने का प्रावधान इस प्रकार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के विधेयक में रखवाते हैं ये नये मठाधीश, ये नये जागीरदार उन राजाओं और जागीरदारों से सौ गुना निकम्मे साबित हो रहे हैं। जिनके लिये जनता को सोचना है कि उन्हें कायम रखना है या इनका पत्ता काटना है।

सभापति महोदया, मैं इस बिल के सम्बन्ध में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। हमने यह प्रावधान रखा है इसमें कि मंत्रियों का इलाज विदेशों में हो मैं यह नहीं चाहता कि मंत्रियों का इलाज नहीं हो, इनका इलाज होना चाहिए पर ये मंत्री क्या बला हैं? ऐसी बात तो है नहीं कि ये विदेशों से आये हैं, यहां कि आबोहवा, यहां की दवाइयां, यहां के इन्जेक्शन उनके लिये माफिक नहीं हों, इनके इलाज के लिय कामयाब नहीं होते हैं, ये तो हमेशा से यहां रहते आये है, सोंठ, चूरण लेते आये हैं पर आज मंत्री बन गये, जो कल तक हमारे साथ बैठते थे, सोंठ चूरण से अपना इलाज करवाते थे, वे ही आज मंत्री बन गये तो क्या उनके सुर्खाब के पर लग गये हैं जो विदेशो के अन्दर ही उनका इलाज होगा कल तक जिनका सोंठ चूरण से इलाज होता रहा है, इनका इलाज अब सोंठ चूरण से नहीं हो सकेगा। यह तो जिन्होंने इस तरह का कलाज रखा है इस तरह की जिन्होंने कोशिश की है, कोशिश नहीं मैं तो कहूंगा इस तरह की जिन्होंने हिमाकत की है, जो राजस्थान की पब्लिक भूखी नंगी खड़ी है, उसके पैसो से विदेशों मे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जिस भूखी नंगी पब्लिक को, आपके यहां शफाखानों मे, औषधालयों में इलाज के लिये दवाई तक नहीं मिलती, उस पब्लिक के पैसों से इन संड मुस्टंडों का इलाज बाहर विदेशों में करवायें। आज हमें देखना होगा कि राजस्थान की जनता का कहां से किस तरह इलाज होता है।

माननीय सभापति महोदया, आप जब इसके पास आती हैं (घंटी के पास) तो मुझे बहुत डर लगता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैं इस लिए पास आई थी कि संयमित भाषा बोलें, संड मुस्टन्डे इस तरह की भाषा न बोलें।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सभानेत्री महोदया, मैं संयम से बोलने को तैयार हूं पर कल आपने हमारे मुगले आजम, श्रीमान 108 श्री सुखाडियाजी का भाषण सुना, हमको तो कहती हैं संयम से बोलें, उनको नहीं कहा कि संयम से बोलें जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पब्लिक मीटिंग में जैसे आदमी बोलता है उस तरह का भाषण दिया.....

श्रीमती सभानेत्री : उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही....

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही....

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा दूसरा प्रावधान रखा है कि राज्य मंत्री और शासन सचिवों को इस प्रकार का वेतन और अमुक अमुक सुख सुविधाएं दी जायं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी, क्या जरूरत थी कांग्रेस जनों को, सुखाड़ियाजी को कि २० साल से राजस्थान का काम चलता था, चौथे आम चुनावों के बाद ही क्या आवश्यकता प्रतीत हुई कि ये दो नई तरह की पोस्टें क्रियेट की ? गरीब पब्लिक टैक्स पेअर है, उस पब्लिक एक्सचेकर पर इस तरह से करोड़ों रुपयों का भार डाला है, करोड़ों रुपयों का भार बजट पर पड़ा है, उसको कैसे मंजूर किया। इसके साथ ही साथ चेअरमेन महोदया, मैं यह भी देखता हूं कि यह जो नई पोस्टें क्रियेट की है, उससे राजकाज में कोई फर्क नजर नहीं आता, विधान सभा में उत्तरों के स्टेन्डर्ड में फरक नजर नहीं आता, पर मैं महसूस करता हूं कि जब से यह चार सीढ़ियां कायम हुई हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है कोई विधान सभा में नहीं बैठता है, कोई विधान सभा में तैयार होकर नहीं आता है, यहां उत्तर अच्छी तरह से नहीं देते हैं तो फिर एक एक मंत्री, राज्यमंत्री व उप-मंत्री पर, जैसे सतीशजी ने बताया 5-5 हजार महीना खर्च करें और दूसरी तरफ उनके द्वारा इस तरह की अव्यवस्था हो और न वे राज्य के काम काज में सहयोग बटायें एक तरफ इतना पैसा खर्च हो और दूसरी तरफ इस तरह की बात हो, तो कैसे समझें कि इन पोस्टों की जरूरत थी। ये संसदीय सचिव, क्या जीव हैं, न इनको दफ्तर में काम है, न विधान सभा में काम है, सिर्फ इनका यही काम है कि सरकारी गाडियां लेकर घूमे और अपने क्षेत्र का दौरा करते फिरें या राज्य में घूमते रहें और टी० ए० और डी० ए० बनाकर राजस्थान पर इस तरह का अनधिकृत बोझ डालते रहें। आज पैसे की कमी के कारण निर्माण कार्य नहीं खड़ा कर सकते, नए स्कूल नहीं खोल सकते, छात्रवृत्तियां नहीं दे सकते, उन शिक्षित इंजीनीयरों को जो बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं दे सकते, जनता का इलाज नहीं कर सकते, राजस्थान कैनाल जैसी योजनाओं को बन्द कर सकते हैं, पंच-वर्षीय योजनाओं को खत्म कर सकते हैं लेकिन आज हम सारे पैसे को इस मंत्रि-मण्डल पर खर्च करते हैं तो यह कहां तक समाज की व्यवस्था है कि हम गरीब भूखी जनता से जबरन टैक्स वसूल करें, अनिवार्य रूप से नए नए कर्जे और टैक्स लें और बीमा कराएं और उस पैसे को मंत्रि-मण्डल के सदस्यों पर, इनके आराम तलबी पर खर्च करें, यह समाजवाद व्यवस्था नहीं है।

इसके साथ साथ और निवेदन करना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी ने कल यहां फरमाया था कि दल-बदलना बुरी बात है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि दल-बदलना बुरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर किसी का हाथ रहा है या कोई पुराना गुनहगार है तो वह कांग्रेस दल ही है। कांग्रेस पार्टी ने गत तीन बार इस तरह से दल-बदल व्यवस्था द्वारा अपना शासन कायम किया....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैं दो मिनट में समाप्त करना चाहता हूं जब कांग्रेस को इस व्यवस्था से नुकसान होने लगा, राजस्थान में चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन अन्य प्रान्तों में जब इस व्यवस्था द्वारा कांग्रेस खत्म होने लगी तो कांग्रेस को सूझा है कि यह व्यवस्था बुरी है और उन्होंने कहा कि जसराज ने, तो इसलिए दल बदला क्योंकि इधर शिडयूल्ड कास्ट्स के लिए कोई कार्यक्रम या व्यवस्था नहीं है। अगर अनुसूचित जाति या जन जाति के लोगों को किसी से नुकसान हुआ है तो वह कांग्रेस के कारण ही हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने उन लोगों को खरीद कर, उनके राजनैतिक जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जनता में उनकी पेठ खतम कर दी है। अगर सबसे ज्यादा गुनहगार इन जातियों के लिए है या इन जातियों का नुकसान करने वाले हैं तो वह कांग्रेस ही है, सुखाडिया-जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने इन गरीब भोलेभाले अनपढ़ लोगों को लोभ लालच के बल पर खरीदकर, आज उनके राजनैतिक जीवन को हमेशा के लिए राजस्थान में खत्म कर दिया।

शिडयूल्ड कास्ट्स के कई मंत्री भी बने हैं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैंने दो मिनट के लिए कहा था, फिर आपने एक मिनट के बाद ही घंटी बजाना शुरू कर दी। आपने शिडयूल्ड कास्ट्स के दो सदस्य लिए हैं। मैं इनको भी हमेशा से कहता आया हूं कि कांग्रेस में जो ऊंची जाति के लोग हैं वे अपने आप को राज्य का मालिक समझते हैं और अनुसूचित व जन जाति के लोगों को हेय दृष्टि से और भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, उनको विधान सभा में पीछे बिठाते हैं, अच्छे विभाग नहीं देते, इससे बड़ा कोई भेदभाव का ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान और देश के सामने नहीं है। सुखाडियाजी ने कल कहा था कि राजस्थान में शिडयूल्ड कास्ट्स को खतरा है तो विरोधियों से ही है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है, उससे इन जातियों को नुक्सान हो रहा है सुखाडियाजी जब यह बात कहते हैं तो वह कतई गलत है। उन्होने शिडयूल्ड कास्ट के लोगों से पगचंपी कराई है, उनको दयनीय दृष्टि से देखा है। मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस में विधायक शिडयूल्ड कास्ट के सबसे पीछे बैठते हैं, शिडयूल्ड कास्ट के मंत्रियों को अच्छे विभाग नहीं, उनको भी पीछे बिठाते हैं......... ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

क्योंकि लगातार घंटी लग रही है, लांग रिंग हो गई, मैं यही कहता हूं कि जो यह मंत्री वेतन संशोधन विधेयक है, ऐसा कानून कभी भी पहले विधान सभा में नहीं बना होगा जिससे कि जनता की सहूलियतों को कट करके अपनी जेब में पेसा डाले। कोई भी चरित्रवान सरकार जिसमें जरा भी ईमानदारी का माद्दा है, वह सरकार इस तरह का कानून नहीं बना सकती, यह गलत है। इसलिए इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, जनता इसे देखेगी कि हमारे पैसे से इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदया, महाराणा प्रताप के समय में उनको अपनी आजादी की रक्षा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
के लिए क्या क्या करना पड़ा, यहां तक कि उनको अपने सुकुमार बच्चियों को सावा और मलीचे की रोटी खिलानी पड़ी। आज उससे भी अधिक खराब हालत है आज जरूरत थी कि हम सब त्याग की ओर बढ़ते लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक हर आदमी मांग करता है, पीछे की ओर कोई नहीं मुड़ता। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा संकल्प अपने लिए जाहिर करता हूं। वह संकल्प बहुत छोटा है लेकिन गिलहरी ने भी समुद्र में पुल बनाते समय कंकर डाली ही थी मैं यह संकल्प पेश करता हूं कि अब जो 4 वर्ष बाकी रहे हैं, उनमें मैं यात्रा के समय प्रथम श्रेणी में नहीं बैठूंगा और न ही उस श्रेणी का किराया लूंगा यदि और कभी बैठूंगा तो घर के खर्च से बैठूंगा, और विधान सभा से नहीं लूंगा।

श्री मूलचंद डागा: (पाली) : आपका सुझाव है....

श्रीमती सभानेत्री: उनको बोलने दें, डिस्टर्ब न करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता: मैं न तो त्याग कर रहा हूं न कोई एहसान कर रहा हूं त्याग इसलिए नहीं है कि विधान सभा का सदस्य बनने से पहले भी मैं तीसरी श्रेणी में जाता था और जब एम० एल० ए० से हटकर घर जाऊंगा तब भी तीसरी श्रेणी में जाऊंगा तो बीच में कौनसे पर लग गए जिनकी वजह से मैं प्रथम श्रेणी में जाऊं ? दूसरी बात यह है कि जितने भी मेरे मतदाता हैं वे मेरे मालिक हैं वे सब तृतीय श्रेणी में घूमते हैं तो मैं जो उनका चाकर हूं उसे क्या अधिकार है कि प्रथम श्रेणी में जावें।

दूसरा संकल्प यह है कि हम लोगों के लिए बिजली और पानी के शायद मीटर नहीं लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि औरों के चाहे न लगें, मेरे यहां मीटर लगा दें ताकि जितना खर्चा होगा, मैं हिसाब आते ही पैसा जमा कराता रहूं। इसमें मैं रियायत नहीं चाहता।

मैं तो सोच यह रहा था कि वहां जाकर बहुत कुछ कर सकूंगा, अधिकारियों की बड़ी फौज कम हो सकेगी, विकास खंड बन्द होंगे लेकिन बात दूसरी हुई। क्या कर रहे हैं अधिकारी लोग ?

काम करे रत्ति नहीं, पड़िया उड़ावे मौज,

भली बढ़ाई देश में, अधिकारियों की फौज।

क्या फौज खड़ी कर दी है? 232 विकास खंड बन्द करो, समाज कल्याण बंद करो और इतने सारे अधिकारियों को भर रखा है, उनको कम करो लेकिन जैसा बापू कहा करते थे कि जवाहर में और हम में एक फरक है। वह फरक क्या है? "गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज भले ही यहां रहे लेकिन अंग्रेजीयत चली जाय और जवाहर लालजी कहते थे कि अंग्रेजियत यहां रहे किन्तु अंग्रेज चले जायं"। हमारा नियम बना हुआ है साढ़े दस बजे खाना खाने का और शाम को साढ़े पांच बजे का। जब ड्यूटी पर आते थे तो खाकर आते थे और नौकरी से आने के बाद शाम को खाते थे। अब विदेशों की तरह लंच का समय रख लिया है। वे घर जाते हैं लंच के समय में, वैसे कई अधिकारियों के लिए लंच जरूरी है क्योंकि शाम को खाना नो बजे से पहले नहीं खा सकते हैं क्योंकि शराब पीने वाले शाम को जल्दी खाना कैसे खा सकते हैं। इसलिये बीच में लंच

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

की अवधि निकाल ली जिसमें दो घन्टे यों ही चले जाते हैं।

राजस्थान में मिनिस्टरों की फौज इकट्ठी कर ली। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं वित मंत्रीजी और सुखाड़िया साहब जो अभी यहां पर नहीं हैं वे खर्च की चिंता न करें और जितने अधिकारी हैं, राजस्थान के अन्दर उन सबको अपनी अपनी जीपों से व कारों से एक दिन यहां बुलवायें और राजा महाराजाओं के समय जिस प्रकार की सवारी निकलती थी, उसी प्रकार की सवारी निकलवायें तो मैं कहता हूं कि वह अजमेर तक पहुंचेगी। कितना धन का दुरुपयोग हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है–लाखों, करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है। जब आपको इसका भान आयगा तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो यह सोच रहा था, लेकिन यह मामला उल्टा हो गया। फौज बढ़ गई 36 मिनिस्टरों की—

चतुराई चोखी करी, या थें मोहनलाल।
दो दो गाया ऊपरे, एक एक धरयो गुवाल।

दो दो गौ माताएं हैं और एक एक ग्वाला है ये 35-36 मिनिस्टर बिराजे हुए हैं। आप अन्दाज लगायें, लड़के तक उनको याद नहीं रख सकते। उनके सामान्य ज्ञान एक विषय है, उसमें यदि यह प्रश्न पूछ लिया जाय कि राजस्थान मंत्रि-मण्डल में कितने मंत्री, कितने उप-मंत्री तथा कितने पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं तो उनको तो क्या शायद स्वयं सुखाड़ियाजी को भी मालूम नहीं है कि किस किस के पास क्या क्या पोर्ट-फोलियो हैं? फिर विदेश में जाकर ये दवा लेंगे। शान-शौकत से रहेंगे, कोई मिलने जायेगा तो अपनी शान शौकत दिखायेंगे। गांधीजी जब विलायत में गये तो कहा, कि मैं तो इसी पोशाक में आ सकता हूं, क्योंकि मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं। एक बार एक पेन्सिल का टुकड़ा भूल गई कहीं मनु गांधी, उनको दो मील जाना पड़ा कि ला उस पेन्सिल को क्योंकि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है। किसान की मेहनत के पैसों को जो चोटी से लेकर ऐडी तक पसीना बहाने पर मिलती है उसको हम यों ही उड़ा दें। मैं जब देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है। शायद वक्त आ सकता है कि इसी तरह से अगर मंत्रियों की गाड़ियां घूमती देखी और उनको जो कुछ सुविधायें दे रखी हैं, उसका दुरुपयोग हुआ तो हो सकता, मुझे अनशन करना पड़े। वे भी हमारे साथी हैं। हमारे घर के हैं। चाहे वे इधर की तरफ बैठने वाले हों और चाहे वे उधर की तरफ बैठने वाले हों। हैं हमारे भाई ही और भाई के नाते मेरा कर्तव्य है कि उनको ठीक करूं, और जो कुछ मुझ से हो सकता है मैं करूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंत्रि-मण्डल की तादाद कम करें। मेरी स्थिति तो हनुमान जैसी है, सीता ने हनुमान को एक कीमती कंठा दिया लेकिन हनुमान ने उसको तोड़-मरोड़ कर फेंक दिया और जब उनसे कारण पूछा गया तो कहा कि इस पर सीता राम नहीं है, 17 सूचि कार्यक्रम में नशा बन्दी नहीं है, इसलिये मैं आपके खिलाफ बगावत करूंगा। ऐसा मैंने हमारे साथियों से भी कहा था इस तरह 36 मिनिस्टर्स के मंत्रि-मण्डल का भी विरोध करता हूं। आज सुखाड़िया साहब की यह स्थिति है और वे दृढ़ता पूर्वक यह कह सकते हैं कि

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
मैं तो 12 से अधिक नहीं रखूंगा। अगर आपको स्वीकार नहीं है तो मैं मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं। आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है और स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ेगा। उससे सारे हिन्दुस्तान में उनकी वाह वाही होती। आज हिन्दुस्तान भर में इतना बड़ा मन्त्रि-मंडल कहीं भी नहीं है, जितना राजस्थान में है। यह पहला स्थान है, जहां इतना बड़ा मन्त्रि-मण्डल है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पुर-जोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं।

मंत्री लोग बीमार हो जायेंगे तो विलायत जायेंगे, विशेष सुविधायें मिलेंगी और जो लोग दल बदल कर गये हैं, उनके बारे में भी एक ही शब्द निवेदन करता हूं कि उनको मंत्री, उप-मंत्री और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी नहीं बनाते तो अच्छा होता। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे और भी साथियों को निवेदन करना है और यह लाल लाईट मुझे बराबर नजर आ रही है। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हुआ कि कृपा कर इसको जनता के पास प्रचार करने के लिये भेज दें। राम-राज्य था, उस समय राम ने केवल एक धोबी के कहने से सीता का त्याग कर दिया। 75 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाले इधर के बैठने वाले और 25 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाले उधर के बैठने वाले यह कहें कि हम भी इतना बड़ा मंत्रि-मण्डल नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर एक करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले ये कहें कि इतना बड़ा मंत्रि-मण्डल न बनायें और उस एक करोड़ आदमियों की आवाज को ये ठुकरायें यह बड़े ही खेद की बात है, सभापति महोदया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाइन्ट आफ आर्डर। गौ का नाम लेकर अपने आपको आदर्शवादी कब से बना लिया ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : जिस समय भी गौ का नाम लिया डागा साहब आपको....

श्रीमती सभानेत्री : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं ह ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपको गौ माता का नाम बुरा लगता है वह तो कामधेनु है। सबसे बड़ी गौ माता ही होती है। उससे आपकी क्या नाराजगी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गौ माता से नाराजगी है तो भैंस कह दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हां, तो मैं यह कह रहा था कि एक करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति यह कह रहे हैं कि इतना बड़ा मंत्रि-मण्डल न बनायें, लेकिन आज एक करोड़ जनता की आवाज ठुकराई जा रही है लेकिन इनको दोष देना व्यर्थ है। सत्य ही कहा है कि:– "सुन खगेश को अस जग मांही, प्रभुता पाई तांहि मद नांही" यह तो प्रभुता पाने के बाद मद आ ही जाता है। लेकिन जितना चरित्र आपका शुद्ध होगा उतना ही उन पर असर हो सकेगा। जितना एम० एल० एज० का चरित्र शुद्ध होगा उतना ही असर सब पर होने वाला है मुझे पीड़ा होती है जब माननीय सदस्य यहां नहीं विराजते हैं और लोबी में चले जाते हैं। राजस्थान के भिन्न-भिन्न

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
क्षेत्रों से आने वाले क्या कहते होंगे कि ऐसे विधायक हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं समझते हैं और एम० एल० एज० तो केवल २१ रु० का भत्ता उठाते हैं और ११ बजे से ५ बजे तक भी वहां नहीं बैठते। मुझे पीड़ा होती है, इसलिये कहा है। मुझे तो दोनों से ही शिकायत है चाहे वे इधर की तरफ बैठने वाले हों और चाहे उधर की तरफ बैठने वाले हों। मैं तो विरोधी पक्ष से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हमारा चरित्र शुद्ध होगा उतना ही शासन करने वाली पार्टी का होगा, उन पर अवश्य असर आयेगा। बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण !
(अनुपस्थित)
श्री विजयसिंह रावत : गायब

श्रीमती सभानेत्री : श्री सहदेव शर्मा !
(1 म० प०)

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 1968 पर मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

सभापति महोदया, आज देश की हालत को देखते हुए यह मेरा निश्चित मत हो गया है कि आज जिस तरह की बातें हो रही हैं वे प्रजातंत्र के लिये मखौल है, इस प्रकार की स्थिति में प्रजातंत्र चल नहीं सकता। प्रजातंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिये स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करना आवश्यक है।

सभापति महोदया, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुख्य मंत्री महोदय को अपने मंत्रि-मंडल के विस्तार का अधिकार है। इसके साथ साथ सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी को इसके लिये जनमत की ओर भी ध्यान रखना चाहिये। हम एक तरफ तो यह देखते हैं कि हमारे राजस्थान प्रान्त की स्थिति आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। राज्यपाल महोदय द्वारा एक बार तो यह घोषणा करवा देते हैं। अनार्थिक जोत पर भू-राजस्व समाप्त कर दिया जाय फिर जब उस पर अमल करने का सवाल आता है तो उससे मुकर जाते हैं। आज स्थिति यह है कि अनार्थिक जोत पर लगान लेने का आपने तय कर दिया है जब हालत आपकी ऐसी हो रही है तो उस स्थिति में आप किस प्रकार जस्टिफाई कर सकते हैं इन 36 सदस्यों के मंत्रि-मंडल को।

आज किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता उसके लिये कहा जाता है कि दो हजार रुपये दो तो हम कन्ट्रिब्यूटरी स्कीम लागू करें। आप विकास का कार्य धीमा कर सकते हैं लेकिन मंत्रियों की संख्या कम नहीं कर सकते। सभापति महोदया मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि किसान से अल्प बचत के नाम पर पांच रुपया दस रुपया मांगते हैं। इस प्रकार किसानों को मजबूर करना और दूसरी तरफ इतना बड़ा मन्त्रि-मंडल रखना कहां तक न्याय संगत है। सत्तारूढ़ दल इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है यह मैं नहीं समझ पाया। मुख्य मंत्री महोदय ने गैर कांग्रेसी सरकार के लिये भी कहा वहां क्या हो रहा है ? मैं सभापति महोदया आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं आप उत्तर प्रदेश की मिसाल ही अपने सामने रखें वहां के मुख्य मंत्री

(श्री सहदेव शर्मा)

श्री चरणसिंह ने अपनी आत्मा की पुकार के बाद थोड़ा सा अन्य घटकों से मतभेद होते ही त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कुरसी का ज्यादा मोह नहीं रखा, उन्होंने देश हित के आगे अपने दल और व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर नहीं समझा। मैं कांग्रेस दल के नेता महोदय से कहना चाहता हूं आपको चरण सिंहजी से सीख लेनी चाहिये। उन्होंने जो कुछ किया है वह राजस्थान के मुख्य मंत्री के लिये अनुकरणीय होनी चाहिये। मुख्यमंत्री महोदय को दिक्कतें महसूस होती हैं वे भले ही आत्मा के विरोध में कुछ न कर पाते हों लेकिन उनको चाहिये कि वे दल और अपने स्वार्थ को राष्ट्र से बड़ा न मानें। यहां पर मुख्य मंत्री नहीं हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं आपकी मार्फत····

श्री भवरलाल (हिण्डौन) : कोई भी मंत्री नहीं है।

श्री सहदेव शर्मा : आप व्यक्ति और दल से राष्ट्र के हित को ऊपर समझें·········

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जो बैठे हैं वे परिवार नियोजन मंत्री है।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया मेरा व्यवस्था का सवाल है। वह यह है कि आज मंत्रियों के वेतन संबन्धी बिल पर विचार विनिमय हो रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस हो रही हो और कोई भी मंत्री उपस्थित न हो यह उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस हो रही है केवल एक राज्य मंत्री बैठे हैं जिनको मिनिस्टर्स की श्रेणी में लिये जाने से संबन्धित विवाद हो रहा है तो मंत्री महोदय को उपस्थित रहना चाहिये······

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न समझ गयी अगर मंत्रीगण उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अक्लमन्द के लिये इशारा ही काफी है।

श्री सहदेव शर्मा : मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आपको चरणसिंह मंत्रि-मंडल का अनुकरण करना चाहिये। इसके साथ साथ मेरा निवेदन यह है मुख्य मंत्री भी यह महसूस करते होंगे कि जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था हमारे प्रान्त की चल रही है उसमें इतने बड़े मंत्रि-मंडल की आवश्यकता नहीं। मैं यह नहीं समझता मुख्य मंत्री जो इतनी प्रखर बुद्धि के हैं वे इस बात को न समझते हों। लेकिन आज उनके सामने मुख्य प्रश्न अपने दल का रह गया है वे राष्ट्र हित को इसके आगे गौण मानने लग गये हैं। कल उन्होंने अन्य प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों की भी बातें कहीं लेकिन मैं उनको केवल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री चरणसिंह की बात कहना चाहूंगा, वे अपने और अपने दल के हित के लिये कुरसी से चिपके नहीं रहे उन्होंने त्याग-पत्र देना मन्जूर किया लेकिन उन्होंने अपने सिद्धान्तों के विपरीत कार्य करना पसन्द नहीं किया। यदि आपके मुख्य मंत्री में भी यह हिम्मत हो तो वे भी त्याग-पत्र देकर बाहर आवें।

सभापति महोदया, आज हम किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वे अल्प बचत

(श्री सहदेव शर्मा)
योजना के नाम पर पैसा दें। आज हमारे पास योजनाओं की पूर्ति के लिये पैसा नहीं हैं हम किसान से जबरदस्ती अल्पबचत योजना के नाम पर दस बीस और सौ रुपये तक ले रहे हैं। वैसी हालत में आप मंत्रियों का इतना विस्तार करें जिससे राज कोष पर इतना बड़ा बोझ पड़े, यह उचित नहीं है। आप प्रजातंत्र में स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण नहीं करेंगे तो यह आप सच मानिये कि जनता के दिल में आज की सरकार के प्रति भरोसा रहने वाला नहीं। यह मानकर चलियें......

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): जनता का भरोसा है तभी तो आये हैं......

श्री सहदेव शर्मा: आप उपमंत्री हो गये नहीं तो आप भी छोड़ने वाले थे, यह तो मुझे पता है।

सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन था कि इस प्रकार की बातों से जनता मे आपके प्रति भरोसा कम होता जायगा और उसका परिणाम हम देख रहे है देश में एक प्रकार से निराशा का वातावरण उपस्थित हो रहा है।

सभापति महोदया, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा भरोसा खत्म हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिये हमारा काम चलने वाला नहीं। हम अकाल का मुकाबला कर सकते हैं, महामारी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यदि भरोसे की कमी आजाय तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जायगी। आज जिस प्रकार की स्थिति देश में चल रही है वह किसी से छिपी नहीं है। सभी मनोमन यह महसूस करते हैं कि जिस तरह की नीति आप अपना रहे हैं वह भ्रष्ट अधिनायकवाद के अलावा कुछ नहीं हो सकती।

मुख्य मंत्री फरमाते हैं कि हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या आपने 52 में इसकी आवश्यता नहीं समझी, 57 में नहीं समझी, 66 तक आवश्यकता नहीं थी। पहले कभी 24 सदस्यों से अधिक का मंत्रि मंडल नहीं बना, अब इसकी संख्या 35-36 तक पहुंच गई। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि क्या केरल में, क्या मद्रास में, सरकारें नहीं चल रही हैं। क्या आपके सामन 52 और 57 तक ये दिक्कतें नहीं आयी। आज उत्तर प्रदेश में 25-26 व्यक्तियों का मंत्रिमंडल हैं जबकि वहां सात आठ पार्टियों का मंत्रिमंडल है। आज आपको इतना बड़ा मंत्री मण्डल बनाने की क्यों आवश्यकता होती है जो आपने 35-36 मंत्री बनाये। और सभापति महोदया, इसमें प्रावधान है कि मन्त्री लोग विदेशों में इलाज करा सकेंगे, इसकी व्यवस्था होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के अधिकारीगण जो भी राज्य की सेवा करते हैं उनको क्यों नहीं यह अधिकार आपने दिया। वे भी आपसे ज्यादा सेवा करते हैं।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री, उप-मन्त्री पद की एक गरिमा है जिसे रखना सदन का काम है। इसके साथ ही मुख्य मन्त्रीजी का भी कर्तव्य है कि वे भी इसकी गरिमा को बनाये रक्खें। पर आज वे इसे इतना चीप, सस्ता बनाने जा रहे हैं इतनी

(श्री सहदेव शर्मा)
ज्यादा मात्रा में, कि उनके नाम याद रखना भी मुश्किल है कि कौनसा मन्त्री किस विभाग से सम्बन्धित है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी याद-दाश्त कमजोर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चेलेन्ज करता हूं। आप अपनी पूरी लिस्ट अभी भी सदन में खड़े होकर बोल दें। बता दें।

श्री सहदेव शर्मा : सभापति महोदया, इस बिल के क्लाज सात के तहत यह लिखा गया है इंगलैंड जाकर अपनी चिकित्सा करा सकेंगे, तो इसके लिये मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति से भी जाया जा सकता था। पर कम से कम इस विधेयक में तो शामिल नहीं करना चाहिये। होगा क्या इससे? अन्य सेवारत अधिकारियों में एक विषमता और जलन पैदा होगी। फिर सदन के सदस्य भी यह समझेंगे कि अगर वे मन्त्री बन जावेंगे तो यह विशेषाधिकार मिल जावेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।

आगे आपने दो महीने तक मन्त्री पद से अलग होने के बाद भी अपने बंगलों में रह सकेंगे वे इसका भी मैं विरोध करता हूं। ठीक है सुविधा मिलनी चाहिये। एकदम आप दूसरा बंगला भी नहीं ले सकने। पर आपको जो 250 का अलाउन्स मिलता है, वह जमा कराइये। पर आप तो तब भी सरकारी कोष पर रहना चाहते है। इसलिये मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि प्रजातन्त्र को अगर बनाये रखना है तो इसके लिये स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करिये। सत्तारूढ दल को अधिक सजग रहना चाहिये, इन परम्पराओं को बनाने के लिये। यदि इन परम्पराओं को नहीं निभावेंगे तो होगा यह कि देश में जो आज स्थिति उपस्थित हो रही है, वह प्रजातन्त्र पर सबसे बड़ा आघात का कारण बनेगी।

हो सकता है आज आप अपने बहुमत के जोर से निर्णय कर लें पर बहुमत ही सब कुछ नहीं होता। इसलिये इस संशोधन को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

श्रीमती सभानेत्री: श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ): माननीय सभानेत्रीजी, मैं इस सदन का ग्यारह साल से बराबर सदस्य होता आ रहा हूं, पर आज तक ऐसी बात इस सदन में नहीं आई जैसी आज इस बिल के रूप में सामने आई है। अगर सुखाड़ियाजी यह मन्त्रियों की फौज नहीं बढाते तो इस बिल की यहां आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

मैं पूछता हूं कि अगर कांग्रेस दल के लोग सुखाड़ियाजी में विश्वास रखते हैं तो साफ कह देना चाहिये कि हम तो बिना किसी प्रलोभन के आपके साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं। अगर आप लोगों की सच्ची भावना पार्टी के साथ है और सुखाड़ियाजी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो आप आज ही अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर इस बिल को वापिस ले लें भी और कह दें कि बिना किसी प्रलोभन के भी हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के सिद्धान्तों के साथ हैं।

एक माननीय सदस्य : फिर इन [XXX] को कुर्सियां कौन दें?

श्री नाथूलाल करोल : इस और उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य इस बिल का दिल से विरोध करते हैं। यहां न करते हों, पर अपनी पार्टी में बैठकर करते हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, सरकारी खजाने में उसका आप इस तरह से दुरुपयोग न करें। सरकार स्वयं आज आर्थिक संकट में है, उस संकट को आप और न बढ़ावें।

अगर आप अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो जो नये मन्त्री, उप-मन्त्री, राज्य मन्त्री, पालियामेन्टरी सेक्रेट्री आदि बने हैं, उनको एकदम हट जाना चाहिये। जो मई में सूची बनी थी, वे ही इस राज्य को चलाने के लिये काफी हो सकते हैं। मेरी यह मान्यता है।

आज जनता पर करों का बोझा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी हद नहीं, उसको आप और न बढावें। सरकार के पास राज चलाने के लिये पैसा नहीं, जनहित के कार्यों को करने के लिये बार बार कहती है अर्थाभाव के कारण से नहीं करा सकते तो फिर ऐसी हालत में दूसरी तरफ इस तरह की फौज बढाकर राज के कोष के पैसों का दुरुपयोग न करें।

मैं भी अपनी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। सूखे टुकड़े खाकर भी इसका साथ देने की भावना रखता हूं। आप भी अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो सूखे टुकड़े चबाकर भी इस राज को चलाने में मदद कर सकते हैं।

सभानेत्रीजी, एक तरफ राज के घाटे को पूरा करने के लिये सरकार कलेक्टरों के मार्फत जबर्दस्ती आदेश देकर स्माल सेविंग के जरिये पैसा इकट्ठा कर रही है। आज हर पटवारी पर बोझा लाद दिया गया है कि वह चार चार पांच पांच या दस दस हजार रुपया इकट्ठा करके जमा करावे स्माल सेविंग के द्वारा। जो जनता गत तीन सालों से अकालग्रस्त थी, उनसे जबर्दस्ती स्माल सेविंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, पर इसके बावजूद भी आप इस मन्त्रियों की फौज को कायम रखना चाह रहे हैं।

किसानों पर इसके साथ और भी बोझा इस साल बढ़ गया है। तकावी लोन जमा कराना पड़ रहा है, कोआपरेटिव का पैसा जमा कराना पड़ रहा है, कोई उन पर सीड या फर्टीलाइजर का पैसा बकाया है तो वह भी लिया जा रहा है और अगर दो तीन साल का लगान बकाया है तो वह भी जमा करने के लिये जोर दिया जा रहा है। आज काश्तकार हर तरफ से कोसा जा रहा है। एक तरफ काश्तकार को इस तरह से लूटा जा रहा है दूसरी तरफ उसकी उपज का बाजार डाउन होता जा रहा है। 15 पन्द्रह रुपया दस दस रुपया क्विन्टल के भाव गिर गये हैं अनाज में। इधर काश्तकार की उपज के भाव गिर गये और उधर उसकी जरुरत की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मीठा है, चांदी है, उसके दाम बढ़ते

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री नाथूलाल करोल)
जा रहे हैं। गत वर्ष से ये चीजें ज्यादा मंहगी हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): क्या आप यह चाहते हैं कि अनाज मंहगा होना चाहिये। अनाज के सस्ता होने से क्या आपकी पार्टी को तकलीफ है। लोग अनाज सस्ता चाहते हैं और आप सस्ता होने देना नहीं चाहते?

श्री विजयसिंह रावत : अनाज को मंहगा करना नहीं चाहते, पर किसान की जरुरत की चीजें सस्ती करवाना चाहते हैं। उनका आशय यह है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर): आप उनसे सस्ता खरीद कर अपने एजेन्टों के भण्डारों में जमा करना चाहते हैं।

(शोरगुल : कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य)

यह कोई आपने स्टेज समझ रक्खी है जहां से आप कुछ अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री विजयसिंह रावत : उनका आशय यह है कि किसानों को जो चीजें दी जाती हैं, वे भी सस्ती होनी चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : कृपया सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दवीदत्त गाड़िया : क्या कांग्रेस यह चाहती है कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य न मिले। जो कठोर श्रम करता है उसको उसके श्रम की कीमत कांग्रेस नहीं दिलाना चाहती?

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर): किसानों से मिल कर सस्ता खरीद कर बीच में खा जाते हैं, लोगों को महंगा देना चाहते हैं, उन बीच के एजेन्टों की नहीं चलेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे तो कांग्रेस में बैठे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज। मैं निवेदन करुंगी कि इस तरह का वाद-विवाद करके बोलने वाले के बीच में विघ्न न डालें।

श्री नाथूलाल करोल : तो सभानेत्रीजी, मेरा यह विचार नहीं है कि अनाज महंगा हो। पर किसान को भी उसकी जरुरत की चीजें सस्ती मिलनी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि अनाज एक रुपया का भले ही बीस सेर तुलाया जावे पर उसकी जरुरत की चीजें भी इसी अनुपात में सस्ती मिलनी चाहिये जैसी पहले मिलती थीं। अगर आप उसके खलिहान से एक एक रुपया का बीस किलो अनाज लेना चाहते हैं तो उसके स्थान पर उसकी जरुरत की चीजें उतनी ही सस्ती दी जावें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हां ठीक है यह।

श्री नाथूलाल करोल : गत वर्ष जब कि बाजरे का बाजार में भाव 65)-67) रुपया क्विन्टल था तब मीठे का भाव 125) और 140) क्विन्टल था पर आज बाजरा जब 55 रुपया क्विन्टल हो गया है तो वही गुड़ 200 और सवा दो सो रुपया क्विन्टल क्यों है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गुड़ की फसल आने वाली है।

श्री नाथूलाल करोल : वह तो आ चुकी, अब तो खत्म हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : आप रहेंगे तो गुड़ आवेगा ही नहीं बिल्कुल।

श्री नाथूलाल करोल : तो मेरे कहने का मतलब यह था और उन्होंने उल्टी बात समझ ली । इसलिए सभानेत्री महोदया, जो मंत्रियों की फौज बढी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह अपने आप ही हट जायें तो खर्चा भी कम हो जायेगा । यह जो बिल आया है, इसमें जो पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरीज की तनख्वाह का प्रॉवीजन रखा है वह बहुत ज्यादा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बजाय क्या 500 रुपये में काम नहीं चल सकता था । अगर वह टी० ए०, डी० ए० नहीं लें तो क्या उनका काम नहीं चल सकता था । अगर आप फील्ड वर्कर हैं और फील्ड में जाते हैं तो आप हमारी तरह ही घूमने के लिए जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन सुखाड़िया साहब की मर्जी । सुखाड़िया जी ने सोचा कि राज्य में अपनी फौज बना लें तो अपने हाथ मजबूत रहेंगे । अगर आप लोग चाहते तो आवश्यकता नहीं थी इतनी बड़ी मंत्रियों की फौज बढ़ाने की । तो सभानेत्री महोदया, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो मंत्री, उप-मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरीज बढे हैं, उनको अपने आप पीछे हट जाना चाहिए ।

अब मेरा एक नम्र निवेदन और है और वह यह है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर सभी जगह यह मामला चल रहा है । चाहे हरियाना को लें, चाहे उत्तर प्रदेश को लें, चाहे मध्य प्रदेश को लें, सब जगह इसी तरह से मंत्रियों की फौज बढी है । जहां विरोधी दल की सरकारें बनीं उनकी भी फौज बढ़ी और जहां कांग्रेस की बनीं वहां भी फौज बढ़ी है । लेकिन राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा बढ़ी । उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने मंत्री नहीं बने जितने कि हमारे राजस्थान में बने । हरियाना में क्या हुआ कि हरियाना में भी मंत्री ज्यादा बढ़े लेकिन इतने ज्यादा नहीं बने जितने कि यहां राजस्थान में बढ़े . . . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : 81 के हाउस में कितने मंत्री थे आपको पता है ।

श्री नाथूलाल करोल : मैंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : संसद के किसी सदस्य से आपके द्वारा पूछा जा सकता है या डाइरेक्ट पूछा जा सकता है । जो सीधे बात कर रहे हैं इसके लिए हमें आपत्ति है । यह संसदीय प्रणाली को भंग कर रहे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : समय हो गया । समाप्त करें ।

श्री नाथूलाल करोल : 36 के बजाय 46 मंत्री बनें तो इसका हमें कोई दुख नहीं लेकिन यह जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा । आज जनता कितनी परेशान है । अगर आप फील्ड वर्कर्स हैं और आप फील्ड में घूमेंगे तो आपको मालूम होगा कि जनता कितनी परेशान है । पुलिस स्टेशन का सब-इन्सपेक्टर और तहसील का तहसीलदार है, उसी को आज जनता सुखाड़ियाजी मानती है न कि मोहनलाल सुखाड़िया को । वहां मोहनलाल सुखाड़िया को कोई नहीं जानता वहां पुलिस सब-इन्सपेक्टर और तहसील में तहसीलदार ही को वह सुखाड़िया मानते

(श्री नाथूलाल करोल)

हैं । सब-इन्सपेक्टर और तहसीलदार के द्वारा जनता पीसी जा रही है । आपको मैं कह देता हूं कि जनता का कोई मालिक नहीं है । 36 मिनिस्टर्स बनाकर पैसे का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और उनको संभालने वाला नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट । मैं आपको कह देता हूं कि आज सही डेमोक्रेसी राजस्थान में नहीं है । समाजवादी समाज की रचना जो आप करना चाहते थे वह आज नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि 36 मिनिस्टर्स की फौज बना ली है तो आप जनता के लिए फील्ड में निकल जाइये और घूमते घूमते अगर जनता के कष्ट को अपनालें तब तो हम मानेंगे कि 36 जो बने उनकी सफल कमाई मिली । अतः मेरा निवेदन है कि यह जो मिनिस्टर्स सेलेरीज वाला है उसको पब्लिक ओपीनियन के लिए जरूर भेजा जाये और जो पब्लिक की ओपीनियन आये, उस पर फिर विचार किया जाये ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभापति महोदया, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी इस विधेयक के विषय में आपके द्वारा मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। सभानेत्री महोदया, यह बिल हमारे सामने क्यों लाया गया, इसके पीछे गहरा राज है । आपको सबको मालूम था कि, जब कांग्रेस सरकार बनी, 67 के आम चुनावों में जनता के द्वारा हार चुकी थी, जनता ने हरा दिया था लेकिन किसी भी कारण से सुखाड़िया जी ने अपने हथकन्डों से कहिये, या बाजीगरी से कहिये, या कलाबाजी से कहिये, या अन्य और किसी तरह से, अन्य किसी भी साधनों के द्वारा हमारे नौजवान भोले भाले सदस्यों को खरीदकर उनके ईमान को भ्रष्ट करके भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार या जो भी कहा जाये उतना ही कम है और उनको लेकर यह मंत्रिमण्डल बनाया । सभापति महोदया, जब मंत्रिमण्डल की संख्या बढ़ाली और विधान सभा के द्वारा इनके खर्चों के लिए, इनकी तनख्वाहों के लिए, इनके भोजनों के लिए, इनके अनेक प्रकार के साधनों के लिए यहां पर बिल पेश किया गया है । सभापति महोदया, अगर इस बात के लिए सोचा होता कि हम पैसे के अभाव में कैसे इतने मंत्री बनायें तो अच्छा था । श्री सुखाड़ियाजी जो कि अपनी सरकार और जनता के लिए इस प्रकार का विश्वास लेकर चलते थे कि वह दूध की नदियां बहा देंगे और गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटा देगें और अब सब योजनाओं को इस तरह से ठप्प करना पड़ा कि हमारे पास पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, पीने के पानी के लिए आज कम से कम 40 नगर-पालिकाओं के जल की योजना ठप्प पड़ी है, वह इसलिए कि इनके पास पैसा नहीं है । आज सर्विसेज के अन्दर जो कि 55 साल के अन्दर जिस प्रकार से कटौती की उसके लिए कहते हैं कि यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि पैसा नहीं है, कटौती इस बात के लिए की जा रही है कि इनके पास पैसा नहीं है। आज भी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को जिनकी सर्विसेज इतनी हो गयी हैं उनको भी निकाला जा रहा है। उनकी सर्विसेज 15-15 और 20-20 साल की हो गयी फिर भी आज उनको सर्विसेज से मुक्त किया जा रहा है । जिसकी मिसाल में आपको देत

(श्री श्रवणलाल)

हूं। अभी थोड़े दिनों ही पूर्व करीब 22 कर्मचारियों को जिनकी सर्विसेज 20 वर्ष से लगातार थी। किसी की दस साल की थी, किसी की 15 साल से थी और उसमें 5 साल से कम सर्विस वाला कोई नहीं था, उनको हटाया गया। इस प्रकार से एक तरफ तो हम कहते जायें और दूसरी तरफ फौज खड़ी करके उनको संरक्षण दें, तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे गावों के अन्दर पुरानी प्रथा के अन्दर एक सांड छोड़ा जाता था और वह सांड चाहे जहां चरता था और अगर वह किसी के खेत में चर रहा हो तो उसको किसी प्रकार से नहीं निकाला जाता था तो आज जनता के ऊपर हमारे राजस्थान की 2 करोड़ जनता के ऊपर यह 36 सांड छोड़ दिये गये हैं। इनको किसी प्रकार का काम नहीं है। आप स्टेट मिनिस्टर्स से पूछें कि उनके पास क्या काम है, पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरीज से पूछें कि उनके पास क्या काम है। इस राजस्थान के अन्दर उनको गाड़ियों की सुविधायें, टी० ए०, डी० ए० की सुविधायें दी हुई हैं और मस्ती से वह राजस्थान का दौरा करते हैं, सैरसपाटे करते हैं और डाक बंगलों में ऐशोआराम करते हैं। सभापति महोदया, हमने अखबारों में पढा था कि मंत्रियों को ऑफिस में बैठने के लिए जगह नहीं, उनके लिए काम करने को नहीं है, तो इस प्रकार से जनता के ऊपर यह 36 मंत्रियों का गठन करके जनता के टैक्स रूपी पैसे को जो कि किसान और मजदूर पैसा मेहनत से कमाता है, आज उस पैसे का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहले भी इस बात के लिये काफी चर्चा हुई थी इस सदन में कि किसान से जो लगान माफ किया जा रहा था वह वसूल किया गया और उनसे अल्प बचत के नाम से अलग पैसा वसूल किया गया। वह किस बात के लिये वसूल किया गया? अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिये। इनके खरीदे हुए आदमियों का जो मंत्रिमंडल है उसके ऐशोआराम के लिये। किसान का लगान अगर 10 रुपया है तो एक रुपया और उससे अल्प बचत के नाम से लिया गया। यह अल्प बचत का रुपया उस गरीब किसान से लिया गया जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। उस गरीब मजदूर से लिया गया जो मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है। मंत्री बनाये गये राज्य मंत्री बनाये गये, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी बनाये गये और इन लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई। और अब तो इनका इलाज भी फोरेन में होगा जैसे हमारे प्रदेश में या हिन्दुस्तान में उनके लिये डॉक्टर हैं ही नहीं।

मैं पूछना चाहता हूं इन मंत्रियों से कि मंत्री बनने से पहले उन्होंने कभी अपना इलाज गांव से आकर कभी सवाई मानसिंह अस्पताल में भी करवाया था? आप देशी दवाओं से और जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज गांव में ही करवा लेते थे। लेकिन आज सुखाड़ियाजी की महरबानी होने की वजह से उनको पंख लग गये हैं। और ये पंख इनको यहां पर ही नहीं हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर फोरेन ले जा रहे हैं। इस तरह से जनता से टैक्स के रूप में वसूल किये हुए पैसे का दुरुपयोग होता है।

सभापति महोदया, इन मंत्रियों को सोचना चाहिये कि आज जब पैसे का अभाव है, अकाल की छाया राजस्थान में हमेशा

(श्री श्रवणलाल)

पड़ती रहती हैं, तब इनको पैसे की बचत करनी चाहिये । लेकिन होता क्या है ? जिस राज्य में सन् 1962 में 9 मंत्रियों से काम चलता था, उस समय 9 मंत्री यहां काम कर रहे थे, आज वहां 36 मंत्री बन गये हैं । क्या जब 9 मंत्री थे तब काम नहीं चलता था ? बड़े आराम से काम चलता था और जनता को कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन सुखाड़ियाजी ने सोचा कि यदि मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारी पोजीशन खतरे में पड़ जाती है और हमारी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी । तो अपनी कुर्सियों को सलामत रखने के लिये, जनता की आवाज को ठुकरा कर, जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो-आराम में खर्च करने के लिये और मौज उड़ाने के लिये यह बिल लाया गया है ।

सभापति महोदया, इसके साथ साथ जब मंत्री या उप-मंत्री दौरे पर जाते हैं, तो उसका खर्चा अलग होता है । मेरा तो यह अनुभव है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी अभी अभी एक नये उप-मंत्री बने हैं और उनका हफ्ते में कम से कम तीन बार दौरा बनता है । जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होता है । एक सरकारी अधिकारी 750 या 1,100 रुपये तनख्वाह लेता है वह कम से कम दिन में बैठकर सात आठ घंटे काम तो करता है। लेकिन ये मंत्री और उप-मंत्री 750 और 1,100 रुपये लेते हुए भी कभी बैठकर आठ घंटे काम नहीं करते । कभी आठ घंटे बैठकर जनता के दुख और तकलीफ को दूर नहीं करते ।

आज कभी भी आप किसी मंत्री से मिलने जायें तो जवाब मिलेगा कि दौरे पर गये हुए हैं । पूछो कब आयेंगे तो जवाब मिलेगा कि पता नहीं । तो इस प्रकार की जनता के अन्दर भी धारणा बन गई है । इसके अलावा, आज जहां भी कोई मंत्री या उप-मंत्री जाता है, वहां के एस० डी० ओ०, वहां के पुलिस के अधिकारी और वहां के और ऑफिसरों को पहले ही इत्तिला मिल जाती है कि मंत्री महोदय पधारने वाले हैं और वे लोग अपना काम छोड़कर मिनिस्टरों के पीछे पीछे फिरते हैं । एस० डी० ओ० अपना कोर्ट का काम छोड़ देता है, और गरीब किसान जो अपना उत्पादन का काम छोड़कर कोर्ट में हाजिर होता है, एक गरीब मजदूर जो अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर कोर्ट में हाजिर होता है, उनका दिन भर खराब होता है और उनके लिये तारीखें पड़ती रहती हैं । तहसीलदार अपनी कोर्ट को बन्द कर देता है और पुलिस अधिकारी अपना काम छोड़कर मंत्रियों के पीछे पीछे फिरते हैं कि कहीं मंत्रीजी नाराज होकर हमारा ट्रान्स्फर न करवादें ।

सभापति महोदया, अगर इस प्रकार के खर्चों का अन्दाज लगाया जाय, इन लोगों का टी० ए० का खर्चा, मोटर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बंगलों और गार्डन्स का खर्चा और बिजली पानी का खर्चा, इन सबका अन्दाज लगाया जाये, तो बहुत ज्यादा हो जाता है । इसके अलावा इनको एक फैसिलिटी और दे रखी है, मंत्रियों को तो दे रखी है, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स को दी है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम, वह फैसिलिटी क्या है कि ये चाहें तो इनको मिले हुए बंगले के लिये कह सकते हैं कि यह हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, इसमें ये ये और बढ़ाया जाये ? तो इस तरह वे अपने बंगले के अन्दर एक नया मकान खड़ा कर सकते हैं । इस तरह का भी प्रावधान है ।

(श्री श्रवण लाल)

सभापति महोदया, जिन लोगों ने हमारी पार्टी के अन्दर रहते हुए जनता के सामने माणक चौक पर जयपुर में शपथ ली थी कि हम अपनी ईमानदार सरकार बनायेंगे और जनता की सेवा करेंगे, वे भी इस प्रकार बिके हैं, तो आज जनता का भी उनके प्रति विश्वास उठ गया है। डेढ़ लाख के समूह के सामने जिन लोगों ने प्रतिज्ञान किया था और जिनके लिये लोगों में प्रतिष्ठा बनी थी, आज उनके लिये जनता में विपरीत धारणा है। इसलिये यह बिल जो आज यहां लाया गया है उसको केंसिल करना चाहिये, नहीं रखना चाहिये। इससे मंत्रियों की यह फौज निराश अवश्य होगी और उनके निराश होने से मंत्रि-मंडल भंग भी हो सकता है, लेकिन आप चिन्ता क्यों करते हैं। दूसरी जगहों पर भी मंत्रि-मंडल भंग हुए हैं। आप भी चरणसिंह बनिये। चरणसिंह ने कई बार इस्तीफा पेश किया, आप कम से कम एक बार तो कीजिये। आप कह दीजिये कि मैं 12 आदमियों से अधिक का मंत्रि-मंडल नहीं बनाऊंगा। अगर आपको कोई इसमें कठिनाई आई तो हम आपको अपना सहयोग देने को तैयार हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा इस बिल को जनमत जानने हेतु भेजने के लिये सदन से अपील करता हूं। मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ताकि हमें मालूम पड़ सके कि इस बिल के बारे में जनता की क्या राय है, जनता का क्या डिसीजन है? जब तक जनता की राय न आ जाये, जनता का डिसीजन न आ जाय तब तक इस बिल को पास नहीं किया जाये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): सभानेत्री महोदया, मेरा भी प्रस्ताव इसी प्रकार का है कि इस महत्वपूर्ण बिल को जनता की जानकारी के लिए, जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। 15 अगस्त, सन् 1947 से पूर्व यह कांग्रेस संस्था एक प्रकार की बड़ी ही लोकप्रिय और सेवाभावी थी, मगर ज्यों ज्यों इनको सत्ता का लोभ बढ़ता गया, इनके अन्दर एक लालच की ऐसी भावना जागरूक हो गई कि जिसको दवाना बड़ा कठिन हो गया। आप तो देख ही रहे हैं कि आज मंत्रि-मंडल किन आधारों पर बनाया जाता है, और यह मंत्रि-मंडल बनाने का श्रेय किसको है? ये लोग उन पुराने नेताओं के बलिदानों को भूल गये, जैसे चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगतसिंह और बड़े-बड़े जैसे महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस जिन्होंने अपनी जिन्दगी इस देश को आजाद कराने में लगा दी, मगर आज उन्हीं की आहूति से ये फायदा उठाकर जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। सभानेत्री महोदया इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और ★×× चाहिये....

श्री रामकिशन (बैर): पानी कहां है सदन में?

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य अनपार्लियामेन्ट्री शब्दों जैसे ★××× का प्रयोग न करें।

★ अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री रामकिशन : ★ XXX

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): ★ XXX

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, में आपको यह चेतावनी देती हूं कि ये शब्द प्रयोग न करें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री): सभानेत्री महोदया, कृपया इन शब्दों को हाउस की प्रोसीडिंग में से एक्सपन्ज किया जाने के आदेश प्रदान किये जायं।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? वे जवाब दे रहे हैं उनको बोलने दें।

श्री विजयसिंह रावत : ★ XXX

श्री केशरीसिंह हाड़ा : ★ XXX

श्रीमती सभानेत्री : आप इस प्रोसीडिंग में से इन शब्दों को और बातचीत को निकाल दें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बिल्कुल निकाल दें, सभापति महोदया, लेकिन कहना पड़ता है, कि जो मंत्री आज बैठे हुए हैं मेरे सामने इनको में पुराने जमाने से जानता हूं और ये बड़े लालायित थे मंत्री बनने के लिए 15 साल से कि यहां चरने के लिये मैदान और खाने पीने के लिए मौज मिल जायगी। सभानेत्री महोदया, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की ओछी बात करते हैं, और इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं। और आज जो इस विधेयक के अन्दर मंत्रि-मंडल की यह बड़ी भारी फौज इकठ्ठी की गई है तो इसके पीछे बड़ा भारी षडयन्त्र रहा है। इन लोगों ने खरीद-फरोख्त की है, इन लोगों को लोभ और लालच दिया गया है। सभा-नेत्री महोदया, यह इनका आज का काम नहीं है यह सन् 52 से चला आ रहा है। उसके अन्दर देवली के सदस्य थे उनको 15 हजार रुपयों में खरीदा गया और उन्होंने आकर बहुमत बनाया। सन् 52 का जिक्र में कर रहा हूं। फिर 62 में इन लोगों ने इस प्रकार खरीद-फरोख्त करके अपना मंत्रि-मंडल बनाया और 67 के अन्दर भी वही प्रणाली जारी रही, मगर 67 में, सभानेत्री महोदया, हद कर गये ये लोग, एक कमाल बतला गये, एक जगलिंग कर गये, एक जादू का नमूना बता दिया। एक मंत्री महोदय तो ऐसे हैं जिनको न लिखना-पढ़ना आता है और जो बिल्कुल अंगूठा छाप कहला सकते हैं इस माफिक मंत्री पद दिया गया है। यह सरासर जनता के धन का दुरुपयोग नहीं है? यही लोग जनता से टैक्स के जरिये, लगान के जरिये, पिलाई के जरिये, खुशहाली के जरिये अनेक प्रकार से करों को वसूल करके नाजायज तौर से अपने उपयोग में लाते हैं।

सभानेत्री महोदया, खास बात यह है कि यह जो लोग गरीब होते हैं, जब मंत्री पद पर नहीं होते हैं सामान्य एम० एल० ए० भी नहीं होते हैं तो अपना ये कैसे इलाज करवाते हैं, घर का धन्धा कैसे चलाते होंगे? क्या ये मर जाते हैं? क्या इनके बाल बच्चे नहीं होते

★ अध्यक्ष—पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

होंगे? क्या होता है कि आज मंत्री बनते ही, आज इन कुर्सियों पर बैठने ही इनको बड़ी बड़ी सुविधाएं याद आजाती हैं। इनको वातानुकूलित भवन याद आ जाता है इनको मोटरें याद आ जाती हैं, इनको प्लाटून द्वारा गार्ड ऑफ आनर याद आ जाता है, सिपाही याद आ जाते हैं सलाम लेना तो इनको आता नहीं है और सलाम लेने लग जाते हैं। यह एक मखोल है, प्रजातन्त्र का सरासर ढकोसला करते हैं। मंत्री ऐसे हों जो कि वास्तव में अपने पद के उपयुक्त हों। ऐसे—वैसे व्यक्तियों को इस पद पर रखकर जनता का क्या फायदा होने वाला है?

फिर सभानेत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं तो दौरे के अन्दर ये क्या कार्य करते हैं? क्या कभी किसी मंत्री ने अपने दौरे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी कि मैंने अपने दौरे में यह किया, मैंने यह त्रुटियां देखीं, और यह होना चाहिए? नहीं किसी ने इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया। कभी इस प्रकार की बात नहीं होती। दौरा करते हैं तो कलेक्टर, एस० डी० एम०, 10-10 जीपें, पुलिसवान में सिपाही, थानेदार, डी०वाई० एस० पी०, इत्यादि उनके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। उनको क्या अपनी मौत से इतना डर लगता है? क्यों डरें? क्या ऐसा बुरा काम करते हैं? मैं तो नहीं डरता हूं और भी कई माननीय सदस्य नहीं डरते हैं। सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाते होंगे। नहीं जाते हैं तो जाना चाहिये। अगर वे जाते हैं और नहीं डरते हैं······

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): ऐसे कौनसे मंत्री हैं?

श्री केशरीसिंह हाड़ा: माननीय राजस्व मंत्री, श्री बृजसुन्दर शर्मा। 15 जनवरी को ये दौरे पर गये तो 10 जीपें इनके साथ थीं। एक पुलिस की वान थी। (शेम, शेम) जिसमें सिपाही थे। और आप से निवेदन करूं कि राज्य का काम रत्ती भर नहीं करते हैं। ये लोग अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, कांग्रेस का प्रचार करते हैं, और मैं आपको उनका एक पैम्फलेट बतलाता हूं (पैम्फलेट दिखाकर) इन लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार किया है। कांग्रेस के झण्डे के नीचे आम किसान सम्मेलन के नाम से जाते हैं और वहां पर लोगों को मनमाने आश्वासन दे आते हैं और आश्वासन कभी पूरे होते नहीं। जनता की लालसा बढ़ जाती है और भत्ते क्या गवर्नमेंट के कर्मचारी, क्या मंत्री, इतना बना देते हैं कि जनता बेचारी टैक्स देते देते परेशान हो जाती है।

सभानेत्री महोदया, मैं और मंत्रियों के लिए भी कह सकता हूं, मगर मैं अपने जिले के राजस्व मंत्री जो कि इस बात में आजकल काफी दिलचस्पी ले रहे हैं उनके बारे में कहूंगा कि वे काफी सम्मेलन कर रहे हैं, इतने कि उन्होंने 15 साल में नहीं किये होंगे। उनको एक भय प्रतीत हो रहा है, और इसी भय के कारण वे अपने खुद के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में घूमा करते हैं, और बड़े बड़े सम्मेलन कांग्रेस के तत्त्वावधान में आयोजन करते हैं, और उसके साथ साथ जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है वह भत्ते के रूप में प्राप्त करते हैं।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को जब भी कभी मंत्री अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में होने वाले सम्मेलन में जायं तो उनके साथ इतना बड़ा लवाजमा

(श्री केशरीसिंह हाडा)

नहीं जाना चाहिए। इसका जनतान्त्रिक प्रणाली के अन्दर मैं तो विरोध करता हूं, और मैं चाहूंगा कि और भी इस बात को मान्यता दें कि इस तरह का एक बड़ा काफिला लेकर जायें तो वह ठीक नहीं है। अगर इनको जान का खतरा है, और यह, वह समझते हैं तो जनता उनको वे इस योग्य नहीं समझती है कि वह जीवित रहे तो अवश्य एक गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए ले जा सकते हैं। मगर इतनी बड़ी फौज नहीं जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभानेत्री महोदया मैं आपसे निवेदन करूं कि गत बजट के अंदर भी इस सरकार का जो मौजूदा मंत्रि-मंडल है उसके लिये काफी रकम मंजूर करवाई है। वेतन के मद में 4,97,870, और 67-68 में अनुमानित व्यय 5,21,550 रु० रखे हैं। कर्मचारियों के लिये 3,01,600 रु० भत्ते के लिये, 1,23,500 रु० यात्रा के लिये, 22508 भवन किराये के लिये, 41,000 और चिकित्सा के लिये 36,000 अन्य भत्तों के लिये 1,15,000 और टेलीफोन के लिये सभानेत्री महोदया, 3 लाख रुपये इन्होंने मंजूर किये हैं। और सभानेत्री महोदया, इन्होंने 15,000 रुपये हवाई जहाज चार्टर करने के लिये रखे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हवाई जहाज चार्टर करके गये बिना इनको आनन्द पूरा नहीं होता। मैं एक मंत्री के बारे में बताना चाहता हूं उन्होंने जयपुर से आगरा के लिये हवाई जहाज चार्टर किया और भरतपुर गये और वहां पर एक एम० एल० ए० को फुसलाने की कोशिश की (शेम शेम) मैंने इस प्रकार का प्रश्न भी दिया है वह अब तक आया नहीं है उसके आने पर जानकारी होगी कि हवाई जहाज का व्यय किसलिये रखा है।

सभापति महोदया इन लोगों ने अपने इलाज के लिये एक बहुत बड़ी सुविधा मांगी है। ये अपना इलाज राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में कराना चाहते हैं। सभानेत्री महोदया, वह इलाज इनके शरीर का नहीं होगा बल्कि इनके मस्तिष्क का होगा। वहां जाकर वे सुरासुन्दरी में घूमना चाहते हैं, आमोद-प्रमोद करना चाहते हैं। अपने यहां भी बड़े बड़े इलाज करने वाले हैं। यदि ये मंत्री नहीं होते तो क्या ये विलायत में जाकर इलाज करा सकते थे जबकि वे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज कराने की क्षमता नहीं रखते थे लेकिन आज वे विलायत में जाकर इलाज कराने की सुविधा चाहते हैं। अपने राज्य में और हिन्दुस्तान में इलाज की काफी सुविधा है लेकिन ये विदेश यात्रा करना चाहते हैं इसलिये इन्होंने यह प्रावधान रखा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल एक महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इस पर सदन की और जनता की राय जानना अति आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि इस बिल को जनता की जानकारी के लिये तीन महीनों के लिये प्रसारित किया जाय और जब तक उनकी जानकारी न आवे, उनके मत प्राप्त न हों, उनकी आज्ञा न हो तब तक इस बिल को पारित नहीं किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मूलचन्द डागा।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 को प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विमर्श

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभानेत्री महोदया, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस

(श्री मूलचन्द डागा)

बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैंने यहां पर सारे भाषण सुने। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दार्शनिक लोग अपने आदर्शवाद की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं सका कि यह कोई उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे आध्यात्मिक लोगों का सम्मेलन हुआ हो वहां पर भाषण दे रहे हों। सवाल यह था कि राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं की समीक्षा करना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं। आप जब अपने प्रयत्नों में पराजित हो गये तब यही रास्ता था इस प्रकार के भाषण देना। जो राजनैतिक फील्ड में होता है उसे राजनीति में राज्य करना है, वह केवल मोरटर या दार्शनिक बनकर या अध्यात्मवाद के भाषण देकर नहीं रह सकता। इस प्रकार के भाषण तो केवल चौपड़पर या गांवों में दिये जा सकते हैं। यहां राज्य चलाना है! मोडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट चलाना है उस समय इस प्रकार के भाषण देकर संविधान को अलग रख दें तो इससे काम नहीं चल सकता। एक दफा हिन्दुस्तान में इस प्रकार की हवा चली कि कांग्रेस को हटा दो, देश को बचाओ। मैं समझता हूं इससे क्या हुआ, सारे देश की हालत खराब हो गई। देश में अराजकता आ गई। एस० एस० पी० के मंत्री ने कोर्ट का कहना नहीं माना, अदालत की इन्सल्ट की····

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): कौनसा मंत्री था?

श्री मूलचन्द डागा: दिल्ली में एस० एस० पी० के मंत्री ने·········

श्री नत्थीसिंह: उसने राष्ट्र का सम्मान ऊंचा किया। आप जैसे बुजदिलों में जान फूंकी।

श्री मूलचन्द डागा: वहां के मिनिस्टरों ने भाषण दिया, बंगाल बंद होना चाहिये, धारा 144 तोड़ी, अराजकता फैलाई··

श्री नत्थीसिंह: जयपुर में तुम्हारा राज्य रखने के लिये गोली चली क्या उस समय अराजकता नहीं थी?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उसकी जिम्मेदारी आप पर है।

श्री मूलचन्द डागा: पंजाब में और दूसरी जगह क्या हुआ लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने स्टेबल गवर्नमेन्ट दी।

श्री नत्थीसिंह: वह तो पहले ही चली गई..

श्रीमती सभानेत्री: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि ये बोल रहे हैं इनको बोलने का मौका दें। जब आप बोल रहे थे तो ये सुनते रहे। मैंने जो निवेदन किया है उस पर उचित ध्यान दें।

श्री मूलचन्द डागा: कांग्रेस राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेन्ट दे सकती है। उस समय यह बात किसी ने नहीं कही कि राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें कांग्रेस ने स्टेबल गवर्नमेन्ट दी। जहां पर संविद की सरकारें बनीं वहां पर उनका सारा पैसा बनाने-बिगाडने में गया और कोई योजना नहीं बनी, जनता की भलाई के लिये कोई काम नहीं हुआ। कभी अंदर आये, कभी बाहर चले गये, अराजकता फैलाई और अशान्ति फैलाई और आज राष्ट्रध्वज जैसी पवित्र चीज का अपमान

Page No. 78

(श्री मूलचन्द डागा)

कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संविद सरकारें या गैर कांग्रेसी सरकारें देश को आगे नहीं बढ़ा सकतीं। कांग्रेस ने ही देश को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं राजस्थान में कांग्रेस की ऐसी सरकार बनी जो स्टेबल है। हमारे नेता ने हिम्मत के साथ कहा है कि राजस्थान सरकार स्टेबल रहेगी और एफिशियेन्ट रहेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि राज्य चलाने के लिये हमारे राजनीतिज्ञों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। यह सवाल नहीं था कि हमने कितने लोगों को लिया, कितनों को नहीं। सवाल यह था कि गवर्नमेंन्ट को स्टेबल बनाने के लिये किन चीजों की आवश्यकता है। संविधान यह साफ कहता है, स्थिति का तकाजा है, समय का तकाजा है उसका यहां के राजनीतिज्ञों के दिमाग में नक्शा था कि इस प्रकार का स्टेबल राज्य बनाने के लिये कितने मिनिस्टरों की आवश्यकता है उतने ही मिनिस्टर रखें·········

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल,जयपुर): यह संविधान में साफ है, जब तक आप जैसे XXX रहेंगे········

श्रीमती सभानेत्री: मैं आपके इन शब्दों पर ऑब्जेक्शन करती हूं XXX शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): हम इसका सख्त विरोध करते हैं आप हमको दबाना चाहती हैं।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(2 म० प०)

श्रीमती सभानेत्री : मैं बार बार निवेदन कर चुकी हूं कि आप अपनी शोभा के लायक शब्दों का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे शब्दों से शोभा नहीं बढ़ती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सदस्यों के बीच में आकर सदन में नई परम्परा पैदा कर रही हैं वह शोभनीय नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): यह आसन के लिए शोभा नहीं देता है।

श्रीमती सभानेत्री : आप आसन के साथ में अदब के साथ बात करें।

श्री विजयसिंह रावत : मैं अदब के साथ बात कर रहा हूं आप बार बार······

श्रीमती सभानेत्री : आप आसन ग्रहण करें। अदब के साथ बात करें आसन से। आरम्भ रखें, माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का सवाल है····

श्री मूलचन्द डागा : सभानेत्री जी, मैं इनके दर्द को जानता हूं। किसी को होम मिनिस्टर बनाने का आश्वासन था। कोई चीफ मिनिस्टर बनने वाला था····

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है, सभापति महोदया !

श्री मूलचन्द डागा : आप समाज कल्याण मंत्री बनने वाले थे। यह सारे रह गये इसलिये इतने आक्रोश से बोल रहे हैं···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप उधर कंट्रोल नहीं कर सकतीं, सभापति महोदया। मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अभी अभी आपने आसन से एक सम्माननीय सदस्य को इस बात का आदेश दिया कि वह, क्या शब्द था, तहजीब से बोलें•••

श्री नत्थीसिंह : अदब से बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। रिजेक्ट किया जाय !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप नहीं रोक सकते। मेरा व्यवस्था का सवाल सुनें तो।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : हाउस में क्या शब्द कहा है, यह ही आपको पता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! व्यवस्था का प्रश्न रखने दें, मैं उसका उत्तर दे दूंगी। आप बीच में नहीं बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : व्यवस्था का प्रश्न तो हो।

श्रीमती सभानेत्री : मैं देख लूंगी कि है या नहीं। आप कहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके मायने यह हैं कि जब मैं कोई व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं और बीच में इन्टर-फिअरेन्स हुआ तो आसन की तरफ से उनको जिन शब्दों के साथ आश्वस्त किया गया कि मैं जवाब दे दूंगी, आप बैठ जाइये। तब वह बैठ गये। इससे मैं समझता हूं कि मेरा जो व्यवस्था का सवाल है उसका क्या नतीजा होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आसन सदस्य और सदस्यों के बीच में भेद न करे। मैं आसन से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आसन मर्यादा कायम रखना चाहता है तो वह सदस्यों का अपमान न करे। तहजीब से बैठो, तहजीब से बोलो–इस प्रकार के शब्द सुनने के हम आदी नहीं हैं। मैं निहायत नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा को कायम रखने का हमारा कर्त्तव्य है और आपका भी कर्त्तव्य है, तो सब मिल कर सदन की मर्यादा कायम रखेंगे तब तो व्यवस्था कायम रह सकती है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं व्यवस्था दे देती हूं। मैं सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। इस सदन के सारे सदस्य बराबर हैं और सब माननीय सदस्य सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जो माननीय सदस्य अनपार्लियामेन्ट्री शब्द बोल देते हैं तो उनको रोकना आसन का फर्ज है। मैं बड़े अदब के साथ नम्र निवेदन करती हूं और उस पर भी नहीं मानते हैं तो उनको जोर से बोल कर रोकना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे शब्द न कहें जिससे आसन को बीच में रोकना पड़े।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अभद्र व्यवहार न करें।

एक माननीय सदस्य : शब्द वापिस ले लिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कान्स्टीट्यूशन का, संविधान का जो अनुच्छेद पढ़ रहा था वह यह है—

The Constitution does not lay down the number of members of the Council Ministers.........

मैं यह कह रहा था कि कान्स्टीट्यूशन में, संविधान में रह कर जो समय और स्थिति का तकाजा था, उस समय जो काम नेता ने किया और राजस्थान को एक एफीसियेन्ट और स्टेबल गवर्नमेंट दी, उसके लिए राजस्थान के सब लोगों को उनका आभार मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस प्रकार गवर्नमेंट कायम रखी। क्या आप यह चाहते हैं कि जगह जगह पर बार बार चुनाव हों ? तो मैं एक बात जो कह रहा था, उसके अन्दर यह कह रहा था कि आखिर सेक्रेट्रीज का क्या स्थान है। आपके सतीशचन्द्रजी कल कह रहे थे, मैंने उस समय उनसे कहा था कि केबिनेट के अन्दर तीन तरह के मिनिस्टरों का जिक्र किया गया है। उसके लिए मैं आपको सुना देता हूँ....

एक माननीय सदस्य : चार तरह के।

श्री मूलचन्द डागा : "Council is composed of three classes of Ministers namely Cabinet Minister, Minister of State and Dy. Minister. Besides Minister of Parliament of the Union have been appointed to assist in the Parliamentary affairs."

तो यह जो संविधान की मन्शा थी, उस संविधान की मन्शा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। तो यह कान्स्टीट्यूशनल जो पाइन्ट उठाया गया था यह कहां पर है ? मैं कहता हूं कि नेता का यह हक था। नेता का यह विचार था कि उसको किसी प्रकार गवर्नमेन्ट बनानी चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी उसके आगे और बढ़ जाती है। आप यह मत समझिये कि गली में चलने वाले आदमी को मिनिस्टर नहीं बना सकते। मैं आपको बता दूं कि गली में चलने वाले को, मिडिल क्लास से किसी को लेकर इन्होंने मिनिस्टर बना कर उसके स्तर को बढ़ाया है। यह हमें मानना पड़ेगा। गली में चलने वाले थे, जो छोटी जाति के लोग थे उनको पदोन्नति देकर मंत्री पद पर बैठा कर उन पर जिम्मेदारी डाली तो यह उनको आगे बढ़ाने वाली बात थी। यह जरूरी नहीं है कि उसमें काबलियत देखी जाय क्योंकि जब जिम्मेदारी आती है तो काबलियत अपने आप आदमी में आ जाती है। जिम्मेदारी के साथ में काबलियत आ जाती है।

एक सवाल था जसराज के मामले में, जिसको यहां पर कह कर बड़ा हा हूं किया गया, और बड़ा एक स्टन्ट बनाया गया और न जाने उसका क्या नक्शा और तस्वीर यहां पेश की गई। मैं समझता हूं कि हम लोग यहां बैठते हैं तो यहां पर राजनीतिज्ञ की हैसियत से, पॉलिटिशियन की हैसियत से बैठते हैं और यहां आदर्शवादी, आध्यात्मिक और दार्शनिक बन कर, नैतिकता का उद्देश्य लेकर नहीं बैठते हैं। सवाल यह था कि जब उन्होंने अपना नोमीनेशन पेपर फाइल किया, तो उस नामीनेशन पेपर को फाइल करने के लिए जब आब्जेक्शन वकील ने कर दिया, तो जो वकील ने आब्जेक्शन किया उस आब्जेक्शन को वहां पर रूल आउट किया, वह रूल आउट किस वजह से किया गया। मैं आपको रिप्रेजेन्टेटिव आफ पीपुल एक्ट, 1951 की

(श्री मूलचन्द डागा)
धारा पढ़ता हूं :-

A person convicted by a court in India for any offence or sentenced for not less than two years....

जब वह सवाल खत्म हो गया कि जो सजा हुई वह 21 दिन की हुई तो 21 दिन की सजा होने के कारण जब नामीनेशन पेपर पर आब्जेक्शन रेज कर दिया गया और वह आब्जेक्शन खत्म कर दिया गया तो सबसे बड़ा निर्णय मतदाताओं द्वारा किया गया कि यह काबिल आदमी है, ईमानदार आदमी है, बड़ा सेवाभावी आदमी है और यह समझ कर उसको चुन लिया गया। और चुनने के बाद अब वह विधान सभा में आ गया। इस सबके बावजूद आप यह चाहते हैं कि उस आदमी की खिलाफत इस प्रकार की जाय। खिलाफत के लिए खिलाफत की जाय। इसलिए ही आपके आर्गूमेंटस में उतना कानूनी बल नहीं है, उसमें कानूनी ताकत नहीं है, मोरेल की हैसियत से भी वह आर्गूमेंट ताकत नहीं रखता है। एक बार तो आप सपोर्ट करते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए और दूसरी बार ऑकर जसराज के कुछ मामले का आप बवंडर खड़ा करते हैं। मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट ने उसके बारे में जजमेंट दिया है...

श्री नरसिंह: व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य को जसराज कह कर पुकार नहीं सकते। वह माननीय सदस्य जसराजजी कहें।

श्री मूलचन्द डागा : मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। (हंसी)

श्री परसराम मदेरणा : यह तो हाउस का डिकोरम है।

श्री मूलचन्द डागा: हाई कोर्ट ने रूलिंग में जो दिया है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। उनका सस्पेन्शन कब हुआ था, वह 22-11-56 को हुआ था, आज से कितने साल पहले, यानि 22-11-56 को और इसको आप आर्डर की डेट से मानते हैं तो वह है 15 अप्रेल, 59। तो उसको पांच साल तो बीत चुके थे यदि सस्पेन्शन का पीरियड जो डेट आफ सस्पेन्शन है उससे माना जाता है। इस हालत में यह आब्जेक्शन रूल आउट हो गया। अब हाई कोर्ट ने एक सेन्टेन्स लिखा है, वह कृपा करके आप सुनिये। आप चाहते हैं कि सारे इन्सान राज्य के अन्दर जो बैठे हुए हैं वह सब इन्सान हैं, अगर वह गलतियां करते हैं तो उन इन्सानों को सुधरने का मौका नहीं दिया ? सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन आप इस प्रकार का भाषण देकर के किसी न किसी बात पर लांछित करना चाहते हैं। यह पहले आप खुद सोच लीजिये कि आप कितने हैं। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था:--

"The appellant has rehabilitated himself in a proper manner"

आप इस सेन्टेन्स को देखिये कि आपने अपने जीवन को बिल्कुल ठीक ढंग से ले जाना शुरू कर दिया है। आपका जीवन बिल्कुल अच्छा हो गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वह विधान सभा के लिए चुन लिये गये हैं, उसके बाद में आप इस मामले का बवंडर बना, रहे हैं, इस प्रकार का विवाद खड़ा कर रहे हैं इस प्रकार का शब्द जाल फेंक रहे हैं, इस तरह का शब्द जाल फेंक रहे हैं जैसे यहां पर पोलिटिशियन नहीं बैठे हों और उज्जैन का कोई धार्मिक समारोह हो और उसमें आध्यात्मिक भाषण दे रहे हों कि मंत्रियों को ऐसा करना चाहिए, मंत्रियों को क्या करना चाहिए...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मंत्रियों को भ्रष्ट होना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन हम राजस्थान में घूम रहे हैं और माडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं । मेरी राय तो है कि मंत्रियों को कार नहीं उनको हेलीकोप्टर देना चाहिए, मेरी तो राय है कि मंत्रियों को हवाई जहाज और विमान देना चाहिए । आप यह चाहते हैं कि मंत्रियों को क्यों दें ?

श्री विजयसिंह (मकराना) **:** यह हेली-कोप्टर को क्या आपकी छत पर उतारेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : हेलीकोप्टर इसलिए कि अगर आपके खिलाफ इन्क्वायरी करनी होगी तो होम मिनिस्टर विजयसिंह के घर पर उतर जायेंगे । सवाल यह पैदा होता है कि मोडर्न डेमोक्रेसी के अन्दर अगर रामकिशन जी यह कहें कि लंगोटी लगा कर आयें तो· ·

श्री रामकिशन : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह मनोहरसिंह साहब यह भाषण दें, जो आदर्शवादी हैं और आइडियोलोजिस्ट हैं, इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाय तो यह कहें कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए· ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : परसों तो अणुव्रत का समर्थन कर रहे थे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) **:** मौके का तकाजा है ।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ठीक समझे । मैं वकालत कर रहा हूं· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका अब अणुव्रत में विश्वास नहीं रहा । उस रोज तो आप अणुव्रत की वकालत कर रहे थे ।

श्री मूलचन्द डागा : हर राजनीतिज्ञ के दिल में वकील होता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप वकील हैं । समर्थन करें या विरोध करें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधानसभा के विधायक के नाते बोलता हूँ । मैं दार्शनिक की तरह भाषण नहीं देता, वैसे नहीं बोलता ।

श्री विजयसिंह (मकराना) **:** वकालत की फीस ली है या नहीं, बोलना शुरू कर दिया ।

श्री मूलचन्द डागा : माडन डेमोक्रेटिक स्टेट में मंत्री कैसा होना चाहिए, मैं यह बता रहा था । यह नहीं कि मंत्री कमजोर हो, दुबला-पतला हो, इसके लिए वह कहते हैं कि मंत्री बनने के लिए क्या गुण चाहिए· ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अणुव्रत आन्दोलन पुस्तिका से पढ़ रहे हैं या किसी दूसरी से पढ़ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आप यह चाहते हैं कि आदमी केवल दाल रोटी खाये । मैं कहता हूं कि आदमी मक्खन खाये और मक्खन के बाद भी दिमाग नहीं चलता है तो मैं कह नहीं सकता· · ·

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) **:** बहुत सीधी बात है, अभी तक तो वे मक्खन समझते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत सीधी सी बात है, हम लोग यहां पर असेम्बली में आये हैं तो चुनाव के आंकड़े फैलायें, क्या चुनाव पर पांच छः हजार ही खर्च किये थे । यह अपने दिल पर हाथ रख कर अपने से पूछिये ।

(श्री मूलचन्द डागा)
आप आचरण की बात कहने से पहले जो चुनाव में जीत कर आये हैं उसके लिए कहिये कि कितना खर्च किया था · · ·

श्री विजयसिंह रावत : छः हजार।

श्री नरसीसिंह : आप अपने से ही शुरूआत करिये कितना खर्च किया था ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो छः हजार खर्च करके ही आया हूं क्योंकि मेरे पीछे कांग्रेस की ताकत थी इसलिए आ गया।

श्री विजयसिंह (मकराना)। इसीलिए दो बार हार गये थे।

श्री श्रवणलाल : इसीलिए सन् 62 में लाइसेन्स जब्त हो गया था।

श्री रामकिशन : इन शब्दों का इस ढंग से इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इस्तेमाल ठीक तरह से करें।

श्री मूलचन्द डागा : "We want a person capable or effoient or sufficiently capable. We need to pay for readiness to do whatever that may be. Efficiency is entirely concerned to means an and."
आप इस बात को स्वयं मानेंगे कि इस तरह का मन्त्री हो, दिलवाला हो, जवान हो, चलता हुआ हो, जल्दी बात करता हो। आप चाहते हैं कि मन्त्रियों को अच्छी कार नहीं मिले। मैं तो सभापति महोदया, कहना चाहता हूं कि एम०एल०एज० को होस्टल में जो कमरे दे रखे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे थर्ड क्लास रूम्स हैं कि हम लोगों का विकास नहीं हो सकता। एम०एल०एज० को आप एक स्टेनो दीजिए और एम० एल० एज० को एक क्लर्क दीजिए। आप सोचना क्यों नहीं चाहते। मन्त्रियों को क्या देना चाहते हैं? पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को आप साढ़े सात सौ रुपये देना चाहते हैं। जिस जमाने में यह प्रस्तावित किया था कि पांच सौ रुपये मिलने चाहिए। वह कई साल पहले किया गया था। इस जमाने में आज दस गुनी मंहगाई बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं आज ऐसे आदमी को पांच हजार रुपये मिलने चाहिए। न कि साढ़े सात सौ रुपये।

श्री रामकिशन : जरूर दे दें।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने संशोधन उपस्थित किया है। इस संशोधन में रखा है कि पांच सौ मिलने चाहिए पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री को।

श्री रामकिशन : उनको होश नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने संशोधन मूव नहीं किया है। आप बतला दीजिए आप गलत बात कहने के आदी हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य का एक रेजूलेशन था पिछली बार जब वह विधायक थे। उस समय मन्त्रियों को तनख्वाह 500 ० होनी चाहिए ·

श्री नरसीसिंह: मंहगाई बढ़ गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर माननीय सदस्य यह संशोधन मूव करना चाहें तो ओरल ही बोल दीजिए कि साढ़े सात सौ नहीं पांच सौ रुपये मिलने चाहिए। फिर इस पर बहस हुई हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह प्रार्थना की है जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)
और मकान और मोटर की बात करते हैं और कोई मोटर जल गई ऐसा कोई इंस्टांस या कोई बात हो...

एक माननीय सदस्य : दो चार मोटर जल गईं ?

श्री मूलचन्द डागा : और मोटर जल जाए तो जल जाए। मोटर जल गई तो क्या बात है। मोटर जल गई या दूसरों ने मोटर जला दी तो यह क्या बात है? कोई काम की बात कीजिए ? देश को आगे बढाने के लिए कोई मन्त्री ज्यादा हों तो मन्त्री हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जनता के नुमाइन्दे नहीं हैं। आखिर राजस्थान इतना लम्बा चौडा प्रान्त है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जनसंघ के मन्त्री बने हैं, उन्होंने क्या तनख्वाह ली है।

श्री रामकिशन : आप बताइये।

श्री मूलचन्द डागा : आप बताइये। पंजाब में मन्त्री हुये, हरियाणा में हुए वहां क्या तनख्वाह ली ?

श्री रामकिशन : आठ सौ रुपये।

श्री मूलचन्द डागा : आठ सौ, नौ सौ ली होगी। मैं यह नहीं कहता मैं कहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जो तनख्वाहें मिल रही हैं इसके लिए कहें कि इनको ज्यादा मिल रही हैं; तो यह वास्तव में बहुत कम तनख्वाहें हैं। आखिर हमारा देश इतना लम्बा चौडा देश है। राजस्थान में इतना रेगिस्तान प्रदेश है।

श्री रामकिशन : देश नहीं, प्रदेश कहिए।

श्री मूलचन्द डागा :-आखिर आप क्या चाहते हैं ? मन्त्रियों के यहां आप जायें तो उन्हें आपको चाय तो कम से कम पिलानी पड़ेगी। रोज बहुत से लोग मन्त्रियों के पास आते हैं या उनके मेहमान बनते हैं। इसके अलावा वह 16 घण्टे काम करते हैं और टूर पर जाएं तो आप कहते हैं कि वह कार लिए बैठे हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप दिल से बोल रहे हैं या गले से बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : गले से नहीं बोला जाता है। मन कहता है तब बोलते हैं। आप गले से बोलते होंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना):-आपको मन्त्री बनाने का आश्वासन मिल गया क्या?

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्रियों को तो ग्यारह सौ रुपये मिलते हैं। लेकिन मुझे उससे ज्यादा देती है वकालत। मुझे भगवान् की कृपा से इनसे ज्यादा मिल जाता है। मुझे मंजूर नहीं इतनी तनख्वाह। मैं नहीं चाहता कि वकालत छोडकर मुझे मन्त्री पद मिल जाये।

श्री मस्तीसिंह : ओफर है क्या ?

श्री रामकिशन : तनख्वाह की कोई बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा :-एक बात मैं आपसे कहता हूं कि यह सवाल जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि जब कभी इस पर विचार होता है तो छोटी छोटी बातें होती हैं। हमें आज के जमाने पर भी सोचना पड़ेगा कि मोडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में कितना पैसा मिलता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माडर्न मिनिस्टर कहां हैं ?

Page No. 85

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल माडर्न मिनिस्टर होना चाहिये ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माडर्न मिनिस्टर एक आध मिनिस्ट्री में है या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : सारे होने वाले हैं। लेकिन एक बात है । वह कली ऐसी नहीं है कि जिसको आप मसलना चाहें। यह नैतिक बात है कि कली को खिलने दें । उसको प्रस्फुटित होने दें । आप पहले ही उसको मसल देना चाहते हैं । आपने शुरूआत ही गलत की है ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : एक बात बता दीजिए ? आपने स्वयं अनुभव किया है । आप बतायें कि केरल में मिनिस्टर को क्या मिलता है ? बंगाल में क्या मिलता था ? वहां जब इतना मिलता था तो यहां पर कितना परसेन्ट ज्यादा लेते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मुझे मालूम है कि केरल एक छोटा सा स्टेट है और राजस्थान का बहुत लम्बा चौड़ा एरिया है ।

श्री नत्थीसिंह : उत्तर प्रदेश भी छोटा है राजस्थान से ?

श्री रामकिशन : पैसे की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह बात चाही थी कि इसको इसीलिए प्रवर समिति में पेश किया जाए । सभापति महोदया, म आपके द्वारा कहना चाहता हूं, यहां पर विधान सभा के सेक्रेट्री भी हैं । हमारे यहां पर दो टाइ-पिस्ट बैठते थे, एम. एल. एज. के लिए अलग कमरों में । लेकिन यह भी गायब हैं । तो यह यहां के एम०एल०एज० को सुविधाएं हैं कि न तो होस्टल अच्छा बना हुआ है न हमारे लिए टाइपिस्ट है। मैं तो कहता हूं कि एम० एल० एज० को एक एक स्टेनो और एक एक कलर्क मिलना चाहिए। यह बहुत जरूरी बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सौ चौरासी को मिनिस्टर बना दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : सभानेत्री महोदया मैं कहता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में जो आपकी दलीलें हैं वह दलीलें आपकी सफल नहीं हैं। सन्तोषजनक नहीं हैं। यह नीति के पाये पर ठहर नहीं सकती है, फिर भी मैं सोचता हूं कि यह बिल पारित होने के पहले और ज्यादा सुविधाएं देने की दृष्टि से प्रवर समिति को जाना चाहिए और उसके साथ साथ एम० एल० एज० को सुविधाएं देने की मैं प्रार्थना करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : यह बारगेन अच्छा है, आपका।

श्री रामकिशन : बगेर फीस लिए ऐसी वकालत करते हैं, तो फीस लेने पर कैसी करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त, मंत्री) : (श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर) आपका अमेंडमेंट है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): जनरल डिस्कशन चल रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : क्या इसमें आपका नाम है ?

श्री भैरोंसिंह : जनरल डिस्कशन ही चल रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : आपका संशोधन है?

श्री भैरोंसिंह : वह क्लॉज पर है।

श्रीमती सभानेत्री : संशोधन पर बोल लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : संशोधन के वक्त पर बोल लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : संशोधन अलग क्लाज पर है। अभी तक जनरल डिस्कशन चल रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : जनरल डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है। प्रवर समिति में भेजने का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई अमेण्डमेंट नहीं करें तो भी बोल सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : आसन की ऐसी व्यवस्था है। स्पीकर साहब ने ऐसी व्यवस्था दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या अध्यक्ष महोदय की ऐसी व्यवस्था थी?

श्रीमती सभानेत्री : मैंने नहीं सुनी। लेकिन वह तशरीफ ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तशरीफ ला रहे हैं तब तक हम बैठे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री मथुरादास माथुर से) आप तब तक जवाब दे दें।

श्री भैरोंसिंह : तब तक आप कागज देख लीजिए। हम बैठे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : अच्छा बोलिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदया, जिस विधेयक के सम्बन्ध में यहां चर्चा की जा रही है, उस चर्चा का व्यापक प्रभाव इस सदन में नहीं पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान की जनता पर और सरकारी अधिकारियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। हम किसी प्रकार की कोई दलील दें, लेकिन दलील देने से पहले हमें इस बात को चुनना और बरतना पड़ेगा कि हम कुछ पाने के लिये तो कोई फेज क्रियेट नहीं कर रहे हैं। आज जहां तक सर्विसेज का क्वश्चन आता है और उनके कम्पेरिजन में मिनिस्टर्स का प्रश्न लिया जाय तो यह बात अपने आप में स्पष्ट है कि वेतन निर्धारण करने की जो नीति है इसका सम्बन्ध न योग्यता से है, न वेतन निर्धारण करने की नीति का सम्बन्ध काम से है, और न इसका सम्बन्ध व्यक्ति से है, लेकिन कुछ ऐसी गलत परम्पराएं पड़ गई हैं, जिन गलत परम्पराओं से निकलना हमारे लिये संभव नहीं हो रहा है। आज राजस्थान के मुख्य सचिव को 2,700 रुपये प्रति माह मिलें और राजस्थान के मुख्य मंत्री को केवल 1,500 रुपये मिलें, अब यदि यह समझ कर चलें कि राजस्थान का मुख्य सचिव राजस्थान के मुख्य मंत्री से ज्यादा योग्य है, तब तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता कि हम अपने संविधान के प्रति, लोकतन्त्र की परम्पराओं के प्रति श्रद्धा प्रकट कर के लोकतन्त्र के माध्यम से इस प्रकार के आदमी को मुख्य मंत्री बना कर बैठायें जो मुख्य सचिव से योग्यता में कम हो। इसी प्रकार की हालत सब मंत्रियों के सम्बन्ध में है।

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रियों से अधिक वेतन लेने वाले आई० ए० एस० ऑफीसर्स, आई० पी० एस० ऑफीसर्स, आर० ए० एस० आफीसर्स हैं और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में हम चले जायं तो वहां के एक फोरमेन और मंत्री की तनख्वाह बराबर है। इसलिए मंत्रियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में योग्यता का मापदण्ड रखें तो इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिये एक ही मापदण्ड काम में आता है जो पहले के राजनैतिक नेताओं ने चुना। उनका मापदण्ड मंत्रियों के वेतन का निर्धारण करते समय यही था कि मंत्री का जितना वेतन कम होगा, उतना ही मंत्री समाज के सामने मित-व्ययिता का दर्शन उपस्थित कर सकेगा। यह दर्शन उपस्थित करने का काम मंत्रियों के जिम्मे छोड़ा। इस तरह जब मंत्रियों की तनख्वाह निर्धारित करने का प्रश्न आरम्भ में सामने आया तो यह बात मुख्य रूप से उन राजनितिज्ञों के मष्तिस्क में रही थी कि राज्य के अधिकारियों के वेतन से कम वेतन मंत्री लेते हैं तो मंत्री इस प्रकार का दर्शन समाज के सामने रख सकेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री लोग न तो इस प्रकार का दर्शन समाज के सामने ही उपस्थित कर सके और न राज्य के सरकारी अधिकारियों पर ही इस प्रकार की मितव्ययिता की छाप छोड़ पाये।

हमारे राज्य में मंत्री, उप-मंत्री, राज्य मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की संख्या 36 है, सारे देश में 67 के चुनावों के बाद जिस प्रकार की स्थिति बनी, उस स्थिति में राजस्थान के मंत्रिमण्डल का गठन हुआ और उसका विस्तार हुआ, उसमें इनकी संख्या 36 तक पहुंच गई। कल मुख्य मंत्री ने जब कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वे कहने लगे राजस्थान में काम बहुत बाकी है, जिस काम को करने के लिये इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों को रखा है। कुछ दिनों पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति इस नाजुक दौर से निकल रही है कि हमने भारत सरकार से कह दिया है कि योजना के लिये हम कोई राशि नहीं जुटा सकते, हमने भारत सरकार से इस बात की याचना की है कि जितने ड्यूज हममें बकाया हैं, जितना लॉन और ब्याज का बकाया है, उनको लोग टर्म के आधार पर भुगतान करने की व्यवस्था की जाय। एक तरफ तो राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान की वित्तीय स्थिति से कोई अनुभव नहीं है। आज राजस्थान सरकार किस मुंह से राज्य के अधिकारियों को और उन लोगों को संतोष करा सकती है जिनको किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उन्हें यह कह सकें कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण एम्प्लायमेंट का प्रोवीजन नहीं रख सकते, योजना में कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। इस बात की दलील मंत्रीजी की ओर से दी जा सकती है कि मंत्रियों पर खर्च की जाने वाली राशि लाखों की है पर आज लोगों में मानसिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि मितव्ययिता के नाम पर जिस चीज की आलोचना होती है, उस चीज को दबाने की कोशिश कर सकें पर दुर्भाग्य से मंत्रि-मंडल इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सका। 36 मंत्री, उप-मंत्री, राज्य मंत्री और सभी सचिव हैं, उनके विभागों का वितरण देखने से पता चलता है कि एक विभाग का बजट तो लाखों में है और उसका एक मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप-मंत्री और एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी है। पर इस सदन ने आंखों देखा है कि, 18 जनवरी और फिर 22 फरवरी से सदन में बैठे हैं, आज तक पार्लियामेंटरी सचिव ने, जिसका बिजनेस है विधान सभा में मिनिस्टर की तरफ से क्वेश्चन्स का जवाब देना, मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना, पर 4 पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं उनमें से किसी ने अब तक अपनी जुबान नहीं खोली है। यह हाल पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का ही नहीं है अपितु डिप्टी मिनिस्टर्स····

एक माननीय सदस्य : यह ट्रेनिंग ले रहे हैं,····

श्री भैरोंसिंह : यह कोई ट्रेनिंग हॉल नहीं है, ट्रेनिंग लेनी हो तो ट्रेनिंग क्लॉस में जा कर लें।

(2 · 27 म० प०)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर्स कई बोले हैं, कई झिझक रहे हैं, उनको भी वेतन दे रहे हैं, यही स्थिति राज्य मंत्रियों की है। राज्य मंत्रियों का और मिनिस्टरों का क्या कार्य होगा, मिनिस्टर जहां तक चलते हैं, यह मान कर चलते हैं कि राज्य मंत्रियों को कोई काम नहीं देते, इसका असर यह पड़ता है कि ऑफिसेज में नहीं बैठते, इस लिये नहीं बैठते कि काम नहीं है, फाइलें नहीं हैं, वे ज्यादा तर दौरे करते हैं, दौरे करें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, डी० ए० का खर्चा बढ़े कोई बात नहीं है, अगर वे दौरे करके जनता की मुसीबतों को सुनें, जनता की मुसीबतों को दूर करें तो दौरे करें इससे आपत्ति नहीं। पर डिस्ट्रिक्ट्स में आप किसी से बात करें, कलेक्टर से हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से, किसी से बात करें तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के पास एक ही काम बचा है, वह है सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कराना, कोई थानेदार चक्कर में आ गया तो उसका स्थानान्तरण करा दिया, कोई टीचर चक्कर में आ गया तो उसका स्थानान्तरण करा दिया, कोई पटवारी मिल गया तो उसका स्थानान्तरण करा दिया। इन्होंने एक ही धंधा अपना रखा है, डिस्ट्रिक्ट में गये और स्थानान्तरण करा दिया। न इसके लिये सफाई की आवश्यकता है और न सबूत की वे अपने आप आत्म विलोकन करके देख लें कि अपने दौरों में उन्होंने कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिये कितने अधिकारियों से याचना की।

सुखाड़ियाजी चाहें 36 के मंत्रि-मण्डल से राज्य में काम करना चाहते हों पर मंत्रि-मण्डल में 36 के रहने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोलेप्स हो गया है। लोगों की किसी प्रकार से सुनवाई नहीं होती। ये लोग तहसील तक के मामलों में, जमीनों के अलॉटमेन्ट के मामलों में, अपोइन्टमेंट्स के मामलों में सिफारिश लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे सरकारी अधिकारी भी न्याय देने की इच्छा रखते हुए भी न्याय नहीं दे सकते। क्या इस चीज को रोकने की कोशिश मुख्य मंत्री ने की है? मैं समझता हूं इसे रोकने

(श्री भैरोंसिंह)

की व्यवस्था नहीं की गई तो सुखाडियाजी चाहे कहें कि 5 वर्ष राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत रहेगी पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर इसी आधार पर राजस्थान की हुकूमत रही तो हम लोकतन्त्र को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अराजकता में विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम अराजकता को पनपाने वाले नहीं हैं पर यह आपकी 36 की फौज राजस्थान में अराजकता पैदा कर देगी और राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत उठती हुई नजर आयेगी । उस समय कोई समझे कि सुखाड़ियाजी के कहने से कोई ब्रह्माजी का सूत्र निकल गया, इस प्रकार यह हुकूमत नहीं टिक सकेगी । हुकूमतें बनती आई हैं पर गोली के बल पर, पुलिस के डंडों के बल पर जनता की समस्या का समाधान करने वाली सरकार कितने दिन टिकती हैं, इसका निर्णय तो भविष्य करेगा ।

कई मंत्री बड़ी कृपा करते हैं, मेरे पास दौरे का कार्यक्रम भेजते हैं, पर मैं देखता हूं कि मंत्री कहां गये, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं । उन्हें उनके चुनाव क्षेत्र में दौरा करने और अपने वोटर्स को फीड करने की गरज से वेतन दिया जाय तो राजस्थान का कोई ईमानदार व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा कि राजस्थान की जनता का पैसा राजनैतिक कामं करने के लिये, अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनको वोटर्स को फीड करने के लिये खर्च करने दें ।

आप उप-मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के टी० ए० और दौरे का कार्यक्रम देखें, अधिकांश दौरों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है । अब प्रश्न आता है, एक मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में चला जाय, उसके कारण वहां उनके साथ में तहसीलदार होगा, डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० और कलेक्टर होगा । यह सारा जमाव उसके साथ होगा तो लोगों के मस्तिष्क में यह भावना आती है कि सारे अधिकारी इनके गुलाम हैं, हमें काम कराना है तो मंत्री महोदय की खुशामद करनी चाहिए। उसके कारण आज सारे राजस्थान में लोगों का राजनैतिक शोषण होता जा रहा है, उस शोषण को रोकने की आवश्यकता है, वह नहीं होना चाहिए । आपने अपनी सरकार को स्टेबुल बनाने के लिए 36 की संख्या निर्धारित करली, आप इनको 38 या 40 कर दीजिए मुझे इस बात की चिंता नहीं। अगर एक लाख रुपया ज्यादा खर्च हो जायगा तो उससे राजस्थान की डूबी हुई सरकार बच नहीं जायगी। लेकिन हम सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बनाकर चलते हैं, अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने आफिस में कितना काम किया, एक एल० डी० सी० से पूछते हैं कि रिसीट रजिस्टर में कितने कागज रिसीट व डिस्पेच किए, कितने फाइल्स डिस्पोज ऑफ किए, लेकिन मंत्रियों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि व्यवस्था नहीं है तो अपनी ईमानदारी से आप बतायें कि कितने मंत्रियों ने कितना काम किया है, वे हमसे प्राईवेट में बातें करते हैं, वे मैं नहीं कहना चाहता लेकिन अंदर अंदर राजस्थानी भाषा में जिसे कहते हैं घमीड़ लेते हैं। हो सकता है कि कई लोगों की काम करने की इच्छा हो।

मैंने शुरू में ही कहा है कि एक मंत्री का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए। यह भी मानता हूं कि समाज

(श्री भैरोंसिंह)

की बुराईयों के अंदर आदर्श स्थापित करना कठिन है लेकिन यदि कोई प्रयास करने की चेष्टा करे तो संभव है कि जल्दी उसे सफलता नहीं मिले, लेकिन कुछ देर बाद सफलता मिल सकती है। हमने विधान सभा में राजस्थान म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट बनाया, मूलचंदजी उस समय थे अब नहीं हैं। उस कानून में क्या व्यवस्था की गई? हमने पंचायत कानून व जिला परिषद् कानून में इस बात की कुछ व्यवस्थायें की कि पंच किस प्रकार का होगा, सरपंच किस प्रकार का होगा, नगरपालिका का सदस्य किस प्रकार का होगा। मुझे याद है, इस सदन में बहुत लम्बे चौड़े लोगों के भाषण हुए, उन भाषणों के अंदर लोगों ने मेरे विरोध के बावजूद कहा कि पंचों के साथ इस प्रकार की सख्ती नहीं बरती जाय कि छोटे छोटे मामलों में कोई सजायाब हो जाता है, तो उसको लैटीटयूड दिया जाय कि 10-12 साल में वह व्यक्ति सरपंच, पंच और नगरपालिका सदस्य हो सकता है। सदन की प्रोसीडिंग्स इस बात के लिए गवाह हैं। कांग्रेस की तरफ से कहते हैं कि हम मोरल स्टेंडर्ड्स कायम करते हैं, और उसके आधार पर हमारे पंचों, सरपंचों और नगरपालिका सदस्यों व पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का चरित्र बिल्कुल उज्जवल होना चाहिए। हमने स्वीकार किया और सदन ने स्वीकार किया और यह मन्जूर हुआ:

"Disqualifications for becoming a member—A person shall be disqualified to become a member of the Panchayat Samiti, if he has been dismissed from Government service for misconduct involving moral turpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service;

has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude or of an offence under Untouchability (Offences) Act, 1955 (Central Act 22 of 1955) or under any other law notified in this behalf by the State Government."

यह तो पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून है। इस प्रकार से नगरपालिकाओं का कानून है। इस कानून के सेक्शन 26 में लिखा है

"General disqualifications for members:— A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as a member of a board—

(i) who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for a term exceeding six months for an offence which is declared by the State Government to simply such moral turpitude as to render him unfit to be a member, such sentence not having been subsequently

(श्री भैरोंसिंह)

reversed or remitted or the offender pardoned or,

(iii) who has been dismissed from the service of the Central or a State Government or any local authority for misconduct, or...."

इस प्रकार की व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सर्विसेज नियमों में कि राजस्थान में उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती जो बरखास्त हुआ है या सजा मिली है। आपकी ही सरकार ने नियम बनाए हैं और इस पर विधान सभा की मोहर है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति पंचायत का पंच नहीं बन सकता, पंचायत समिति का या नगरपालिका का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसको सजा मिल गई, जो राज्य सेवा से बरखास्त हो गया, वह संसदीय सचिव कैसे बन सकता है? यह राजस्थान की विधान सभा में सबसे बड़ा कलंक का दिन होगा यदि आपने और सदन ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यदि स्वीकार करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इस नगरपालिका एक्ट और पंचायत कानून को आग लगा दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और फाड़ दो। आप कहते हैं कि वह विरोधी दल से जीत कर आया। मैं इस बात को मानता हूं कि हमने डिप्टी स्पीकरशिप के लिए उनके नामांकन पत्र को प्रस्तावित किया। लेकिन हुआ क्या? आज सरकार इस बात की आड़ में चलना चाहती है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमें कभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी। यह जानकारी तो इनको संसदीय सचिव बनने के बाद इनके विरोधियों ने हमें दी, उसके बाद हमने सर्टीफाइड कॉपीज लीं, लेने के बाद पता लगा कि मामला इस प्रकार है। और जब मैंने मुख्य मंत्री का भाषण सुना, वह मुख्य मंत्री जो दूसरों से कहते हैं कि जिम्मेदारी से बोलें, वह जैसे कोई चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं, न कि सदन में बोल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्य मंत्री सदन को क्या समझते हैं? क्या उन्होंने ऐसी बात कहने के लिए सदन को ही उचित प्रांगण समझा है? मुख्य मंत्री कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी। मैं इस फैसले के आधार पर इस सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी थी कि जसराज का चालान हुआ है, मुख्य मंत्री एन्टी-करप्शन बोर्ड के चेयरमन हैं, जितने भी एन्टीकरप्शन के केसेज हैं वे सुखाड़ियाजी की स्वीकृति के बगैर कोर्ट में नहीं जाते, जब तक सुखाड़ियाजी का दस्तखत नहीं होगा, तब तक उनका प्रोसीक्यूशन नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट मे लिखा है कि 1956 के बाद 1959 में चालान हुआ। चालान में सरकार की अनुमति नहीं थी इसके कारण हाई कोर्ट ने सेशन्स के आर्डर को रिमांड किया। उसके बाद पेपर्स सरकार के पास गए, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने सेंक्शनिंग ऑथोरिटी के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद में मामला दुबारा प्रोसीक्यूशन के लिए गया और प्रोसीक्यूशन के बाद उसे सजा मिली। मैं कानूनी दलील में नहीं जाता क्योंकि आप कहेंगे कि कानून के शिकंजे में नहीं आए, हमने गलती की लेकिन विधान सभा मॉरल्स

(श्री भैरोंसिंह)

फिक्स करना चाहती है, समाज के सामने यह आदर्श उपस्थित करना चाहती है। रिश्वत के मामले में एक कन्विक्टेड आदमी, जिसको राजस्थान की सर्विस में नहीं लिया जा सकता, पंच नहीं वन सकता, नगरपालिका का सदस्य नहीं वन सकता और जिला परिषद् व पंचायत समिति का सदस्य नहीं वन सकता, उसको आपने संसदीय सचिव वना दिया। यह आपकी डिस्क्रीशन का सवाल है लेकिन इस वात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में जो एन्टीकरप्शन की आवाज उठाई जा रही है, आप चाहते हैं कि भारत में करप्शन की बीमारी समाप्त हो, लेकिन इस तरह से तो करप्शन दिन दूनी रात चौगुनी होगी। मैं एक वात वताऊं, आज सुखाड़ियाजी कहते हैं कि 5 वर्ष तक राज्य वना रहेगा। एक मेम्वर हटा दिया जाय तो क्या राज्य में फरक पड़ने वाला है? क्या सुखाड़ियाजी की हुकूमत खिसकने वाली है? मैं कहता हूं कि एक आदमी के कारण नहीं खिसक सकती है। इसमें कौन जिद्द कर रहा है, सरकार जिद्द कर रही है। सरकार कहती है हमने कमिटमेंट कर लिया, कमिटमेंट किया आपने यह ठीक है उस कमिटमेंट को आपने पूरा किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी ही कर रहा हूं। कमिटमेंट पूरा करने के वाद आज उनको चिपका कर के रखने का प्रयत्न करना ठीक नहीं है। वित्त मंत्री जी यह भाषण करें कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को शीघ्र समाप्त करने वाली है। भले ही वे यह भाषण न दें यह तो मैं भी मानता हूं। देते भी नहीं हैं और देना भी नहीं चाहिए। खैर, आखिर मॉरल स्टेन्डर्ड फिक्स करना चाहिए। वे यह कहें कि हम तो स्टन्डर्ड फिक्स अव करके चल रहे हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कल एक माननीय सदस्य ने कह दिया मध्यप्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के जो रूल्स हैं उनको देखने के वाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद उनको इसका पता नहीं है, राजस्थान के मुकाविले में मध्य प्रदेश का वेतन स्तर कितना है। राज्य सरकार देखना चाहे, तो यह मध्य प्रदेश का स्टेटमेंट मेरे पास है, राजस्थान की सरकार देखना चाहें तो यह यू० पी० का स्टेटमेंट है कि मंत्रियों के वेतन स्तर क्या है? क्या उनको भत्ता मिलता है? आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि ज्यों ही यू० पी० में विरोधी दल की सरकार आई, उन्होंने एक सब कमेटी को अपाइन्ट किया, उसकी रिपोर्ट ली और जो कांग्रेस के मंत्रिमण्डल में संख्या थी, उसमें कटौती की। वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं के वारे में कमी की। यदि आप यह मानकर चलें कि यहां भी विरोधी दल की हुकूमत होती तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। मैं कहता हूं कि जहां जहां भी विरोधी दल की सरकारें वनी हैं..

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : कागज में क्या लिखा है, यह तो वतायें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, कितना ही कहते रहें, बृजसुन्दर जी तो सो रहे हैं। उनके कानों तक कोई असर नहीं पड़ रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह गलतफहमी क्यों हो जाती है?

श्री विजयसिंह : ये कीर्तन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यं स्टेटमेंट उनको देना·· ········

श्री अध्यक्ष : वे मेरी अनुमति से मांग सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में यह क्वेश्चन आ खड़ा होता है कि मंत्रियों ने कानून में व्यवस्था की और उसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू किया। मंत्री पद से हटने के बाद दो महीने तक बंगले में बैठे रहे। यह समझ में नहीं आता है कि दो महीने की मियाद क्यों रखी है। चुनावों के बाद झगड़ा चला। गवर्नर महोदय ने यदि विरोधी दल की हुकूमत बना दी होती तो सारे के सारे मंत्रिमण्डल के सदस्य दो महीने तक बंगलों में बैठे रहते और जो विरोधी दल के मिनिस्टर बनते, उनको सड़कों पर रखना पड़ता।

एक माननीय सदस्य : वह तो आज भी सड़कों पर रह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस वाले विरोधी पक्ष में बैठने के लिये अपने भाषण तैयार करने लग गये थे कि विरोधी दल में किस प्रकार का भाषण देना है। विरोधी पक्ष के माईकों की तलाश शुरू हो गई थी कि कौनसा माईक ठीक है किस माईक से जोरों की आवाज सुनाई दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, इन सबकी तैयारी होने लग गई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जो शेरवानी बनाई थी, वह कहां गई?

श्री भैरोंसिंह : माननीय बृजसुन्दर जी तो ऐसे सोये हुये हैं कि उनका पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से सोये हुये हैं, कुछ लेटे हुये भी हैं, घुटने के बल पर भी बैठे हुये हैं, पैर ऊपर की तरफ किये हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आपके सामने किस प्रकार बैठना चाहिए, यह भी अभी उनको नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने एग्जेम्पशन दे रखा है।

श्री भैरोंसिंह : यह एग्जेम्पशन आपने उनको क्यों दे रखा है?

श्री अध्यक्ष : यह मैं जानता हूं, उनके बीमारी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बीमारी है?

श्री अध्यक्ष : कई बीमारी ऐसी होती हैं जो बताने की नहीं होती हैं।

श्री रामकिशन (वर) : गुप्त रोग से पीड़ित हैं क्या?

श्री भैरोंसिंह : कोई बीमारी ऐसी है क्या जिसको बताया नहीं जा सकता है?

श्री अध्यक्ष : हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : तब तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय के और माननीय बृजसुन्दर जी के बीच ऐसे सम्बन्ध हैं, जो गुप्त रोगों को भी बता दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में दल बदलने की प्रवृत्ति चली। कहीं पर यह

(श्री भैरोंसिंह)

कांग्रेस पर आ पड़ी और कहीं पर विरोधी दलों पर। राजस्थान में यह प्रवृत्ति विरोधी दलों पर टूट पड़ी और इससे यह हुआ कि राजनीति में जनता का अविश्वास होने लगा। केन्द्रीय सरकारें, प्रान्तीय सरकारें और अन्य राजनैतिक दल ये सब इस बात की चिन्ता कर रहे थे कि दल बदलने की बात को कैसे रोका जाय। हमने भी इस पर विचार किया और इसको रोकने के लिये काफी गंभीरता से विचार करने के बाद आज यदि यह कोई मानकर चले कि कांग्रेस पार्टी इस बात की सौगन्ध खा जाय कि दल बदलने की प्रवृत्ति को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दें, तो यह असम्भव नहीं है। विरोधी दलों के न आने से उनका काम रुक जायेगा, यह भी असम्भव नहीं है। लेकिन इन सारी बातों का प्रभाव जनता के मानस पर पड़ता है कि दल बदलू यदि कांग्रेस में चले जायं तो लालच से और यदि कांग्रेस छोड़कर विरोधी दलों में आ जायं, तो उन्होंने त्याग किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): करौली के महाराज कुमार को पैसा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह: उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: बिल्कुल दिया है।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इसको चुनोती देता हूं कि उनको पैसा दिया गया है। महाराज कुमार करौली को पैसा दिया गया, अगर यह बात माननीय सदस्य सिद्ध कर दें तो मैं समझूंगा कि कि कांग्रेस से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप भी सिद्ध कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह: मैं सिद्ध नहीं कर सकता तो आप झूठे आरोप लगायें। क्या यही कांग्रेस का सिद्धान्त है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपके कहने और करने में......

श्री भैरोंसिंह: यहां पर डॉक्टर नारायणन हैं जो कानों का इलाज करते हैं। आप भी जाकर पहले उनसे इलाज करवायें। मैंने तो जनता की प्रक्रिया को रखा है कि इधर के लोग उधर चले जाते हैं तो जनता उन पर आरोप लगाती है और उधर के लोग इधर आ जाते हैं तो जनता उनका स्वागत करती है। इस सही बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह स्वंय माननीय खेतसिंह भी जानते हैं कि सन् 1952 के चुनावों के बाद वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सके। इनका नाम सीनियर है - दल बदलने की लिस्ट में। और किसी बात में सीनियर हैं या नहीं लेकिन दल बदलने में जरूर सीनियर हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह कैसे दल बदलू है?

श्री भैरोंसिंह: सन् 1952 में इन्होंने दल बदला था। अब ये मंत्रियों में सीनियर हैं या नहीं, उप-मंत्रियों में सीनियर हैं या नहीं, लेकिन दल बदलुओं में सीनियर अवश्य हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री भैरोंसिह : ऐसी स्थिति में क्या बताऊं, अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराना परिचय है।

श्री अध्यक्ष : बहुत टाईम हो गया है। समाप्त करें।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, विचार करना पड़ेगा कि इस प्रश्न की किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कौन लोग इसको स्वीकार करेंगे और कौन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हू कि इस समस्या का समाधान ढूंढने से भी संविधान में नहीं मिलेगा, आज तक की लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में नहीं मिलेगा। कोलीशन गवर्नमेंट में दल बदलने की समस्या कम होने वाली नहीं है। बल्कि यह हिन्दुस्तान में ज्यादा बढ़ेगी। यदि लोकतन्त्र को बचाना है तो केवल मात्र एक तरीका है कि हिन्दस्तान में जितनी रिकोगनाईज्ड पार्टियां है, चाहे वह स्वतन्त्र पार्टी हो, प्रजा समाजवादी पार्टी हो, संयुक्त सोशेलिस्ट पार्टी हो, साम्यवादी पार्टी हो, जनसंघ हो, जिनको रिकोगनिशन मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन से। सब पार्टियों ने अपना अपना घोषणा-पत्र प्रकाशित किया और यह घोषणा-पत्र इलेक्शन से पहले किया है। इन घोषणा-पत्रों के आधार पर ही अपने वोट लेते हैं, नीतियों के आधार पर वोट नहीं लेते हैं। उन घोषणा-पत्रों के आधार पर ही कायम रहना चाहिये, उससे दल बदलने की प्रक्रिया समाप्त हो जायगी। अब कोई यह कहे कि जो केन्डीडेट खडे होते है, वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव से भी और जाति के प्रभाव से या पैसे के प्रभाव से जीतकर आजाते हैं। ये बातें निश्चित रूप से उसके इलेक्शन पर असर डालती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वोट व्यक्ति को नहीं बल्कि वह जिस पार्टी से खड़ा होता है, उस पार्टी की नीति को मिलना चाहिये, वोट उस पार्टी के घोषणा-पत्र को मिलना चाहिये। किसी पार्टी के घोषणा-पत्र के आधार पर 100 उम्मीदवार आते है तो उनको रेशनल बेसिस पर प्रोपोरशनल केलकुलेशन के आधार पर पार्टी को अपने उन उम्मीदवारों में से योग्य, बुद्धिमान और चरित्रवान जो भी व्यक्ति वे उचित समझें, उनको लोक सभा मे भेजें। इस तरह से दल बदलने की समस्या समाप्त हो सकती ह, यही इसका राजनैतिक उपाय हो सकता है।

इन शब्दों के साथ इस बिल में कई खामियां हैं वह मेरे संशोधन के द्वारा रिमूव की जा सकती हैं जिन पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। इस बिल में कई प्रकार की खामियां हैं, अतः इस बिल को जनमत जानने हेतु भेज दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से मंत्री वेतन संबन्धी बिल पर सदन में चर्चा हो रही है। इसके बारे में भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपने मन के भाव बड़े भावनात्मक ढंग से रखे हैं—माननीय सदस्यों ने इस बिल की आड़ लेकर अपने मन के भावों का जिस प्रकार से इज़हार किया, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि उनके मन में जो मंत्री बने हैं उनके प्रति जलन है। मैं महसूस करती हूं यह होना स्वाभाविक है..

श्री रामकिशन (वेर) : आप तो आरम्भ से ही कटु हो रही हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: जिस तरह से कल माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उदाहरण दिया था कि उप-मंत्री जो बने हैं उनको राज्य मंत्रियों से जलन है, राज्य मंत्रियों को मंत्रियों से जलन है।

एक माननीय सदस्य: आपको भी जलन होगी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उसी तरह से विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी जलन होना स्वाभाविक है क्योंकि वह इस बात को महसूस करत है कि जिस तरह से वह चुनकर आये हैं कांग्रेस वाले भी उसी तरह से आये हैं, फिर केवल कांग्रेस वालों का पट्टा लिखा हुआ नहीं है कि इन्हीं को मंत्री पद मिले। आज तक तो मन मसोस कर बर्दाश्त करत रहे लेकिन इस चुनाव के बाद विरोधी दल को आशा बंध गयी थी कि हमारी सरकार बन जायगी। विरोधी दल ने साम-दाम-दण्ड-भेद आदि सब नीति से काम लिया, पूरी ताकत लगा दी माननीय सदस्यों को कानोता के किले में बन्द रखा गया, शराब पिलायी गई, राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन कराया गया, पूरी ताकत लगा ली लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे इनसे पूरी सहानुभूति है व दिली हमदर्दी है। कल एक माननीय सदस्य बोले थे उन्होंने कहा था कि श्री सुखाड़ियाजी कुशल सौदागर हैं, बड़े होशियार व्यक्ति हैं, बहुत बड़े खरीददार हैं-इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस बात को तो आपने भी माना है कि जिस व्यक्ति को हमने अपना नेता बनाया है वह व्यक्ति चतुर और कुशल है। विरोधी दल वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने बेवकूफ व्यक्ति को नेता नहीं माना है। वो भी हमारे नेता की काबलियत में विश्वास रखते हैं और उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपनी सरकार बना ली। आप सरकार नहीं बना पाये, इसका कारण आपकी नाकाबलियत है। अपनी नाकाबलियत छुपाने के लिए आपके द्वारा इस तरह के आरोप लगाना मैं उचित नहीं मानती।

एक माननीय सदस्य : जीनियस तो नहीं लेकिन इविल-जीनियस जरूर हैं,

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है, बड़ा बनाने का सवाल है, यह मुख्य मंत्री को अधिकार है, संविधान की तहत वे, जितने मंत्रियों को आवश्यक समझें, उतने मंत्री रखें। यह तो उनके सोचने की बात है राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से किस प्रकार चल सकती है, उसके लिये कितने मंत्रियों की आवश्यकता है, यह तो मुख्य मंत्री के देखने की बात है। हो सकता है परिस्थितिवश विरोधी दल के कुछ एम० एल० ए० बाधायें पैदा करना चाहें, उनको meet with करने के लिये मंत्रिमंडल इस प्रकार बनाना पड़ा हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुख्य मंत्री को अधिकार है अपने शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये उचित संख्या में मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, अभी तो पैंतीस ही बनाये हैं वे पचास भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिये कोई कानूनी बाधा नहीं है। बाकी यह बात सोचने लायक है कि जिनको मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री या संसदीय सचिव बनाया गया है, वे कुछ काम भी करते ह या नहीं-उसका लेखा जोखा

(श्रीमती कान्ता खयूरिया)

हम ले सकते हैं जनता के हित में यह सोचना ठीक हो सकता है। केवल यह कहना कि, बड़ा मंत्रि-मंडल बना दिया इस तरह से टीका टिप्पणी करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं विरोधी दल के माननीय सदस्यों की किस्मत अच्छी होती और उनको सत्ता मिल जाती तो न मालूम पचास मिनिस्टर्स होते या सौ मिनिस्टर्स होते·······

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : तो यह आपके लिये किस्मत का खेल हो गया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मुख्यमंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह संविधान के तहत किया है। यह भी कहा गया कि मंत्रियों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैं, इनके लिये भी योग्यता का कुछ मापदंड होना चाहिये। आज एक सदस्य बनने के लिये जो योग्यता है, वही मंत्री के लिये हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक एल० डी० सी० भी नियुक्त होता है तो उसकी योग्यता देखी जाती है लेकिन मंत्रियों के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं। मैं इसके लिये निवेदन करूंगी सर्विसेज के सेवा नियम बने हुए हैं सेवा नियमों के तहत ही एल० डी० सी० का भी अपोइन्टमेंन्ट कर सकते हैं व जो qualifications सेवा नियमों में हैं उन्हीं के तहत करने पड़ते हैं। उस केडर में एम० एल० एज० नहीं आते, चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों या उधर बैठने वाले जब तक उनके लिये कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं होगी मंत्रियों के लिये भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती जिस केडर के M.L.As आयेंगे उसी केडर के मंत्री होंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्वालिफाइड को तो इगनोर किया गया है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह तो मुख्यमंत्री पर निर्भर है कि वे किसको मंत्री, उप मंत्री या राज्य मंत्री या संसदीय सचिव बनाना ठीक समझते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप अपने को क्वालिफाइड समझती हैं या नहीं? हम तो समझते हैं आपको लेना चाहिये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मेरे पास तो वकालात का धंधा है! मैं इस नौकरी की की बजाय मेरा धंधा ज्यादा समझती हूँ। सुखाड़िया जी की 700) 1000) वाली नौकरी हमें मन्जूर नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आत्मसन्तोष के लिये काफी है आप अभी कमिट क्यों करती हैं, नहीं तो आपकी बात को पकड़ लेंगे।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मंत्रियों के वेतन के बारे में कहा गया कि ज्यादा है। आखिर किसी पद की डिगनिटी होती है। भैरोंसिहजी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को 2700) रुपया मिलता है जब कि मुख्य मंत्री 1,500) रुपया लेते हैं, राज्य मंत्री 1,150) और संसदीय सचिव 750) लेते हैं लेकिन चीफ सेक्रेटरी की डिगनिटी मुख्य मंत्री से ज्यादा नहीं मानी जा सकती मुख्य मंत्रीजी के कन्ट्रोल में चीफ सेक्रेटरी काम करते हैं। अगर वे जनता का ज्यादा पैसा लेते हैं तो हमें भी चाहिये कि हम भी जो 21) रुपया रोजाना भत्ता लेते हैं उसके बजाय दस रूपया कर दिया जाय क्योंकि हमें जो भत्ता मिलता है वह जनता का ही धन है ?

श्री गंगासहाय (कठूमर) : हम तो दस क्या दस की जगह पांच ही लेने को तैयार हैं ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आप मूव तो करिये हम समर्थन करेंगे । आप कहते हैं कि मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी गई मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगी कम्युनिटी डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट है उसके द्वारा डेवलपमेन्ट हो रहा है 20 हजार का और सर्विसेज का विस्तार इतना है कि जिस पर 1 लाख 80 हजार रुपया खर्च आता है । आप क्यों नहीं सजेशन देते हैं कि सर्विसेज में भी इतनी संख्या नहीं बढ़नी चाहिये । आपको कुछ कहना हो तो कन्स्ट्रक्टिव बात कहनी चाहिये सिर्फ एलीगेशन काउन्टर एलीगेशन लगाकर आप इसमें सुधार नहीं ला सकते । आखिर किसी सजायाफ्ता को लिया जाता है तो क्या उसको सुधार करने की आवश्यकता नहीं है ।

इस विधेयक पर जिस तरह के भाषण हुय उसका मैंने जवाब दिया है । मैं इस बात के लिये सहमत नहीं हूं कि किसी भी मंत्री को आउट ऑफ इन्डिया जाकर इलाज कराने की सुविधा हो और वह बिल सरकार द्वारा भुगतान किया जाय । मेरा ख्याल यह था कि आउट ऑफ स्टेट का मतलब विदिन इन्डिया होगा लेकिन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की मैं सदस्या हूँ जब कमेटी के सामने चीफ सेकेट्री को एगजामिन किया गया तो उन्होंने बताया कि आउट ऑफ स्टेट से मतलब आउट ऑफ इन्डिया से है । मैं समझती हूँ हमारे देश में सभी तरह की सुख सुविधा और इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था है ऐसी बात नहीं कि विलायत में ही जाकर ट्रीटमेन्ट कराना आवश्यक हो । मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं और इसका मैं विरोध करती हूँ ।

(3. म० प०)

मैं इस बात का तो विरोध करती हूं और इसमें कतई सहमत नहीं हूँ कि उनको ट्रीटमेन्ट के लिये विलायत जाने की छूट दी जाय । इसमें फोरिन एक्सचेन्ज का खर्चा भी पड़ेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लाल बत्ती बार बार नजर आ रही है । ऐसी हालत में क्लॉज बाई क्लॉज जब बहस होगी तब और बातों का उत्तर उस समय दूंगी ।

श्री अध्यक्ष : अब सरकारी उत्तर होगा ।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहूंगा सिर्फ । नहीं तो मारी मारवाड़ी की बात है वा रह जावेली ।

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष ।

श्री आलमअली: एक मिनिट में कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर कभी आपको अवसर दे दूंगा ।

श्री आलमअली : मैं इस मौके पर नहीं बोलूंगा तो मेरे बोलने की कदर नहीं होगी अब यह मोका है, अध्यक्ष महोदय।

कई माननीय सदस्य : बोलने दीजिये साहब इनको तो ।

श्री आलमअली : अध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश लायो जा रयो है ई में मैं एक बात बताऊं । आप परिवार नियोजन की बात करो हो । पर दूसरी तरफ अगर इण मंत्रि-मंडल की टोली बढ़ती गई तो लोग परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करेगा । जद तक ओ मन्त्रियां को परिवार बढ़तो जावेगो लोगां आपरी परिवार नियोजन

(श्री आलम अली)
की वातां पर भरोसो नी करेगा । गरीव आदम्यां ने तो आप नसवन्दी की वात कहो हो पर दूसरी तरफ सुखाड़ियाजी की नस वढ़ाता आवो हो । गरीव आदम्यां की तो नस काटणा रे वास्ते जावो हो और सुखाड़िया की नस वढाणे जावो ।

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

अगर आप सुखाड़िया की नस नहीं रोकोला तो दुनिया रोक देवेगा ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री आलमअली : अध्यक्ष महोदय, मैं सही कहूं हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आने अपने पड़ोस में बिठाकर क्या वात कहलवा दी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय गिरधारीलालजी, ऑर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनके पड़ोस में बिठाकर क्या वात कहलवादी अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे । उनमें चार पांच मुद्दे बड़े बड़े दौराने बहस सामने आये । एक तो यह कि मन्त्रि-मण्डल की संख्या अधिक है कम होनी चाहिये । दूसरी यह कि मन्त्रियों का वेतन ज्यादा है कम होना चाहिये। तीसरी यह कि दल बदल की नीति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । मिनिस्टरों को चुनते वक्त कुछ क्वालिफिकेशन का जिक्र इस सदन में किया गया ।

मेरा खयाल है कि यही बड़े बड़े मुद्दे माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखे थे । वैसे भाषा के लिहाज से जो कुछ भी कहा गया मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, माननीय सदस्यों की अपनी अपनी भाषा है । जिस तरह से वे दूसरों से अपनी अदब की अपेक्षा करते हैं वैसे ही उनको भी दूसरों को अदब देना चाहिये । फिर उनकी मर्जी है । मेरा इतना ही निवेदन है । चाहे सरकार में काम करने वाले मन्त्रीगण हों, उप-मन्त्री हों, चाहे और लोग हों, जो माननीय सदस्य उधर बैठने वाले हैं विरोधी दल के नेता हैं, और कोई हों, सब हम जनता से चुनकर इस सदन में आये हैं और सभी अपनी बराबर बराबर की हैसियत रखते हैं । इसलिये एक दूसरे की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा समझ कर ही अगर हम सम्बोधित करेंगे तो इसमें आपका भी मान बढ़ेगा और हम भी आपके आभारी होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मन्त्रियों की संख्या का सवाल है मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह मन्त्रियों की संख्या कोई मौजिकला नहीं है, मुकर्रर की हुई चीज नहीं है । यह वक्त के हालात के साथ में पार्टी का नेता मुकर्रर करके अपनी सरकार को बनाता है और चलाता है । सुखाड़ियाजी, इस चुनाव के पहले भी काफी लम्बे अरसे तक मुख्य मन्त्री रहे । कई मन्त्रि-मण्डल उन्होंने बनाये और उनकी संख्या भी माननीय सदस्यों से कोई छिपी हुई नहीं है

(श्री मथुरादास माथुर)
क्योंकि कई माननीय सदस्य, जो कि सदन के इस वक्त भी सदस्य हैं, गत चुनावों के पहले भी सदस्य रहे हैं और बराबर दस पन्द्रह सालों से पांच छ सदस्यों को तो यह नाज हासिल रहा है कि वे बराबर इस सदन में बैठे हैं। उन्होंने इस सूरत में देखा होगा कि मन्त्रि-मण्डल की संख्या हमारे राजस्थान में बहुत थोड़ी रही और अरसे तक सालों तक वह चलती रही ।

इस चुनाव के बाद में मन्त्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई । इस साल में जो देश में राजनैतिक वातावरण बना, जो मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाकर संयुक्त मोर्चे की सरकारें देश में बनीं उनके लिये बड़ा मुश्किल हो गया कि छोटी संख्या की मिनिस्ट्री को लेकर वे चल सकें । मैं मानता हूं उनकी परेशानियां थीं । उनको सभी पार्टियों के लोगों को प्रसन्न करना था ।

दलील के लिये मान लिया जावे कि राजस्थान में मिली जुली पार्टियों की सरकार बनती और हमारे विरोधी दल के नेता मुख्य मन्त्री बनते तो स्वतन्त्र पार्टी के लोगों को लेना पड़ता, जनसंघ के माननीय सदस्यों को लेना पड़ता, कुछ इधर के इन्डिपेन्डेन्ट या क्रान्ति दल के लोगों को लेना पड़ता । मुमकिन है सोशलिस्ट पार्टी के लोग उस वक्त तैयार नहीं होते, कई जगह तो हो गये हैं, तो अगर वे तैयार होते तो उनको भी लेना पड़ता, तो पांच छः पार्टियों के लोगों को लेना पड़ता, फिर कम्यूनिस्ट पार्टी का एक ही सदस्य है । मुमकिन है वे उसमें जाना पसन्द करते न करते । पर उनको ओफर दी जाती तो वे एक्सेप्ट कर लेते । तो इस तरह पांच छः पार्टियों की हुकूमत बनती तो 25-30 आदमी तो होते ।

छोटी भी बना सकते थे । उत्तर प्रदेश में यह हुआ । कहीं 25, कहीं 30, 22 और 24 इस तरह की हुकूमतें बनीं । जब राजस्थान की मौजूदा सरकार ने शपथ ग्रहण की तो हमने बहुत प्रयत्न किया कि उन्हीं पुरानी परम्पराओं पर चलें और हुकूमत न बढ़ावें और आपको मालूम होगा, देखा होगा पिछले बजट सैशन के बाद तक, कई महीनों तक अपनी सरकार के आकार को हमने छोटा रखा और बढ़ने नहीं दिया । बहुत रेसिस्ट किया । हम मानते हैं छोटा आकार होना चाहिये । कोई दो राय इसमें नहीं होती। पर देश में सभी प्रान्तों में सरकार जब बड़ी बनी और बड़ी होनी शुरू हो जावे तो छोटी कौन रहे । कहीं 25, कहीं 23 तो कहीं 24 हैं। बात यह है कि इस वक्त हिन्दुस्तान की सियासी हालत ऐसी बन गई थी कि प्रजातन्त्र को निभाने के लिये जो भिन्न भिन्न प्रान्तों में सरकारें बनीं, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उन सरकारों का आकार बड़ा रहा । तो यह छूत की बीमारी फैली ।

चारों तरफ इस तरह की आवाजें उठने लगीं । लोगों की मांग बढ़ने लगी कि अगर उत्तर प्रदेश में 25, 26, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह और बंगाल में भी इतनी ही की बन सकती हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने उत्तर देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं पर जो सही अनेलिसिस महसूस करता हूं वह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): तो क्या मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि काम की अधिकता होने की वजह से संख्या बढ़ी है, वह सही नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुरः सब्र रखने की आदत अपनी बढ़ानी होगी । मुझे भी आप सुन लें । सबको मैंने भी शान्ति से सुना है बर्दाश्त के साथ सुना है, उनकी भाषा को भी सुना है ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में काम बढ़ा है, काम को भी देखकर बढ़ाना पडता है तो दो चार पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री बनाकर 35-36 की संख्या हुई है । अगर इनमें से पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री को निकाल दीजिये तो हमारी हुकूमत भी बहुत छोटी है । आप जब विरोधी दल में बैठते हैं तो एक भाषा बोलते हैं । एक जैसा बोलते हैं । पर जब आपके ही साथी दूसरे प्रान्तों में बैठते हैं, हुकूमत में बैठते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि हिन्दुस्तान में सभी अगर छोटे बनाने लग जावें तो राजस्थान में भी छोटा हो सकता है, पहले छोटा ही था । 25 के बाद बाउन्ड्री निकल गई तो ज्यादा हो गये । पांच चार ज्यादा हो गये कम हो गये यह गौण चीज है।

तो इस द्रष्टिकोण से हरएक हुकूमत की स्ट्रेंग्थ की बैकग्राउन्ड में इसको भी देखना पड़ेगा । तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमने ही अकेले ने बढ़ाई है । वैसे यहां बैठकर कह सकते हैं आप जो चाहें । कहने का आपको हक है । और तो कुछ कह भी नहीं सकते । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस हुकूमत की स्ट्रेंग्थ के बारे में आप अपना मुंह शीशे में देख लीजिये । बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, में भी देख लीजिये । वहां शक्ल दूसरी नजर आवेगी । यहां उपदेशक के रूप में आते हैं और वहां एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठे हैं । अपनी 2 गवर्नमेन्ट की स्ट्रेंग्थ के लिये उसको रखने के लिये वही बातें वहां करते हैं तो आप अपने आचरण को भी देख लीजिये । इस माने में आपका भी आचरण हमेशा अच्छा नहीं है । इसलिये अपने दामन को भी साफ रखेंगे ऐसी मैं भी आशा कर सकता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : शीशे में जसराजजी का नम्बर आ जावेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो संख्या के बारे में हुई । अब मुझे तनख्वाह के बारे में कहना है · · ·

श्री रामकिशन : तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप ऐसा अनुभव करते हैं कि तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूं । आप इस बिल को देखें तो यह मिनिस्टर्स को जो तनख्वाह मिलती है 1,250) और 250) रु० अलाउन्स वह इस सदन ने ही पास की है इसलिये मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा · · ·

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय आप तो इतना बतादें · · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बतादें कि आकार को भी आप बड़ा मानते हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त होने पर पूछ लें ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक वेतन का प्रश्न है इस सदन ने ही मिनिस्टर्स के वेतन मुकर्रर किये थे और आज वही वेतन मंत्रियों को मिल रहा है । उस समय उप-मंत्रियों के वेतन भी सदन ने ही मुकर्रर किये थे । अब मिनिस्टर्स

(श्री मथुरादास माथुर)

ऑफ स्टेट्स और पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज का वेतन इसमें आया है क्योंकि पहले हमारे यहां पर यह राज्य मंत्री और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज नहीं हुआ करते थे और अब हो गये। अब उनके लिए तनख्वाह का तय करना है तो मिनिस्टर्स के साथ में मिनिस्टर आफ स्टेट्स का वेतन कम होगा वह किया गया, जो पहले डिप्टी मिनिस्टर का वेतन था उससे पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज का कम होगा वह किया गया। इसलिए कैसे कहा जाता है कि वेतन ज्यादा दे दिया ? वेतन तो आपने सेंक्शन किया और वही ले रहे हैं। हमने कोई नयी चीज नहीं की है। मिनिस्टर्स का वेतन आपने 1,250) और 250) अलाउन्स किया था और आपने ही इस सदन में किया था और वही मिल रहा है इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कभी कभी दलील के अन्दर, कोई अमेन्डमेन्ट्स आते हैं तो पुराने किये हुए कारनामों को और अपनी दी हुई आज्ञा को भूल जाते हैं आप इसलिए राजस्थान में जो आपने मंत्रियों का और उप-मंत्रियों का वेतन मुकर्रर किया था वही ले रहे हैं। हां, जब पिछली बार सदन ने मंत्री और उप-मंत्रियों का वेतन बढ़ाया था तो एम० एल० ए० का भी वेतन बढ़ाया था, उसे भी हम सबने मिलजुल बढ़ाया था उस समय रामानन्दजी भी थे· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने विरोध किया था। आप गलत कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपने विरोध किया लेकिन तनख्वाह तो लौटाई नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह सब चीजें कारेस्पोन्डिंग चीजें हैं मैं सब चीजें नहीं कहना चाहता हूं। जो सदन के बाहर बैठकर हमने कन्वेन्शंस कायम किये थे कि एम०एल०एज०के वेतन बढ़ाने के मामले पर बहस नहीं होनी चाहिए और मिनिस्टर्स का वेतन बढ़ाने के लिए पहले पार्टीज से पूछ लेते हैं। रामानन्द जी यहां आकर अपना मत दें और वह विरोध करते हैं तो मैं इन्कार नहीं करता· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि जहां डिस्कस हुआ था वहां भी विरोध किया था। आप कम से कम शनाख्त के रूप में तो कहें कि मैंने वहां भी इसका विरोध किया था और कहा था कि हाउस में भी विरोध करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस हाउस के इम्पोरटेन्ट लीडर्स से मिलकर एम० एल० एज० और मिनिस्टर्स की तनख्वाह मुकर्रर की थी और वही यहां पास हुआ। बिना विरोध पास हुआ। किसी ने विरोध नहीं किया सिवाय रामानन्द जी के। आज मिनिस्टरों की तनख्वाह जो कि सबसे बहस कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। आपने तय किया, आपने पास किया और अब पूछना चाहते हैं कि यह ज्यादा तनख्वाह क्यों है ? हिन्दुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ प्रान्तों के मुकाबले में हमारे यहां कहीं से 100) रुपया ज्यादा है तो 100) रुपया कम है। देश में मिनिस्टर्स की तनख्वाह यही 1000) और 1200) और 1500) के बीच में चलती है। अब गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की भी तनख्वाहें बढ़ी हैं। लेकिन हमारा उनसे मुकाबला नहीं हो सकता। हम तो 5 वर्षों के लिए आते हैं। चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। हमारी तनख्वाह का इनसे मुकाबला नहीं

Page No. 103

(श्री मथुरादास माथुर)
हो सकता । वह 55 साल तक और 58 साल तक चलते हैं । उनका कन्डक्ट और है और हमारा कन्डक्ट और हैं । इसलिए मैं उनके साथ मुकाबला करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । मुख्य मंत्री जी को 1500) मिलें । अब अगर सदन तय करे तो वह 100)हो सकता है 500)रु० हो सकता ह लेकिन जो कुछ भी आपने निर्णय लिया है उसके बाद में भी हम उसी को क्रिटिसाइज करें शोभा नहीं देता ।

यह मैंने मिनिस्टर्स की संख्या और उनके वेतन के बारे में निवेदन किया अब इस बिल में तीसरी बात और है । वह बड़ा अहम मसला बिल में तो नहीं है लेकिन बहस के दौरान में उठाया गया है । हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की । हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके लिए बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया । मैं उनकी राय से सहमत हूं । एक व्यक्ति इधर से उधर आये और उधर से इधर आये यह बुरा है । लेकिन इसका फैसला कोई इस सदन में बैठकर नहीं होगा । इसको हिन्दुस्तान के अन्दर पॉलिटीकल पार्टीज के नेताओं को मिलकर पॉलिटीकल कन्वेन्शन्स डवलप करना पड़ेगा जिनको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया उनको आपने टिकट दे दिया, कुछ आपने उसका फायदा उठा लिया और जिताकर ले आये और कहा कि यह तो हमारा है और जीतकर आया और उसने देखा कि मैंने तो मन्जिल पार कर ली है फिर वह इधर आ गया तो जिस महफिल का बंदा है उसी महफिल में जायेगा । बीस-बीस साल से कांग्रेस में वह थे, किसी बात पर नाराज हो गये और टिकट लेकर उधर आकर बैठ गये, उन्होंने सोचा कि नाराजगी पहुंचने तक की थी और अब पहुंच गये मन्जिल के ऊपर अब जिस महफिल में पहले थे वहीं जाकर बैठ गये तो क्या हुआ । आपने भी कोशिश की और हमने भी की । गुनाह तो आपका भी और हमारा भी है । आप शुरूआत में 1 ले पाये और हमने 10 ले लिये। हमने तो उनको लिया जो पहले शुरूआत में हमारे थे । मगर यह परम्परा रुकनी चाहिए····

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हमको 1 नम्बर मिल गया और आपको 10 नम्बर मिल गए ।

श्री मथुरादास माथुर : आप जो भी कहेंगे सुनना पड़ेगा । इसलिये कोई यह कहता हो कि हम गुनहगार नहीं हैं यह नहीं है । अब कुछ कहते हैं कि कुछ माननीय सदस्य खरीदे हुए हैं तो कौन साबित कर सकता है । क्या उधर गये तो वह खरीदे नहीं गये । कोई दबाव में गया, कोई दोस्ती में गया । मगर जो पहले कांग्रेसी थे और उधर चले गये तो उनकी तो आपसे 3 महीने की दोस्ती थी और हमारी 30 साल की दोस्ती थी । अब इसके बाद क्यों लम्बी लम्बी चर्चा करके सदन के अन्दर अपना भी समय जाया करें और सदन का भी करें ।

कल रामानन्द जी ने बहुत बड़ी बात की थी और मैं उनसे ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तियों का इधर उधर आना और जाना बुरा है लेकिन विचारों के बदलाव वाली बात तो और भी बुरी है । रामानन्द जी हमारे यहां ही बड़े हुए और कम्युनिस्ट होकर उधर चले गये । विचारों से चले गये । मुबारक हो । लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा तो यहीं हुई थी । उधर चले गये और अभी जब हुकूमत बनाने का सवाल पैदा हुआ—मैं रामानन्द जी से पूछना चाहता हूं और सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री मथुरादास माथुर)
का यही उद्देश्य है कि इस देश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं रहे बाकी कोई हो जायें। कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत मेरे ख्याल से राजस्थान में आये या नहीं आये कह नहीं सकते पर हमारी उम्र में तो नहीं आयेगी''

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपनी उम्र कम क्यों आंक रहे हो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो 100 वर्ष की मानता हूं इसलिए कहता हूं कि नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मिली-जुली पार्टियों की हुकूमत बने, कोइलेशन गवर्नमेन्ट बने रामानन्द जी ने कहा कि जनता कांग्रेस से थक गयी है जनता इस बात से तो थक गई है कि हम 40 पर्सेन्ट वोट लेकर आते हैं, लेकिन यह हाउस रामानन्द जी से अकेले से ही थका हुआ है। एक माननीय सदस्य मतदान से जीतकर इस विधान सभा का मेम्बर है और हमारे साथ बैठा हुआ है और जनता ने जिता कर उसको भेजा है। तो जनता तो थकी हुई नहीं है। जनता को किसी तरफ हम जिधर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही इम्तिहान में सदस्य पास होने के बाद आप सब मिल गये'''

श्री विजयसिंह (मकराना): आपका गला बैठ गया है।

श्री मथुरादास माथुर: बैठ जा भाई, तेरे लिये तो यह गला काफी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जनता कांग्रेस से थकी नहीं है। आज भी सबसे बडी पार्टी है। 100 में से 41 वोट कांग्रेस को मिले हैं। उसके बाद भी 1-2 एम० एल० एज० कम हो गया या एक दो एम०एल०एज० ज्यादा हो गये यह तो बहुत जगह चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है जैसा कि रामानन्दजी ने कहा है कि जनता थक गई है यह बात समझ में नहीं आती है। आपने जो कहा है तो आपके विचार को मैं सब कुछ समझ सकता हूं। मैं रामानन्दजी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी के उद्देश्यों में यह लिखा हुआ है कि कांग्रेस का राज्य खत्म करो चाहे काले कुत्ते का राज्य हो? अगर यह बात लिखी हुई है तो उनका स्टैन्ड ठीक था। इनका उद्देश्य देश में साम्यवाद लाना है। यह इनका आब्जेक्टिव है, आइडियल है। वह आब्जेक्टिव अगर कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती है तो मिली-जुली पार्टियां कभी नहीं कर सकेंगी। आप अपने विचारों पर द्रढ़ हैं, लेकिन उस वक्त आपने सोचा कि इस हुकूमत के अन्दर कहीं न कहीं कोई जगह ले लें। एक ही है तो भी 100 का काम कर सकते हैं। वक्त भी ऐसा आ गया था। इधर से उधर आ गये उसको आप बुरा कहते हैं कि दल बदल हुआ। दल बदल कैसे हुआ? आपने अपने लिए दल बदला था। आपने अपनी पार्टी के आब्जेक्टिव्ज को सरेन्डर करके रिएक्शनरीज के साथ में कम्प्रोमाइज किया था, इस प्रकार का जो कम्प्रोमाइज करता है वह आदमी सबसे बडा गुनहगार है। 30 वर्ष तक हमारे साथ रहे और तीन महीने उधर रहे वे उधर से इधर आ गये। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि शीशे के मकान में बैठकर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उपदेश देने का उसी को हक है जो खुद उस उपदेश पर चले और उसका आचरण वैसा हो। मेरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियां

(श्री मथुरादास माथुर)
बैठकर एक ऐसा कन्वेन्शन डेवलप करें कि जिस पार्टी का मेम्बर हो वह पार्टी छोड़कर न जाय और यह कन्वेन्शन टिकिट के समय से ही शुरू करना पड़ेगा तब जाकर यह बीमारी बन्द होगी। उसके बाद में कोशिश करें कि सिंगल मेजोरिटी पार्टी को डिफीट देकर हुकूमत बनायें। रामानन्दजी, यह पावर का झगड़ा है और उसी पावर को हड़पने के लिए स्वतन्त्र पार्टी से भी समझौता करने का फैसला किया था। जो राजा-महाराजाओं से संघर्ष किया है यह दुहाई देते हैं राजा-महाराजा के नेतृत्व में तुम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो गये थे। इसका जवाब क्या है?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। 'तुम' वर्ड जो है वह अनपार्लियामेन्ट्री है। बारबार माननीय मंत्रीजी माननीय सदस्य के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप बड़ों के लिए होता है। रामानन्दजी को तुम ही कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्नेहपूर्ण है। उसका वे बुरा नहीं मानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्द जी के लिए मेरे मन में इज्जत है। उनके विचारों के लिए मैं उनकी इज्जत करता हूं। इसलिए मेरे कहने का वे बुरा नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दल-बदल के बारे में कई कल चर्चाएं की गईं और उपदेश दिये गये इसलिए थोड़ी सी बात मैंने दल-बदल के बारे में कही। राजस्थान के लेवल पर, आल इण्डिया लेवल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बैठकर निश्चित करें, कन्वेन्शन डेवलप करें और सब एग्री हो जायं तो इलेक्शन रूल्स के अन्दर भी प्रावधान कर दिया जाय तो सभी देश का कल्याण हो सकता है। हमें आपत्ति नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इलेक्शन मेनिफेस्टो के आधार पर उसको जीते इसका विचार रखें। तो सब देश का चिन्तन होकर फैसला होना चाहिए और फैसला जरूर होना चाहिए अगर प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना है तो आज जिस पार्टी की विचारधारा के समर्थन में चुनाव लड़कर कामयाब हुआ है वह उसमें रहें चाहे हुकूमत में रहें या न रहें, चाहे मेजोरिटी में हों चाहे माइनोरिटी में आयें। तभी स्वस्थ परम्परा डलेगी और यह प्रजातन्त्र टिक सकेगा।

मैं चौथी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि म्युनिसिपल लॉ में, पंचायत और जिला परिषद एक्ट के अन्दर प्रावधान है....

श्री भैरोंसिंह : इसी क्लाज में एमेंडमेंट आया हुआ है उस समय कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : एमेंडमेंट बाद में आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय एमेंडमेंट मूव होगा उस समय फिर आपको यह बात कहनी पड़ेगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ पास नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

कर रहे हैं उसमें प्रावधान है। हर कानून में होता है। हमारे रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी डिस्क्वालिफिकेशन का चेप्टर 3 का सेक्शन 7 है वह एम० एल० ए० के लिए है। एम० एल० ए० अगर कोई डिस्क्वालिफाइड है तो एम. एल. ए. के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट है, जो कानून बनाया है उसमें भी डिस्क्वालिफाइड को रखा है। सिक्स इयर्स के बाद डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है। यह कानून में प्रावधान है। एक दफा कोई इन्सान गलती कर लेता है तो 6 साल के बाद कानून के आधार पर हमारे जो कानून बने हुए हैं उनमें 6 साल बाद डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाते हैं। यह जो पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट है उसमें 5 साल के बाद डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है। वह धारा जो इसकी दी हुई है वह विस्तृत रूप से है और आप सब उसको जानते हैं। आपसे नम्र निवेदन इतना ही है कि माननीय सदस्य अगर डिस्क्वालिफाइड थे तो धारा सभा के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। डिस्क्वालिफाइड न रहे और फैसला होने के बाद चुनाव जीत कर आ गये। सबसे बड़ा सुप्रिम कोर्ट तो जनता का है। आप रोजमर्रा जनता की दुहाई देकर हमको उपदेश करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का पाइंट रेज किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के सामने तो उसने रद्द कर दिया और वे चुनाव जीत कर सदन में आकर बैठ गये तो सदन म और जितने मेम्बर हैं वे उनके बराबर हैं। पुरानी गलती में समझता हूं कि कोई हो सकती है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव होकर, चुनाव लड़कर आ गये और जनता ने उनको अपना मत दे दिया। जनता से मत लेकर जीत कर आना सबसे बड़ा टैस्ट है और टैस्ट में जो आदमी पास हो गया जिस टैस्ट में पास होकर अन्य माननीय सदस्य इस सदन में आये हैं उसी टैस्ट में पास होकर, उसी टैस्ट से निकलकर यहा आने के बाद एम. एल. ए. बन गये और जनता ने चुन लिया तो सुखाड़ियाजी जनता से ज्यादा नहीं हैं। उसके आधार पर जब चुनाव जीत कर आ गये और सब डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो गई उनको पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री न बनाया जाय, डिप्टी मिनिस्टर न बनाया जाय, यह सलाह उस वक्त दी जाती जब उनको डिप्टी स्पीकर के लिए खड़ा किया गया था और 86 वोट मिले थे।

श्री भैरोंसिंह : वह बहुत बुरी चीज थी। अच्छा नहीं हुआ। हम उसको एडमिट करते हैं कि अच्छा नहीं हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आप भी उसको एडमिट कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी दलील सुनने के बाद कहें। इस सदन के माननीय सदस्य सब बराबर हैं। उसके बाद में जाकर जो अपार्चुनिटी मिलती है तो वह डिसमिस हुआ था, क्या हुआ था यह दलील देकर उसको डिबॉर नहीं किया जा सकता है। वह जनता के इम्तिहान में पास होकर अपनी कान्स्टीटुएन्सी से चुनकर आया है और सबसे सुप्रिम कोर्ट जनता है जिसमें वह पास हो चुका है उसको कोई रोक नहीं सकता। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट की रूलिंग पढ़ी थी कि 15-20 रोज की सजा उन्होंने भुगत ली और सेटिल हो जायें लाइफ में। 56 के अन्दर गुनाह हुआ उसकी उनको सजा

(श्री मथुरादास माथुर)
मिल गई। उसके बाद में 67 में कहा जाय कि उसको आगे नहीं ब ने दिया जाय यह एक गलत दिशा है। क्रिमिनल लॉ में भी ऐसा नहीं माना जाता है। कानून की दृष्टि से, मोरल पाइंट ऑफ व्यू से सब को देखकर जो कुछ सुखाडियाजी ने किया है ठीक किया है। उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ और छोटी मोटी बातें कही गई। ये चार मोटी मोटी बातें थीं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह कहा गया कि मिनिस्टर को बीमारी के लिए लन्दन भेजा जायगा। 52 से राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी और 16 साल हो गये कांग्रेस के राज्य को लेकिन कोई भी मिनिस्टर विलायत गया है इलाज के लिए? एक साथी गये थे वे आज इस दुनिया में नहीं हैं। वह भी तब गये जब हिन्दुस्तान के सभी डाक्टरों ने कह दिया कि हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी नहीं है और इनकी दोनों किडनीज काम नहीं कर रही हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाने के लिये इनको बाहर जाना पड़ेगा इसलिये उनको बाहर भेजा था। उसको रेगुलेराइज करने के लिये इसमें प्रावधान किया है। यह भी है कि आगे भी कोई ऐसे केसेज हो सकते हैं। यहां पर अगर इलाज नहीं हो सके तो बाहर भी भेजना पड़े। यह कहा गया कि मिनिस्टर का सर दुखेगा तो बाम लगायेंगे इंग्लैंड में और जर्मनी में जाकर नहायेंगे। यह सब ऐसी बात हैं जिनको हम भी जानते हैं कि धारा सभा सबसे बड़ी सभा है। विधान सभा ही एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है। यह प्रोविजन तो इसलिये रखा जाता है कि कभी काम पड़ने पर दिक्कत न आवे। इसलिये माननीय सदस्यों ने बहुत हाथ ऊंचे करके भाषण दिये उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह उस केस में काम में आता है जब हिन्दुस्तान में जान बचाने के लिये कोई चारा नहीं हो। ऐसे केस को रेगुलेराइज करने के लिये यह किया गया है। घबराने की बात नहीं है। आज तक राजस्थान से बाहर सरकारी पैसे से कोई नहीं गया है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): यह आप मिनिस्टरों के लिये ही क्यों लाये एम० एल० एज० के लिये क्यों नहीं लाये ?

श्री मथुरादास माथुर: यह मिनिस्टर्स का बिल है। एम० एल० एज० का बिल अलग होता है। एम० एल० एज० का बिल आयेगा तो उस पर भी सिम्पेथटिकली विचार किया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): आपने मिनिस्टरों के लिये तो व्यवस्था की स्पीकर और डिप्टीस्पीकर के लिये क्यों नहीं व्यवस्था की ?

श्री मथुरादास माथुर: उनके लिये भी अलग बिल होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): विधान सभा के चेयरमेन को भी शामिल कर लें।

श्री मथुरादास माथुर: मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों को नाराजगी इसलिए नहीं है कि मिनिस्टरों के लिये इस प्रकार का प्रोवीजन किया गया उनको नाराजगी इसलिये है कि एम० एल० एज० के लिये इस प्रकार का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। इस बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनके

(श्री मथुरादास माथुर)
लिये कोई बिल आयगा और उस पर विचार होगा तो उस समय सिम्पेथेटिकली विचार करना चाहिये इसमें दो राय नहीं है, अवश्य विचार करेंगे । कई लोग कहते हैं कि मिनिस्टर गाड़ियों पर झंडे लगा कर चलते हैं । झंडा लगाकर चलना तो आपकी शान है, हमारी शान ह । यह तो हमारे हिन्दुस्तान का सिंबल है । वह दर्द आपको क्यों होना चाहिये ? वैसे हमने झंडे लगाना बंद कर दिया है ।

श्री विजयसिंह रावत : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । किन किन मिनिस्टर्स को किस किस हालत में लगाना चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रूल्स बने हुए हैं उनको आप देख लीजिए। उनमें जो अंकुश लगाया है उनका अगर कोई ब्रीच करता है तो यह एक ओफेन्स है । यदि कोई इस तरह का ओफेन्स करता है तो आप ही कह सकत हैं या होम मिनिस्टरी के नोटिस में लाइये, वे ही प्रोपर ऑथेरिटी हैं । मिनिस्टर का हर कदम कानून से आगे पीछे चलता है उसी को आधार बना सकते हैं । इसलिये हमने यह बिल आपके सामने रखा है । जनमत आपसे ज्यादा हो नहीं सकता । आशा है आप इसे पास करेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : एक प्रश्न पर जरूर शंका है उसका समाधान कर दीजिए । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्रीजी ने माना है कि राजस्थान में मंत्रियों की संख्या ज्यादा ह····

श्री मथुरादास माथुर : पहले के मुकाबले में ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन उसका जस्टिफिकेशन यह कह कर देते हैं कि जहां कहीं पर विरोधी सरकारें बनी हैं उनको देख लीजिये और आप भी विरोधी सरकार बनाते तब भी इतना ही बड़ा मंत्रि-मंडल बनता । यह तर्क भी आपका यदि मान लिया जाय तो इसमें क्या तर्क है कि आपकी एकदलीय सरकार है, और एकदलीय सरकार वाले किसी प्रदेश में इतना बड़ा मंत्रि-मंडल नहीं है, फिर आपके यहां क्यों है इसका क्या जवाब है ?

श्री मथुरादास माथुर : है जवाब । मेरे पास सबका जवाब है । हमने शुरू में एक्सटेन्शन नहीं किया था । जब हिन्दुस्तान में सब जगह 24-25 से ज्यादा बढ़े तब उस समय पर्टिकुलर प्रेशर के कारण बदलना पड़ा । हमने समझा कि पहले जितना बड़ा मंत्रि-मंडल कर देना चाहिये । 5-4 ज्यादा हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं । यदि हिन्दुस्तान के और प्रान्तों में 10-11 हो जायं तो हम भी विचार कर लेंगे ।···

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एस० वी० डी० की सरकारें कांग्रेस जैसी नहीं हैं । लेकिन जिन प्रान्तों में विरोधी दल की एकदलीय सरकारें हैं उनको देख लीजिये जैसे मद्रास में डी० एम० के० की सरकार में कितने मंत्री हैं और आपकी कांग्रेस की एकदलीय सरकार में कितने मंत्री हैं··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, सन् 1968 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय ?

(३।१।६६)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय…

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव जो श्री डागा ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव वापिस लियो गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खंड (2) श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज संख्या (2) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"After clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the principal Act, add the following proviso:-

"Provided that no person shall come in the category of a Minister, Minister of State or Deputy Minister who is indebted to the Government of Rajasthan or the Government of India or private persons."

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इस संशोधन के पीछे जो भावना है वह इस सदन को अपने आप में मालूम हुई होगी। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान की सर्विसेज के संबन्ध में कंडक्ट रूल्स बनाने के लिये कमीशन नियुक्त हुआ था। उस कमीशन ने हिन्दुस्तान की स्थिति और हिन्दुस्तान की स्थिति के साथ साथ अन्य देशों में सर्विसेज के कंडक्ट को किस प्रकार प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उस संबंध में जानकारी करने के बाद एक अपना प्रतिवेदन उस समय की ब्रिटिश हुकूमत को पेश किया। हाउस ऑफ कोमन्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रूल्स बने हुए थे और उन रूल्स का एप्रूवल हुआ था उस समय भी उस पर काफी वाद-विवाद हुआ और उसके बाद ही ऐसे कमीशन की नियुक्ति हुई थी। उस कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में किस प्रकार का आचरण सरकारी अधिकारियों का होगा उसके ऊपर कई बातें लिखते लिखते इस बात को स्वीकार किया कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिये भी उसी प्रकार की व्यवस्था की जाय जिस प्रकार की ब्रिटेन में है। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिये उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की कि किसी ऐसे व्यक्ति को

(श्री भैरोंसिंह)

जिस पर कर्जा है, सरकार का है, या जनता का है, उस कर्जदार को इंडियन सिविल सर्विसेज में नहीं लिया जाय। इस सिद्धान्त पर वाद-विवाद होने के बाद हाउस ऑफ कोमन्स ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। मुहर लगने के पश्चात् इंडियन सिविल सर्विसेज के लिये व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे किसी व्यक्ति को इंडियन सिविल सर्विस में शामिल नहीं किया जायगा जिस पर किसी प्रकार का कर्जा हो। अंग्रेज यहां से चले गये। और उनके यहां से चले जाने के बाद हिन्दुस्तान में इंडियन आई० ए० एस० के नाम से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को हमने स्वीकृत किया और आई० ए० एस० के लिये भी वही व्यवस्था की जो आई० सी० एस० के लिये थी। आई० सी० एस० के कंडक्ट रूल्स उसी रूप में स्वीकृत हुए। मुझे मालूम है कि राजस्थान में कई अधिकारी जो अपनी सीनियोरिटी के कारण, मेरिट के कारण बहुत पहले आई० ए० एस० में आने थे उन लोगों के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि उन पर कुछ कर्जा है। अब यह कर्जे की बात क्यों शामिल की गई। इसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दुस्तान में जिस समय करप्शन की हवा बनने लगी थी उस करप्शन की हवा में सरकारी अधिकारी किसी प्रकार कन्ट्रीब्यूट कर पाते तो उस चीज को रोकने के लिए कमीशन ने विस्तार से चर्चा करके दो चेप्टर में इस करप्शन के मूल कारण को बताते हुए इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था। 1933 से लेकर अब तक आज इस सदन का कोई सदस्य इस बात को मानने के अन्दर गुरेज नहीं करेगा कि हिन्दुस्तान में 1933 में जिस प्रकार का करप्शन था उससे अधिक सीमा के अन्दर आज के दिन करप्शन है, उससे अधिक सीमा के अन्दर आज के दिन सर्विसेज में करप्शन है, उस सीमा से अधिक के अन्दर आज के दिन करप्शन का वातावरण है। उस वातावरण के कारण हम आज किसी अधिकारी के लिए तो इस प्रकार की पाबन्दी लगा दें, हमने, अध्यक्ष महोदय राजस्थान की सर्विसेज के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में आता है तो इस प्रकार की घोषणा करनी पड़ेगी कि वमेरे ऊपर सरकार का कितना कर्जा है, जनता के किसी व्यक्ति का कितना कर्जा है या किसी अन्य प्रकार का सरकार का कितना कर्जा है। यह उसको घोषणा करनी पड़ेगी और यदि आगे जाकर कर्जा लेता है तो सरकार को सूचना देनी पड़ेगी और यदि कर्जे की अदायगी करता है तो सरकार को सूचना करनी पड़ेगी। यह हमने व्यवस्था केवल इसलिये की है कि सरकारी अधिकारी फाइनेन्शियल मैटर्स के अन्दर, अपने कर्जे के बर्डन से दब कर अपने आचरण में किसी प्रकार की गलती न कर बैठे। अब माननीय वित्त मंत्रीजी ने अभी सरकारी सर्विसेज और मंत्रियों-इन दोनों में भेद किया और भेद इस आधार पर करने की कोशिश की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट में हमने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की हैं। यह बात सही है कि कोन मेम्बर चुना जाय-इसके लिए - उन्होंने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है, लेकिन चुनने के बाद, जिस प्रकार से हमने

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारियों की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, जो कानून हमने बनाया है, क्या वह कानून मंत्रियों पर लागू नहीं कर सकत। आज अगर इस बात की दूसरे से अपेक्षा करत हैं तो उसको अपने आप पर लागू करने की चेष्टा करें तो न तो उसमें संवधानिक बाधा उपस्थित हो सकती है, न उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट के द्वारा कोई बाधा उपस्थित हो सकती है। यह राजस्थान सरकार और सदन–इन दोनों के सोचने और स्वीकार करने की बात है कि हम सब इस बात को स्वीकार करके चलें या नहीं चलें। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, राजस्थान के अन्दर कानून बना हुआ था कि राजस्थान में अगर कोई मंत्री गाड़ी खरीदने के लिये सरकारी कर्जा लेना चाहे तो वह सरकारी कर्जा ले सकता है। उस कानून में यह भी व्यवस्था थी कि अगर मंत्री पद से व व्यक्ति हट गया तो हटने के साथ ही उसको बकाया राशि की भुगतान करना पड़ेगा। यह इस प्रकार के राज्य सरकार ने नियम बनाये लेकिन माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि हम राज्य सरकार का कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहते। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो नियम पहले बनाये, 7 जुलाई, 55 के गजट में जो प्रकाशित हुए, और इन नियमों में जो एग्रीमेंट का क्लॉज रखा है, उस एग्रीमेंट के क्लॉज में यह बात रखी है :

"और यदि जब सूचना देने पर ऋणग्रहीता सम्पूर्ण ऋण की बकाया राशि को ब्याज सहित एक मुश्त प्रत्यार्पित करने में असफल रहता है तो विधि द्वारा किसी अन्य उपाय के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की तरह व्यवस्था की जा सकती है।"

जब यह व्यवस्था कर दी तो यह मारैल ड्यूटी थी कि मंत्री नहीं रहते हैं तो तुरन्त रुपये का भुगतान करें। अब हमारी सरकार ने उसमें संशोधन किया है कि मंत्री नहीं रहें इसकी चिन्ता की बात नहीं है, 180 दिन तक उनको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और 180 दिन के बाद मंत्री बन जाते हैं तो फिर इन्सटालमेंट में उसका भुगतान किया जाय। अब 180 दिन की बात क्यों पैदा हुई। वह इसलिये हुई कि हमारे राजस्थान के मंत्रि-मंडल के कुछ सदस्यों ने मंत्रिमंडल द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया। मंत्रि-मंडल के बनाये हुए नियमों में था कि मंत्री पद से हटते ही रकम का भुगतान किया जाय, लेकिन कुछ ने रकम का भुगतान किया नहीं। यह सरकार की जो लिस्ट है उसके आधार पर मैं सदन में बताना चाहूंगा कि राजस्थान के कुछ मंत्रियों में कार की बकाया थी, जिनमें बकाया है उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मुझे मजबूरी से नाम लेने पड़ रहे हैं। एक ने लिये हैं 16 हजार, वह हैं श्रीमती प्रभा मिश्रा। 16 हजार रुपये लिये और 10,889 रुपये की उनमें बकाया है। यह सदन जानता है कि वह कई दिनों तक मंत्री और उप-मंत्री के पद पर नहीं रहीं। इसी प्रकार श्री अमृतलाल जी यादव ह, इन्होंने 15 हजार रुपये का कर्ज लिया और 13,086 रुपये इनमें बाकी हैं। इसी प्रकार से भीखा भाई हैं जिन्होंने

(श्री भैरोंसिह)

15 हजार रुपये का कर्ज लिया और 13,435 रुपये इनमें बाकी हैं। इसी प्रकार से ब्रजसुन्दर जी शर्मा हैं इनमें 6,640 रुपये की बकाया है। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कानून बनाकर इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू करने को कहा है तो यह देने का किसको अधिकार दिया था और किस मंत्री को अधिकार था कि स्वयं मंत्रि-मंडल द्वारा बनाये हुए नियमों का उल्लंघन करें। आवश्यकता तो यह थी, सरकार की मारेल ड्यूटी यह थी कि मंत्रि-मंडल द्वारा बनाये गये नियमों का जो पालन नहीं करता है उस आदमी के लिए आप और कड़ा पीनल-क्लॉज इन्ट्रोड्यूज करते। लेकिन वह पीनल क्लाज इन्ट्रोड्यूज नहीं किया। वह पीनल क्लॉज इन्ट्रोड्यूज करने के बजाय बाकायदा हिसाब लगा कर देखा गया कि यह कितने दिन के बाद में मंत्री बनाया गया है। अमृतलाल जी यादव ने जिस समय यह कर्जा लिया और जिस समय वह मंत्री पद से हटे उसके कितने दिन के बाद वह पुनः मंत्रि-मंडल में शामिल किये गये, वह छः महीने का अर्सा निकला और वह छः महीने का अर्सा इसमें कायम किया गया। इस प्रकार सरकार कानून बनाती है। यह मंत्रियों की सहूलियत के लिए कानून बनाती है, यह कानून बनाती है यह डिफाल्टर्स को सहूलियत देने के लिये कानून बनाती है। यह सरकार स्वयं जो नियम बनाती है और जो उन नियमों का उल्लंघन करें उनके लिए यह कानून बनाती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह राजस्थान सरकार जनता से तो यह अपेक्षा करती है कि सरकार के नियमों का पालन किया जाय लेकिन सरकार के मंत्री नियमों का खुले आम उल्लंघन करते हैं उनको राजस्थान की सरकार प्रोत्साहन देती है। यह प्रश्न है, मैं समझता हूं इसका नैतिकता की दृष्टि से राजस्थान सरकार के पास कोई उत्तर नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि बहुमत के बल पर आप इस कानून को पास करा लें।

दूसरा प्रश्न आता है राजस्थान के वित्त मंत्री उसे जानते हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, और उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, उनको स्वयं को मालूम है कि राजस्थान के कितने मंत्रियों में राजस्थान की ओर बकाया है और वह किस किस प्रकार की बकाया है। इसकी उनके पास में सूची होगी और उनके मस्तिष्क में होगा क्योंकि एक नहीं, जनता के लोगों की कितनी ही डिग्री चल रही है और ऐसी स्थिति में डिग्री होल्डर्स उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं क्यों कि मंत्री महोदय सरकार में बैठे हुए हैं और सरकारी अधिकारी उनके कैसेज को कमजोर कर रहे हैं जिससे कि डिग्री एक्जीक्यूट नहीं हो और माल की कुर्की हो। एक तरफ तो सरकार के पैसे की वसूली नहीं हो रही है और दूसरी तरफ क्योंकि मंत्री महोदय सरकार में बैठे हैं इसलिये पी० डी० आर० में केस ल तो पी० डी० आर० का वियड्राअल हो सकता है और अगर डिग्री लेकर उनकी सम्पत्ति से वसूली करना चाहें तो वह नहीं हो सकेगी। मेरा निवेदन है कि जो मंत्री कर्जदार हैं, कर्ज चाहे सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे जनता का हो, कम से कम

(श्री भैरोंसिंह)
जो व्यक्ति कर्जदार हैं उस व्यक्ति को मंत्रि-मंडल में नहीं लिया जाय। फिर प्रश्न पैदा होगा, माथुर साहब कह चुके हैं, हजार रुपयों में से एक पैसे की बचत नहीं होती। उनके कहने को मान लें कि बचत नहीं होती होगी तो तमाम मंत्री बतायेंगे कि हजार में से एक पैसे की बचत नहीं होती तो फिर 13 हजार का और 15 हजार का कर्जा कैसे चुकाया जाता है? या तो यह बात होगी कि कहीं कोई इन्डस्ट्री चल रही हो, या और से उधार लेकर चुकाते हों। वह स्थिति नहीं है। सब जानते हैं कि इलेक्शन में कितना खर्चा होता है। इलेक्शन के खर्च की स्थिति में कर्ज चुकाना, ईमानदार व्यक्ति द्वारा कर्ज चुकाना यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। लेकिन कर्ज चुकता जा रहा है। कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज धड़ाधड़ चुकता है तो समझ में नहीं आता कि कर्ज की रकम कहां से आती है? कर्ज की रकम कहां से आती है—इस प्रश्न में जाकर लोगों को कई प्रकार के सन्देह होते हैं, लोगों को कई प्रकार की बात ऐसी मिलती हैं जिनसे उनको शंका होती है कि यह कर्ज सही तरीके से नहीं चुकाये जात। कर्ज चुकाने के लिए ऐसे मेथड्स एडाप्ट किये जाते हैं, जो मेथड्स कानूनन रूप से अनुचित हैं, जनता की द्रष्टि से अनुचित हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। बाकी बातों को आप भले ही न मानें कम से कम इस संशोधन को तो मानें क्योंकि जनता के समक्ष आपने एक आचरण प्रस्तुत किया है सरकारी सर्विसेज के माध्यम से। कई बार सर्विसेज के लोगों से बात होती है तो वह चिढ़ात हैं कि आपने हमारे लिए तो कानून बना दिया कि हम कर्ज लेंगे तो सरकार को इत्तला देंगे और कर्ज चुकायेंगे तो सरकार को इत्तेला देंगे। लेकिन क्या मंत्री महोदय चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार की सूचना देते हैं कि इतना कर्ज लिया है और इतने कर्ज को चुकाया है? कोई नहीं देता है। माथुर साहब सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा

श्री मथुरादास माथुर: सिर नहीं हिला रहा हूं सूचना देनी पड़ती है और सूचना दे रहे हैं। मैं मंत्री हूं आठ-दस साल से, बराबर मैं चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कोड ऑफ कन्डक्ट के अनुसार प्रोपर्टी की लीस्ट भेजता हूं, लोन का ब्यौरा भेजता हूं कोई तब्दीली होती है तो वह भेजता हूं। हर साल देनी पड़ती है लाजिमी तौर पर।

श्री भैरोंसिंह: माथुर साहब को इसके लिए धन्यवाद है। मैंने भी माथुर-साहब को प्रवोक किया था ताकि वह बोल जायें। अब वह बोल गये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते है कि इस प्रकार की नियमों में व्यवस्था है तो आप सदन को बतायें कि किस किस मंत्री ने कर्ज की रिपोर्ट पेश की है।

श्री मथुरादास माथुर: मैं निवेदन कर दूं कि कोड ऑफ कन्डक्ट तय हो चुका है और मंत्री को सूचना देनी पड़ेगी। मैं सूचना देता हूं। मैंने इत्तेला दी है। अब किस ने दी है और किसने नहीं दी है यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कोड ऑफ कन्डक्ट के अन्तर्गत अगर कोई इत्तेला नहीं देते हैं और चीफ मिनिस्टर के पास इत्तला नहीं पहुंचाते हैं तो वह रिमाइन्डर इश्यू करते हैं कि तुम्हारा इस साल स्टेटमेंट नहीं आया, वह भेजिये

श्री भैरोंसिंह: बहुत मुद्दे की बात यह है कि सरकार का जो सविसेज का एक सिद्धान्त था उसको आपने स्वीकार किया है कर्जे की सूचना देना, कर्जे की अदायगी की सूचना देना, वित्त मंत्री के नाते किस किस मन्त्री में कितना कर्जा है?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह: मुझे अफसोस है कि इस राजस्थान मंत्रि-मंडल में ऐसे मन्त्री हैं कि जिनको यह पता हैं कि जनता में कितना बकाया है लेकिन मंत्रियों में कितना बकाया है यह पता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर: मन्त्रियों के कितना कर्जा है, वह दूसरा प्रश्न है। वित्त मंत्री को इत्तिला देते हैं लेकिन किसने दी है किसने नहीं दी है, यह मुझे मालूम नहीं है। राज्य सरकार का कर्जा और चीज है। इसका स्टेटमेंट है। इसकी जानकारी है। आप इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछिये, उसका मैं जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: राज्य सरकार के कर्ज के लिये आपकी जिम्मेदारी है। जनता का कर्जा कितना है, यह जानकारी मैं नहीं चाहता हूं जनता का कर्जा कितना है, यह मैं मुख्य मंत्री से पूछूंगा। यह तो मुख्यमंन्त्री ही बतायेंगे कि कितना कर्जा है।

श्री मथुरादास माथुर: राज्य सरकार का कितना कर्जा है इसके लिए आप प्रश्न पूछें। ऑफ हैन्ड यह अभी मैं इस वक्त नहीं कह सकता। जो लोन लिया है, एल० आई० सी० का है सब कुछ जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह: तो अध्यक्ष महोदय, इस एश्योरेंस के ऊपर कि माननीय मन्त्री महोदय सदन को जानकारी देंगे तो राजस्थान के किस किस मंत्री पर लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन और फाइनेंस कारपोरेशन का और बाकी ऐसा कितना कर्जा है, इस बात की वह जानकारी सदन के अन्दर दे देंगे।

इस स्थिति में जो अमेंडमेंट पेश किया है कि हम इस प्रकार की पाबन्दी लगाकर क्यों नहीं चलते और पाबन्दी इस लिए क्यों नहीं लगाकर चलें कि अगर हमने इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई तो कर्जा लेना और कर्जा लेकर चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ कर पैसे के बल पर मन्त्रि-मन्डल में शामिल होना मंत्रि-मण्डल में अपने पदका दुरुपयोग करके कर्जे को चुकाना है। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया चालू रहेगी। इस प्रकार की प्रक्रिया की रोक थाम करनी है तो यह सही बात है कि इस संशोधन को इस रूप में स्वीकार किया जाये। सदन द्वारा स्वीकार करने की आशा के साथ मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं इस प्रस्तावित संशोधन पर अपने कुछ विचार प्रकट करूंगा। अगर यह संशोधन इस सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो फिर क्या होगा? तो फिर हिन्दुस्तान में जनतन्त्रवाद जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। फिर गरीब जनता का राज्य नहीं आ सकेगा।

एक माननीय सदस्य : जिम्मेदार व्यक्ति यह उठा है।

श्री परसराम मदेरणा : हियर, हियर। यह बात सही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्तुतकर्ता का निजी विचार है या उनकी पार्टी का विचार है। यह तो मैं नहीं समझता हूं। इस संशोधन के पीछे क्या भावना रही है। मैं उनकी बड़ी अच्छी तरह इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि देश के गरीब वर्ग के प्रति उनके दिल में टीस होगी। परन्तु यह संशोधन इस रूप में प्रस्तुत भी होता है और अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन अगर स्वीकार कर लिया गया तो जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कर्जा है तो वह मन्त्रि-मण्डल में नहीं आ सकता या किसी सर्विस में नहीं आ सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप में बड़ा भारी खेद का दिन होगा। आज हिन्दुस्तान की आम जनता किस प्रकार अपना जीवन यापन करती है आज के हिन्दुस्तान के अन्दर किस प्रकार की व्यापक असमानता हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किस तरह लोग कर्ज के भार से दबे हुए हैं। किस प्रकार से साधारण जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, विरोधी दल और दूसरे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं वे कर्जे से दबे हुए हैं। आज मैं यह बात यहां पर नहीं कहना चाहता कि कुछ दल ऐसे हिन्दुस्तान में हैं लज्जा की बात है। जिनके पास पैसा कहां से आ जाता है। बगैर कमाये हुए आ जाता है? जो कि अपने दल का और सार्वजनिक जीवन का संचालन पूंजीपतियों के बल पर करते हैं। हम आपके सामने सदन में बैठे हुए जो सही मायने में जनता के कार्यकर्त्ता हैं। उनसे पूछा जाये। अध्यक्ष महोदय, आज कर्जे के भार से दबे हुए होने पर इस पार्टी के द्वारा दूसरे तरीकों से वह किस तरह अपनी जिन्दगी चलाते हैं। यह बात सही है कि मैं सदन में बैठा हूं। लेकिन अगर आज हमारा देश बहुत बड़ा मालदार होता और यहां के लोगों की आर्थिक दशा अच्छी होती...

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि आप ने और हमने यहां बैठकर पंचायत का कानून बनाया था। उस पंचायत के कानून में पंचों के लिये ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन रखी है, अगर कोई कर्जा है तो वह पंच नहीं बन सकता।

"....has not paid for two months from the date of presentation of the bill, therefore, the amount of any tax or fee imposed by the Panchayat Samiti under this Act or by the Panchayat under the Rajasthan Panchayat Act, 1953."

और इसी प्रकार म्युनिसीपलिटी में भी व्यवस्था है।

श्री परसराम मदेरणा : इसी प्रकार रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी है। मिनिस्टर पहले एम०एल०ए० है, बाद में मिनिस्टर है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत विनम्रता से जो सूचना दी गई है, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ पर साथ ही इन कानूनों में क्या

(श्री मुकटविहारी लाल गोयल)

लिखा हुआ है, दस वर्ष पहले से मुझे उसकी जानकारी है कि राजस्थान के पंचायत एक्ट में क्या है ? मैं समझता हूँ कि इसमें टैक्स शब्द है, फी शब्द है । सन् 1951 का म्युनिसिपल एक्ट है, उसकी धारा 12 (3) (2) के अन्दर बिल का प्रजेन्टेशन हो जाने के बाद कि यह बिल का भुगतान कर दिया जाये, नगरपालिका की ओर से एक अमुक समय में उसका भुगतान नहीं हो तो वह डिस्क्वालिफिकेशन में आता है । वह राशि तो टैक्स की बकाया राशि में, वह महसूल और चुंगी की बकाया राशि में, के सम्बन्ध में है परन्तु इस बारे में नहीं है कि किसी का कर्जा हो परन्तु एक आदमी जिसके ऊपर कर्जा है, वह व्यक्ति राजस्थान सदन का मेम्बर नहीं हो सकता है । वह व्यक्ति मन्त्रि-मण्डल में नहीं आ सकता । अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाऊं, इस हिन्दुस्तान की एक परम्परा रही है, जब डा० राजेन्द्र प्रसाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेअरमेन बने । उस वक्त एक तरफ इस बात की तयारी हो रही थी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेअरमेन की हैसियत से उस जमात के जो उस समय स्वतन्त्रता का युद्ध करने वाली जमात थी, वे उसके अध्यक्ष बने । राष्ट्रपति उस जमाने में कहा करते थे । उनके ऊपर कर्जा था । डा० राजेन्द्र प्रसाद पर डिग्री हो गई । गान्धी जी को मालूम हुआ । उन्होंने फौरन जमनालाल बजाज को भेजा । मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कह रहा हूँ तब जमना लाल बजाज को भेजा और किस किस तरह की चीजें हुई इस बारे में लम्बी चौड़ी बात मैं नहीं जानता । बयाना नगरपालिकाओं में चुन्नीलाल के खिलाफ डिग्री हो गयी । उनके खिलाफ आदमी का पक्ष इसलिए किया गया और डिग्री दाखिल हो गई । उसकी डिग्री दाखिल करके उसको जेल भेजने की तैयारी हो गई और यह हो गया कि या तो जेल जाओ या अमुक के पक्ष में तुम वोट दे दो । तो कितनी कितनी सार्वजनिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं । मैं कोई पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की तरफ नहीं जा रहा हूँ लेकिन यह जन सामान्य की स्थिति मैं बताना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: इस दृष्टि से हम देखेंगे तो मैं माननीय सदस्य से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को कम से कम वापिस ले लें । और, इस पर कम से कम जोर नहीं दें । क्योंकि यह हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों जनता, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वह कर्जे से दबे हुए रहते हैं । उनके ऊपर यह एक आघात होगा ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे खेद है कि मैं यह इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता हूँ । क्योंकि अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से जो बात कही है उसके अलावा मैं दो बात निवेदन करना चाहता हूँ कि न तो आई०ए०एस० रूल्स में जिक्र है, और न आर०ए०एस० में इसका जिक्र है कि कोई सरकारी नौकर कर्जा नहीं ले सकता है । कर्जा ले सकता है । कर्जा ले, इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी होगी । कर्ज के लिए ही नहीं कह रहा हूँ किन्तु वह कोई प्रापर्टी खरीदे या राज्य सरकार का कोई नौकर मकान खरीदे तो हर साल उसको यह स्टेटमेंट देना होगा कि मैंने यह मकान खरीदा है । इतने रुपये में, या इसकी प्रापर्टी एड हो गई है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी । यह मैं सोच ही नहीं

(श्री मथुरा दास माथुर)

सकता कि किसी रूल्स में ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कर्ज लेने का अधिकार नहीं हो। हर एक को अधिकार है कि वह कर्जा ले सकता है, सरकारी अधिकारी को भी अधिकार है कि वह कर्जा सकता है, बीमारी के कारण जरूरत पड़े तो कर्जा ले सकता है, और किसी कारण से जरूरत पडे तो कर्जा ले सकता है। कार अलाउन्स है, कार के लिये लोन ले सकता है, हाउस लोन ले सकता है, हां यह जरूर है कि इसके लिये सूचना देनी पड़ती है। इसके लिये आर० ए०एस० रूल्स में आई०ए०एस० रूल्स में प्रावधान है।

मिनिस्टरों के लोन का जिक्र किया, मिनिस्टर्स को कार लोन मिलता है, जिनके नाम दिये हैं उन्होंने कार लोन लिये हैं। जो कार लोन लेते हैं उनको डोमेस्टिक यूज के लिये सरकार की ओर से कार नहीं मिलती। वे कार के कर्ज का रुपया चुकाते हैं, मिनिस्टर नहीं रहे तो एकमुश्त में भी रुपया देना पड़ता है, लोन का इन्ट्रेस्ट और इन्स्टालमेंट्स भी देते हैं। आपने देखा कि जिनको लोन दिये गये हैं तो उनका चुकारा भी हुआ है, मिनिस्टर नहीं रहे तो एकमुश्त चुकाया है, तो यह प्रावधान रखा गया था कि इन्स्टालमेंट्स में चुका सकते हैं। आज हाउस लोन प्राइवेट सिटिजन्स को भी देते हैं, उसका इन्स्टालमेंट्स के साथ चुकारा होता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा करप्शन हो गया हो या सरकार ने कोई जुल्म किया हो।

मेरी समझ में नहीं आता, मेरी धारणा थी कि माननीय भैरोंसिहजी डेमोक्रेसी में पूर्ण विश्वास करते हैं, वे सेंट परसेंट डेमोक्रेट हैं, उनकी तरफ से इस प्रकार का संशोधन आया है। यह तो डेमोक्रेसी है कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है, आज एम० एल०ए० हैं, वे मिनिस्टर हो सकते हैं तो एम० एल०ए० भी कर्ज नहीं ले सकें, यह उचित नहीं होगा। शादी में, बीमारी में, गमी में कर्ज हर एक को लेना पड़ता है। जो आफिस होल्ड करते हैं, उनके लिये जरूरी है कि वे इसकी इत्तिला सरकार को दें, कोड ऑफ कन्डक्ट बने, इसमें कोई एतराज नहीं। यह तो अंग्रेजों के टाइम में रेस्ट्रिक्टेड फ्रेन्चाइज था उस समय ऐसा था कि किसी में कर्जा बाकी हो तो वह वोट नहीं दे सकता···

श्री भैरोंसिंह : डिफाल्टर हो तो···

श्री मथुरादास माथुर : डिफाल्टर तो वह है जो क्वालिफिकेशन में है किसी में कर्जा बाकी है तो वह इन्स्टालमेंट देता है, इन्स्टालमेंट नहीं दे सकता है वो प्राइवेट आदमी को भी आगे इन्स्टालमेंट बढ़ा देते हैं। हाउस लोन्स बहुत से लोगों ने लिये हैं, उनसे हैवी इन्ट्रेस्ट मिलता है, इन्स्टालमेंट्स में रुपया वसूल किया जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्राइवेट कर्जा भी नहीं हो, सरकार का कर्जा भी नहीं हो और यह अमीरों की महफिल बन जाय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे मैं सेंट परसेंट सहमत हूँ, वे कभी कभी बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसलिए भैरोंसिहजी मुझे माफ करेंगे कि मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आशा करता हूं कि वे इस अमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : वापिस ले रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड 2 में श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है जो इस प्रकार है :

"Provided that no person shall come in the category of a Minister, Minister of State or Deputy Minister who is indebted to the Government of Rajasthan or the Government of India or private persons."

इसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

विश्राम

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3 । श्री केसरीसिंह ।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह संशोधन है कि जो 1150) रुपया रखा है वह 750) हो जाना चाहिये । आज की जो राजस्थान की व्यवस्था चल रही है, वह बड़ी शोचनीय है । आप एक तरफ तो गरीब आदमियों को ऊपर उठाने की बात करते हैं और दूसरी और गरीबों पर स्माल सेविंग्स के टैक्सेज लगाते हैं, गरीबों पर स्माल सेविंग्स के जरिये ऐसा कुठाराघात किया जा रहा है जिसके बारे में कलेक्टर या कोई अधिकारी डिस्ट्रिक्ट्स में सुनने वाला नहीं है । जिन तहसीलों में तीन साल से मुतवातिर अकाल पड़ रहा है उन तहसीलों में गरीब लोगों से 50 रुपया की खाता मांगा है, उस पैसे का दुरुपयोग इस तरह किया जाय, विशाल मंत्रि-मण्डल बना कर उनको विशाल तनख्वाहें और भत्ते दिये जायें इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज की हालात में इस प्रकार की तनख्वाहें और इस प्रकार का मंत्रि-मंडल का विस्तार सरासर प्रजातन्त्र के साथ, और जनतन्त्र के साथ धोखा है ।

आप मंत्रियों की बात करते हैं, गरीब चपरासी और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की आपने कितनी तरक्की की है । पुराने पेन्शनर्स के पेन्शन के प्रश्न को आप अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, मैंने वित्त मंत्रीजी को बूंदी स्टेट के दो चार पुराने पेन्शन के कैसेज के बारे में खास तौर से ध्यान दिलाया पर उन्होंने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया है । आप जनता के लिये क्या कर सकते हैं, सिवाय खुद के हित के आपके सामने और कोई संसार नहीं है । आपका संसार तो इतने पर ही निर्भर करता है कि बडी बड़ी तनख्वाहें लें, भत्ते लें, घूमें और आमोद प्रमोद करें ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि ये जो तनख्वाहें रखी जा रही हैं, इनको कम कर दिया जाय ताकि जनता पर बढ़ते हुए बोझे को कम किया जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री !

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक स्माल सेविंग्स के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उसके बारे में इस सदन में पूरी बहस हो चुकी है और राज्य सरकार सारी चीज सदन के सामने रख चुकी है ।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसके अलावा कोई बात माननीय सदस्य ने नहीं कही है जिसका उत्तर दिया जाय। मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन श्री केशरीसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड 5 श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मन्त्री वेतन संशोधन विधेयक, 1968 में धारा 5 में जो संशोधन रखा गया है, उसमें मैंने एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया है । 1956 के मूल एक्ट में जो धारा थी उसमें राज्य के मंत्रियों को निवास स्थान और सवारी आदि की सुविधाएं थीं, उसमें इस प्रकार था कि जब तक मंत्री रहेंगे तब तक जयपुर में मकान का, मोटर का खर्चा व्यक्तिगत रूप में नहीं देना पड़ेगा । अब जो संशोधन हमारे समक्ष लाया जा रहा है उसमें यह प्रावधान रखा जा रहा है कि मन्त्री पद से हटने के बाद भी वह उस सरकारी बंगले का और जो सुविधाएं हैं उनका बिना किराये उपभोग कर सकेगा, उसमें यह है :—

"परन्तु यह कि प्रत्येक मंत्री, उसके मन्त्री न रहने के दिन से दो माह की अवधि तक के लिये बिना किराया दिये, जयपुर में एक पूर्णतया सुसज्जित मकान का हकदार होगा ।"

अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता, पहले के कानून के अनुसार जो मंत्री पद से हट जाता था उसको एक दिन के लिये भी अधिकार नहीं था कि उस बंगले का और उन सुविधाओं का उपभोग कर सके, अब इस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है कि दो महीने तक उपभोग कर सकेगा । होसकता है कि मंत्री पद से हटने के बाद भी उनको कुछ समय लगे मकान देखने के लिए कि किस जगह पर माल ले जाय, इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि एक सप्ताह का समय बहुत काफी होता है, वैसे मॉरल तो यह है कि मंत्री पद से हटने के बाद उनका हक नहीं कि वह बिना किराए बंगले के अंदर चीजों का उपयोग करे और बिजली पानी, ये जो सुविधायें हैं वे ऐसी हैं कि मंत्री पद पर बने रहने तक होनी चाहिए । उसके बाद दो महीने का लम्बा समय होता है । अगर उनको मकान देखना है, सामान ले जाना है तो एक सप्ताह का समय काफी है, दो महीने के समय के लिए मुझे कोई आधार नजर नहीं आता ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : आप तो चले जायेंगे 7 दिन में लेकिन जैसे कौल साहब हार गए, गलत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बैठे रहे, किराया वसूल होने लगा, तो कहते हैं कि कानून लाओ विधान सभा का।

श्री शंकरलाल : कुछ भी हो लेकिन दो महीने का समय वे चाहते हैं तो उनको किराया देना चाहिए। दो महीने किस आधार पर जस्टीफाई करते हैं? इसलिये राज्य सरकार इसको अच्छी तरह से देखेगी ताकि लोगों में भ्रम न हो। 'दो महीने' की जगह 'एक सप्ताह' शब्द जोड़ कर, मेरे संशोधन को पास किया जाय, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।
श्री गहदेव। (अनुपस्थित)
श्री भरोंसिह।

श्री भरोंसिह : मेरा संशोधन है
The words "and shall be deemed always to have been added" occurring in line three shall be omitted.

मूलधारा 5 में, जिसमें सरकार संशोधन प्रस्तुत कर रही है, लिखा है:
"with effect from the date referred to in section 3, each Minister shall also be entitled without payment of rent or other charge, to the use, throughout his term of office, "
अब इसमें वर्ड है "हिज टर्म ऑफ आफीस"। उसमें हमारी सरकार ने संशोधन किया है, जैसे जैतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा, उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि ओफिस से हटने के बाद दो महीने तक उनको सब सुविधायें मिलती रहेंगी, यह तो है एक भाग। श्री शंकरलाल ने बहुत ही ठीक ढंग से इसका विरोध किया, मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं जंचता कि मंत्री पद से हटने के बाद भी मंत्री दो महीने तक सरकारी बंगलों में बैठा रहे। या तो मंत्री हटता है या सरकार हटती है उस समय या मंत्री त्यागपत्र देकर हटता है। दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका जो बरखास्तगी का है, वह राजस्थान में लागू नहीं हुआ। उसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन मंत्री पद से हटने वाले सदस्य दो महीने तक बंगलों में क्यों बैठे रहेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। चुनाव के बाद नया मंत्रि-मंडल बनता है और नए मंत्रि-मंडल के आने वाले सदस्यों को मकान मिलेंगे ही लेकिन जो चुनाव में हार गए या नए मंत्रि-मंडल की सूची में शामिल नहीं किए गये, वे लोग दो महीने बैठे बैठे सरकारी बंगलों में मंत्री की सुविधाओं का उपभोग करते रहेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। माथुर साहब जानते होंगे कि यदि कांग्रेस मंत्रि-मंडल हार गया और विरोधियों का मंत्रि-मंडल आ गया तो बंगलों में दो महीने तो क्या दो दिन भी टिकना मुश्किल हो जायगा लेकिन इनकी समस्या यह है कि पिछली बार जब राष्ट्रपति शासन हुआ, कांग्रेसी मंत्रि-मंडल हट गया और उस समय जब मंत्री सरकारी बंगलों में बैठे रहे, किराया पी०डब्ल्यू०डी० चार्ज करने लगी, तो उस चीज की व्यवस्था की है कि आज जो संशोधन पारित कर रहे हैं वह संशोधन सदा कानून में बना रहेगा। मंत्री महोदय बतायेंगे कि किस किस मंत्री ने, क्या क्या कानून का उल्लंघन किया, किस किस मंत्री ने इसका अनुचित लाभ उठाया? इस संशोधन के द्वारा आप अनुचित चीज को उचित कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम

(श्री भैरोंसिह)

भविष्य के लिए व्यवस्था करें तो समझ में आ सकता है, व्यवस्या होनी चाहिए जैसे उन्होंने कहा 7 दिन बंगले खाली करने मे लगने चाहिए, मंत्री का सामान होता है, मंत्री महोदय ने कहा कि मंत्री का सामान कोई विशेष नहीं होता है । यह सही है कि जिस दिन मंत्री पद से हटेगा उसके वाद तोन चार दिन मकान शिफ्ट करने में लगते हैं और 7 दिन का पर्याप्त समय है। मुख्य मंत्री ने तो एक दिन में खाली कर दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं आई जो 20 साल से उस बंगले में बैठे हैं लेकिन कुछ मंत्री जमकर बैठे हैं, सरकार की पुलिस पड़ी है, सरकार के नौकर चाकर आते हैं, बिजली पानी की सुविधा है, खूब मेहमान आए। आप कानोता हाऊस की बात करते हैं लेकिन सरकारी बंगलों में आपने सदस्यों को जेलखाने की तरह रोक रखा, जेलखाने के रूप में गांधीनगर के सरकारी बंगलों को बना दिया तो कानोता हाऊस और गांधीनगर में ज्यादा फासला नहीं है । सरकारी पेहरेदार खड़े रहते हैं लेकिन गांधीनगर याद नहीं जिसमें सभी चीजें चलती थीं । कोई भी अनैतिक काम नहीं है जो उसमें नहीं चला हो । आज गांधीनगर में सारे अनैतिक कार्यों को कानूनी मोहर लगाने के लिए मंत्री महोदय ने संशोधन पेश किया है । इसमें हत्या हो रही है उन मंत्रियों की जिन पर सरकार का पैसा बाकी है । आप वसूल कर.....

श्री मथुरादास माथुर : वसूल करेंगे ।

श्री भैरोंसिह : इसमें संशोधन ला रहे हैं तो दो महीने की व्यवस्था क्यों की जा रही है? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री के नाते एक मान्यता होकर चलती है । राजस्थान के वित्त मंत्री एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहे होंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीबों को मारने के लिए एक एक पैसे की कोशिश करते हैं लेकिन मंत्रियों पर हाथ नहीं चल सकता, मंत्रियों से पैसा वसूल नहीं करेंगे । आप बतायें कि जिन मंत्रियों ने सरकार के कानून का उल्लंघन करके बंगलों मे रहे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या वे ट्रेसपासर्स की परिभाषा में नहीं आते थे ? आज आवश्यकता इस बात की थी कि इंडियन पेनल कोड के तहत मंत्रियों का प्रॉसीक्यूशन करके जेलखाने उनको भेजते लेकिन उसके स्थान पर ट्रेसपासर्स को कानूनी ढंग से रेकग्नीशन दिया जा रहा है, साथ में जनता के धन को भेंट किया जा रहा है । तो आप यदि पहले वाला संशोधन स्वीकार न करें तो इस संशोधन को तो स्वीकार करें। दो महीने की जगह 7 दिन की व्यवस्था जैसे शंकरलालजी ने प्रस्ताव रखा है, स्वीकार करे ताकि भविष्य में कोई ऐसी बात हो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की कोशिश न करते हुए आगे के लिए कोई प्रावधान करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अब यह सवाल चल रहा है कि मंत्रिमंडल से हटने के बाद कितने दिन तक सरकारी सुख सुविधाओं का मंत्री उपभोग कर सकेंगे । अभी मंत्री महोदय ने बात कही थी कि संविद सरकारों ने यह किया, वह किया, परन्तु मैं मानता हूँ कि संविद सरकारों ने बहुत अच्छे काम भी किए और खराब भी किए । कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे गल्ती न होती हो । परन्तु संविद सरकारों का चरित्र देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री चरणसिह ने जब दिल्ली में इस बात को सुना कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

और विधान सभा स्थगित कर दी है, उस वक्त वे दिल्ली में थे और उन्होंने दिल्ली में बैठे बैठे इस्तीफा दे दिया और जिस कार से वे यू०पी० से गए थे उससे वे वापिस नहीं आये। वहीं से उसी वक्तवह कार छोड़ दी।

एक माननीय सदस्य : रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं और सबको छोड़ सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, उसी वक्त, उसी क्षण परित्याग कर दिया। वे मेरठ आये तो किराये की टैक्सी करके आये।

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट प्लीज।

श्री रामकिशन : यह तो रिलेवेन्ट ही है।

श्री अध्यक्ष : अब यह रिलेवेन्ट इसलिये नहीं है कि एक तरफ माननीय चरणसिह ने यह किया, वह किया. . . . क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारे अध्यक्ष महोदय इस बात को तो महत्व देते हैं कि जिस गाड़ी से गये थे उसी गाड़ी से वापिस आ जाते तो क्षम्य था। लेकिन वहीं से उन्होंने सुख-सुविधाओं का त्याग कर दिया। राजस्थान में वे दो महीने तक जमे रहेंगे, यह बात किसी भी भले आदमी के गले नहीं उतरती है। एक बात में आप सफल हो गए कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कोई कर्जा निकलता है—सुख-सुविधाओं का तो शायद आप उस पर पानी फेर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारी सरकार आ जाय, जैसा माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा है कि बंगलों के स्थानों पर सड़कों पर रहते तो मैं तो कहता हूँ कि हम एक आर्डिनेन्स निकालते और तीन घन्टे के अन्दर अन्दर खाली करवाते चाहे हमें ऑर्डिनेन्स ही क्यों नहीं निकालना पड़ता। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम ऐसी स्थिति आप न आने दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ऑर्डिनेन्स तो नहीं निकालेंगे, आपकी ऐसी भावना है। यह उसमें एक्सक्ल्यूडेड है।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी भावना है या. . . .

श्री अध्यक्ष: स्पीकर का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्यों की भावना मैंने देखी है। वे इस प्रकार ऑर्डिनेन्स नहीं निकालेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप कानून के द्वारा जबरदस्ती लादना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वे स्वयं प्रेरित होंगे और एक मिनट भी मंत्री पद से हटने के बाद नहीं रहेंगे। अगर आपकी इतनी वक्त नहीं है कि इस जयपुर में आपके मंत्रि-मण्डल से हटने के बाद कोई होटल भी नहीं मिलेगा. . . .

श्री भैरोंसिह : होटल नहीं मिलेगा तो धर्मशालायें हैं, पंचायती धर्मशाला में रखने का इन्तजाम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम वे उपाहास्यास्पद न बनें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय शंकरलालजी ने प्रस्तुत किया है वह इतना तर्क संगत और न्याय संगत है कि वह माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कोई आधार अब इस कानून में नहीं रह जाता है। जिस प्रकार के प्रावधान इस कानून में किये गये हैं वह बिल्कुल अनैतिक हैं और गलत हैं। हमेशा इस प्रकार का प्रयोग किया जाय। सरकार की मंशा उसमें जाहिर नहीं हो रही है। जो शंकरलालजी ने संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। केवल 200, 400 या 500 रुपयों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ह लोकतन्त्र में मान्यताओं का। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि आखिर आपके मन में मान्यताओं का कोई स्थान क्यों नहीं है? राज्य करते करते ऐसा कोई मन तो आपका नहीं हो गया है जिससे आपके संस्कार ही बदल गये हों। कम से कम अनैतिक कार्यों का समर्थन न करें। मैं जानता हूँ कि आप भी साधारण और छोटे छोटे परिवारों के आये हुए सदस्यों की भांति हैं जो सड़क पर चलने वाले होते हैं, कभी हवाई जहाज में भी चलते हैं, लेकिन सड़क पर चलना न भूलें। यह केवल आपकी भूल है, आप दो करोड़ की जनता के परिवारों को बरबाद कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कहता हू कि मुझे अनुभव है। मंत्रिमण्डल से हटने के बाद उनके बीवी, बच्चे रोते हैं। रोते इसलिए हैं कि वे बंगले में रहते थे। मेरे एक मित्र हैं जो पहले मंत्रिमण्डल में थे किन्तु अब नहीं हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनकी पत्नी से जब हम उनके घर जाते थे तो सलाम लेते थे। जब वे मंत्रिमण्डल से हटने के बाद मिले तो रोने लगे, उनकी बीबी कहने लगी कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके विचारों में बड़ा दर्द है।

श्री रामकिशन : इनके परिवारों को बरबाद न करें। आप तो बरबाद हो ही गये। इनको तो अब ब्रह्माजी भी नहीं सुधार सकते। इसलिए 7 दिन वाला जो संशोधन रखा है और माननीय वित्त मंत्री जी इसे एकदम स्वीकार करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम रखी गई है, इसका समर्थन भी माननीय सदस्यों ने किया है। मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता उसका कारण यह है कि यह कोई नया प्रयास नहीं है। हमारे रूल्स में पहले इस तरह का प्रावधान था कि कोई मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर जब ऑफिस उनका खतम हो जाय तो उसके बाद एक महीने तक सरकारी मकान में रह सकते थे और एक महीने से ज्यादा किसी को रहने की आवश्यकता हो तो गवर्नर की परमिशन लेकर रह सकता है। यह हमारा प्रावधान था रूल्स में। एक्ट में नहीं था। अब इसको रूल्स से हटाकर एक्ट में लाया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कर नहीं सकते हैं, इसलिये ऑबजेक्शन हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है–आप सुन तो लीजिए सतीशजी साहब–यह बहुत बड़ा अहमियत का सिद्धान्त नहीं है, कोई गीता का सिद्धान्त नहीं है।

श्री रामकिशन : आपके लिये अहमियत का कौनसा प्रश्न है, वह बता दीजिये फिर, उसका जवाब दे दें ?

श्री अध्यक्ष : नो इन्टरप्शन्स।

श्री रामकिशन : मैं इन्टरप्शन नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मुल्क में कौनसी अहमियत का प्रश्न रह जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई आदमी आज मिनिस्टर है और वह कल नहीं रहे, तो वह स्वयं भी एक सकिन्ड भी उसमें रहना पसन्द नहीं करता (श्री भैरोंसिंह जी के खड़े होने पर) श्री भैरोंसिंह जी आप जरा मेरी बात सुन लीजिये। उनके बच्चों का दाखिले का सवाल है। जैसे मान लीजिए मुझे जोधपुर जाना है। वहां दूसरा विश्व-विद्यालय है, उसका दूसरा केरीक्यूलम है। मार्च में इम्तहान होते हैं। यही बजट सैशन का समय होता है। चुनावों के ठीक पश्चात् इन सबका समय होता है, क्योंकि चुनाव करीब करीब फरवरी में ही होते हैं। इसी दृष्टि से रखकर किया गया है, इसमें ऐसी कोई महत्व की बात नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : जैसे फरवरी में सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण ही नहीं होते हैं !

श्री मथुरादास माथुर : होते हैं। लेकिन प्रोवीजन है वे भी रह सकते हैं। विशेष परिस्थितियों की दूसरी बात है। अध्यक्ष महोदय, जो रूल्स में प्रावधान था, उसको ही एक्ट में रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। पुराने मंत्रिमण्डल में 2-3 आदमी किसी कारण से रह गये थे। कोई भी वहां पर रहना नहीं चाहता–यह आपने कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन कौन रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह : किस के लिये ला रहे हैं अमेंन्डमट ?

श्री मथुरादास माथुर : जो बात आप कह रहे हैं वह प्रोब्लम में नहीं है। यह सही है कि जो मंत्री नहीं रहते हैं, वे जल्दी से जल्दी बंगला खाली करके चले जाते हैं, लेकिन कोई कारण ऐसा आजाय जिसमें कोई बीमार है या बच्चे स्कूल में पढ़ते हों, मकान दूसरा किराये पर नहीं मिलता हो, ऐसी हालत में यदि कोई रहे, तो यह सुविधा मिलनी चाहिये।

जहां तक कार का सवाल है, कार तो उसी दिन लौटा देते हैं। मिनिस्ट्री खतम होजाने के बाद लोटा देते हैं। फरवरी या मार्च में जब तक सरकार बनती है, इसलिये यह सुविधा देना जरूरी हो जाता है। रूल्स में यह रखा हुआ था गवर्नर की इजाजत लेकर वह एक महीना या उससे अधिक दिन तक रह सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है जो इतनी चर्चा का विषय बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष : (श्री शंकरलाल से) क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्य : नहीं लेना चाहते, नहीं लेना चाहते, वोट पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 5 पर जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है कि इसको स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मत के पश्चात् 'हां' पक्ष जीता)

कई माननीय सदस्य: 'ना' पक्ष जीता।

(मत-विभाजन-सूचक घंटी)

प्रस्ताव वापिस लेने हेतु माननीय सदस्य पर दबाव डालने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पोइन्ट ऑफप्रिविलेज पर खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेते समय स्वतन्त्र है, जिस प्रकार के विचार चाहे, वह स्वतन्त्र रूप से रख सकते हैं। मैं समझता हूं श्री शंकरलाल जो जैतारन से चुनकर आये हैं, उनके प्रस्ताव पर मत लिया जा रहा था। उन्होंने यहां होते हुए भी प्रस्ताव वापिस नहीं लिया और इस अपने प्रस्ताव को प्रेस करना चाहते हैं और इसी पर वोटिंग की पोजीशन आयी और डिवीजन बेल बजायी गई। उस समय श्री रोशनलाल जी व श्री शिवचरण जी माथुर इन दो को तो मैंने देखा है। इन्होंने माननीय सदस्य को थ्रेटनिंग दी और कई प्रकार से उनको दबाया गया कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें....

श्री रोशनलाल: केवल आप ही मददगार मिले क्या इनके ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस तरह से एक माननीय सदस्य की आत्मा को दबाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार की अगर परम्परा पड़ गई तो यह प्रजातंत्र के लिये अशोभनीय होगा। उनको यहां तक कहा गया कि आप प्रस्ताव को वापिस ले लें आपको इससे लाभ मिलेगा। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस सदन के माननीय सदस्य को सदन में इस प्रकार लोभ लालच देने से रोका जाय। अब प्रस्ताव वापस लेने की स्टेज भी नहीं जब कि हमारे नियमों के अनुसार इसको वोट पर रख दिया गया है, अब वे विड्रा नहीं कर सकते।

श्री शंकरलाल: मैं किसी के प्रलोभन या दबाव में आकर संशोधन वापिस नहीं ले रहा हूं। पार्टी अनुशासन के नाते मैं इस संशोधन को वापस ले रहा हूं।

श्री रामकिशन: सदन में पार्टी अनुशासन कहां से आगया। यहां पार्टी अनुशासन नहीं चलेगा। शंकरलाल जी आप तो एक वकील हैं और सुलझे हुए वकील हैं। जब आपका प्रस्ताव वोट पर रख दिया है तो अब वह विड्रा नहीं हो सकता। जब आपको वापस लेने के लिये कहा गया था, क्या उस समय अनुशासन का ज्ञान आपको नहीं था ? आपको दबाव में आकर नहीं, आपको कुछ नैतिक मूल्यों को कायम रखना चाहिये। आप कोई साधारण सदस्य नहीं हैं, काफी सुलझे हुए वकील हैं आप नियमों की पूरी जानकारी रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: जी माननीय सदस्य ने प्रीविलेज का सवाल उठाया, वह स्वतः ही हल होगया है। इस वक्त विड्रा कर सकते हैं या नहीं, इस संबन्ध में हमारे रूल्स साफ हैं। विड्रा करते समय लीव ऑफ दी हाउस का प्रश्न है, इसलिये मैं इसको हाउस की अनुमति के लिये रख देता हूं।

क्या सदन की यह अनुमति है कि जो प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल: मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: जो संशोधन खंड 5 पर..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) मेरा व्यवस्था का सवाल है.....

श्री अध्यक्ष: जब अध्यक्ष पैरों पर है, व्यवस्था का सवाल नहीं उठा सकते। मैं बैठ जाता हूं, आपका मर्यादा का प्रस्ताव क्या है, वह सुन लूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अध्य महोदय, वसे आपने संशोधन वापिस लेन के सवाल को वोट के लिये रख दिया है, उसके बाद भी माननीय सदस्य ने अपना संशोधन वापिस नहीं लिया। इसमें कोई ऊंच नीच होने वाली नहीं। जब कोई मामला वोट पर रख दिया गया है, उसके बाद कोई सदस्य यह कह कर कि मैं पार्टी अनुशासन के नाते वापिस लेता हूं, यह सदन की मर्यादा और परम्पराओं के विपरीत होगा। जब कि एक प्रोसेस चल रहा है, उस बीच में अनुशासन का व्हिप आकर पड़ जाय और उस दबाव में आकर वापिस ले, तो यह नहीं होना चाहिये।

श्री रामकिशन: उसूल वाली बात बतायी है साहब।

श्री विजयसिंह (मकराना): रिंग मास्टर का हन्टर चला गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड पर संशोधन भैरोंसिहजी ने रखा स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड 5 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिह: 'The words "and shall be deemed always to have been inserted" occurring in the end of the clause shall be omitted.

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे इस क्लॉज में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जिस क्लॉज को विचारार्थ लिया गया है, उसके संबन्ध में हमारे वित्त मंत्री जी का व्यक्तिगत इन्टरेस्ट है। मैं कोई आरोप की दृष्टि से नहीं कहना चाहता, लेकिन इसलिये कहना चाहता हूं कि सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। कोई आदमी अपने मुकद्दमें की पैरवी करता हो, अपने इन्टरेस्ट के सेफ गार्ड के लिये सदन में चर्चा उठाता हो और इसके बाद अपने स्वयं के इन्टरेस्ट के सेफगार्ड के लिय कानून

(श्री भैरोंसिंह)
बनाता हो तो यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

यह सदन इस बात को शायद अभी तक समझ नहीं पाया होगा कि हमारे वित्त मन्त्रीजी का व्यक्तिगत इन्टरेस्ट क्या है? वित्त मन्त्रीजी का व्यक्तिगत इन्टरेस्ट यह है कि हमने इस कानून के अनुसार मन्त्रियों को सरकारी बंगलों की एक सुविधा भी दी है और यह भी सुविधा दी है कि जो मन्त्री सरकारी बंगलों में नहीं रहे, वह मन्त्री अपने निज के मकान में रहकर सरकार से 300 माहवार उस किराये के एवज में या मकान के एवज में सहायता ले सकता है। जहां तक यह प्रावधान है, वह समझ में आया। लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी जो संशोधन लाये हैं...

श्री हरिदेव जोशी: यह तो पहले से ही है।

श्री भैरोंसिंह: इस कानून में संशोधन, कि इसको पहले से लागू किया हुआ समझा जावेगा। इसका मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: इससे क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री भैरोंसिंह: इससे आज तक जो भी बिजली पानी का खर्चा होता था, उस खर्चे का भुगतान वित्त मन्त्रीजी को करना पड़ता था।

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह: आप सुनिये तो सही' अब इसके बाद इसकी सीमा निर्धारित की गई। निर्धारित सीमा में कितना खर्चा आए और कितना नहीं आये, पहले तो यह संशोधन कर दिया कि जितना होगा वह सरकार वहन करेगी, पर जब राष्ट्रपति का शासन आया तो ऑर्डिनेन्स आया जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि इतनी सीमा होगी।

अब यह जो क्लॉज लाया जा रहा है और उसको जो रिट्रोस्पेक्टिव इफक्ट से लागू किया जा रहा है, इसकी मंशा इससे स्पष्ट झलकती है कि 300 माहवार निजी मकान का किराया मिलता था, उसमें भी बिजली पानी का खर्चा होता है, वह भी सरकार वहन करे। और सरकार वहन आज से नहीं करे, पर जब से यह कानून बना उस रोज से जिस किसी का भी बकाया होगा, उसका भुगतान भी सरकार को करना होगा।

अब इस हालत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 300 का जो प्रावधान आपने निजी मकान के लिये इसमें रक्खा है, उसके वर्डिंग तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप क्या कहेंगे यह भी मैं समझ रहा हूं। पर इस क्लॉज की जो भाषा है उससे स्पष्ट यह लगता है कि अब तक कानून में कुछ खामी थी और वह कानून की खामी की पूर्ति नियमों में की थी, नियमों के अन्दर कोई कानून की संगति नहीं थी। सरकार के मुख्य मन्त्रीजी नियम बनाने का अधिकार नहीं था। नहीं था तो आप वसूल नहीं कर सकते थे और इसलिये ओब्जेक्शन हुआ जब आपने वसूल कर लिया और इसलिये इस ओब्जेक्शन को साफ करने की गरज से अब आप विधान सभा की उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं। वह मोहर की स्थिति जो है, उसका हम विरोध करते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार के नियम और कानून बनाये और कानून के अन्तर्गत यह नियम बनाने का अधिकार दिया। पर वह अधिकार इसलिये तो नहीं दिय कि यह सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की खातिर इस प्रकार के नियम बनावेगी जिसमें मन्त्रियों को ऐसी सुविधाएं मिलती रहें। अब नियम गलत सिद्ध हो गये तो कानून में संशोधन करके जिस बात की गलती की थी उसके आधार पर मन्त्री जिस गलती के कारण पैसा वसूल कर सके, उसको रेगुलेराइज करना चाहते हैं। इसका फायदा और किसी को मिलेगा या नहीं, पर हमारे वित्त मन्त्रीजी को तो निश्चित रूप से मिलेगा। नियमों के अन्तर्गत पैसा लिया, वह गलत है। अब यह संशोधन करके उस गलती को सही करना चाहते हैं। अगर यह नहीं आवे तो नुकसान किसका होगा? यह तो आप जानते हैं या तो वित्त मंत्रीजी को होगा या राजस्व मन्त्री जी को या ग्रह मन्त्रीजी का होगा या हमारे एक नये मन्त्री, अमृतलालजी यादव का होगा। जो अपने निजी मकानों में रहते हैं, उनका होगा। नियमों के अन्तर्गत वे वसूली कर नहीं सकते थे सरकार से। अब कानून में संशोधन लाकर उस पर मोहर लगाकर ठीक करना चाहते हैं। इसलिये आपत्ति यह है कि इसे वित्त मन्त्रीजी को करना नहीं चाहिये। जो गलती करदी उसका खामियाजा उठा लेना चाहिये। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये इसको लाना उचित नहीं होगा। हां यह समझ में आ सकता है कि जिस दिन से यह कानून बने उस दिन से लागू हो पर शुरू से ही ऐसी व्यवस्था करना और भी आपत्तिजनक है। इस आपत्ति को सामने रख कर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। सदन इसको स्वीकार करे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज 6 है और सैक्शन 5 का अमेन्डमेंट है यां तो उसको समझा नहीं, क्लाज 5 जब सदन में पास कर दिया गया कि दो महीने मिनिस्टरी खतम होने के बाद में रह सकता है तो यह उसका कान्सीक्वेशल है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज की बात है। यह इसमें कहा गया है कि "Up to a period of two months from the date he ceases to be a Minister" shall be inserted. अब बिजली पानी के खर्चे का रुल्स में जो प्रावधान है लिमिट बांधी है उसके आधार पर दो महीने में देना पड़ेगा। यह सिम्पल अमेन्डमेंट है। वित्त मन्त्री जी का तो फायदा नहीं क्योंकि मैं मेरे घर के मकान में रहता हूं।

और यह तो जो दो महीने बाद सरकारी बंगले में रहेगा और जो रूल्स में उनको सप्लाई मुकर्रर की है बिजली पानी की वह लागू होगी इसलिये यह अमेन्डमेंट है। कानून को रेगुलेट किया है। यह इतना सा अमेन्डमेन्ट है। बड़ी बात नहीं है। यों तो आपकी धारणा ही मान लें तो मैंने तो लिया भी नहीं होगा। लिया होगा, तो वापिस दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : खण्ड छः पर जो संशोधन भैरोंसिहजी ने पेश किया उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 । श्री केशरीसिंह ।

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव के पीछे मेरा तात्पर्य यह है कि मन्त्रि-मण्डल के जो सदस्यों ने साधन चाहे हैं कि भारत से बाहर जाकर अपना इलाज करा सकें उसका मैं विरोध करता हूं। उसे स्वीकार न किया जावे। हां भारत में जब इलाज के साधन उपलब्ध न हों उस सूरत में जा सकेंगे। अगर इस माफिक का संशोधन वे ले आवें कि यहां के चिकित्सक इस बात के लिये इन्कार कर दें कि इनका इलाज भारत में नहीं हो सकता और उनके जीवन बचाव के लिये उनको बाहर इलाज के लिये जाना अत्यन्त आवश्यक है उसी सूरत में जा सकेंगे तो इस संशोधन का मैं विरोध नहीं करूंगा । इसलिये मैंने यह अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं विस्तारपूर्वक बहस का उत्तर देते समय । इसलिये इस अवसर पर मुझे ज्यादा कहना नहीं है। मुझे यह तरमीम मंजूर नहीं है। खेद है इसका मुझे।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 7 पर जो संशोधन पेश किया गया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया। अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 श्री केशरीसिंह।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सबका इलाज हो जावे वहीं, सबको इंगलैंड भेज दिया जावे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका तो यहीं हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह, श्री सहदेव, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं खण्ड 8 में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : 8 भी है आपका।

श्री भैरोंसिंह : यह पालियामेन्टरी सेक्रेटरीज का तो नहीं है। उसमें है मेरा अमेन्डमेंट।

श्री अध्यक्ष : ठीक है तो फिर ।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट कर दिया जावे कि आठ में मैंने जो अमेन्डमेंट दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो नहीं कहा था न।

श्री भैरोंसिंह : आपने नाम लेकर पुकारा था इसलिये.....

श्री अध्यक्ष : नाम तो सही पुकारा था। मैंने तो फिर यही समझा कि आप नहीं मूव करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यह है कि मुझे पता नहीं क्या छपा है।

श्री अध्यक्ष : छोड़ दीजिये इसको।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

अब मुझे विश्वास हो रहा है कि विरोधी पक्ष सहयोग दे रहा है।

खण्ड 9

श्री कैसरीसिंह (अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह (अनुपस्थित)

लाइकवाइज श्री भैरोंसिंह

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस धारा के अन्दर हमने पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज को क्या क्या सुविधायें दी जा सकती हैं इस बात का प्रावधान रखा है। 750 रु० की तनख्वाह और बाकी अन्य सुविधायें उनको इस धारा के पारित होने से मिलने लगेंगी। इसमें मैंने संशोधन पेश किया है।

"After sub-section (2) of the section 7B sought to be inserted. by this clause, add the following proviso namely—

"Provided that the salaries, allowances, amenities and other facilities provided in sub-clauses (1) and (2) shall not be given to such Parliamentary Secretaries who have been convicted by any court of law for charges of corruption as defined in the Prevention of Corruption Act, 1947, (Central Act II of 1947)."

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो होनी चाहिए थी पूरे मंत्रि-मण्डल के लिए लेकिन उस प्रकार का कोई क्लाज नहीं था जिसमें ऐसा संशोधन इस अमेंडिंग क्लाज में मूव किया जा सकता था। लेकिन पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नये इन्ट्रोड्यूज किये गये हैं, लेजिस्लेचर में ही नये इन्ट्रोड्यूज किये गये हैं और इस कारण से मिनिस्टर्स की सेलेरीज के कानून में भी यह संशोधन के रूप में आया है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धारा को पारित करने से पहले कांग्रेस के लोगों को एक नारा लगाना चाहिए। नारा इस बात का नहीं कि गरीबी और अमीरी की असमानता को हम दूर करना चाहते हैं और नारा इस बात का नहीं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं नारा इस बात का भी नहीं कि हम योजनाओं को सफल करने के लिए मितव्ययता के आधार पर सरकारी खर्च में कमी करके उस धन का उपयोग योजनाओं के अन्दर लेना चाहते हैं बल्कि नारा इस बात का लगाना चाहिए कि आज से राजस्थान की सरकार और किसी बात का नारा नहीं लगायेगी नारा

(श्री भैरोंसिंह)

भ्रष्टाचार की जय का लगायेगी। यह नारा आप लगायें। आपको यह नारा शोभा देगा। मैं समझता हूं कि मूलचन्द जी ने कांग्रेस पार्टी के अनुशासन में इस बात का समर्थन कर रहे होंगे लेकिन मूलचन्द जी डागा विधान सभा के बाहर दिल से इस बात को नहीं कह सकते कि हमें इस क्लाज को स्वीकार करना चाहिए। वही क्या सदन का कोई भी सदस्य नहीं कहेगा कि इस क्लाज को स्वीकार करना चाहिए। दिल से कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि आज के इस विषाक्त वातावरण में आवश्यकता [illegible] नहीं इस [illegible] की है कि हम भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठायें। अध्यक्ष महोदय, हमने सतर्कता आयोग की नियुक्ति की है, राजस्थान में हमने एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट की नियुक्ति की है, हमने राजस्थान के सचिवालय में एन्टी-करप्शन बोर्ड की नियुक्ति की है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के नाम से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की नियुक्ति की है और उसके पहले दो कमीशनों की नियुक्ति हो चुकी है। उन सारे कमीशनों के सामने प्रश्न यह आता है कि आज भ्रष्टाचार किस प्रकार से समाप्त किया जाये और वहां सबसे मोटी दलील यह दी जाती है कि सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हमने विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति की है, लोक आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति कर रहे हैं लेकिन देश में एक आवाज बुलन्द की जा रही है कि सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार उस समय तक समाप्त नहीं होगा जिस समय तक हम मंत्रियों के विरुद्ध जांच करने की पूर्ण व्यवस्था का इन्तजाम नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, आज से चार पांच दिन पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि लोक आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति के प्रश्न के संबंध में हमने अन्य राज्य सरकारों से जानकारी की है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि आप तो विरोधी दल की सरकारों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में विरोधी दल की सरकार आई और कांग्रेस के मंत्रियों को रिश्वत के आरोप में अटका दिया। मैं आज आपको बताता हूं बिहार के अन्दर [illegible] विरोधी दल की सरकार आई 1½ करोड़ रुपये के आरोप लगाकर एक कमीशन की नियुक्ति करके मंत्रियों के खिलाफ चालान पेश कर दिये। मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अन्दर इसी प्रकार की चार्ज शीट तैयार की जा रही हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की ही सरकार थी जिसने आर्डीनेन्स इश्यू करके इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की जिसके आधार पर मंत्रियों के खिलाफ जांच की जा सकती है और चालान किये जा सकते हैं। आज केरल की सरकार ने इसी बजट अधिवेशन में इस प्रकार का कानून बनाने के लिये सदन को विश्वास दिलाया है और इसी प्रकार का विश्वास राजस्थान की सरकार आज तक दे नहीं पाई बल्कि राजस्थान की सरकार की घड़ी तो उल्टी चलने लग रही है और विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति करके सरकारी अधिकारियों के लिए तो कुछ व्यवस्था की लेकिन मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के खिलाफ और

(श्री भैरोंसिंह)
पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के खिलाफ सजा भुगतने के आरोप लगते हैं तो हमारी राजस्थान सरकार अपनी जिद्द के अन्दर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि मेरे इन पिछले 15 वर्षों में सदन में बैठने के इतिहास में इस प्रकार की कलंकपूर्ण कार्यवाही इस विधान सभा में नहीं आई होगी कि हमने किसी भ्रष्टाचार को प्राटेक्शन दिया हो और प्राटेक्शन केवल बैठाने का नहीं बल्कि कानूनी प्राटेक्शन दिया है और आज हम उसको कानूनी प्राटेक्शन देना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! मैं सदन की अनुमति से इस सदन का समय आधा घन्टे के लिए और बढ़ाता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज कोई कानूनी प्रश्न लाये। मूलचन्द जी डागा ने कान्सटीटयूशन को उठाया, कईयों ने रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को उठाया। मैं समझता हूं कि आप दोनों को ताक में रख दें। मैं समझता हूं कि इसको आप ही देख लें कि हम इसको इलेक्शन कमिश्नर के पास मूव करके डिस्क्वालीफिकेशन की बात नहीं करें। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में इस प्रकार की कोई डिस्क्वालीफिकेशन नहीं है लेकिन आदमी की नैतिकता, मोरेलिटी, समाज का वातावरण और सरकार की प्रतिष्ठा यह 4 महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं कि जिनको आज के दिन इग्नोर नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों और बाकी लोगों की हम तुलना नहीं कर सकते। आपके यह समझ में नहीं आता कि पंचायत के सरपंच के लिए 6 वर्ष का कानून है, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य के लिए है। आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कानून में इस बात को लागू करना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी पर लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कहते हैं, वह केवल जबान से बात कहते हैं, लेकिन आपकी नीयत नहीं है, आप चाहते नहीं है। यदि आप चाहते तो लोकायुक्त की नियुक्ति आज तक हो जाती। आपकी यदि इच्छा होती तो इस प्रकार के लोगों को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, आप केवल एक बहाना बनाकर ले लेते हैं कि विरोधी दल से जीतकर आया है, विरोधी दल ने उसको डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया था। आज विरोधी दल के जो सदस्य बैठे हुए हैं, कोई ऐसा प्रश्न पेश करें तो आपस की बात है। किसी को हटा नहीं सकते, मंत्री किसी को बनाया नहीं, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी किसी को बनाया नहीं। आप बनाते हैं और बनाकर अपनी तरफ रखना चाहते हैं तो साफ बात है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिए नहीं भ्रष्टाचार की जलती हुई ज्योति लेकर सारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान में घूम कर यह कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो राजस्थान की धरती पर आइये वहां पर राजस्थान के मुख्य मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

बैठे हुए हैं, उनको सहायता नहीं मिलती है तो मुख्य मंत्री से सहायता लो, और काम नहीं चलता है तो डटकर भ्रष्टाचार करो। राजस्थान के मंत्रि-मंडल मे बैठा हुआ ऐसा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है उससे आप उम्मीद करते हैं कि वह राजस्थान सचिवालय में जाकर किसी अधिकारी को यह कह सकता है कि तुम रिश्वत मत लो, किसी सरकारी अधिकारी से कह सके कि भ्रष्टाचार करना पाप है, यह जनता का शोषण है, यह प्रशासन के लिए उचित नहीं है, क्या वह कह सकेगा ? मान लिजिये कि आज वह हुकूमत में जाकर बैठा हुआ है, जनता में जाकर भाषण देकर कह सकता है? कई प्रकार की चीजें होती है। आज वह व्यक्ति जनता के सामने किस प्रकार से मुह दिखाकर यह कहने का साहस रखता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय? ऐसा व्यक्ति आज इस चीज को कह नहीं सकता। मोरेली जिसको यह कहने का अधिकार नहीं है वह व्यक्ति मंत्रि-मडल का सदस्य बन जाय उस रूप में वह राजस्थान के लिये कलंक है, राजस्थान की सरकार के लिए कलंक है, और यदि यह विधान सभा इसको पारित करके चलती है तो वह भी कलंक है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया तो हम भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेंगे। आपने इस पर जिद्द की तो हम भी जिद्द करेंगे और विधान सभा को छोड़ कर भागने वाले नहीं हैं। बजट पास करने वाले हैं हम पूरे एक महीने इस बात की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार में दण्डित व्यक्ति पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के रूप में राजस्थान की विधान सभा में न बैठे। यह कह कर यह निवेदन करता हूं कि मैंने जो यह संशोधन मूव किया है इसको स्वीकार करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप रहने दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा।

क्या आप चाहते हैं कि कोई दोषी आदमी है वह न उठे। क्या आज का समाज यह चाहता है कि उसको कुचल दिया जाय। यदि यह है तो हमें समाज के मूल्यों को बदलना होगा। अगर हाई कोर्ट ने यह जजमेंट पास कर दिया है कि जिस आदमी ने अपना सुधार किया है तो वह दोषी नहीं है। तो समाज में आप किस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं ? समाज में आप क्या चाहते हैं। अगर समाज के एक व्यक्ति ने कोई गलती की और गलती करने के बाद सात साल के बाद जिसका जिन्दगी में आचरण अच्छा रहा तो क्या आप चाहते हैं कि उसको संसार से अलग उठा कर फेंक दिया जाय। अगर इस तरह का फैसला किया तो वह काम ठीक नहीं होगा। विधान सभा में उन लोगों को हमें ऊंचे उठाना होगा....

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात कहनी है। यह विधान सभा कोई रिफामेंट्री स्कूल

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
नहीं है । विधान सभा समाज का दर्पण होता है । यहां समाज की तस्वीर है वह देखना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह बिल्कुल ठीक है । (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर, वित्त मंत्री महोदय !

श्री श्रवणलाल : खूब चिलम भरी ।

एक कांग्रेसी सदस्य : उधर बैठे थे तो अच्छे थे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को लेकर दो तीन दफा बोला । एक तो जनमत के लिए भेजा जाय उस वक्त इस विषय पर विचार रखे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गला रुंधा हुआ है । साफ आवाज नहीं आती है ।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बाद भी इसकी चर्चा हुई, और मैंने जनमत के प्रस्ताव के समय जो कुछ कहा वह विस्तारपूर्वक कहा है । इस प्रश्न को लेकर मैं फिर दुबारा नम्र निवेदन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस माननीय सदस्य के लिए आप कह रहे हैं यह सदन जनता के अरमानों का दर्पण है । माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं । जनता से चुनकर आये हैं और इस दर्पण रूपी संस्था के वे भी एक अंग है जैसे कि दूसरे सदस्य हैं । सन् 56 में जब वे सरकारी नौकरी में थे तब यह मामला पैदा हुआ····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला कि उनके ऊपर एन्टी करप्शन का चार्ज लगा····

श्री भैरोंसिंह : वाकया क्या था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फैक्ट्स तो बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : फैक्ट्स तो हाई कोर्ट की रूलिंग में दिये हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके मुंह से सुनना चाहते हैं । उसको पढ़ दें जरा ।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त सन् 56 में जब वे इंसपेक्टर थे····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन ?

श्री मथुरादास माथुर : श्री जसराज । आपको नाम लेते शर्म आती है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : फिर ।

श्री मथुरादास माथुर : और उस वक्त उनके ऊपर एन्टी करप्शन एक्ट के अन्दर मुकद्दमा चला····

श्री भैरोंसिंह : किस बात का ?

श्री मथुरादास माथुर : एन्टी-करप्शन एक्ट में ।

श्री भैरोंसिंह : किस बात का।

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने 200 रुपये की रिश्वत ली····

(विरोधी सदस्यों द्वारा शेम, शेम)

माननीय अध्यक्ष, यह "शेम" जो आज आप इस वक्त कहते हैं वह उस वक्त कहते तो अच्छा होता जब सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने उनको उपाध्यक्ष के लिए नाम पेश किया था। ····

(कांग्रेस पक्ष की ओर से शेम, शेम)

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : यह आप उस वक्त कह सकते थे।

श्री विजयसिंह रावत : सरकार गलत रिपोर्ट····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जब वह विरोधी दल में था तो भ्रष्टाचारी नहीं था····

श्री भैरोंसिंह : यह कौन बोल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : एम०एल०ए०।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : स्वतन्त्र पार्टी दोषी है····

श्री मथुरादास माथुर : मैं दोष नहीं दे रहा हूं·····

श्री फतेहसिंह : नहीं आप कह रहे हैं कि जिस वक्त उनको डिप्टी स्पीकर मनोनीत किया जा रहा था विरोधी पक्ष की तरफ से उस वक्त विरोधी पक्ष को यह मालूम नहीं था कि हाई कोर्ट···· (अश्रव्य)

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

और मैं आपको कहना चाहता हूं और विश्वास से साथ कहना चाहता हूं कि 20 नवम्बर, 1966 को श्री जसराज स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हुए······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री फतेहसिंह : स्वतन्त्र पार्टी में भरती होकर टिकट लिया था तो यह मालूम नहीं था कि इस तरह का प्रश्न आने वाला है ·········

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय वित्त मंत्री।

श्री फतेहसिंह : 26 जनवरी को···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : अजमेर में एक सभा हुई उसमें इनको बोलने नहीं दिया। यह तो नका हाल है पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी का···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री फतेसिंह : बाजार से निकल गये·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को मान सकता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता को यह बात मालूम नहीं थी। गोया कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वे उसी जिले के रहने वाले हैं एक बात। दूसरी बात रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑब्जेक्शन किया गया था······

श्री भैरोंसिंह : वह ऑब्जेक्शन कांग्रेस

(श्री भैरोंसिंह)
पार्टी की तरफ से किया गया था इसलिये कांग्रेस पार्टी को मालूम था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (बैठे बैठे) जमीन के मामले में गड़बड़ करने वाले श्री जोशी इनकी हिमायत कर रहे हैं।

एक सदस्य : कौन बोल रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी Elected member of the House like you.

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस भ्रष्टाचार के कारण ही मुख्य मंत्री जी ने जसराजजी को दबाया और सौदेबाजी की······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय वित्त मंत्री !

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय वित्त मंत्री !

श्री मथुरादास माथुर : यह भी मैं मान लेता हूं अध्यक्ष महोदय कि स्वतंत्र पार्टी······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे हिमायत करते हैं जिन्होंने नाजायज जमीन····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(श्री विजयसिंह रावत बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सब मान लेता हूं, जो बातें माननीय सदस्य सदन में कहते हैं तो उनको मानना चाहिये, मैं मान लेता हूं कि स्वतंत्र पार्टी ने उनको टिकट दिया उस वक्त मालूम नहीं था। उनको यह भी मालूम नहीं था जब एतराज किया रिटर्निंग आफिसर के सामने तब स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से कहा गया कि डिस्क्वालिफाई नहीं किया जावे यह भी मैं मान लेता हूं। मैं यह भी मान लेता हूं कि वह तुम्हारी पार्टी का व्हिप या चीफ व्हिप बना उस समय भी मालूम नहीं था। यह भी मान लेता हूं कि डिप्टी स्पीकर के लिये नाम पेश किया गया उस समय भी इनको मालूम नहीं था यह भी मान लेता हूं, पर स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि, चार-चार बार मौका मिलने पर भी तुमको मालूम नहीं हुआ और तुम उनकी पैरवी करते रहे, उपाध्यक्ष की पोजीशन और पार्टी के व्हिप कि पोजीशन के बारे में आपको मालूम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज आप जिस तेजी से बोल रहे हैं आपको चार-चार मौके मिले और आपको मालूम नहीं पड़ा, हमें ही कहते हो कि मालूम क्यों नहीं हुआ······

श्री विजयसिंह रावत : हमको यह मालूम नही था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विजयसिंहजी रावत ने तो स्वतंत्र पार्टी की तरफ से करम ठोक लिया आप भी ठोक लो करम।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि सन् 56 का मामला है उसमें हाई कोर्ट ने यह कहा.........

श्री भैरोंसिंह : उनको कितने दिन की सजा हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में कई बार उत्तर दे दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : जब उनकी बेल नहीं हुई थी........

श्री भैरोंसिंह : सेशन कोर्ट में कितनी सजा हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : सेशन कोर्ट की सजा रद्द हो गई। हाई कोर्ट का फैसला बोल रहा.......

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कहते शर्म लग रही होगी कि सेशन कोर्ट से 2 माह और 18 दिन की सजा हुई थी।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट ने यह कहा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी रिगरस इम्प्रिजनमेन्ट। बैठे चक्की पीसते।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट ने यह कहा :

"I have also given all consideration to this appellant's case, and as a specific case, it is a time to take a view in the matter of sentence particularly when the appellant has rehabilitated in a proper manner. The appeal is partially accepted and he is let off, from the sentence already passed."

उनको 21 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। 21 दिन की सजा में हाई कोर्ट ने छोड़ दिया और हाई कोर्ट ने यह कहा:—

"The appellant has rehabilitated himself in a proper manner".

एक चीज। दूसरी चीज यह है कि बार कौन्सिल ने वकालत करने की इजाजत दे दी.........

श्री भैरोंसिंह : वह भी गलत हुई।

श्री मथुरादास माथुर : जिस सदस्य पर सन् 56 में चार्ज लगा और फिर हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, बार कौन्सिल ने वकालत करने की इजाजत दे दी उसके बाद जैसा कि मैंने कहा स्वतंत्र पार्टी ने विधान सभा के लिये टिकट दे दिये और चुन कर सदन में आ गये। जनता ने उनको चुन लिया। भैरोंसिंहजी कहते हैं कि प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल में नहीं बनाऊंगा। यह प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, सदन के सभी सदस्य बराबर हैं।

(करतल ध्वनि)

श्री विजयसिंह रावत : यह माना है कि जसराजजी चोर हैं, रिश्वतखोर हैं....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। प्रश्न यह है......

श्री रामानंद अग्रवाल : आपकी दलील सबसे वजनी थी। मंत्रीजी कहना चाहते थे

(श्री रामानन्द)

ईमानदारी से कि मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य कौन से दूध से धोये ह जो आप एक उन्हीं के पीछे पड़े हो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह भी नहीं कहना चाहता......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 9 पर जो संशोधन श्री भैरोंसिहजी ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

'ना' पक्ष जीता ?

कई सदस्य (विपक्ष) से : 'हां' पक्ष जीता ?

श्री अध्यक्ष : मैंने जो सहयोग देने के लिये कहा था......

श्री भैरोंसिह : भ्रष्टाचार के मामले में सहयोग की बात नहीं है।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड 9 पर श्री भैरोंसिह ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

'ना' पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिह : 'हां' पक्ष जीता ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसका अर्थ होगा समय का सदुपयोग।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की जनता को मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष : डिवीज़न दो तरह के होते हैं......

श्री भैरोंसिह : यहां लॉबी वाला ही लागू होगा।

श्री फतेहसिंह : जनता देखना चाहती है, सदन क्या करता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री वृद्धिचन्द जैन : अनुशासन मानना पड़ेगा।

श्री विजयसिंह : (मकराणा) अनुशासन के अन्दर नंगा नाचो तो उसको भी मानना पड़ेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या करें ?

श्री विजयसिंह : मानो।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति से जब तक यह बिल पास नहीं हो, तब तक सदन का समय बढ़ाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात मंजूर है।

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष 'हां' लाबी में, 'ना' पक्ष 'ना' लॉबी में तशरीफ ले जायेंगे।

(5.20 म० प०)

(मत-विभाजन)

'ना' पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम

1 श्री अब्दुल हादी
2 श्री अमीनुद्दीन अहमद
3 श्री अमीलाल यादव
4 श्री अमृतलाल यादव
5 श्री कन्हैयालाल पटेल (पिडावा)
6 श्री कल्याणमल
7 श्री कालूराम मेघवाल
8 श्री कालूराम आर्य
9 श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
10 श्री खेतसिंह राठौर
11 श्री गंगाराम चौधरी
12 श्री गणेशलाल
13 श्री गामा फताजी
14 श्री गिरधारीलाल व्यास
15 श्री गुलाबसिंह शक्तावत
16 श्री गोकुलचन्द
17 श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
18 श्रीमती गौरी पूनिया
19 श्री जगन्नाथ
20 श्री जयकृष्ण शर्मा
21 श्री जयनारायण (लसाड़िया)
22 श्री जवाहरमल
23 श्री जसराज
24 श्री जेपाराम
25 श्री दामोदरलाल व्यास
26 श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
27 श्री नथमल चोहला
28 श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)
29 श्री नाथूराम
30 राव श्री नारायणसिंह मसूदा
31 श्री परशराम मदेरणा

1	2
32	श्री पुखराज कालानी
33	श्री पृथ्वीराज पटेल
34	श्री प्रद्युम्न सिंह
35	श्रीमती प्रभा मिश्रा
36	[illegible]
37	श्री [illegible]
38	श्री विरधी चन्द्र जैन
39	श्री विशम्भरनाथ जोशी
40	श्री वीरबल
41	श्री बृजसुन्दर शर्मा
42	श्री बृजप्रकाश गोयल
43	श्री भीखाभाई
44	श्री भूरालाल
45	श्री मथुरादास माथुर
46	श्रीमती मदन कौर
47	श्री मनफूल राम
48	चौधरी श्री मनफूलसिंह
49	श्री महेन्द्र कुमार
50	श्री माधोसिंह
51	श्री मुल्कराज
52	श्री मूलचन्द डागा
53	श्री मोतीलाल
54	श्री मोहनलाल मोदी
55	श्री मोहम्मद उस्मान
56	श्री रणजीतसिंह
57	श्री रतनलाल रोत
58	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
59	श्री रामकुमार (सपोटरा)
60	श्री रामचरण
61	श्री रामदेवसिंह
62	श्री रामनारायण
63	श्री रामप्रसाद लड्ढा
64	श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
65	श्री रोशनलाल
66	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
67	श्री शंकरलाल (जैतारण)
68	श्री शिवचरण माथुर
69	चौधरी श्री शिवचरणसिंह
70	श्री शिवनाथसिंह
71	श्री शोभाराम
72	श्री श्रीनिवास शारदा
73	श्री श्रीराम रावत
74	मास्टर श्री समर्थलाल
75	श्रीमती सुमित्रा
76	श्री सूरजमल
77	श्री हरलाल मीणा
78	श्री हरिदेव जोशी
79	श्री हरिसिंह
80	श्री हीरालाल देवपुरा
81	श्री हुकमसिंह

हाँ पक्ष

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक श्री भैरोंसिंह का संशोधन

खण्ड 9 दिनांक 28-2-68

विभाजन संख्या 1	सदस्य का नाम 2	विभाजन संख्या 1	सदस्य का नाम 2
1	श्री आइदानसिंह	19	श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री
2	श्री कन्हैयालाल (बस्सी)	20	श्री भैरोंसिंह शेखावत
3	श्री कृष्णकुमार गोयल	21	श्री मनोहरसिंह मेहता
4	प्रो० श्री केदारनाथ	22	कु० श्री महेन्द्रसिंह हाडा
5	महाराज श्री केसरीसिंह हाडा	23	श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
6	डा० श्री गंगासहाय	24	श्री मेघराज
7	श्री चुन्नीलाल जैलिया (खंडार)	25	श्री रामप्रसाद बोहरा
8	श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)	26	श्री रामानन्द अग्रवाल
9	श्री जुझारसिंह	27	श्री लक्ष्मण तानीवाल
10	श्री दुर्गालाल बाबूदार	28	श्री लादूराम सुलानिया
11	श्री दुर्जनसिंह	29	श्री लाभचन्द बैद
12	श्री देवीदत्त गाडिया	30	श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)
13	श्री दौलतराम (देसूरी)	31	श्री श्रवणलाल
14	श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज)	32	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
15	श्री प्रेमसिंह सिंघवी	33	कु० श्री सुरेन्द्रसिंह
16	मेजर श्री फतहसिंह	34	श्री हरजीराम बुरड़क
17	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	35	श्री हरलालसिंह खर्रा
18	श्री बालसिंह सोढा	36	श्री हरिवल्लभ शर्मा

(5.35 म० प०)

(लॉबी से निकलते समय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने "भ्रष्टाचारी सरकार का नाश हो, भ्रष्टाचारियों का नाश हो"_ यह नारे लगाये)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, काफी है, काफी हो गया।

(विराम)

House to order please ? विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

हां पक्ष 36

ना पक्ष 81

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

'ना' पक्ष जीता, संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10 श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

खण्ड 11 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 और खण्ड 11 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 और 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 प्रियेम्बल इत्यादि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रियम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 प्रियेम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक, 1968 को पारित किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (वयाना): अध्यक्ष महोदय, सदन में इस विधेयक के सम्बन्ध में तीसरा और आखिरी वाचन है। जिस रूप में यह बिल आज हमारे सामने आया है, हम समझ नहीं पाते कि या तो राजस्थान की सरकार के अन्दर योग्यता की कमी आ गई है या समझ सोच कर कानून नहीं लाना चाहती। जिस रूप में संशोधन हमारे सामने आखिरी स्टेज में पेश हैं, इसकी रूप रेखा को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो विधेयक सामने रखा जाता है उसके टाइटिल से ही पता चल जाता है, उसका नाम देखने से ही पता चल जाता है कि इस विधेयक में किस प्रकार की व्यवस्था है। जब इस बिल का नाम राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक रखा गया है, तो मंत्री की परिभाषा तो और विधेयक में है पर मंत्री के अन्दर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के नाम की चिड़िया भी आती है, यह कहीं नहीं है। इस बिल से पार्लियामेंटरी

(श्री मुकुटबिहारी लाल (गोयल)

सेक्रेटरीज को वेतन और दूसरी सुविधाएं देने की व्यवस्था है, जब तक परिभाषा में यह शब्द नहीं है कि आखिर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होता क्या है, तब तक जो चीज इसम नहीं है, जिस चीज में जान ही नहीं है, उसको तनख्वाह देने का प्रावधान इस विधेयक में कर दिया गया तो यह क्या विधेयक हुआ। यह विधेयक मंत्रियों के वेतन आदि की व्यवस्था करनेवाला विधेयक है, फिर इस विधेयक के द्वारा मन्त्रियों के अलावा और किसी दूसरे के लिये व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इसमें व्यवस्था कर दी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बारे में जब कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य होंगे, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होगी, किस व्यक्ति को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कहेंगे, यह सब इस कानून के द्वारा अननोन है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का यह बिल हमारे सामने आया है कि न तो इसके टाइटिल से इस बात का भान हो सकता है कि इसमें क्या क्या व्यवस्था है, और दूसरे इसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की कोई परिभाषा नहीं है जब तक इसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की परिभाषा नहीं होती, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं होता।

इसके साथ ही इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, उसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा, वह बात यह है कि गांधीजी को संसार से गये हुए २० वर्ष हुए हैं, गांधीजी की वसीयत पर आप लोग बैठे हुए हैं, यह सरकार कुछ तो गांधीजी के आदर्शों का पालन करे, इतना जल्दी गांधीजी के आदर्शों को भुला देंगे, ऐसी कभी आशा नहीं थी।

श्री खेतसिंह : बस, बिराजो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : आप शुरु रखिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि गांधीजी ने एक बात कही थी। यह बात तो निश्चित है कि मंत्रियों के वेतन स्तर में और सचिवालय में बहुत बड़ा अंतर है परन्तु यह अन्तर कम वेतन लेने वाली बात जैसे माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि हमारे सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहिए राष्ट्र के सामने गांधीजी ने एक बात कही थी कि मंत्रियों को झोंपड़ियों में रहना चाहिए, उनको मितव्ययता व सादगी का आदर्श बनना चाहिए, कांग्रेस का एक एक व्यक्ति सूत के कते हुए कपड़े पहनेगा, सादगी से रहेगा, स्वावलंबन से रहेगा, मद्यनिषेध व दूसरे कार्यक्रमों पर अमल करेगा, आज वह आदर्श कहां गया ? यह सही है कि आज हमारे सामने अगर वे गांधीजी के नाम की दुहाई देते हैं, जो मंत्री सादगी व मितव्ययता का प्रतीक होना चाहिए था, वह नहीं रहा। बाबू राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे लेकिन अपने कर्त्तव्य को, दैनिक दिनचर्या को नहीं छोडा। लेकिन ये मंत्री गद्दी पर बैठने के बाद अपने को कामनर्स नहीं समझते। अगर मंत्रीगण आदर्श प्रस्तुत करें तो निश्चित तौर से जनता की नजर में ऊंचा उठेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद : अश्रव्य।

श्री मूलचन्द डागा : जैसे कोई मारल स्कूल है।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : श्री गोकुल प्रसादजी कुछ कह रहे हैं अगर उनके सामने कह दूंगा तो महसूस करेंगे अगर हमने कुछ ऐसी बात कह दी तो। डागा साहब ने कहा कि आप बोल रहे हैं कोई मारल स्कूल में तो नहीं बोल रहे हैं। यह राजनीति है यदि उसको एथिक्स से हटा दिया जाय वह राजनीति न रहकर एक अनीति रहेगी और दुराचरण बन इसलिये गांधीजी की नीति थी अहिंसा सत्यवाद और सच्चाई। मैक्यावली 19वीं शताब्दी में हुआ था उसने कहा Preach morality but you are not bound by it. और भी बहुत सी बातें कहीं। उसने राजनीतिज्ञ को ट्रेटर या विलियन की उपाधि दी और हिपोक्रेट बताया कि कहते कुछ हैं और आचरण में दूसरी बात। आज के राजनीतिज्ञ को क्या उपाधि दें? यह विचारणीय विषय है लेकिन राजनीति को आचरण में नैतिकता से अलग मत रखें। कम से कम विधान सभा के बाहर खुले आम इस बात का प्रोपेगंडा मत करें कि आदर्श कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे सामने कुछ नहीं है। फिर तो यह हो कि भ्रष्टाचार की एक मूर्ति सदन में अध्यक्ष लगवा दें..

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पुजारी नियुक्त किया जाय और उद्घाटन के लिये आवश्यकता पड़े तो मुख्य मंत्री को बुला लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं कहें, यह सभी का है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जो हमारे सामने कानून आया है, न तो जनता के मन में प्रेरणा दे सकता है, न मंत्री आदर्श के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो न तो आचरण का न सादगी का और न मितव्ययता का बल्कि इस बात का आदर्श प्रस्तुत करेंगे, जिससे सत्ता का मद होता है।

जब पुराने जमाने में महाराना प्रताप को ताज पहनाया जा रहा था तब चंद्रावत ने कहा था कि राना यह ताज नहीं कांटों की सेज है...

कई माननीय सदस्य : चंद्रावत कहां से आ गया?

श्री अध्यक्ष : चंद्रावत को आने दो अगर पहले नहीं आया तो।

श्री खेतसिंह : चूडावत था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चूडावत ने कहा राना यह ताज नहीं कांटों की सेज है, यह दुधारी तलवार है इसे पहनकर अपने को स्वामी न समझना बल्कि सेवक समझना। तो कितना ऊंचा आदर्श था। तो मंत्री बनकर यह महसूस मत कर लेना कि आप खुदा बन गए। गांधीजी ने इन चीजों का ध्यान रखा और चाणक्य ने भी राज्यशासकों को मर्यादित करने के लिए अनेक नीतियों के सूत्र रखे और शासकों को कंट्रोल करने के लिए एक नियमावली में ढालकर चलते थे। इस विधेयक में कोई ऐसी बात

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)

नहीं है। इसमें फिजूल खर्ची, व्यर्थ के फोन्स पर खर्ची, कारों पर खर्चा, भत्ते पर खर्चा, पेट्रोल पर खर्चा। बंगले को डेकोरेट करेंगे विदेश जायें और कुछ इस प्रकार के आडम्बर इस कानून के द्वारा रखे गए हैं। न सादगी है न गांधीवाद है, कोरा ढकोसला है और भ्रष्टाचार को पोषण देने के लिये एक मखोल है। इसलिये इस विधेयक का मैं घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सदन के सदस्य नामंजूर कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में वित्त मंत्रीजी ने जब उत्तर दिया था उस सम उन्होंने एक बात बहुत सच्चाई के साथ स्वीकार की जिसको मुख्य मंत्री टाल गए थे अपने जवाब में वह यह कि हम भी इस प्रकार के मंत्री मंडलों को बहुत बड़ा बनाना पसंद नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में जैसे मंत्रिमंडल बने हैं, परम्परा छोटे मंत्रिमंडलों को रखने की रही है, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है। 1967 के आम चुनावों के बाद जो एक जलजला देश में आया जो नई नई सरकारें बनीं, गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं और उसमें बड़े मंत्रिमंडल बनाए गए। उन मजबूरियों के कारण उनकी छूत राजस्थान में भी लगी। इसलिए इन मजबूरियों के कारण बड़े मंत्रिमंडल बनाने पड़े।

मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि कुछ काम भी ज्यादा है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस अपनी राजनैतिक कमजोरी को, दलीय स्थिति जो आई उसको ढांपने की कोशिश की। आज प्रजातंत्र इस स्टेज पर पहुंच गया है कि मर्यादाओं के आधार पर, घोषणा-पत्र के आधार पर, उसूलों के आधार पर चुनने के बाद आज कांग्रेस जिसने २० वर्ष शासन किया है, वह यह स्थिति तो अपनी स्वीकार करती है। अपने भी प्रशासन के नाम पर, अच्छा शासन देने के नाम पर, आपको अपनी मेजोरिटी कायम रखना मुमकिन नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में दूसरे विकल्पों की हुकूमतें बनी, गैर कांग्रेसी हुकूमतें बनी और उनमें मंत्री मण्डल की तादाद ज्यादा हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जो स्थिति होती जा रही है, उसमें यह सर्वथा अनुचित है। कांग्रेस आज एक ही पार्टी के रूप में उभर कर नहीं आई है, ऐसी स्थिति के अन्दर जनता दूसरा विकल्प देखना चाहती है, उसमें एक पार्टी का अनुशासन कई पार्टियों पर लागू करना सम्भव नहीं है। यह स्थिति आज देश के अन्दर है कि कांग्रेस सबसे बड़ी संस्था है, उसमें भी यह संभव नहीं हो रहा है जो कांग्रेस सन् 1947 के पहले थी वह इस बुनियाद पर लोगों को भरती करती थी, टिकट देती थी कि उनका कितना त्याग और तपस्या है ताकि वे अपने उसूलों के आधार पर क्या कार्यक्रम लागू करेंगे। आज यह स्थिति है कि दूसरे दल से चुनने के बाद भी कांग्रेस में शामिल होते हैं। आज वे अपने दल में भी उसको बंधा हुआ रखने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए खुले शब्दों में इस स्थिति को स्वीकार किया जाय कि अपनी स्थिति को कायम रखने के लिये, मेजोरिटी कायम रखने के लिए, कुछ लोगों को चाहे वह अवांछनीय भी क्यों न हों, चाहे वह गलत परम्पराओं को डालने वाली बात क्यों न हो, उन लोगों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को मंत्रि-मण्डल में लेना चाहती हैं—चाहे वह मजबूरी की वजह से हो, जिसको वे भी पसन्द नहीं करते हों, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि उनको अपनाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ यही कि यह विधेयक भी जो आज आप पास करने जा रहे हैं —बावजूद हमारे विरोध के, यह विधेयक मंत्रि-मण्डल में कुछ संख्या बढ़ाने का पास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को वेतन और भत्ते दिलाने के लिए पास नहीं कर रहे हैं बल्कि जो यह विधेयक पास कर रहे हैं, वह हिन्दुस्तान के अन्दर नये तरीके से जनतन्त्र कायम रखने के लिये पास कर रहे हैं। जनतन्त्र के उसूलों को आप खतम कर रहे हैं। आज आप अपरचुनिज्म और अवसरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस के अन्दर इस तरह की भयानक सौदेबाजी हो कि या तो हमें मंत्री बनाओ वरना हम दूसरी तरफ जायेंगे। इस तरह की सौदेबाजी आज राजनीति में हो तो यह उनका कोई उसूल नहीं रहा। एक वक्त था, सन 1952 में जब यह नारा था कि कांग्रेस को वोट दो नहीं तो हिन्दुस्तान में जागीरदार कायम हो जायेंगे। बहुत से लोग जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं रखते थे कि ये सोशलिज्म कायम नहीं करेंगे केवल इस कारण से वोट दिये कि एक उसूल के लिये लड़ने जा रहे हैं—कांग्रेस का समर्थन किया। हो सकता है वे तमाम बुनियादें, तमाम आधारों को समाप्त करके केवल यह ध्येय बना लिया हो कि हमें सत्ता में रहना है और सत्ता में रहने के लिये मेजोरिटी कायम रखनी चाहिये, चाहे कोई आदमी सजायाफ्ता ही हो जो साफ तौर से यह कहे कि मुझे मंत्रि-मण्डल में लो वरना मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। इस आधार पर जो यह विधेयक लाये हैं और यह कानून पास करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ डिस-क्वालिफिकेशन के लिये, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो सजायाफ्ता लोग हैं चाहें डाके की सजा में हों, मर्डर की सजा में हों, फांसी की सजा में हों, आजीवन कारावास की सजा हुई हो—आज केवल वे इसलिये खड़े नहीं हो सकते हैं कि वे कानून में डिस-क्वालिफाईड हैं लेकिन आपको तो आज अपना बहुमत बनाना है और इस प्रकार के डाकू को जिनके लिये आप यह महसूस करे कि इस शख्स को साथ लेने से मेजोरिटी आ सकती है, इसके डर से बहुत से लोग वोट देंगे—अपने में मिला लेते हैं, उसको मंत्रि-मण्डल में ले लेते हैं। यही विचार धारा आपके पार्लियामेंट के अन्दर, विधान सभा के अन्दर रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट में प्रेरित करेगी। यह आपकी कमजोरी है कि जनता हमको वोट नहीं देना चाहती है और आप यह सोचते हैं कि हमको बहुमत नहीं मिल सकता, बहुमत कांग्रेस में बहुत जरूरी है इसलिये इस डिस-क्वालिफिकेशन को हटाना भी बहुत जरूरी है। मैं आपके इस बिल में और उस सम्भावित बिल में कोई बुनियादी अन्तर नहीं समझता हूं। आप सत्ता में रहना चाहते हैं इसलिये उसूलों और उसके कामों को न देखकर इस बुनियाद पर करना चाहते हैं इसीलिए आपकी नीतियों में फरक आ रहा है, वह साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। आज आपके उसूल इलेक्शन मेनीफेस्टो के आधार पर नहीं हैं। आपकी डाईरेक्टिंग ऑथोरिटी नहीं है, आज आपकी डाईरेक्टिंग ऑथोरिटी है वह बिका हुआ माल है। आज भी बाजार में बिकाऊ है, जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ज्यादा कीमत दे वही ले सकता है, चाहे वह सुखाड़िया जी हों या महारावल साहब हों, उनके पास ही वह जा सकता है। इसलिये सुखाड़िया जी इस नीति को तय नहीं करते, हाई कमान्ड इस नीति को तय नहीं करते; वह नीति तय करते हैं बिकाऊ माल। वे यह कहते हैं कि या तो हमारा कहना मानो नहीं तो हम कांग्रेस छोड़कर चले जायेंगे। यह विधेयक आपको कहां ले जायेगा। मैं समझता हूँ यह बुनियाद और यह विधेयक मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का विधेयक है। यह विधेयक जनतन्त्र की पीठ पर छुरा भोकने वाला है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपना उत्तर देते हुये हमारी पार्टी के निर्णय के बारे में जो हमने संयुक्त दल की सरकार का समर्थन किया, उसमें आक्षेप किया, उसको उन्होंने सिद्धान्तहीन बताया। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति से अपना अलग निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ और हो सकता है कि माननीय मंत्री कुछ जानकारी नहीं रखते हों। हमारी पार्टी में ऐसी बात नहीं चलती है कि वे कुछ निर्णय करें और हम उसके खिलाफ अमल करें। हमारी पार्टी ने निर्णय किया कि जनता की इच्छा, राजस्थान की 70 परसेन्ट की इच्छा यह थी कि कांग्रेस का शासन अब 20 वर्ष बाद बदलना ही चाहिये। जनता यह विकल्प रखना चाहती थी तो उसे मौका दिया जाय, चाहे वह विकल्प हमारी पसन्द का न हो, वह राजस्थान की पसन्द है। आप बहुमत में चुनकर नहीं आये, यह वास्तविकता राजस्थान की जनता मानती है और वह इसे विकल्प के रूप में देखना चाहती है। अगर वह विकल्प गुड डिलिवर नहीं करता तो जनता उसको सही रास्ते तक पहुंचा देती। कांग्रेस का 20 वर्ष का शासन जनता को गुड डिलिवर नहीं कर सका। इसीलिये हमारी पार्टी ने संयुक्त दल के मंत्रिमण्डल में न जाने को कहते हुये भी, संयुक्त दल में न शामिल होते हुये भी चूंकि जनता के विकल्पों को हम रिप्रेजेन्ट करते थे, मेजोरिटी की राय को रिप्रेजेन्ट करते थे, इसलिये एक कार्यक्रम के अनुसार, 17 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार बनाया। मुझे इस बात की खुशी है कि सीलिंग जैसा कानून उन्होंने मंजर किया। मुझे इस बात की भी खुशी है एक महाराजा को जो उनको बिजली-पानी मुफ्त मिलता है, उसको वे समाप्त करेंगे।

इन बातों का आश्वासन दिया और इस प्रकार का कार्यक्रम रखा। उस बुनियाद का समर्थन किया तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार के सामने सरकार किसकी बने यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि जो संस्था प्रजातन्त्र के लिये लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, राजाओं के खिलाफ जागीरदारों के खिलाफ लड़ी उसके लिये प्रजातंत्र जिन्दा रहता है या प्रजातंत्र खत्म होता है यह बुनियादी सवाल है। आज जो सरकार में बैठे हैं वे प्रजातंत्र की डींग जरूर हांकते हैं लेकिन उनका आचरण इस प्रकार का है जिस प्रकार तानाशाही हुकूमत का होता है। आज कांग्रेस हाई कमान्ड है वह तानाशाही रूप धारण करता जा रहा है। जहां भी पार्टी का ववेदचन आया परिभाषाओं में बदलाव शुरू हुआ, विधान की व्याख्या अपने तरीके से करने लगे इस तरह से आप प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं और यह विधेयक इस दिशा के अन्दर एक कानून है। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलचन्दजी डांगा का मैंने पाली में काम देखा है, उन्होंने नैतिकता का ध्यान रखते हुए वहां काम किया है। लेकिन आज उन्होंने जो इस विल पर भाषण दिया है, जिस प्रकार की वातें की हैं, वह सुनकर दुख होता है। आपके यहां क्या मोटो लिखा है

'सत्यमेव जयते' गान्धीजी का सब से बड़ा मन्त्र था यह वे राजनीति में भी इसी को आधार रखकर चले थे इसलिये उन्होंने राजनीति के साथ सत्य और अहिंसा को को मिलाया। आज वे होते तो आपकी बातों को सुनकर उनका हृदय कितना व्यथित होता, आप इस तरह की वातें न कहियेगा। सुखाडियाजी को मैं अपना साथी मानता हूँ, उनकी जव तारीफ होती है तो मुझे खुशी होती है और जव बदनामी होती है है तो मुझे रंज होता है। इसका यह मतलब है कि मेरे दिल में उनके प्रति सच्चा स्नेह है। आज उन्होंने जो ३६ सदस्यों का मंत्री मंडल बनाया है, उससे उनकी सारे भारत में वदनामी हो रही है। हिन्दुस्तान भर में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो इतना असर रखता हो, अगर ये चाहें तो अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि मैं दस मंत्री ही रखूंगा चाहे तो आप मुझे मुख्यमंत्री रक्खें या न रक्खें। यह लो मेरा त्यागपत्र। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि स्वेच्छा से कई लोग जो वहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुद ही आकर त्याग पत्र दे देंगे। हम भी विरोधी हैं नहीं, इतनी वात जरूर कह देता हूँ,

कडवो वो ही केवसी जो हित चाण्यो होय,
खीर न काड़े ताप ने काडे नीम गिलोय।

वुखार खीर से उतरने वाला नहीं उसको तो नीम गिलोय ही निकालने वाली है। इसका कृपा करके ध्यान रखिये!

आज हमारे प्रान्त में कितनी कम आमदनी है, कितना ओवर ड्राफ्ट है। जैतपुर बान्ध बंन्धाने के लिये कहते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है जव कि उसकी मन्जूरी हो चुकी है। आपसे कहते हैं कि सड़कें बनाओ, आप कहते हैं कि हम गड्ढे तो वुरवा देंगे, पूरी सड़क वनाने के लिये पैसा नहीं।

विजली के लिये कहते हैं भीलवाड़ा से विजोलिया तक आपकी लाइन गयी है, आप उन खम्बों पर वल्द लगवा दीजिये ताकि लोगों को रोशनी तो मिल सके, लेकिन इस काम के लिये पैसा नहीं...

कम आमद देणो घणो नहीं खजाने खेर
मान कियो काढे मती सोढ वारणे पैर।

क्यों आप मसनद के वाहर पैर निकाल रहे हैं। अगर आप यह निर्णय लेतें ह तो माननीय मंत्री जी राज्य मंत्रीजी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से निवेदन करता हू कि आप अपना त्याग पत्र सुखाड़िया जी को भेज दो, आपका नाम आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा, तभी आप सच्चे कांग्रेसी वन सकोगे। इन्ही शब्दो के साथ निवेदन करता हूं कि आप इस बिल को पास न कर।

श्री अध्यक्ष : श्री वित्तमंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर काफी बहस हुई अभी जो पारित करने का प्रस्ताव रखा, उस पर माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं वे मैंने सुनीं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर में कही हुई बातों का जवाब दने का प्रयास किया। मुझे खेद है कि वे मुझे सन्तोष नहीं दे सके। उनकी व्यथा मैं समझता हूं खास तौर से बंगाल में जिस प्रकार की घटनायें घटी उसके बाद उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रति कैसी हो सकती है यह मैं अनुभव करता हूं।

मने उत्तर के वक्त कहा था कि उन बातों को लेकर जो कुछ सियासत हिन्दुस्तान की उन्होंने विश्लेषण करने की कोशिश की है उनका कांग्रेस के प्रति जो दुख है खास तौर से राजस्थान में उनकी धारणा है वह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं नहीं मान सकता कि राजस्थान के कांग्रेस के लोगों का दिल और दिमाग नहीं रहा है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं कांग्रेस का कार्यक्रम किसी दूसरी पार्टी से कमजोर हो। मैं यह भी मामने के लिये तैयार नहीं इस वक्त जो कुछ हालात देश के अन्दर बनी है उसके लिये कांग्रेस ही जवाबदार ह।

अध्यक्ष महोदय, मैं उनके नुक्ते निगाह को समझ सकता हूं कांग्रेस की खिलाफत करते करते उनकी धारणा कांग्रेस के प्रति इतनी कटु बन गई है, उसके लिये मेरी हमदर्दी हो सकती है, मगर जो अपने आपको प्रगतिशील समझते ह, जो हिन्दुस्तान में नया इन्कलाब लाना चाहते हैं, गरीब और अमीर की खाई खत्म करना चाहते हैं, वही पार्टी जब हकूमत बनाने का सवाल आता है उनका सहयोग किनके साथ में है? हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ अखबार में उनकी पार्टी में इस बारे में मतभेद है कि उनको संविद का साथ देन चाहिये या नहीं? उनका यह निर्णय था कि हम उस पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे, हकूमत में शामिल नहीं होंगे। यहां तो इनके पार्टी का आप ही एक सदस्य हैं। लेकिन उनका सपोर्ट संविद के साथ रहेगा। इधर से उधर लोगों को लाने लेजाने में उनका भी हाथ था। आज वे उस पार्टी का सपोर्ट करने की बात करते है जिनको वे सामन्तवादी कहते है। इनका कहना था कि उन्होंने सत्रह सूत्री प्रोग्राम दिया उसके अन्तर्गत हमने समर्थन दिया। सदस्य यह ध्यान में रखें कि इन्कलाब दस्तावेजात से नहीं आ सकता। मुद्दे होने चाहिये, आचरण होना चाहिये और उसके लिये पुराना इतिहास होना चाहिये। यह कोई कन्ट्राक्ट या एग्रीमेन्ट नहीं था, सत्रह बातें केवल कागज पर लिख देने से पूरी नहीं होती, उस पर आपने इनको सपोर्ट दे दिया। वे तो केवल सब्ज बाग दिखाने के थे। आपका सहयोग कांग्रेस को नहीं जो सीलिंग के प्रोग्राम को लेकर चल रही है। जिसका बीस साल का इतिहास है।

अध्यक्ष महोदय, समाज में सब तरह के तत्व हैं, उन सब को अकॉमोडेट करना पड़ता है। सब को साथ में लेकर चलना पड़ता है।

मगर जो विरोध में बैठे हैं उनको कहें कि एकोमोडेशन उनके साथ किया है जो इन्कलाबी नहीं रहे हैं। जो प्रतिक्रियावादी

(श्री मथुरादास माथुर)

रहे हैं। उनके साथ रहकर हमें उपदेश दे रहे हैं। यह हमारे गले नहीं उतरता। अगर हिन्दुस्तान के इन दलों द्वारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव प्रोग्राम के नाम पर फ्रन्ट बने, फिर राइट लेफ्ट और राइट आउट सब बनाकर टीम बनाकर चलना चाहें तो यह मेरी कतई समझ में नहीं आता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल के अन्दर जो पारित करने का प्रस्ताव रखा है उसके मुद्दे तो ये ही हैं न कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी और जोड़ा जावे और रुल्स में जो बातें थी वही कानून में लाकर रख दीं। अब इतनी सी बात के लिये कह दिया कि यह कानून दकियानूसी है। यह गांधी की पार्टी का कानून नहीं है। जो भूल गये थे उसको याद करते हैं, तो मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं समझता। सीलिंग के लिये ही कह दिया। हमने दस्तावेज कर दिया। उन्होंने तो यही कहा कि हम मन्जूर करते हैं इसे। उनकी तो मंजूरी में ही हां हो गई और इधर हम अमल में लाते हैं, उन पर भरोसा भी नहीं। यह तो इनके सोचने की बात है। क्योंकि इस बिल को लेकर सियासी सवाल पैदा हो गये। कहते हैं दिमाग बिगड़ गया ......

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : दिमाग तो आपकी गवर्नमेंट के बिगड़ गये हैं। सन् 28 में कांग्रेस ने स्वीकार किया था इसे, पर आप इसे लागू नहीं कर रहे हैं आज।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आपके लिये तो यह फायदेमन्द हो रहा है। आप इधर आ जाओ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे अलवर से आने वाले साथी जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, वे "आज" इस "हंगामे" को देख रहे है। यह हंगामा मिट रहा है और कुछ दिनों के अन्दर हिन्दुस्तान में सही सियासत पैदा हो जावेगी। जिनमें जनता का विश्वास है वे हुकूमत चलावेंगे। ये छोटी मोटी बातें कहने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है।

मैं मुख्य मंत्रीजी की बात को कहना चाहता हूं कि हुकूमत जब तक जनता का विश्वास है हममें, करेंगे और जब विश्वास नहीं रहेगा, तो आपके हटाने की भी जरुरत नहीं है। अपने आप हट जावेंगा मुझे यही कहना था। यह दर्द क्यों है? जनता का हम में विश्वास है और 62 के वोटों से ज्यादा वोट लेकर जीतकर आये हैं और आगे के इलेक्शन में और भी अधिक वोटों से जीतकर आवेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करुंगा कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक 1968 पारित किया गया।

राजस्थान सशस्त्र सिपाही बल (संशोधन) विधेयक 68 पर विचार विमर्श एवं पारण

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपको यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान सशस्त्र सिपाही संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में सबसे पहले मेरा संशोधन प्रस्ताव है, उसको नहीं रक्खूगा और इसको आज पास कराने में पूरा सहयोग दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपने दल के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा ....

श्री मुकुटबिहारीलाल (वयाना) : सदन का समय ही इस बिल के लिये बढ़ाया गया था और जो हाथ में था वह पास कर दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे आपत्ति नहीं। मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिश (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण

श्री गिरधारीलाल व्यास, श्री श्रवणलाल, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री जयनारायण सालोदिया, श्री केशरीसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल।

(सभी अनुपस्थित)

धन्यवाद।

मैं सदन का समय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो आपकी अनुमति से बढ़ाता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई प्रस्ताव करेंगे।

(नहीं)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

अब इस पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये कन्सीडरेशन के लिये विचारार्थ लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : खेतसिंह को बोलने की इच्छा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : उसको दमन ही रखिये।

श्री खेतसिंह : राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल (संशोधन) विधेयक 1968, को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इसे विचारार्थ, लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह बनाया किसको जावेगा एडीशनल आई जी?

श्री अध्यक्ष : अभी आपको कह देंगे।

श्री खेतसिंह : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इसको पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सशस्त्र सिपाई दल (संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित किया जावे। (स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं, जो सहयोग आपने दिया उसके लिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6.17 बजे 29-2-68 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(अतरांकित प्र० सं० 93 की सूची)

राजस्थान में लेवर (श्रम) ट्रेनिंग केन्द्रो में ट्रेनिंग ले रहे छात्रों की सूची)

स्थान का नाम	ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों की संख्या
(1) जयपुर	74
(2) टोंक	14
(3) झालावाड	15
(4) बांसवाडा	11
(5) सिरोही	—
(6) डूंगरपुर	15

परिशिष्ठ 2

(अतारांकित पृष्ठ सं० 98 की सूची)

सूचि (ग्र) तारांकित प्रश्न सख्या 15 सा० नि० मं० दिनांक 15-12-67

प्रथम पंच वर्षीय योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना	
एलॉटमेंट	व्यय	एलॉटमेंट	व्यय	एलॉटमेंट	व्यय
1,92,00^	1,92,000	2,21,000	1,78,400	3,27,000	3,70,270

TRUE COPY

To

The S.H.O; Bari.

Sub :— Examination of bones of unknown persons.

Reference your letter regarding the examination of bones. I came to the following conclusion arter examination of bones.:—

1. These bones belong to human being.

2. These bones are of one person only.

3. By examination, the bones appear to be of male.

4. The probable age was nearly 30 years.

5. The cause of death could not be found out. .

6. Probable duration since death was nearly 2 months.

To find out the effect of poison, these bones are sent to the Chemical examiner in a sealed packet. The seal bears the impression is enclosed with letter to the Chemical Examiner.

Sd./ M. O. Bari
8-7-67

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 28 फरवरी 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	7	380 ताजेरात	380 ताज़ीरात
3	2, 17 व 21	डीवाई०	डी० वाई०
3	19	से ह ।	से है ।
4	4 व अंतिम से 2	डीवाई०	डी० वाई०
5	अंतिम से 9	सम्बन्ध म	सम्बन्ध में
6	,, से 4	बारे म	बारे में
6	,, से 3	गय हैं ।	गये हैं ।
9	12	श्रा. शिवचरण	श्री शिवचरण
10	अंतिम से 13	एस० एच० ओज का	एस० एच० ओज० का
11	शीर्षक	(श्रीमती शिवकुमारी)	(श्री जुझारसिंह)
12	4 व 11	श्री खतसिंह	श्री खेतसिंह
12	अंतिम से 7	सालवा में	सारोला में
12	,, से 2	श्रा कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
14	10	क्या वे	वे
14	अंतिम	जांच क	जांच की
15	अंतिम से 8	322 श्री फूलचन्द	322. श्री फूलचन्द
16	20	कर इसकी	कर इसकी जांच
17	2	अत: एव	अतएव
17	9	बचा है	बेचा है
17	अंतिम से 5	वह प	वह पेड़
18	12	आत है	आते हैं
19	अंतिम से 6	एक सन्त्र	इस सत्र
20	11	उपयुक्ता	उपयुक्तता
21	अंतिम से 11	क रनापड ता है ।	करना पड़ता है
22	11	वदि यां	वर्दियां
22	19	यह मेरा	यह मेरी
23	अंतिम से 8	करग	करेंगे
24	अंतिम	अधिकारी	अधिकारी ने
26	अंतिम से 7	डिकन्ट्रोल	डी कन्ट्रोल्ड

(2)

1	2	3	4
27	अंतिम से 9	हुई ह	हुई है
28	14	स्कल म	स्कूल में
29	अंतिम से 5 व 10	ढ़ाणी	ढाणी
30	21	फ्रेश	फ्रेश
31	2	मा करा दा	जमा करा दी
31	3	ग्राकु	ग्राम कुतीना
31	अंतिम से 2	कुतीना	कुतीना के लिए
32	,, से 11	जायेगी	जाय
32	,, से 7	मिलाये जान	दिलाये जाने
33	1	टंकों	टंकों
37	16	श्री प्रेमसिंह	श्री प्रेमसिंह
37	अंतिम	बड़ा	छबड़ा
38	7	उसको	उनको
42	अंतिम से 4	देखिय	देखिये
43	9	एक	एई
47	12	अपग्रड	अपग्रेड
49	2	होने कि	होने की
49	5	" डाढाला एक	"डाढाला एकल
49	9	प्रशासन	प्रकाशन
56	अंतिम से 7	कए के	कुंए के
59	,, 10	बढाये गय	बढाये गये
60	,, 9	झू टी	झूठी
62	10	परतापुर	परतापपुर
62	12	किया यया	किया गया
62	अंतिम से 10	प्रथमिक	प्राथमिक
63	12	कोयल का	कोयले का
65	अंतिम	ससय	समय
67	अंतिम से 12	को विज्ञप्ति	की विज्ञप्ति
68	10	साकगी	सकेगी
69	1	पक्का	पक्की
71	अंतिम से 5	की मर्ज	की मेज
71	,, 3	(3) रख गई दी है ।	(3) रख दी गई है ।
72	3	कप	कृपा
[illegible]	13	दारा	द्वारा

1	2	3	4
74	अंतिम से 2	। है	है।
75	3	में	म
76	अंतिम से 12	क्रमोन्नत	क्रमोन्नत करने
77	14	तो जो	तो
,,	17	पन	पनाह
,,	अंतिम से 7	फिनायि	फिनीयल,
81	11	डेकैती	डकैती
82	12	कर्यवाही	कार्यवाही
86	15	तिथि का	तिथि व
86	अंतिम से 4	करन	करने
87	11	चरु	चूरु
88	अंतिम से 7	उपस्थान	उपस्थापन
89	1	म	में
90	3	उसक	उसका
90	4	बहुत	बुरा
92	19	श्र दामोदर लाल	श्री दामोदर लाल
93	3	उस समय	इस समय
93	10	मूर्तियो को	मूर्तियों को
95	अंतिम से 4	केन्द्रीय	केन्द्रीय
96	7	कान्सस्टीट	कान्स्टीट्-
96	अंतिम से 13	देश क	देश के
97	10	वक्त में	वक्त में-
97	अंतिम	ममेन्टम,	मूमेन्टम-
98	8	मुख्य	मुख्य
98	अंतिम से 9	को कोई	को कोई
98	अंतिम	ह कि	हैं कि
99	अंतिम से 13	एडो लसे	एंडोलेंस
100	अंतिम	ज ह इल्यूजन्स पदा	जहां ईल्यूजन्स पैदा
104	अंतिम से 5	म नहीं	में नहीं
105	11	एडमिनिट्रेशन	एडमिनिस्ट्रेशन
105	अंतिम से 11	इस	इस पर
106	5	पार्वस	पावर्स
106	अंतिम	पोलिटिकवाइजेशन	पोलिटिकलवाइजेशन
107	अंतिम से 11	पेद	पैदा

1	2	3	4
111	अंतिम से 7	चलात	चलाते
112	,, 10	चंडावत	चूंडावत
112	,, 2	पसे	पैसे
115	5	मझे	मुझे
115	17	चअरमेन	चेयरमैन
116	अंतिम से 14	समाजवाद	समाजवादी
117	22	बल दर	बल पर
119	अंतिम से 10	भी गें	भी में
122	,, 7	17 सूचि	17 सूत्री
125	,, 3	सन्द ह	सन्देह
129	14	श्री प्रद्यम्नसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
130	13	सामन	सामने
131	6	श्रा रामानन्द	श्री रामानन्द
131	अंतिम से 3 व 5	ह	है
133	8	गढ़ी	गाढ़ी
133	13	सच्च	सच्चे
134	अंतिम	दा	दाम
135	अंतिम से 5	श्री दवीदत्त	श्री देवीदत्त
140	अंतिम	देत	देता
145	अंतिम से 5	जानन	जानने
145	,, से 3	मालम	मालूम
148	अंतिम से 8	लात	लाते
148	,, से 6	होत	होते
148	,, से 3	करवात	करवाते
149	,, से 3 व 4	जात	जाते
152	1	यय	व्यय
155	अंतिम से 2	करत ह	करते हैं
165	18	effcient	efficient
166	अंतिम से 9	500 ०	500 रू०
169	,, से 7	म	में
181	,, से 8	कहत हैं	कहते हैं
184	,, से 7	म क्या	में क्या
185	8	न कानून	ने कानून
186	10	द रखा	दे रखा

1	2	3	4
209	10	जो	जिन्होंने
210	8	सभी	तभी
210	16	हुआ ह	हुआ है
213	2	ब ने	बढ़ने
215	अंतिम से 2	श्री मथरादास	श्री मथुरादास
219	17	आई० सी० एस०	आई० ए० एस०
220	16	व मेरे	मेरे
221	4	कर सकत	कर सकते
221	5	करत	करते
235	13	संशोधन गिर गया। विश्राम	संशोधन गिर गया । (विराम)
239	अंतिम से 5	जंतसर	जंतारन
240	1	श्री शंकरलाल	माननीय श्री शंकरलाल
245	अंतिम से 17	प्रश्न ह	प्रश्न है
245	अंतिम से 7	होत हं	होते हैं
245	अंतिम	रोत	रोते
246	1	रहत	रहते
246	4	जात	जाते
246	13	सकत	सकते
250	अंतिम से 8	जो माननीय	जो माननीय
251	15	अध्य	अध्यक्ष
251	16	वस	वैसे
251	16	लेन	लेने
253	अंतिम से 9	पड़गा	पड़ेगा
256	12	क्वशल	क्वेशल
267	10	श्रा अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
270	16	नका	इनका
285	शीर्ष	(श्री मुकुटबिहारीलाल (गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
294	12	मंजर	मंजूर
296	अंतिम से 9	लेते ह	लेते हैं
296	अंतिम	कर	करें
297	15	मने	मैंने
298	6	देन	देना
301	11	रामकिश	रामकिशन
301	15	वृद्धिचन्द	वृद्धिचन्द